दशम

12 मार्च, 1996
1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सोलहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

दिनांक 12 मार्च, 1996 के लोक सभा
(हिन्दी संस्करण)
वाद-विवाद का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
16, 21	पाद टिप्पण	नहीं किया जाएगा	नहीं किया गया
14	16	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय/राज्य मंत्री	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री
19	27	श्री पृथ्वीराज डी. चोहान	श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण
42	नीचे से 6	वर्ष-जल.......	वर्षा-जल.......
47-48			विवरण को प्रश्न सं. 175 के भाग (क) और (ख) के पश्चात पढ़िए।
73	9	....की शिकायतों	..... की शिकायतें
112	6	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के (श्री राजेश पायलट)	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)
117	नीचे से 14	.....वन मंत्रालय राज्य मंत्री...	...वन मंत्रालय के राज्य मंत्री....
119	15	(श्री राजेश पायलट)	श्री राजेश पायलट
135	नीचे से 13	गन्नपे से....	गन्ने से
179-180	-	(क) से (ख)	(क) से (ग) पढ़िए।
207	12	श्री नरेश कुमार बलियान	श्री नरेश कुमार बालियान
"	14	पयावरण वन मंत्री	पर्यावरण और वन मंत्री
221	नीचे से 14	श्री दत्ता मेघे	श्री दत्ता मेघे
240, 241	3, 5	...के राज्य मंत्री...	.... के राज्य मंत्री....
247	15	श्री दाजबीर सिंह	श्री राजवीर सिंह
269	पंक्ति 3 के पश्चात "(व्यवधान)" पढ़िए।		
292	नीचे से 3	...विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	...विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
307	नीचे से 16	वार्षिक प्रतिवेदन	वार्षिक प्रतिवेदन
313	10	तथा का वर्ष	तथा वर्ष
321	3	से राज्य मंत्री	में राज्य मंत्री
362	11	मईलाद तुराई	मईला दुतुराई
436 एवं 457	क्रमशः 11 एवं नीचे से 2	श्री इन्द्रजीत गप्त	श्री इन्द्रजीत गुप्त
446	9	श्रीमती सूर्यकान्त पाटील	श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील

विषय सूची

दशम माला, खंड 47, सोलहवां सत्र, 1996/1917 (शक)

अंक 10, मंगलवार, 12 मार्च, 1996/22 फाल्गुन, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1-26
*तारांकित प्रश्न संख्या :	162-164	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	161 और165-180	27-240
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1372 - 1513	
नामदफा बाघ परियोजना के संबंध में दिनांक 28 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संबंध 309 उत्तर में शुद्धि करने वाला और इसमें हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण		241
गन्ना उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं		241 - 258
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		242
श्री अमर पाल सिंह		243
श्री राम नगीना मिश्र		244
श्री सत्यपाल सिंह यादव		245
श्री सत्यदेव सिंह		245
श्री रामपाल सिंह		246
श्री राजवीर सिंह		246
श्री अमल दत्त		248
श्री विनय कटियार		248
श्री अजित सिंह		251
सभा पटल पर रखे गए पत्र		277 - 321
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति		322
प्राक्कलन समिति		
सत्तावनवां प्रतिवेदन तथा		
कार्यवाही सारांश - **प्रस्तुत**		322
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
चौवनवां प्रतिवदेन तथा		
कार्यवाही सारांश - **प्रस्तुत**		323

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
पैंसठवां प्रतिवेदन तथा	
दौरा प्रतिवेदन **प्रस्तुत**	323
रेल अभिसमय समिति	
बारहवां प्रतिवेदन तथा	
कार्यवाही सारांश **प्रस्तुत**	324
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
सैंतीसवां तथा अड़तीसवां प्रतिवेदन **प्रस्तुत**	**324**
संचार संबंधी स्थायी समिति	
अट्ठाइसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन	
तथा कार्यवाही सारांश **प्रस्तुत**	324 - 325
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
सातवां तथा आठवां प्रतिवेदन **प्रस्तुत**	325
विज संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां तथा तेईसवां प्रतिवेदन **प्रस्तुत**	325 - 326
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
सताइसवां प्रतिवेदन तथा	
कार्यवाही सारांश **प्रस्तुत**	326
रेल संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन **प्रस्तुत**	326
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां,	
छब्बीसवां तथा सताइसवां प्रतिवेदन **प्रस्तुत**	327
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां, तेईसवां तथा चौबीसवां प्रतिवेदन - **सभा पटल पर रखे गये**	327 - 328
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां,	
अड़तीसवां, उनतालीसवां तथा	
चालीसवां प्रतिवेदन **सभा पटल पर रखे गये**	328 - 329
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति	
तीसवां प्रतिवेदन **सभा पटल पर रखा गया**	329

विषय **कालम**

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश - **सभा पटल पर रखा गया** 329 - 330

उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में दिनांक 11.12.95 के तारांकित प्रश्न सं. 205 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य 330 - 342

मलेरिया नियंत्रण के संबंध में दिनांक 27.2.1996 के तारांकित प्रश्न सं. 2 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य 330 - 332

अनुसूचित जनजातियों की सूची में देशवाली माझी समुदाय को शामिल करने के संबंध में याचिका - **प्रस्तुत** 366

हवाला मामले से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर कानूनी रूप से धन दिये जाने संबंधी अभिकथनों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असंतोष के संबंध में प्रस्ताव **अस्वीकृत** 369 - 451

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 383 - 389

श्री जार्ज फर्नान्डीज 389 - 405

श्री चित्त बसु 406 - 408

श्री भोगेन्द्र झा 408 - 412

श्री रंगराजन कुमारमंगलम 412 - 419

श्री याइमा सिंह युमनाम 419 - 420

श्रीमती मारग्रेट आल्वा 420 - 431

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 437 - 448

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - **स्वीकृत** 451 - 461

श्री पी.सी. चाको 452 - 458

श्री ई. अहमद 458 - 459

डा. गिरिजा व्यास 459 - 460

श्री लोकनाथ चौधरी 460 - 462

श्री पी.वी. नरसिंह राव 462 - 466

विदाई उल्लेख 462 - 465

राष्ट्रीय गीत 466

लोक सभा

मंगलवार, 12 मार्च, 1996/ 22 फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

थैलासिमिया रोग

162. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:**

श्री पंकज चौधरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने थैलासिमिया रोग के इलाज के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय थैलासिमिया रोगियों की संख्या कितनी है; और

(घ) देश में ऐसे सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है जहां इस समय इस रोग के इलाज की सुविधा है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (घ). थैलासिमिया के एक मात्र रोगहरक उपचार में अस्थिमज्जा का प्रतिरोपण करना होता है जो एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सदृश सहोदर दाता को जरूरत होती है। तथापि, थैलासीमिया में अनुसंधान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख बल दिए जाने वाला क्षेत्र है। वह क्रिश्चियन मेडिकल कालेज अस्पताल, वेल्लोर जिसे अस्थिमज्जा प्रतिरोपण के लिए एक रेफरल केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में एकस्ट्रा म्यूरल अनुसंधान में सहायता कर रहा है। इस समय थैलासीमिया के रोगियों में एक जीवन रक्षक उपाय के रूप में बार-बार रक्ताधान करना जरूरी है।

देश में थैलासीमिया के रोगियों का कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री डा. रामकृष्ण कुसमरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिये हैं, उससे यह बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि थैलासीमिया रोग के कारण मासूम बच्चे इससे प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं और हिमोग्लोबिन की कमी के कारण उनका जीवन कष्टप्रद रहता है। इस हिमोग्लोबिन की पूर्ति करने के लिए बार-बार, हर तीसरे चौथे हफ्ते में इनको खून देना पड़ता है, किन्तु इस उत्तर के भीतर इन्होंने गम्भीरतापूर्वक यह नहीं बताया है कि जिसमें लाखों बच्चे पीड़ित होते हैं, उसके इलाज के लिए कोई कारगर उपाय अभी तक किया गया हो। यहाँ तक कि इन्होंने इसके इलाज के लिए अभी आयुर्वेद संस्थान की वैज्ञानिकों की जो दो दिवसीय बैठक हुई थी, उसके भीतर डैफ्रीफोन नाम की एक टैबलेट तैयार की गई है, जिसे मुंह से लेने पर उसका इलाज हो सकता है और उससे बच्चों की तकलीफ दूर की जा सकती है।

मैं इस प्रश्न के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय जो डैफ्रीफोन टैबलेट ईजाद की गई है, इसको भारत में ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं पूछना चाहिए। कृपया इसे मत पूछिए आप दूसरे प्रश्न पर आ जाइये।

.....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी दवाई की पैरवी कर रहे हैं। ...

.....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, प्लीज़ आप उसको छोड़ दीजिए। आप दूसरे प्रश्न पर आ जाइये।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: इसके उपचार के लिए हमारी सरकार और माननीय मंत्री महोदय ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नई दवाइयां निकल रही हैं तो उनको ध्यान में लेगे क्या?

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: कौन सा नया इलाज इसके लिए हमारी सरकार और माननीय मंत्री महोदय ईजाद करा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है

कि थैलासिमिया जटिल रोगों में से एक है, यह विश्व भर में फैला हुआ है। आज तक इसका इलाज केवल आस्थिमज्जा प्रत्यारोपण है और दूसरा है जिसमें रोगी को अपना रक्त बदलवाना होता है। यह भी बहुत कष्टप्रद प्रक्रिया है। थैलासिमिया के इलाज के यही दो सिद्ध तरीके हैं। अनुसंधान चल रहा है लेकिन यह अभी निर्णायक दौर में नहीं है।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या मंत्री महोदय इसको स्वास्थ्य नीति में सम्मिलित करके इसके ऊपर गम्भीरता से कार्य करने के लिए योजना बनायेंगे?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, हमने इसे बहुत गम्भीरता से लिया है और हमने क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लौर को एक परियोजना दी हुई है जहां इस पर अनुसंधान चल रहा है और अनुसंधान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी: थैलासिमिया के रोग में हर मरीज को हर महीने रक्त चढ़ाया जाता है और देश में खून उपलब्ध न होने के कारण सैंकड़ों जाने जाती हैं। खून की उपलब्धता के बारे में मंत्री महोदय ने क्या आवश्यक कार्यवाही की है?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, मैंने इस सम्मान्य सभा में पहले भी बताया है कि रक्त खरीदा नहीं जा सकता, इसको व्यवस्था किसी रक्तदाता द्वारा की जानी होती है और मरीज को ही रक्तदाता की व्यवस्था करनी होती है। उसके बाद ही वे देश के विभिन्न अस्पतालों में रक्त-आधान करा सकते हैं। लेकिन रक्त की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मरीज के परिवार की होती है क्योंकि रक्त कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, वस्तुतः, यह थैलासिमिया रोग ऐसा रोग है जिसके लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। थैलासिमिया के मरीजों के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है: एक रक्त और ओर दूसरा आपको दवा की कीमत जानकर हैरानी होगी। उसकी कीमत आसमान छू रही है। थैलासिमिया के मरीजों को महीने में कम से कम दो इंजेक्शन देने होते हैं। जब मैं मंत्री थी, तो मैंने यह मामला उठाया था, उस समय इंजक्शन की कीमत 360 रूपये थी। मंत्री महोदय ने इस पर विचार किया था और इसकी कीमत लगभग 200 रूपये तक आ गई थी लेकिन अब इसकी कीमत फिर बढ़कर 400 रूपये से अधिक हो गई है।

जहां तक रक्त की बात है, मध्यम वर्ग और अन्य लोग रक्तदान करने में समर्थ हैं। अतः, रक्त मिलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इंजेक्शन की है। क्या मंत्री महोदय थैलासिमिया के मरीजों के लिए इंजेक्शन की कीमत पर विचार करेंगे? क्या मंत्री महोदय मूल्य कम करने के लिए पुनर्विचार करेंगे? अन्यथा, गरीब लोगों के लिए इलाज जारी रखना सम्भव नहीं है।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि यह एक गम्भीर मामला है। हम जानते हैं कि हमारे देश में रक्त बैंक हैं। थैलासिमिया के मरीजों को प्रधान मंत्री सहायता कोष या मुख्य मंत्री कोष से कोई सहायता नहीं मिलती है। उनके पास इसकी गुंजाइश नहीं है, इसलिए, क्या मंत्री महोदय एक थैलासिमिया बैंक खोलेंगे ताकि गरीब लोगों को बैंक से सहायता मिल सके?

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, मैं माननीय सदस्या की थैलासिमिया के मरीजों की चिन्ता से बिलकुल सहमत हूं। जहां तक मुझे मालूम है, मैंने पहले ही कहा है कि इस रोग के इलाज के केवल दो सिद्ध तरीके हैं, वह है - आस्थिमज्जा प्रत्यारोपण और रक्त-आधान। कुछ दवाईयों भी हैं ... **(व्यवधान)**।

कुमारी ममता बनर्जी: विशेष इंजेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? तुम्हें एक महीने में दो इंजेक्शनों की आवश्यकता होती है।

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, इस समय मेरे पास ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तकनीकी मामला है। आप इसे बाद में दे सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, वे मूल्य पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह दवाई मंहगी है, तो क्या आप कुछ सहायता, कुछ राजसहायता देने के लिए विचार करेंगे? कृपया इस पर विचार करें।

श्री पवन सिंह घाटोवार: स्वास्थ्य मंत्री के पास एक कोष उपलब्ध है और निश्चित रूप से हम थैलासिमिया के गरीब मरीजों को सहायता देने के लिए विचार करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जानकारी नहीं दी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े मौजूद नहीं है। एक सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि सारे भारत में

एक लाख से अधिक थैलासिमिया रोग के मरीज है। इसकी चिकित्सा की पद्धति वर्तमान में एलोपैथिक में है जो कि बहुत महंगी है। इस पद्धति के आधार पर एक लाख रुपया प्रत्येक मरीज पर खर्च करने के बाद उसके जीवन की सम्भावनायें दो प्रतिशत रहती है।98 प्रतिशत लोग और बच्चे मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। मेरा पूछना है कि जब यह प्रमाणित हो चुका है कि सब प्रकार की चिकित्सा एलोपैथिक के पास नहीं है, तो माननीय मंत्री जी जो नये आयुर्वेद के मंत्री बन गये हैं, उनकी इसमें बड़ी रुचि है, क्या आयुर्वेद के इलाज के द्वारा पर्याप्त धन देकर कोई समुचित व्यवस्था द्वारा थैलासिमिया रोग की रोकथाम करने का प्रयत्न करेंगे? यदि करेंगे तो कब तक? कृपया स्पष्ट करें।

श्री पवन सिंह घाटोवार: आपके सुझाव के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद या यूनानी में इसका कोई इलाज हो। हमारी जो रिसर्च काउन्सिल है, उनसे हम जरूर विचार-विमर्श करेंगे।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम: अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त ने जो सवाल किया, अभी थोड़े दिन हुए, अखबारों में और हिन्दुस्तान के मुखतलिफ रिसालों में यह मजमून छपे हैं कि बहुत सी बीमारियां ऐसी है खासतौर पर जिसका ताल्लुक केंसर से है और जिसका कामयाब इलाज एलोपैथी में नहीं है लेकिन आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम में इसका इलाज मौजूद है और इलाज किया जा सकता है लेकिन शिकायत यह है कि रिसर्च की जो सहूलियतें आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम की लैबोरेट्रीज को मिलनी चाहिए वह उनको मुहैया नहीं की जा रही हैं और आजकल साइन्स इतनी आगे बढ़ गई है कि जो पुरानी मालूमात हैं चाहे यूनानी हो या आयुर्वेदिक हो, वे इन बीमारियों का कामयाब इलाज करने के लिए काफी नहीं है। मैं जवाब में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस बात पर गौर करेंगे कि जहां कहीं पर यूनानी दवाओं के और यूनानी इलाज के लिए यूनानी लैबोरेट्रीज कायम हैं, उसके लिए भी फन्ड फराहम कराने के लिए कोई स्कीम तैयार करें दूसरे यह कि आजकल होम्योपैथिक की बहुत मकबूल हो रही है, अभी ममता बैनर्जी जी आपके ध्यान में यह बात लाई है कि यह इलाज बहुत महंगा है और गरीब आदमी के लिए उसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है और यह बात भी सामने आई है कि अगर यह बर्दाश्त कर भी लिया जाये तो इसमें कामयाबी दो-तीन फीसदी रहती है। होम्योपैथिक के इलाज करने वाले जो डाक्टर है, उनका दावा है कि वह सस्ता इलाज बहुत से अमराज़ का जिनका एलोपैथिक इलाज नहीं है, कर सकते हैं। इस पर भी गौर किया जाये कि होम्योपैथिक सिस्टम के लिए जो वहां पर रिसर्च हो रही है, क्या उस पर कोई तवज्जोह दी जायेगी?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री महोदय ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी का एक अलग विभाग बनाया है। महोदय, इस प्रयोजन हेतु तीन अनुसंधान परिषदें हैं, जो यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के लिए अलग-अलग है। अभी हाल ही में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने यूनानी राष्ट्रीय संस्थान की आधारशिला रखी है। हम तीनों चिकित्सा प्रणालियों को सभी प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वे अच्छा अनुसंधान कर सकें और अच्छे परिणाम निकलें जिसके द्वारा हमारे देश की जनता को लाभ पहुंचे। इस बीमारी के इलाज के लिए दावे किए जा रहे हैं और इन दावों की दोबारा जांच करनी होती है और वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करना होता है और तब ही हम कह सकते हैं कि इस बीमारी का यह इलाज है। हमें इस प्रक्रिया से गुजरना होता है ... **(व्यवधान)**

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम: अध्यक्ष महोदय, शिकायत यह है कि रिसर्च के लिए आप उनको फन्ड्स मुहैया नहीं कर रहे हैं। यह शिकायत बार-बार आ रही है और अखबारों में भी छप रही है। आप इस बारे में स्पैसिफिक जवाब दें, आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम के रिसर्च के लिए क्या आप एडिक्वेट फन्ड्स फरहाम करायेंगे? आप यह बताइए, ऐलोपैथिक सिस्टम के लिए जितना फन्ड्स दिया है, उसके मुकाबले में आप इन को क्यों फन्ड्स नहीं दे रहे हैं। फन्ड्स के मुताल्लिक आपने कोई जबाब नहीं दिया है।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: हमारी ओर से जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पिछले वर्ष ही हमने एक अलग विभाग बनाया है, हम इस विभाग के लिए अलग बजट का प्रावधान कर रहे हैं, पहले यह एलोपैथिक विभाग का एक अंग था। अब हमारे पास विभाग में पूर्ण सचिव है, माननीय, प्रधान मंत्री ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली विभाग की देखभाल का काम मुझे दिया है और हमने पहले ही योजना आयोग को प्रस्ताव भेजा है और हम अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन्हें इस प्रकार के अनुसंधान कार्य के लिए निश्चित रूप से पूर्ण सहायता देने जा रहे हैं ... **(व्यवधान)** इस अनुसंधान परिषद के लिए इस प्रकार के सकारात्मक परिणाम मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह: आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। माननीय मंत्री जी कुछ बतायेंगे, मदद करेंगे। सारे लोग सहमत हैं। मुहम्मद यूनुस और ममता जी भी सहमत हैं। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्रीमती मालिनी के प्रश्न का उत्तर दिया जायेगा।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अभी नहीं बाद में अनुमति दूंगा।

मैंने श्रीमती मालिनीजी को अनुमति दी है। मैं आपको बोलने की अनुमति बाद में दूंगा। अब कृपया श्रीमती मालिनी जी बोलें।

....(व्यवधान)....*

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, सरकार फन्ड्स तो दे ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: डिसपरल इंजेक्शन जो रक्त-आधान के बाद थैलासिमिया मरीजों के रक्त में लौह अवसादों को कम करने के लिए अपेक्षित है, बहुत महंगा है। मैं अन्य सदस्यों से सहमत हूं कि इसे सरकारी अस्पतालों में थैलासिमिया के मरीजों को या तो मुफ्त या कम कीमत पर प्रदान किया जाना चाहिए।

तथापि, मेरा प्रश्न भिन्न है। हम देखते हैं कि कतिपय देशों में जहां थैलासिमिया के मरीजों की संख्या अत्यधिक है, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके द्वारा उनके लिए थैलासिमिया रोग का उन्मूलन करना सम्भव हो पाया है। अर्थात् उन्होंने उन दम्पत्तियों का थैलासिमिया की सम्भावना के कारण रक्त-परीक्षण अनिवार्य किया जिनकी शादी होनी थी। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं क्या सरकार इस प्रकार के रक्त-परीक्षणों को अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठायेगी ताकि थैलासिमिया का अन्ततः देश से उन्मूलन किया जा सके।

श्री पवन सिंह घाटोवार: इंजेक्शन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिक सीमा-शुल्क के कारण यह मंहगा था ... (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: अभी भी यह बहुत मंहगा है ... (व्यवधान)

श्री पवन सिंह घाटोवार: अब भारत सरकार ने इस इंजेक्शन को सीमा-शुल्क से मुक्त कर दिया है ... (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: ऐसा इसलिए कि अब कोई नियंत्रण नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यों में वृद्धि हुई है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल श्रीमती मालिनी जी के प्रश्न का उत्तर देंगे।

....(व्यवधान)....

श्री पवन सिंह घाटोवार: केवल तीन देश हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किये हैं और ये देश हैं सिसली, साइप्रस और इटली। वे माता का प्रसव-पूर्व निदान करते हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या उसके रक्त में कोई थैलासिमिया है और उसके बाद पिता को भी रक्त-परीक्षण करने के लिए बुलाते हैं। यदि यह धनात्मक पाया जाता है तो वे उन्हें गर्भपात करने या अन्य बातों के लिए सलाह देते हैं। इस प्रकार परीक्षण केवल इन तीन देशों अर्थात् सिसली, साइप्रस और इटली में है जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किये हैं। हम विचार कर रहे हैं, ... (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: मैं प्रसव-पूर्व कार्यक्रम की बात नहीं कर रही हूं। मैं शादी से पहले कुछ करने की बात कर रही हूं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी जी, कृपया इस तरह न करें। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

श्री पवन सिंह घाटोवार: यह सही है कि हमारे देश में उपलब्ध रक्त-परीक्षण की विद्यमान सुविधाओं से देश के प्रत्येक नागरिक को रक्त परीक्षा सम्भव नहीं है। हाल ही में रक्त बैंक का दर्जा बढ़ाने और इसका विस्तार करने तथा देश में रक्त परीक्षण सुविधाओं के विस्तार के बारे में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। सरकार एक नीति तैयार कर रही है और राज्य और केन्द्रीय स्तर पर रक्त परीक्षण सुविधा का दर्जा बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि थैलासिमिया रोग एक ऐसा भयंकर रोग है जिस पर अब तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। इससे प्रतिवर्ष हजारों बच्चे मौत के शिकार होते हैं। इस बीमारी से लगभग 90 प्रतिशत तक बच्चे मौत के शिकार होते हैं, केवल 10 प्रतिशत बचाए जा सकते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ ब्लड बैंक्स बढ़ाये जाने का विचार कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि यदि ब्लड बैक्स बढ़ाये जाते हैं और उस प्रकार से सुविधाए दी जाती है तो संभवत इस रोग के ऊपर कोई नियंत्रण पाया जा सकता है, अन्यथा इससे कई दूसरी बीमारियां भी होने की संभावना है। यह रोग न केवल बच्चों में होता है बल्कि बड़ों में भी यह रोग होने की सूचनाएं मिली हैं और इससे बड़े भी मृत्यु के शिकार हुए हैं। मेरा कहना यह है कि इस संदर्भ में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपना कर इसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हम इसके लिए और कोई योजना बना रहे हैं तो आपकी वह योजना कब बनेगी? उसको आप देश में तथा बड़े-बड़े शहरों में लागू कर सकें, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण हो?

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): महोदय, वस्तुतः यह एक ऐसी जानलेवा बीमारियों में से एक है जिसके लिए अनुसंधान के हर प्रयास के बावजूद, अभी तक कोई इलाज ढूंढा नहीं जा सका है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है और सरकार इसके बारे में बहुत प्रयास कर रही है। यही सही है कि इसके लिए कुछ परीक्षण हैं जो करवाये जा सकते हैं, जैसा कि माननीय महिला सदस्य और ममताजी ने कहा है लेकिन सर्वप्रथम, भारत जैसे विशाल देश में यह पता लगाना असंभव होगा कि कितने व्यक्तियों या दम्पत्तियों का विवाह होने जा रहा है ताकि ये परीक्षण करवाये जा सकें। हम आशा करते हैं कि वह दिन आयेगा जब यह सम्भव हो सकेंगा क्योंकि यही केवल एक तरीका है जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने और संरकार ने सही सुझाव दिया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए क्योंकि एलोपैथी विफल हो गई है। एलोपैथी कई मायनों में विफल हो गई है। अनुसंधान पर अत्यधिक खर्च किए जाने के बावजूद यह अभी तक विफल रही है, यह कैंसर, एड्स और इस मामले में भी अभी तक विफल रही है। अतः, हाल ही में, जब एलोपैथी विफल हो गई है, हम इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति अपनानी चाहिए और में सर्वम सार्वजनिक घोषणा करता रहा हूं कि मानव-निर्मित प्रयोगशाला की अपेक्षा प्रकृति-निर्मित प्रयोगशाला अर्थात वन में इलाज पाया जा सकता है और वह है व्याधि का सृजन बाद में हुआ है लेकिन प्रकृति ने इलाज का सृजन पहले ही कर दिया है। हमें केवल यह ढूंढना है कि यह कहां है। मैंने यह बात हर जगह कही है और मैं इस बात पर जोर देता रहा हूं कि कैंसर के इलाज के लिए आज अमेरिका में भी जड़ी-बूटियों पर चिकित्सीय अनुसंधान किया जा रहा है और मैं इस महान सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले शिकागो गया था और डाक्टरों ने मुझे बताया कि जड़ी-बूटियों का चिकित्सीय अनुसंधान किया जा रहा है और यह सम्भव है कि उसके जरिए कैंसर का इलाज पाया जा सकता है। इस तरह, यदि वे हमसे जड़ी-बूटियां प्राप्त कर अनुसंधान कर सकते हैं तो हम खुद ऐसा क्यों न करें? इसीलिए ही मैं और मेरे सहयोगी और अधिकारी भी जो इस मंत्रालय के इस विशेष विंग में तैनात हैं शुरू से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी पर बल देते आये हैं और हमारे पास इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, इंजेक्शनों के बारे में क्या हो रहा है?

श्री ए.आर. अन्तुले: हमें अनुसंधान करने के लिए और धनराशि देनी है क्योंकि चाहे हम इंजेक्शन दें या रक्त-आधान या आस्थिमज्जा प्रत्यारोपण करायें, यह आसान काम नहीं है। जैसा ठीक ही कहा गया है कि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण पूर्णतः असंभव है। रक्त-आधान भी उतना सरल काम नहीं है, यह बहुत ही कष्टप्रद और कठिन है, हम मूल्य कम कर सकते हैं, हम गरीब लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन यह बीमारी केवल गरीब लोगों के बच्चों को ही नहीं होती है अपितु यह विशेष बीमारी धनी लोगों के बच्चों को भी होती है। अतः हम वस्तुतः प्रयोग कर रहे हैं और हम प्रत्येक उपाय करने का प्रयास कर रहे हैं, अनुसंधान से लेकर इलाज और अन्ततः उपचार। अतः, मैं समझाता हूं, इस समय हम ...

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: सुझाव यह है कि इसे सरकारी अस्पतालों में कम कीमत पर किया जा सकता है।

श्री ए.आर. अन्तुले: मैंने जो कहा था - मेरे विचार से, माननीय महिला सदस्य ने मेरे को सुना है - कि जहां तक गरीब या गरीब माता-पिता के मरीज बच्चों का संबंध है, हम निश्चित रूप से देखेंगे कि उन्हें यदि पूर्णतः मुफ्त इलाज़ मुहैय्या नहीं कराया जा सकता है तो कम कीमत पर इलाज प्रदान किया जाये। जहां तक संभव होगा, इलाज 'मुफ्त' प्रदान किया जायेगा। यह बीमारी केवल गरीबों में ही नहीं प्रचलित है अपितु अन्य लोग भी इससे पीड़ित हैं। जो लोग इलाज कराने में समर्थ हैं, हम उन्हें मुफ्त इलाज प्रदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए इलाज की सुविधा मुहैय्या कर सकते हैं पर हम मुफ्त इलाज प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस समय सरकार अधिक से अधिक यही कर सकती है और सरकार जो करना चाहती है वह भी मैंने सरकार की ओर से बता दिया है।

श्री रमेश चेन्नितला: माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि देश में थैलासिमिया रोगियों के बारें में कोई विश्वस्त अनुमान उपलब्ध नहीं है। मेरे विचार से यह एक बहुत खतरनाक बीमारी है और भारत सरकार को इस बारे में आंकड़े और निश्चित आंकड़े एकत्र करने चाहिए और भारत सरकार को यह निश्चित रूप से अनुमान लगाना चाहिए कि इस बीमारी से कितने रोगी पीड़ित हैं ताकि उन्हें समुचित आर्थिक सहायता दी जा सके।

दूसरा, केरल में, कोट्टायम और अलेप्पी जिलों में थैलासिमिया रोग से मिलती-जुलती एक बहुत खतरनाक बीमारी है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह वही बीमारी है जो फैल रही है और इससे हाल ही में पचास व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है और क्या भारत सरकार डाक्टरों के एक दल को बीमारी का पता लगाने के लिए भेजेगी और इस बीमारी के उन्मूलन हेतु राज्य सरकार को समुचित सहायता प्रदान करेंगी।

श्री पवन सिंह घाटोवार: थैलासिमिया रोग आम आनुवंशिक बिमारियों में से है और इसका पता मरीजों के रक्त की जांच के बाद ही लगाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा मरीजों का रक्त-परीक्षण बहुत कठिन काम है लेकिन फिर भी हम जो सरकार में है माननीय सदस्यों जिन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, के सुझाव पर निश्चित

रूप से ध्यान रखेंगे।

केरल राज्य के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है और मैं निश्चितरूप से इसकी जांच कराऊंगा।

डा. मुमताज अंसारी: अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी इस महान सभा के ध्यान में लाया गया है कि देश में एक लाख से भी अधिक मरीज थैलासिमिया रोग से पीड़ित है और प्रभावित लोग केवल शहरी क्षेत्रों से ही नहीं है अपितु ग्रामीण क्षेत्रों से भी हैं, लेकिन रक्त-आधान केन्द्र और मज्जा प्रत्यारोपण केन्द्र बड़ें शहरों में स्थित है। इसी कारण, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की रक्त-आधान सुविधा और अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में भी देने की व्यवस्था या प्रस्ताव है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज इसका लाभ उठा सकें और इस उद्देश्य हेतु लागत पर कितनी राजसहायता दी जाने वाली है और इससे गरीब मरीजों की भारत सरकार द्वारा किस सीमा तक सहायता होगी।

श्री पवन सिंह घाटोवार: मैं पहले ही कह चुका हूं कि मज्जा का प्रत्यिारोपण एक बहुत ही जटिल काम है और इसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। वर्तमान में सफलतापूर्वक मज्जा प्रतिरोपण का केन्द्र वेल्लौर स्थित क्रिश्चयन मेडिकल कालेज है, इसके अलावा और कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य दो संस्थानों में ल्यूकेमिया के लिए मज्जा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यह काम सफलतापूर्वक केवल वेल्लौर स्थित क्रिश्चयन मेडिकल कॉलेज में ही किया जाता है। अतः, यह सुविधा प्रत्येक राज्य में उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन हम निश्चित रूप से और अधिक केन्द्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यह कार्य निश्चित रूप से एक जटिल काम है।

श्री अमल दत्त: यह पहले ही बताया जा चुका है कि पिछले एक वर्ष से ही सरकार ने देशीय चिकित्सा प्रणालियों की और पर्याप्त ध्यान देना शुरू किया है।

महोदय, एक वर्ष से कुछ अधिक समय हो गया, उस समय संसद में सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों से संबंधित रिपोर्ट देश की थी जिसमें यह कहा गया है कि यह आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विद्यार्थियों को देशीय चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत इलाज की विधियों तथा सभाव्यता के बारे में कोई ज्ञान प्रदान नहीं करती। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एम.बी.बी.एस. की डिग्रियां लेकर बाहर आने वाले विद्यार्थियों को अन्य चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित थोड़ी-बहुत जानकारी प्रदान की जानी चाहिये ताकि वे उन मरीजों को अन्य चिकित्सा पद्धतियों द्वारा इलाज कराने के लिए सलाह दे सकें जिनका इलाज उनकी अपनी चिकित्सा पद्धति में उपलब्ध नहीं है।

दुर्भाग्य से, उन्होंने कोई उचित कदम नहीं उठाया है। वे बार-बार समय ले रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या किया है। यह रिपोर्ट इस सभा में दिसम्बर, 1994 में पेश की गई थी। लेकिन इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। क्या सरकार ने एम.बी.बी.एस. का पाठ्यक्रम परिवर्तित करने के लिए कदम उठाये हैं ताकि आधुनिक चिकित्सा से एम.बी.बी.एस. की डिग्री लेकर बाहर आने वाले विद्यार्थी अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में भी थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त कर सकें ताकि वे मरीजों को उन वैकल्पिक पद्धतियों से अपना इलाज कराने के लिए की सलाह दें सकें, जो उन्हें उससे काफी कम लागत पर उपलब्ध हैं।

श्री ए.आर. अन्तुले: मूल रूप से में संशोधन की बात कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी यहां बताया था, मेरे विचार में एक ही स्थान पर सभी पद्धतियों का ज्ञान दिया जाना चाहिये ताकि अगर एक पद्धति द्वारा अर्थात् ऐलोपैथी द्वारा मरीजों का इलाज न किया जा सके तो, ऐसे में होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी जैसी अन्य पद्धतियों को अपनाया जा सकें। लेकिन मुझे सैद्धान्तिक रूप से यह बात जंची नहीं कि दो अथवा तीन पद्धतियों जैसे ऐलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी को संसक्त किया जाये।

अब एम.बी.बी.एस. का पाठ्यक्रम ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का है। माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में कुछ अन्य चिकित्सा प्रणालियों का ज्ञान भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये। लेकिन वह अनुसंधान कार्य अलग से किया जाना चाहिये। मैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में यूनानी और आयुर्वेद पद्धतियों पर शोध किये जाने के विरुद्ध नहीं हूं। वास्तव में, हम उन्हें पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि चिकित्सा के इन क्षेत्रों में भी शोधकार्य किया जाना चाहिये। लेकिन यह कार्य संयुक्तरूप से नहीं बल्कि साथ-साथ किया जाना चाहिये। अतः, माननीय सदस्य के सुझाव पर भली प्रकार विचार किया गया है। इस संबंध में हम उन्हें और निर्देश जारी करेंगे। वास्तव में, मैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक से वहां आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर अलग-अलग शोध कार्य जारी रखने का अनुरोध करूंगा।

श्री अमल दत्त: उससे संबंधित शिक्षा का क्या होगा?

श्री ए.आर. अन्तुले: महोदय, जहां तक शिक्षा का संबंध है, मेरा विचार यह है कि एम.बी.बी.एस. का पाठ्यक्रम पारित करने के पश्चात् इन विद्यार्थियों को आयुर्वेद अथवा होम्पयोपैथी के बारे में शिक्षित करने का कोई फायदा नहीं है। उससे सब कुछ मिश्रित हो जायेगा। उसको इसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसे इसका पता लगाने के लिए शौध करना पड़ेगा। मेरे विचार में, हमें या तो आयुर्वेद को विकसित करना चाहिये, जो हमने अभी तक नहीं किया है, या फिर किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली को विकसित करना चाहिये। लेकिन मेरे विचार में 35 प्रतिशत आयुर्वेद, 60 प्रतिशत होम्योपैथी, की जानकारी प्रदान करना उचित नहीं होगा।

श्री अमल दत्त: आप इस पर विचार करके उत्तर क्यों नहीं देते? ऐसे मरीज जो किसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जानकार चिकित्सक के पास जाता है तो वह उस मरीज को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनाने की सलाह तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उसे उसकी कुछ जानकारी न हो।

श्री ए.आर. अंतुले: माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हम वह उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। किसी चिकित्सक को किसी एक ही प्रणाली तक सीमित रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम बीमारी का उन्मूलन चाहते हैं। यह धारणा पर निर्भर करता है। सरकार का मत यह है कि सिफारिशों का जो भाग तर्कसंगत होगा, उसे स्वीकार किया जायेगा और जो तर्कसंगत नहीं है, उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। यही बात मैंने कही है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: अध्यक्ष महोदय, थैलासिमिया बीमारी के इलाज के सिलसिले में ऐलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पद्धति की चर्चा की गई है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ''नेचरक्योर'' या ''नेचरपैथी'' के जो विशेषज्ञ हैं उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम सभी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। माननीय सदस्य का यह एक अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: ऐसा भी देखा गया है कि जो बीमारी ऐलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से ठीक नहीं हुई है, लेकिन नेचरक्योर से ठीक हुई है। अत:, थैलासिमिया बीमारी के उपचार हेतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर भी बल देना चाहिये।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

***163. डा. + सत्यनारायण जटिया:**

श्री हरि किशोर सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 1 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 383 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पर कार्य आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत कितने प्रतिशत कार्य किया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ). जी, हां। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। विभिन्न नगरों (राजस्थान के नगरों को छोड़कर) में किए जाने वाले प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए पूर्व व्यवहारिकता रिपोर्टों का अगस्त, 1995 में अनुमोदन कर दिया गया था तथा राज्य सरकारों को प्रत्येक स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा इन रिपोर्टों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकारों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले ही धन दिया जा चुका था।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुमोदन और अब तक जारी की गई निधियों की स्थिति

क्रं सं.	राज्य	नदी	कुल स्वीकृत लागत (करोड़ रूपये)	जांच की जाने वाले विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या (अनुमानित लागत (करोड़ रूपये)	अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या (अनुमानित लागत करोड़ रूपये)	अनुमोदित स्कीमों की किस्में करोड़ रूपये)	केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में अब तक जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्रप्रदेश	गोदाबरी	53.79	1 (0.06)	8 (3.34)	एल.सी.एस., आर. एफ डी	1.72
2.	बिहार	सुवणरेखा	32.22	1 (1.19)	2 (0.60)	सी.आर.ई.	0.04
3.	गुजरात	साबरमती	98.70	1 (5.50)	1 (1.05)	आई.एंड डी.	1.27
4.	कर्नाटक	कृष्णा, कावेरी	27.00	8 (5.45)	3 (0.94)	– –	0.32

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मध्यप्रदेश	खान, क्षिप्रा, ताप्ती बेतवा, नर्मदा, वाणगंगा चम्बल	106.59	--	2 (1.67) अधिग्रहण	आई एण्ड डी, भूमि	1.45
6.	महाराष्ट्र	कृष्णा, गोदावरी	117.33	--	--	--	1.18
7.	उड़ीसा	महानदी, ब्राहमणी	24.85	--	--	--	0.03
8.	पंजाब	सतलज	229.38	2 (12.85)	12 (21.11)	आई. एण्ड डी भूमि अधिग्रहण	4.92
9.	राजस्थान	चम्बल	13.94	--	--	--	0.03
10.	तमिलनाडु	कावेरी	38.20	--	16 (2.44)	एल.सी.एस.आर.एफ.डी सी.आर.ई एण्ड विविध	1.10
			742.00	13 (25.05)	44 (32.15)		12.06

आई एण्ड डी : अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन
एल सी एस : अल्प लागत स्वच्छता
सी आर ई : शवदाहगृह
विविध : वनीकरण, ठोस अपशेष प्रबंध और जनभागीदारी
आर एफ डी : नदी तटाग्र विकास

राज्य सरकारों ने हाल ही में कुछ विस्तृत परियोजना रिर्पोटें प्रस्तुत की हैं जबकि शेष विस्तृत परियोजना रिर्पोटें तैयार की जो रही है। विस्तृत परियोजना रिर्पोटों के अनुमोदन की स्थिति और विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक जारी की गई धनराशि का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। राज्य सरकारों ने अनुमोदित स्कीमों के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए कार्य के आवंटन की प्रारंभिक औपचारिकताएं प्रारंभ कर दी है और इन स्कीमों के अन्तर्गत कार्यों के शीर्ष शुरू होने की आशा है।

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है। निश्चित रूप से नदियां हमारे लिए पवित्र हैं। हमारे यहां तो कहा गया है -

गंगा सिंधुस्य कावेरी यमुनाश्च सरस्वती।

देवा महानदीगोदा ब्रहमपुत्र पुनात्मम्।

ऐसी पवित्र नदियों के बारे में हमारी पवित्रता और मातृभाव इंगित होता है। इन नदियों को शुद्ध करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजना को हाथ में लिया है। इस योजना को हाथ में लेते हुए सरकार ने 742 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार इस बारे में ध्यान रखना चाहती है। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए जो देश की 19 नदियां है उनको शुद्ध करने के लिए अभी तक जो पैसा भेजा गया है उसकी राशि पर भी ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को एक करोड़ 72 लाख, बिहार को 4 लाख, गुजरात को एक करोड़ 27 लाख, कर्नाटक को 32 लाख, मध्य प्रदेश की 7 नदियों के लिए एक करोड़ 45 लाख, महाराष्ट्र को एक करोड़ 18 लाख, उड़ीसा को 3 लाख, पंजाब को 4 करोड़ 92 लाख, राजस्थान को 3 लाख, और तमिलनाडु को एक करोड़ 10 लाख मिला है। कुल मिलाकर 12 करोड़ 6 लाख रूपया दिया है। 742 करोड़ की योजना है और उसमें से 12 करोड़ दिया गया है जो कि 6 प्रतिशत है। इस 6 प्रतिशत राशि से इतना महत्वपूर्ण कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दृष्टि से, इन धनराशि को बढ़ाने की दृष्टि से आप क्या उपाय करने जा रहे हैं?

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है जो भावना माननीय सदस्य की है, जब मैं सवाल की तैयारी कर रहा था तो मेरी भी यही भावना थी कि जब 772 करोड़ रूपए की योजना है तो वहां अब तक 12 करोड़ रूपए ही क्यों रिलीज हुए है। यह सही है कि 772 करोड़ रूपए की 10 साल की योजना है और इसमें 50 फीसदी स्टेट गवर्नमेंट व 50 फीसदी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मदद है। यह रकम योजना तैयार करने के लिए दी गई है जिससे उन्हें तैयारी करनी है कि किस तरह से वर्क्स शुरू होंगे और क्या-क्या खर्च आयेगा। उसके लिए पैसा एडवांस में दिया गया है। यह पूरी योजना का डिस्ट्रीब्युशन नहीं है। यह तो योजना की तैयारी के लिए दिया गया है। माननीय सदस्य भरोसा रखें, 10 साल के टार्गेट में जो भी पैसा वितरित होना है, 50 फीसती सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है उसके लिए अलोकेशन है। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी: ... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष जी, जो धनराशि दी गई है और जिसका मैंने उल्लेख किया था, निश्चितरूप से वह बहुत ही कम है और मोटेतौर पर यदि अनुमान लगाया जाए, तो वह एक प्रतिशत से ज्यादा बैठती है। ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, सदस्य को डिस्टर्ब न करें।

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, वह धनराशि बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह प्लान बनाने के लिए है। एक्जीक्यूशन के लिए नहीं है।

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, आपकी और मंत्री जी की बात, दोनों ही मेरी समझ में पूरी तरह आ गई हे। मेरा ध्यान आकर्षण करने का केवल अभिप्राय यह है कि जो धनराशि आबंटित की गई है, उसके सदुपयोग करने की दृष्टि से भी वह बहुत कम है क्योंकि किसी भी योजना को पूरी करने के लिए ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होती है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मध्यप्रदेश में सात योजनाएं हैं और आप यह भी जानते हैं कि उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। मध्यप्रदेश को 1.45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि 25 लाख रुपए भी एक योजना पर खर्च करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई आप जानकारी मध्यप्रदेश सरकार से लेने वाले है और क्या वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है?

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राज्य सरकारों से पूछा गया है कि इन-इन नदियों पर आप योजना किस प्रकार से लागू करेंगे।

जैसा मेरे साथी जो राजस्थान से आते हैं उन्होंने कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने डिटेल पूरी नहीं भेजी है। कुछ राज्य सरकारों से पूरी डिटेल आ गई हैं, लेकिन अभी कई राज्य सरकारों से डिटेल आनी बाकी हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री दाऊ दयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने 13 करोड़ 94 लाख रुपए की डिटेल्ड योजना बनाकर भेजी है। आप दिखवा लीजिए राजस्थान सरकार ने स्वयं योजना बनाकर भेजी है। राजस्थान की अपनी नदी चम्बल नदी है। ...(**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, यह केवल माननीय सदस्य की फीलिंग नहीं है, बल्कि मुझे भी जब यह बात पता लगी तो शर्म आई कि राजस्थान को इतनी कम राशि क्यों दी गई है। इस बारे में जब मैंने अधिकारियों से पूछा, तो मुझे बताया गया कि अभी राजस्थान से और इन्क्वायरी की है जिनका डिटेल जबाब राजस्थान को देना है। सिर्फ राजस्थान सरकार द्वारा जानकारी भेज देना ही काफी नहीं होता है। यहां से जो जानकारी और मांगी जाती है उसका उत्तर भी देना आवश्यक होता है। जिस तरह की जानकारी हमने राजस्थान सरकार से मांगी है, वह अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जो धन आबंटित किया गया है इन 18-19 नदियों के लिए जो 772 करोड़ रुपए रखे गए है, वे उसी अनुपात में बांटे जाएंगे जिससे कि सरकार की मंशा पूरी हो सके।

...(**व्यवधान**)...

श्री दाऊ दयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी आप बैठ जाइए। मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

श्री हरि किशोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसे ही अभी आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए कहा, तो मैं श्री राजेश पायलट का नाम पढ़कर थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज हो गया क्योंकि इस मंत्रालय का भार तो किन्हीं और मंत्री के पास था और वे जवाब देते थे, लेकिन आज श्री पायलट जबाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आपने जो लिखा है कि ''हाल'' में जो सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त हुई है, तो वह ''हाल'' कितने समय की बात है अर्थात आपको कब यह सूचना मिली है और यह जो स्वीकृति आपने दी है वह करोड़ रुपयों में दी हैं और आपके अनुसार आंध्रप्रदेश को 53.79, बिहार में सुवर्ण रेखा प्रोजैक्ट के लिए 32.22, गुजरात में साबरमती के लिए 98.70, कर्नाटक 27, मध्यप्रदेश 106, महाराष्ट्र 117, उड़ीसा 24.85, पंजाब में सतलुज प्रोजैक्ट के लिए 229.38 और राजस्थान के लिए 13.94 और तमिलनाडु को 38.30 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह भेदभाव क्यों है? क्या आपको देखने से नहीं लगता कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां तो आबंटन ज्यादा किया गया है और जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां बहुत कम धनराशि आबंटित की गई है? आज भले ही महाराष्ट्र में सरकार में परिवर्तन हो गया है, लेकिन क्या आपको इस धन में अन्तर नजर नहीं आता? ऐसा आपने क्यों किया? क्या इसमें कोई राजनीति नहीं है? बिहार को 32 करोड़ और मध्यप्रदेश को 117 करोड़, इसमें क्या कोई राजनीति नहीं? राजस्थान को 13 करोड़ रुपए और पंजाब सरकार को 229 करोड़ 38 लाख रुपयों का आबंटन क्या आपको इसमें कोई राजनीति नजर नहीं आ रही है?

कल मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आंकड़े स्पष्ट बोलते हैं लेकिन यहां तो आंकड़े अस्पष्ट बोल रहे हैं। ... (**व्यवधान**) बिहार के लोगों की हिन्दी थोड़ी कमजोर होती हैं। ... (**व्यवधान**) जब आकंड़े स्पष्ट बोलते हैं तो आप बताइए राजस्थान, पंजाब, बिहार और उड़ीसा के साथ यह भेदभाव क्यों हैं। आपके इरादे क्यों हैं?

आपको जरूर वेदना होगी क्योंकि जब यह स्वीकृत हुआ था, आप इसके प्रभारी नहीं थे।

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से नहीं कह सकता है किस बेसेस पर पैसा ऐलोकेट हुआ है। जो लौजिक मुझे लगता है, इसके पीछे नदियों की लम्बाई, नदी में पौलुशन कितना है, हो सकता है बिहार की नदियों ज्यादा पौलुटेड न हों और पंजाब की ज्यादा पौलुटेड हों ... (**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह: जरा पढ़ लीएिज, आपके विभाग में गंगा एक्शन प्लान है। बिहार की नदियां पौलुटेड है या नहीं, यह मैं नहीं जानता, आप ही बताएंगे, यह सब आपके विभाग का है। ... (**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट: गंगा एक्शन प्लान इससे अलग है, इसमें गंगा एक्शन प्लान नहीं है। गंगा एक्शन प्लान का पैसा तीन स्टेट्स – यू.पी., बिहार और वैस्ट बंगाल का फेज़ वन का 468 करोड़ रुपया अलग है, दूसरा अलग है। उसमें गंगा, यमुना नहीं है। ... (**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह: बिहार में कितनी नदियाँ हैं, यह भी बता दीजिए। ... (**व्यवधान**)

श्री सूर्य नारायण यादव: जो पूछ रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। ... (**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट: इस समय मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि किस बेसेस पर यह राशि ऐलॉट की गई थी। मुझे लगता है कि नदियों की लम्बाई या पौलुशन की कॉस्ट के हिसाब से किया होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को पूछकर यह जरूर बता सकता हूं कि किस गाइडलाइन पर यह पैसा विभिन्न प्रान्तों में ऐलॉट किया गया था। इस समय मुझे ज्ञान नहीं है कि किस रूप में उन लोगों ने किया है। ... (**व्यवधान**) चिट्ठी लिख देंगे।

श्री पृथ्वीराज डी. चौहान: अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत देश में जो 19 अत्यन्त प्रदूषित नदियों के हिस्से आईडैनटीफाई किए गए हैं, उसमें महाराष्ट्र की कृष्णा नदी का कराड और सांगली का हिस्सा भी सम्मिलित है जिसके लिए मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं। इस परियोजना के अन्तर्गत जो योजनाएं स्वीकृत की गई है, उनमें विद्युत शव दाह गृह, दिशा परिवर्तन नदी तट का विकास, वनीकरण वगैरह योजना है। लेकिन अध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं कि नदी जल प्रदूषण का मुख्य कारण नदी किनारे स्थित कारखानों द्वारा होने वाला प्रदूषण हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, विशेषत: कराड से सांगली तक का जो हिस्सा आपने आईडैनटीफाई किया है, वहां से चीनी मिलों के द्वारा जो प्रदूषण होता है, उनकी प्रक्रिया के बाद जो जल निकास होता है, उनकी शुद्धीकरण करने की यदि कोई योजना आपके पास आए तो क्या आप राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत उसे समावेश करेंगे क्योंकि जब तक हम उसके कारण को समाप्त नहीं करते तब तक प्रदूषण समाप्त नहीं होगा?

श्री राजेश पायलट: यह बात सही है कि दोनों तरफ से प्रदूषण को रोकना है– एक तो जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकना है और आगे प्रदूषण न हो उसकी रोकथाम के लिए नियंत्रण में जो भी मदद हो सकें, उसमें सरकार की ऐसी स्कीमें हैं जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देते रहते हैं। उसमें स्कीम्स है और ऐसी स्कीमें इस स्कीम में भी इनक्लूडेड हैं। ... (**व्यवधान**)

अभी जो माननीय सदस्य यह पूछ रहे थे कि ऐस्टीमेट किस रूप में रखा गया है, मुझे इत्तिला दी गई है कि राज्य सरकारों ने जो ऐस्टीमेट बनाकर भेजा था कि हम को नदियों को साफ करने के लिए इतना पैसा चाहिए, उस बेसेस पर केन्द्र सरकार ने यह ऐलोकेशन किया है क्योंकि इसमें 50 प्रतिशत राज्य सरकार का है और 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने इतना पैसा मांगा था। मेरी तो यह खबर है कि बिहार सरकार ने जितना पैसा मांग था केन्द्र सरकार ने उससे ज्यादा पैसा दे दिया। ... (**व्यवधान**)

श्री रतिलाल वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर साबरमती नदी को इस योजना के अन्दर शामिल किया गया है। यह नदी अहमदाबाद में महात्मा गांधी का जहां आश्रम है, वहां से लेकर नोखा तक जहां पूरा क्षेत्र है, वहां तक उसको परमीशन दी गई है। आपने इस परियोजना के लिए दस साल की मुदत दी है और अभी से योजना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक स्थल है, सारी दुनिया से जो भी पर्यटक आते हैं, वह महात्मा गांधी के आश्रम को वहां देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां नदी की स्थिति इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको देखकर वह लोग हमारे ऊपर तरस खाते हैं और इसी नदी के कारण ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप नहीं आ रहे हैं।

श्री रतिलाल वर्मा: तो उस नदी के लिए भले ही 10 साल ही समय की मर्यादा आपने रखी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र नियत कार्यक्रम कब तक आप स्टार्ट करेंगे?

श्री राजेश पायलट: माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सदन को साफ बताऊं कि यह कार्यक्रम राज्य सरकारों की मदद से

होगा और राज्य सरकार ही इसको करेंगी। हम लोग तो यहां बैठकर जो कुछ फौरेन एड यहां आ जायेगी, उसको जोड़कर, इसमें कुछ अपने बजट में सपोर्ट करेंगे। इसमें जो मेन काम करने वाली होगी, राज्य सरकार होंगी, उन्होंने ही एस्टीमेट्स बनाकर भेजे हैं कि हमको प्रदूषण दूर करने के लिए इस नदी के लिए इतने पैसे की जरूरत है। उसमें यह भी कण्डीशन है कि 50 परसेण्ट वह देंगे और 50 परसेण्ट हम देंगे। मुख्यत: यह राज्य सरकारों की पहल पर है। इसमें दस साल का प्लान किया गया है, राज्य सरकार कुछ पहले कर सके तो पहले भी कर सकती है। इसमें केन्द्र सरकार का रोल तो सिर्फ इतना है कि हम उनकी टैक्नीकल मदद कर दें, जो पैसा सैण्ट्रल गवर्नमेंट के शेयर का है, वह दे दें। बाकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी कि वह किस रूप में और कितनी जल्दी कर सकती है।

श्री रतिलाल वर्मा: आप अपना जो फण्ड है, वह दे दीजिए। वहां राज्य सरकार जल्दी से काम करने के लिए तैयार है। आप अपना फण्ड गुजरात सरकार को दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : यह जवाब संतुष्टि लायक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितनी राष्ट्रीय नदियों की पहचान की गई है और दूसरे जिन नदियों की पहचान की गई है, क्या उनमें कोसी नदी है? चूंकि कोसी नदी चीन और नेपाल से निकलती है और सीधे समुद्र में गिरती है, जिसकी लम्बाई 300-350 किलोमीटर की है और वह बार-बार स्थान को बदलती रहती है, जिससे जनमानस पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है औद दूषित पानी आने के कारण प्रत्येक वर्ष वहां जान-माल का बीमारी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। क्या इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत कोसी नदी को लेकर वहां उसके प्रदूषण को समाप्त करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम में जो 18 नदियां ली गई है। कोसी नदी बिहार में से सलैक्ट नहीं हुई है, लेकिन माननीय सदस्य ने आज कहा है तो मैं राज्य सरकार से बात करके उसको भी इस योजना में कोशिश करूंगा कि ला दिया जाय।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि संरक्षण परियोजना में क्या आयाकट क्षेत्र भी शामिल है। अब, कावेरी नदी के संदर्भ में हम सभी को विशेष तौर पर कावेरी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित कर्नाटक और तमिलनाडु के विवाद की जानकारी है। कावेरी और कृष्णा नदी के संबंध में कर्नाटक सरकार 5.45 करोड़ रुपये की लागत वाले आठ प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए भेज चुकी है और भारत सरकार ने केवल 32 लाख रुपये जारी किये हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी में आयाकट क्षेत्र के विकास के लिए कितनी धनराशि का अनुरोध किया है और यह परियोजना भारत सरकार के विचारार्थ कब से लंबित है?

श्री राजेश पायलट: महोदय, हम कर्नाटक को 27 करोड़ रुपये का आंबटन कर चुके हैं। यह सच है कि योजना तैयार करने के लिए 32 लाख रुपये जारी किये गये हैं। यह योजना सितम्बर-अक्तूबर, 1995 के आसपास भारत सरकार के पास आई थी। सरकार द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समय में प्रत्येक राज्य की प्रत्येक योजना अथवा परियोजना का ब्यौरा देने में समर्थ नहीं हूं। लेकिन इस पर काम चल रहा है और राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच बातचीत चल रही है। जैसा कि हमने कहा है, यह आबंटन उनके अनुरोध पर किया गया है। अब, उसी के अनुसार परियोजनायें आ रही हैं। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार: आपके पास पर्ची आई है।

श्री राजेश पायलट: पर्चियां तो आती रहती हैं, पर्चियों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री वी. धनंजय कुमार: नहीं, उसमें डिटेल्स होगी।

श्री राजेश पायलट: इसके बारे में चिंता मत कीजिये। पर्चियों पढ़कर जवाब देना जरूरी नहीं है। मेरा जो ज्ञान है, वह मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं।

[अनुवाद]

इन 27 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को आंशिक रूप से शुरू कर दिया है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब, योजना लागत 27 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी है, तो हम और धनराशि मंजूर करेंगे। लेकिन, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रक्रिया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय नदियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने की पहल की है। उसी भावना को लेकर, हम इस योजना को क्रियान्वित करने में राज्य सरकार को समर्थन देना जारी रखेंगे।

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

सिंचित भू-क्षेत्र

* 164. श्री नवल किशोर राय:

श्री *नीतीश कुमार

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सिंचित भूमि-क्षेत्र में स्वतंत्रता पश्चात् वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पचास और नब्बे के दशकों की शुरूआत में देश में कुल सिंचित भू-क्षेत्र कितना था;

(ग) अब तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश की अधिकतम सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु कोई आकलन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्धारित की गई अधिकतम समय सीमा क्या है?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ङ). विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). देश में निवल सिंचित क्षेत्र वर्ष 1950-51 और 1990-91 में क्रमश: 20.85 मिलियन हेक्टेयर और 47.78 मिलियन हेक्टेयर था। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन पर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से वर्ष 1994-95 के अंत तक कुल लगभग 54300.88 करोड़ रुपए व्यय हुए । वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 1995-96 के लिए परिव्यय 6566.13 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ). वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए अंतंत: सिंचाई क्षमता के राज्यवार अनुमान नीचे दिए गए हैं :-

(लाख हेक्टेयर में)

क्रं. सं.	राज्य	अंतत: सिंचाई क्षमता		
		वृहद और मध्यम	लघु सिंचाई	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	50.00	42.00	92.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	2.60	2.60
3.	असम	9.70	17.00	26.70
4.	बिहार	65.00	59.00	124.00
5.	गोवा	0.62	0.20	0.82
6.	गुजरात	30.00	17.50	47.50
7.	हरियाणा	30.00	15.50	45.50
8.	हिमाचल प्रदेश	0.50	2.85	3.35
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.25	5.50	8.00
10.	कर्नाटक	25.00	21.00	46.00
11.	केरल	10.00	11.00	21.00
12.	मध्य प्रदेश	60.00	42.00	102.00
13.	महाराष्ट्र	41.00	32.00	73.00
14.	मणिपुर	1.35	1.05	2.40
15.	मेघालय	0.20	1.00	1.20
16.	मिजोरम	-	0.70	0.70
17.	नागालैंड	0.10	0.80	0.90
18.	उड़ीसा	36.00	23.00	59.00
19.	पंजाब	30.00	35.50	65.50
20.	राजस्थान	27.50	24.00	51.50
21.	सिक्किम	0.20	0.22	0.42
22.	तमिल नाडू	15.00	24.00	39.00
23.	त्रिपुरा	1.00	1.15	2.15
24.	उत्तर प्रदेश	125.00	132.00	257.00
25.	पश्चिम बंगाल	23.00	38.00	61.00
	कुल राज्य	583.67	549.57	1133.24
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0.98	0.90	1.88
	कुल योग	584.65	550.47	1135.12

सिंचाई चूंकि राज्य विषय है, इसलिए उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति की समय-सीमा पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं में सिंचाई क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता तथा राज्यों द्वारा इनके लिए आबंटित निधियों पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, जो सवाल का जवाब दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि 54300 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद लगभग 47.78 मिलियन हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकी है। सवाल पूछा गया था कि अल्टीमेट इरीगेशन पोटेंशियल देश का क्या हो सकता है? उसका जवाब दिया गया है कि 1135.12 मिलियन हैक्टेयर। जितना रुपया खर्च किया गया है और इस साल जितना खर्च करने का इरादा है. पूरे देश में विभिन्न सरकारों का मिलाकर, उसका ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी राशि की जरूरत है। सरकार ने अंत में यह बताया है कि यह राज्य का विषय है और राज्य सरकारें प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं। निधि का इंतजाम भी राज्य सरकारें करती है। पहले भी यह सवाल सदन में उठाया गया है इससे संबंधित जो संसद की स्थाई समिति है, उसमें भी चर्चा हुई है। चूंकि इसमें पैसे की जरूरत है और कोई नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है। आये दिन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों में विवाद उभर कर आते हैं। जितनी सिंचाई क्षमता देश में उपलब्ध होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही है। हमारी जो इस शताब्दी के अंत तक फूड रिक्वायरमेंट है वह 240 मिलियन टन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम 180-182 मिलियन टन पर ही पहुंच पाये हैं। इन सब चीजों को देखते हुए सिंचाई में और अधिक रुपयों की जरूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक नीतिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सरकार सिंचाई को, वाटर रिसोर्स को कंक्रेंट लिस्ट में लाने पर विचार करेंगी। आपसे अनुरोध है कि इसको डिसअलाऊ न करें, इस पर स्थाई समिति ने इस पर अपना मंतव्य दिया है। पहले भी यहां इस प्रश्न को उठाया गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): मेरे विचार में यह एक अच्छा प्रश्न है। वास्तव में व्यक्ति को व्यक्ति से ही नहीं अपितु जल राष्ट्र को भी सूत्रबद्ध करता है। अत:, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हम इसे समवर्ती सूची के अन्तर्गत लाने का प्रयास करेंगे।

श्री नीतीश कुमार: धन्यवाद! यह एक आश्वासन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जो सिंचाई क्षमता सृजित करने की रफ्तार है, आज एक तरफ सरफेस वाटर का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी तरफ अंधाधुंध ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके चलते कई जगह पर जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। वृहद योजना में, मध्यम योजना में भारी राशि की जरूरत है। लेकिन बरसाती खेती में, जो वर्षा पर आधारित इलाके हैं, उनके लिए महत्वाकांक्षी योजना बनी है वाटर शेड डवलपमेंट प्रोग्राम फार रेन फैड एरियाज। क्या वाटर रिसोर्स मिनिस्टरी जो कृषि मंत्रालय द्वारा इस कार्य को लिया गया है इसको आग्मेंट करना चाहती है और इसको पूरे देश में बड़े पैमाने पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर वाटर शैड स्कीम का फैलाव करना चाहती है?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू: अध्यक्ष महोदय, वाटर शेड कार्यक्रम को जल संसाधन मंत्रालय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की निगरानी में चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: यह कृषि मंत्रालय में है और वे सरल डवलेपमेंट में बता रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू: दुर्भाग्य से, यह हमारे पास नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: वाटर रिसोर्स मिनिस्टरी द्वारा इस तकनीक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू: मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह विषय जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहती हूं कि जब नदी दो राज्यों के बीच बहती है और उस पर जब दो बड़ी परियोजनाओं का निर्माण होता है तो किसी एक राज्य की ज्यादा जमीन जाती है, लोग ज्यादा विस्थापित होते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि सिंचाई के पानी का जब बंटवारा होता है तो क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस राज्य की जमीन ज्यादा जा रही है, ज्यादा लोग विस्थापित हो रहे हैं तो उनको उसी हिसाब से सिंचाई के लिए ज्यादा पानी दिया जाये। या ऐसा होता है जो कि हम ज्यादातर देखते है कि जमीन किसी राज्य की जाती है, लोग कहीं विस्थापित होते हैं, पानी सिंचाई के लिए किसी दूसरे राज्य को ज्यादा मिल जाता है। दामोदर घाटी परियोजना में बिहार की ज्यादातर जमीन गई है और 1992 तक सिंचाई के लिए एक बूंद पानी नहीं मिला था तो मंत्री जी इस विषय पर नीति निर्माण करेंगे कि जिस राज्य की जमीन ज्यादा जाये, उसको सिंचाई के लिए ज्यादा पानी भी मिले। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू: जी नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: यह तो सरासर अन्याय है कि जमीन हमारी जाये और एक बूंद पानी हमें सिंचाई के लिए नहीं मिले। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया कि अभी नहीं हो सकता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अपने यहां अभी भी वर्षा आधारित खेती हिन्दुस्तान में सिंचाई की तुलना में ज्यादा है और मैं सरकार से ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, हम और देशों में नहीं बल्कि भारत में रह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं सरकार से इस बात को जानना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया जल्दी कीजिए। समय पूरा हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है "कृपया जल्दी कीजिये", इसका तात्पर्य यह है कि मैंने उनको अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गंगा और यमुना के मैदान में अभी भी सिंचाई के अभाव में जो वर्षा आधारित खेती है तो उसके लिए गंगा और यमुना नदी से सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। क्या आपकी यह योजना है कि जो वर्षा आधारित खेती है, उसको सिंचित बनाने के लिए गंगा और यमुना नदी का उपयोग हो सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

औषधियों की बिक्री

***161. श्री राम कृपाल यादव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ ऐसी औषधियों की बिक्री हो रही है जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के नाम क्या-क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन औषधियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि, हां, तो यह प्रतिबंध कब से लगाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) से (ङ). विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ देशों में 44 औषधों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। इनमें से 26 औषधें भारत में विपणन के लिए अनुमोदित नहीं थी, 11 औषधों को विशेषज्ञों की सलाह पर हटा लिया गया है तथा शेष 7 औषधों को चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से विपणन करते रहने की अनुमति दी गई है बशर्ते औषध के लेबलों तथा पैकेट के अंदर रखी जाने वाली पर्चियों में आवश्यक चेतावनी विवरण दिया गया हो।

इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसे औषध हैं जिनका उपयोग दूसरे देशों में विशिष्ट स्थितियों तक ही सीमित है। इस प्रकार के प्रतिबंध सामान्यतया भारत में भी लगाए जाते हैं।

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जाने वाले योगज

***165. श्री के. प्रधानी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योगजों, रगों, विशिष्ट स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों तथा इमल्सी-कारकों के नाम क्या हैं जिनके प्रयोग पर अनेक पश्चिमी देशों में प्रतिबंध है परन्तु उनका प्रयोग अपने देश की खाद्य प्रसंस्करण/डिब्बाबंदी/बाटलिंग उद्योगों द्वारा किया जा रहा है; और

(ख) खाद्य तथा पेय पदार्थों में सभी प्रकार के हानिकारक तत्वों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) कनाड़ा, डेनमार्क, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, यू.के. और यू.एस.ए. जैसे पश्चिमी राष्ट्र प्रतिबंधित रंगों, स्वादों और इमल्सीकारकों सहित योगजों की सूची नहीं रखते। ये देश योगजों की पाजिटिव सूची ही रखते हैं।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बने नियमों में खाद्य और पेय पदार्थों में निरापद समझे जाने

वाले योगजों की ही अनुमति है।

[हिन्दी]

अवैध रूप से शिकार करना

*** 166. श्री महेश कनोडिया:**

श्री दत्ता मेघे:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या अवैध शिकार को रोकने के लिये कोई कारगर तरीका अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) यद्यपि देश में वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, फिर भी इस प्रणाली को सुस्पष्ट नहीं समझा जा सकता है क्योंकि वन्यजीव वासस्थलों के विखरे होने, सुरक्षा के लिए सीमित अवरंचना, प्रवर्तन तथा इस अवैध व्यापार के प्रति अधिक वाणिज्यिक आकर्षण होने के कारण अवैध शिकार की घटनाएं जारी हैं।

(ख) और (ग). वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल वन्य पशुओं के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध है।

2. बाघ, हाथियों तथा गैंडों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

3. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 441 वन्यजीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र कवर है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. वन्यजीव प्राधिकारियों को वन्य पशुओं के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर उनके द्वारा छापे मारे जाते हैं।

5. पशुओं संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे वनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

6. वन्यजीवों की तस्करी को रोकने के लिए अधिकांशतया देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाते हैं।

7. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा-शुल्क तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षकों आदि जैसे अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्तर-विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। 1995 के दौरान नई दिल्ली और देहरादून में इस सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

[अनुवाद]

बाढ़-प्रवण क्षेत्र

***167. श्री रामकृष्ण कोंताला:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुमानत: राज्य-वार कितना बाढ़ प्रवण क्षेत्र है;

(ख) क्या बाढ़ के पानी का उपयोग करने और इसे सिंचाई के उद्देश्यों के लिए काम में लाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश का बाढ़ प्रवण क्षेत्र 40 मिलियन हेक्टेयर आंका है जिसमे उस समय बाढ़ से सुरक्षित 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ). केंद्रीय जल आयोग ने देश की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 क्यू. कि.मी. आंका है जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक मानसून अवधि के दौरान होता है जब बाढ़ आती है। बांधों जैसी संरचनाओं के जरिए उपयोज्य सतही प्रवाह लगभग 690 क्यू. कि.मी. आंका गया है जिसमें मानसून मौसम में बाढ़ प्रवाह शामिल है। लगभग 193.2 क्यू. कि.मी. की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता के भंडारण बांध बनाए गए हैं, इसके अलावा 77 क्यू. कि.मी. की सक्रिय क्षमता के भंडारण बांध बनाए जा रहे हैं और 130 क्यू. कि.मी. क्षमता के भंडारण पर विचार किया जा रहा है। मार्च, 1993 के अंत तक सतही जल के जरिए लगभग 42.67 मिलियन हेक्टेयर (वृहद, मध्यम और लघु सतही सिंचाई योजनाओं सहित) सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। 73.5 मिलियन हेक्टेयर की अंतत: सतही जल सिंचाई क्षमता (वृहद, मध्यम और लघु सतही सिंचाई योजनाओं सहित) वर्ष 2025 तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जलाशयों के निर्माण तथा नदियों

को आपस में जोड़ कर अधिशेष जल को जल की कमी वाले बेसिनों में अतिरिक्त करने से संबंधित अध्ययन कर रहा है। अनुमान है कि 220 क्यू. कि.मी. और जल, जिसमें बाढ़ जल शामिल है, अंतर बेसिन अंतरण के जरिए प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा।

विवरण

भारत में बाढ़ के अधीन क्षेत्र (1978)

(लाख हेक्टेयर में)

क्रं. सं.	राज्य	बाढ़ के अधीन क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.9
2.	असम	31.5
3.	बिहार	42.6
4.	दिल्ली	0.5
5.	गुजरात	13.9
6.	हरियाणा	23.5
7.	हिमाचल प्रदेश	2.3
8.	जम्मू व कश्मीर	0.8
9.	कर्नाटक	0.2
10.	केरल	8.7
11.	मध्य प्रदेश	2.6
12.	महाराष्ट्र	2.3
13.	मणिपुर	0.8
14.	मेघालय	0.2
15.	उड़ीसा	14.0
16.	पंजाब	37.0
17.	राजस्थान	32.6
18.	तमिलनाडु	4.5
19.	त्रिपुरा	3.3
20.	उत्तर प्रदेश	73.36
21.	पश्चिम बंगाल	26.5
22.	पांडिचेरी	0.1
	कुल	339.16

34 मिलियन हेक्टेयर

देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र :-

(क) बाढ़ प्रवण क्षेत्र उपर्युक्त के अनुसार	34.0 मिलियन हेक्टेयर
(ख) वर्ष 1978 तक सुरक्षित क्षेत्र उपर्युक्त के अनुसार	10.0 मिलियन हेक्टेयर
कुल	44.0 मिलियन हेक्टेयर
सुरक्षा कार्यों की विफलता के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो रिपोर्ट किए गए बाढ़ क्षेत्र में शामिल हो सकता है। (सुनिश्चित)	(-)4.0 मिलियन हेक्टेयर
देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र	40.0 मिलियन हेक्टेयर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

***168. श्री हरिलाल ननजी पटेल:**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्य तेलों की भारी कमी है;

(ख) क्या अनेक राज्य सरकारों द्वारा इस तथ्य को सरकार की जानकारी में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या कुछ अन्य आवश्यक मदों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए उन्हें भी इस प्रणाली के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रह है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) से (ग). सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पामोलीन की आपूर्ति अनुपूरक स्वरूप की होती है और वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य तेलों क्री सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होती

है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी करने के लिए वर्ष 1996 में राज्य सरकार निगम के जरिए 2 लाख मी. टन पामोलीन का आयात करने का निर्णय किया है। राज्य सरकारों से वर्ष 1996 के लिए अपनी मासिक आवश्यकताएं सूचित करने को अनुरोध किया गया था। राज्यों द्वारा इंगित की गई कुल आवश्यकताएं 4.20 लाख मी. टन बैठती हैं, जबकि इसकी तुलना में प्रस्तावित आयात की मात्रा 2.00 लाख मी. टन है। फरवरी से अक्तूबर, 1996 की अवधि के लिए राज्यवार आबंटन की मात्रा राज्य व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए की गई आयात की कुल मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर मांग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गत वर्षों के दौरान उठान के पैटर्न के आधार पर निर्धारित की गई हैं। चूंकि राज्यों की कुल आवश्यकता आयात के लिए प्रस्तावित मात्रा की तुलना में अधिक है, उनमें से कुछ राज्यों ने अपने आवंटनों में वृद्धि के लिए अनुरोध किया है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस समय सप्लाई की जा रही वस्तुओं के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु और आवश्यकत वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

नगरों में वायु प्रदूषण

***169. श्री राम टहल चौधरी:**

श्री सुशील चन्द्र वर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों से अन्य प्रमुख नगरों में वायु प्रदूषण के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इन नगरों में प्रदूषण के वर्तमान स्तर सहित राज्य-वार अन्य ब्यौरा क्या है

(ग) वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं;

(घ) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त ''फ्लापियों'' जिनमें विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता संबंधी आंकड़े दर्शाये गए हैं, का अध्ययन तथा विश्लेषण कर लिया गया है और ये आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से देश में 92 नगरों और शहरों में फैले 290 स्टेशनों के एक नेटवर्क के जरिए देश में प्रमुख नगरों और शहरों की परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। निगरानी किए गए वायु गुणवत्ता पैरामीटरों में ये शामिल हैं : सल्फरडाइआक्साईड, नाइट्रोजन के आक्साइड्स और निलम्बित धूलकण। प्रमुख नगरों में राज्यवार वायु प्रदूषण के स्तरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

सरकार द्वारा देश में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित हैं:

1. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की प्रमुख श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहि स्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

1994 के दौरान महानगरों के अलावा नगरों में माइक्रोग्राम/घन मीटर में वायु प्रदूषण के स्तर (किसी एक शहर में एक स्टेशन के लिए वार्षिक मान सान्द्रता अथवा रेंज, जहां किसी एक शहर में एक स्टेशन से अधिक है)।

क्र. सं.	राज्य/शहर	स्थानों की सं. जहां निगरानी की गई	धूलकण (एसपीएम)	सल्फरडाइआक्साइड (एसओ 2)	नाइट्रोजन आक्साइड (एनओ 2)
1	2	3	4	5	6
	असम				
1.	गुवाहाटी	4	31-139	0.4-9.4	7.9-39.4
	बिहार				
2.	धनबाद	1	294	36.1	47.9

1	2	3	4	5	6
3.	झरिया	1	379	41.7	58.0
4.	पटना	1	222	11.9	24.9
5.	सिन्दरी	1	287	34.9	51.3
	केन्द्र शासित राज्य				
6.	चण्डीगढ़	4	127-216	2.0-12.6	11.5-30.7
7.	सिलवासा	3	103-123	4.5-4.6	5.7-7.2
8.	दमन	1	100	5.3	7.4
	गुजरात				
9.	अंकलेश्वर	2	316-416	68.0-82.1	22.2-44.0
10.	राजकोट	2	443-621	17.9-23.1	7.6-9.5
11.	सूरत	3	359-559	43.1-47.3	13.6-16.5
12.	वापी	2	174-191	23.4-26.3	31.7-33.1
	गोवा				
13.	पोण्डा	1	191	7.7	12.8
14.	वास्को	1	87	7.9	12.7
	हिमाचल प्रदेश				
15.	दमताल	1	253	126.8	1.0
16.	परवानू	2	239-264.	1.0-3.4	6.6-8.7
17.	पोंटा साहिब	2	191-249	1.0-4.0	1.2-9.5
18.	शिमला	2	139-201	5.0-5.4	9.2-15.0
	हरियाणा				
19.	फरीदाबाद	2	297-382	36.5-43.4	13.5-15.1
20.	यमुना नगर	1	241	29.6	15.3
	कर्नाटक				
21.	मैसूर	2	106-116	25.0-27.3	26.9-27.3
	केरल				
22.	कोट्टायम	2	167-175	0.6-0.9	16.7-42.3
23.	कोसीकोडे	2	100-102	2.0-2.3	16.9-17.5
24.	त्रिवेन्द्रम	3	109-125	13.1-33.7	24.3-30.7
	महाराष्ट्र				
25.	औरंगाबाद	2	146-153	17.6-21.9	16.7-20.6
26.	पुणे	5	72-204	7.9-35.0	7.9-53.5
27.	चन्द्रपुर	2	80-180	19-59.5	34.8-65.8
28.	नाशिक	3	103-190	14-15	25.6-27.1

1	2	3	4	5	6
29.	नागपुर	7	86-427	1.0-10.2	1.0-20.8
	मध्य प्रदेश				
30.	भिलाई	2	430-1556	14.0-39.0	18.0-45.0
31.	भोपाल	3	74.8-625	4.1-34.2	7.3-50.8
32.	जबलपुर	2	26.4-506	1.0-6.48	2.2-220
33.	कोरबा	2	56.0-980	1.0-13.3	2.3-14.3
34.	नागदा	3	150-958	4.0-333	2.1-110.8
35.	सतना	2	41.0-583	7.5-21.6	6.0-25.9
36.	इन्दौर	3	17.0-1712	2.0-28.0	2.0-46.0
	उड़ीसा				
37.	राउरकेला	4	153-325	10.0-44.5	17.2-44.8
38.	तालचर	1	181	33.2	18.5
	पंजाब				
39.	जलन्धर	3	245-353	36.0-41.5	45.7-57.2
40.	लुधियाना	3	289-461	20.5-22.4	48.2-52.7
41.	पटियाला	1	411	21.9	50.7
	केन्द्र शासित क्षेत्र				
42.	पांडिचेरी	3	132-238	11.7-55.9	29.9-62.6
	राजस्थान				
43.	अलवर	3	269-495	28.7-32.6	72.6-74.9
44.	जयपुर	3	229-341	7.1-9.8	22.7-32.0
45.	कोटा	3	155-377	6.5-7.0	61.7-67.3
	तमिलनाडु				
46.	तुतिकोरीन	2	68-70	5.1-6.4	18.7-20.9
47.	कोयम्बतूर	3	59-75	5.6-7.8	10.4-22.4
	उत्तर प्रदेश				
48.	देहरादून	2	482-500	25.6-28.3	19.9-22.1
49.	गुजरोला	2	391-543	83.9-92.0	40.9-42.1
50.	कानपुर	6	322-548	6.3-21.4	12.2-14.8
51.	वाराणसी	1	269	17.8	22.6
	पश्चिम बंगाल				
52.	हाल्दिया	2	128-151	25.3-28.2	43.7-48.2

2. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करें तथा दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

3. उद्योगों के स्थान निर्धारण तथा प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

4. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

5. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती है।

6. प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

7. परिवेशी वायु निगरानी गुणवत्ता स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

8. सीसा युक्त पेट्रोल को चरणवद्ध तरीके से समाप्त करने का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। आरंभ में चार महानगरों में कैटेलिटिक कन्वर्टर युक्त वाहनों में सीमा रहित पेट्रोल शुरू किया गया है।

9. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत यानीय उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर मानक अधिसूचित किए गए हैं जो अप्रैल, 1996 से लागू होंगे।

10. भूतल परिवहन मंत्रालय को सलाह दी गई है कि वह दिल्ली परिवहन निगम को निर्देश दें कि अपनी बसों तथा राज्य परिवहन प्राधिकारणों द्वारा पट्टे पर चल रही बसों के प्रदूषण को नियंत्रित करे।

11. अब तक अभिनिर्धारित अन्याधिक 14 प्रदूषित क्षेत्रों के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा पर्यावरणीय गुणवत्ता की वहाली के लिए कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं।

12. सभी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के लिए पर्यावरणीय विवरण के रूप में एक पर्यावरणीय समपरीक्षा अनिवार्य बना दी गई है। इस स्कीम के कार्यान्वयन से न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशा है बल्कि कम अपशिष्ट प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों की खपत को कम करने के लिए भी बढ़ावा मिलेगा।

13. अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन शुरू किया गया है।

प्लापिया और कागजातों में दिसम्बर, 1994 तक की अवधि से संबंधित 1994-95 के दौरान प्राप्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से वायु गुणवत्ता से संबंधित आंकड़ों की जांच रिपोर्ट के अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम

*170. श्री एस.एस.आर. राजेन्द्रकुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दशक के दौरान लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम हेतु निर्धारित और स्वीकृत की गयी धनराशि के एक बड़े भाग का उपयोग नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) और (ख). पिछले दशक में निधियों का कम उपयोग होने का कारण कई संस्थाओं द्वारा कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों की स्थापना में सहायता के लिए अनुदान का उपयोग न कर पाना था, क्योंकि या तो यूनिट की कुल लागत बहुत अधिक थी या फिर राज्य सरकार/संस्थाओं द्वारा अपेक्षित संरचनात्मक ढांचा और कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। कई मामलों में राज्य सरकारों ने संबंधित संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित राशि रिलीज नहीं की थी।

(ग) और (घ). कोबाल्ट यूनिटों के लिए अनुदान की राशि को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है ताकि सहायता का पूर्णरूप से उपयोग कि[illegible] सके। सेवाओं की और अधिक उपलब्धता को सुनिश्चित क[illegible] के लिए भौगोलीय आधार पर रोग का पता लगाने तथा उपचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोग के आरम्भिक अवस्था में पता लगाने के लिए जिला स्तर की योजनाएं शुरू की गई हैं। कार्य क्रम का गहन प्रबोधन एवं राज्य सरकारों को सुग्राह्य बनाने से बेहतर कार्यान्वयन हुआ है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति के प्रबोधन, मूल्यांकन तथा समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों की पेराई क्षमता

*171. श्री नरेश कुमार बालियान: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ज्यादा से ज्यादा गन्ने की पेराई

के लिए चीनी मिलों की पेराई क्षमता को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गन्ने के अधिक उत्पादन के उपयोग के संबंध में सरकार की प्रस्तावित योजना क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) 1994-95 गौमम के दौरान 271 मिलियन टन गन्ने के उत्पादन के मुकाबले वर्तमान वर्ष 1995-96 के दौरान गन्ने का उत्पादन 264 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ख) से (घ). देश में चीनी उद्योग की पेराई क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93 से 1996-97) (4-3-96 तक) के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु 83 आशय-पत्र तथा विद्यमान इकाइयों के विस्तार हेतु 39 आशय-पत्र जारी किए हैं।

खाद्यान्नों की क्षति

***172. श्री जगत बीर सिंह द्रोण :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भारी मात्रा में चावल और गेहूं खुले में पड़ा सड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन से हैं;

(ग) उपरोक्त स्थिति के कारण कितना नुकसान हुआ है और कितना होने की संभावना है; और

(घ) उक्त स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि खाद्यान्नों का वसूल किया गया स्टाक खुले में कवर और प्लिंथ (कैप) भण्डारण सहित वैज्ञानिक विधि से बनाए गए गोदामों में भण्डारित किया जाता है। पहली फरवरी, 1996 को स्थिति के अनुसार कैप/खुले भण्डारण में 38.50 लाख मीटरी टन गेहूं और धान रखा था। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 1995 की वर्षा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खुले में क्षतिग्रस्त हुई मात्रा के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(आंकड़े मीटरी टन में)

1. पंजाब	138.00
2. राजस्थान	539.00
3. हरियाणा	60.00
4. आंध्र प्रदेश	218.00
5. केरल	30.16
6. महाराष्ट्र	255.00
7. मध्य प्रदेश	18.85
8. कांडला (गुजरात)	200.00
9. कर्नाटक	3.54
जोड़	1462.55

उपर्युक्त स्टाफ के संबंध में वास्तविक हानि, यदि कोई हो, स्टाफ का अंतिम रूप से निपटान करने के पश्चात ही सुनिश्चित की जा सकती है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम नियमित रूप से अपनी भण्डारण अपेक्षाओं की समीक्षा करता है और वसूल किए गए खाद्यान्नों का वैज्ञानिक विधि से भण्डारण करने के लिए आवश्यक उपाय करता है। कुछ विभिन्न उपाय ये हैं:-

(1) भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों का निर्माण करता है। तीन वर्षों (1992-93 से 1994-95) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3.14 लाख मीटरी टन अतिरिक्त क्षमता के गोदामों का निर्माण किया गया था। 1995-96 में 1.43 लाख मीटरी टन की कुल क्षमता के गोदाम निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में थे। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष स्टाफ रखने के लिए आवश्यकतानुसार अस्थायी आधार पर अतिरिक्त कैप भण्डारण क्षमता सृजित करता है।

(2) भारतीय खाद्य निगम भण्डारण स्थान की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगम/राज्यों सरकारों और प्राइवेट पार्टियों से गोदाम किराए पर भी लेता है जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को सम्पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

[हिन्दी]

वर्ष-जल का उपयोग

***173. डा. महादीपक सिंह शाक्य :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वर्षा-जल की मात्रा का वार्षिक अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्षा-जल का सदुपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस समय कितने प्रतिशत वर्षा-जल का उपयोग किया जा रहा है; और

(च) वर्षा-जल के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (च). केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, देश में हिमपात सहित 4000 विलियन घन मीटर वार्षिक वृष्टिपात होता है। इसमें से मौसमी (मानसून) वर्षापात (जून से सितंबर तक) 3000 विलियन घन मीटर है। इसमें से नदियों में उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 विलियन घन मीटर है। स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण, वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन जो लगभग 452 विलियन घन मीटर है, के अलावा उपयोज्य सतही जल 690 विलियन घन मीटर आंका गया है। वाष्पीकरण तथा निष्क्रिय (वाष्पोत्सर्जन) हानियों तथा नदी व्यवस्था बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा कहने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। 536 विलियन घन मीटर उपयोज्य जल को अप्रयुक्त छोड़ते हुए जल (सतही और भूजल) का वर्तमान (1994) उपयोग लगभग 606 विलियन घन मीटर है अर्थात् 53 प्रतिशत है।

पंचवर्षीय योजनाओं में नदियों पर भंडारण बनाने पर बल दिया गया था ताकि वर्षा जल की सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप देश की कुल भंडारण क्षमता इस समय लगभग 193.2 विलियन घन मीटर है। 77 विलियन घन मीटर अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा वृहद और मध्यम योजनाओं के जरिए लगभग 130 विलियन घन मीटर भंडारण क्षमता और बढ़ाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधनों के विकास की *राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को आपस में जोड़ कर तथा संभावित स्थलों* पर जलाशय के निर्माण द्वारा अधिशेष जल से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का अंतरण करने की परिकल्पना है। अनुमान है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अंतरबेसिन अंतरणों के जरिए 220 विलियन घन मीटर और जल प्रयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।

[अनुवाद]

मिनरल वाटर

***174. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मिनरल वाटर के लिए मानक निर्धारित करते हुए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्लास्टिक की बोतलों में जल बेचने वाले अधिकांश निर्माताओं द्वारा बोतलों पर मिनरल वाटर के स्थान पर सिर्फ ''वाटर'' अथवा ''एक्वा'' का लेबल लगाया जा रहा है;

(घ) क्या जब तक बोतल में भरे जल की लेबलिंग विशिष्ट रूप से मिनरल वाटर के रूप में नहीं की जाती है तब तक निर्माताओं पर उक्त कानूनों के उपबंध लागू नहीं होंगे तथा उनके द्वारा मानकों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है;

(ङ) क्या इन निर्माताओं के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी अधिकारी के पास कोई स्वीकृति प्राप्त करने अथवा अपना पंजीयन कराने की आवश्यकता है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस उद्योग पर कुछ नियंत्रण तथा विनियमन करने तथा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादनों पर सही लेबलिंग करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है जिससे कि भोले-भाले उपभोक्ताओं के शोषण को रोका जा सके?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख). जी हां। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत मिनरल वाटर के विस्तृत मानक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अंतर्गत मिनरल वाटर के निर्धारित मानक तभी लागू होते हैं जब उत्पाद में मिनरल वाटर का लेबल हो और उसे मिनरल वाटर के रूप में बेचा जाता हो।

(ङ) नकली मिनरल वाटर के निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निर्मित और बेचे गए मिनरल वाटर की गुणवत्ता पर अपने कार्यान्वियन स्टाफ के माध्यम से कड़ी निगरानी रखें और जहां कहीं आवश्यक हो, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत समुचित दाण्डिक कार्रवाई करें।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में पैक किए गए खाद्य पदार्थों जिनमें मिनरल वाटर भी शामिल है के बारे में लेबलिंग अपेक्षाओं का निर्धारण किया गया है।

विवरण

ए-32 मिनरल वाटर

1. प्राकृतिक मिनरल वाटर का अर्थ वह मिनरल वाटर है जो झरने, उत्स्रुत कूप, खोदे गए कुएं अथवा भूमिगत संरचना जैसे प्राकृतिक अथवा खुदाई वाले पेय स्रोतों से प्राप्त किया गया हो न कि सार्वजनिक जल-पूर्ति से लिया गया हो। यह धूल, मिलावटी वस्तुओं अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी अन्य संघटक से मुक्त होगा। इसे पैकेजिंग के लिए बल्क कंटेनर में नहीं ले जाया जाएगा अथवा पैकिंग से पहले किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा संसाधित नहीं किया जाएगा।

2. फोर्टिफाइड मिनरल वाटर का अर्थ किसी ऐसे पेय जल स्रोत से प्राप्त जल है जिसमें मिनरल व साल्ट मिलाया गया हो, संसाधित किया गया हो सम्पुष्ट किया गया हो।

मिनरल वाटर स्वच्छ और विसंक्रमित पात्र में पैक किया जाएगा। मिनरल वाटर निम्नलिखित मानकों के अनुरूप भी होगा।

टर्यूबिडिरी (से अधि नहीं) (एन टी यू)	- 5
कुल विघटित ठोस पदार्थ (से अधिक नहीं)	- 500
पी एच वेल्यू	- 6.5-8.5
कापर (सी यू) मिग्रा./1 से अधिक नहीं	- 1.0
लोह (एफ ई के रूप में)	- 0.3
नाइट्रेट (एन ओ 3 के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 45
अवशिष्ट फ्री क्लोरीन मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 0.2
फ्लूओराइड (एफ के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिधक नहीं)	- 1.5
पारा (एच जी के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 0.001
केडगियस (सी डी के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 0.01
अर्सेनिक (ए एस के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 0.05
साइनाइड	अविद्यमान
लैड (पी बी के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 0.05
मिनरल आयल	अविद्यमान
क्रोमियम (सी आर के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 0.05
क्लोराइड (स। आर के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 200
सल्फेट (एस ओ 4 के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 250
अल्कालाइनिटी (एच सी ओ 4 के रूप में) मि.ग्रा./1 (से अधिक नहीं)	- 600
यीस्ट एंड मोल्ड काउंट	अविद्यमान
ई. कोली	अविद्यमान
सल्मोनेला एंड सिगेला	अविद्यमान
क्लोस्ट्रिडियम वेल्चिल सी बोटुलिनम बेसिलस सैरस	अविद्यमान
वाइब्रो क्रोलेरा एंड पराहेमोलाटिकस	अविद्यमान

खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य

*175. **श्री हरिन पाठक :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 से 1994 के दौरान गेहूं, चावल, और चीनी के निर्गम मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर राजसहायता बढ़ाए जाने के बावजूद इनके मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह वृद्धि आनुपातिक रूप में हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्यों और वसूली खर्चों, स्टाक के वितरण और इसे रखने की लागत में वृद्धि होने से खाद्यान्नों की इक्नामिक लागत में बढ़ोत्तरी हुई है। खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता और मूल्य, उपभोक्ताओं की भुगतान-क्षमता, सामान्य अर्थव्यवस्था पर निर्गम मूल्यों का संभावित प्रभाव, गरीबों के हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता और वृद्धि को खपानें के लिए सब्सिडि बजट का सामर्थ्य जैसे संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय निर्गम मूल्य समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में हुई वृद्धि आर्थिक लागत में हुई वृद्धि के केवल आंशिक रूप से कवर करती है। शेष सब्सिडि में वृद्धि करके कवर किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तार

*176. श्री हरि केवल प्रसाद :

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्थापित चीनी मिलों के आधधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्ययोजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में अगले वर्ष के लिए राज्यवार योजना क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार

विवरण

	चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)				लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य (रु. प्रति कि.ग्रा.)	
से प्रभावी	चावल			गेहूं	से प्रभावी	
	साधारण	बढ़िया	उत्तम			
01.5.1990	–	–	–	234	24.7.1991	6.10
25.6.1990	289	349	370	–	(सांय)	
28.12.1991	377	437	458	280	21.1.1992	6.90
11.1.1993	437	497	518	330	17.2.1993	8.30
01.02.1994	537	617	648	402	01.2.1994	9.05

स्थापित अलाभकारी आकार की चीनी इकाइयों को आधुनिकीकरण तथा अपनी क्षमता का विस्तार लाभकारी आकार के न्यूनतम बिन्दु तक करने की योजना हेतु प्रोत्साहित कर रही है। संबंधित चीनी मिलों को आधुनिकीकरण तथा अपनी क्षमता के विस्तार के लिए कार्ययोजना तैयार करनी है। केन्द्र सरकार आधुनिकीकरण तथा क्षमता का विस्तार छोटे से छोटे आकार के स्तर तक करने के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दर पर ऋण भी प्रदान करती है।

गेहूं और चावल की खरीद

*177. डा. लाल बहादुर रावल:

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गेहूं तथा चावल की खरीद किस दर पर की गई तथा उसे निर्यात के लिए निजी व्यक्तियों को किस दर पर बेचा जा रहा है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं तथा चावल के वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन्हें सीधे निर्यात न करने के कारण कितनी हानि होने का अनुमान है तथा इसके लिए किसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) क्या इन वस्तुओं को बेचने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक कितनी अनुदान राशि प्राप्त की गई है तथा इसके द्वारा वहन की गई कुल हानि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्य समर्थन प्रचालन और लेवी प्रणाली के अधीन खरीदे गए चावल, धान और गेहूं की दरें निम्नानुसार है :-

(रूपये प्रति क्विंटल)

अवधि	(सितम्बर-अक्तूबर) लेवी चावल	धान	(अप्रैल-मार्च) गेहूं
1994-95			
साधारण	531.95 से 582.55	340	–
बढ़िया	575.55 से 633.40	360	–

1	2	3	4
उत्तम	605. 85 से 671.85	380	–
			350
1995-96			
साधारण	572.15 से 629.05	360	–
बढ़िया	594.65 से 653.35	375	–
उत्तम	624.65 से 685.80	395	–
			360

1995-96 के दौरान चावल और गेहूं की इक्नामिक लागत क्रमश: 746.70 रुपये प्रति क्विंटल (एकीकृत) और 563.60 रुपये प्रति क्विंटल है।

सरकारी स्टाक से निर्यात के लिए बिक्री करने हेतु समय-समय पर चावल और गेहूं के निर्धारित किए गए मूल्य निम्नानुसार हैं :-

(मूल्य रुपये/अमरीकी डालर प्रति मी.टन में)

अवधि	बढ़िया चावल	उत्तम चावल	कैफियत
19.4.95 - 9.8.95	6300-6700	6600-7000	यद्यपि. मूल्य की रेंज वही बनी
10.8.95 - 27.11.95	6300-6700	6600-7000	रही परंतु पत्तन शहरों में
			10.8.95 से विक्रय मूल्य
28.11.95 - 6.2.95	6880-7110	7000-7420	200 रुपये प्रति मीटरी टन
7.2.96 - 14.2.96			बढ़ा दिए गए थे।
तटवर्ती			
राज्य - (193.06-203.47 अमरीकी डालर)		(202.31-214.45 अमरीकी डालर)	यद्यपि मूल्य अमरीकी डालर में दर्शाए गए हैं परन्तु
गैर-तटवर्ती			खरीदारों को केवल भारतीय
राज्य - (193.06-205.49 अमरीकी डालर)		(202.31-214.45 अमरीकी डालर)	रुपये में भुगतान करना होता है।
15.2.96 से आज तक			
केवल तटवर्ती			
राज्य - (237.73-246.36 अमरीकी डालर)		(246.94-255.57 अमरीकी डालर)	

भारतीय खाद्य निगम के पास रखे सरकारी स्टाक से निर्यात करने हेतु गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य निम्नानुसार थे :-

अवधि	मूल्य प्रति मीटरी टन	कैफियत
4.10.95 - 30.11.95	4150-4600 रूपये	(पत्तन शहरों, रेल शीर्षों अथवा किसी अन्य गन्तव्य स्थान की ओर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए "डेडिकेटिड मूवमेंट" वाली बिक्री के लिए 200 रुपये प्रति मीटरी टन अतिरिक्त लिए जाते थे)
2.2.96 से आज तक		
पत्तन से 50 किमी. के अन्दर वाले तटीय कस्बों में	141.50 अमरीकी डालर	यद्यपि मूल्य अमरीकी डालर में दर्शाए गए हैं परन्तु खरीदारों को
तटवर्ती राज्यों में अन्य स्थानों पर	135.84 अमरीकी डालर	केवल भारतीय रुपये मे भुगतान करना होता है।
गैर-तटीय राज्य	122.89-130.08 अमरीकी डालर	

(ख) यू.एस. व्हीट एसोसिएट्स और आल इंडिया राइस एक्सपोटर्स एसोसिएशन द्वारा गेहूं और चावल की कुछ किस्मों के यथाप्रकाशित मूल्य निम्नानुसार हैं :-

(जहाज तक निष्प्रभार अमरीकी डालर में)

थाई चावल (25.1.1996)		मूल्य	वियतनामी चावल (फरवरी, 1996)	
श्वते 20%		360	5% टौटा	340
श्वते 20% सुपर		355	25% टौटा	310
श्वते 35%		350		
श्वते 45%		345		
सेला चावल				
	15%	350		
	25%	355		
	35%	330		
अमरीकी गेहूं*				
एच.आर.डब्ल्यू.	11%	220-221		
एच.आर.डब्ल्यू.	12%	222-225		
एच.आर.डब्ल्यू.	13%	230-23		

(ग) न्यूनतम मूल्य समर्थन प्रचालनों के अधीन वसूल किए गए और केन्द्रीय पूल में रखे गए खाद्यान्न (चावल और गेहूं) मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय और निर्गम मूल्य की रियायती दर पर और सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन और सब्सिडि प्राप्त दर (केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50/- रूपये प्रति क्विंटल कम) पर वितरित करने के लिए होते हैं। स्टाक की अच्छी स्थिति, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामान्य आवश्यकता से कहीं अधिक है, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारी स्टाक/रख-रखाव लागत में कमी करने और चालू/आगामी वसूली के लिए भण्डारण स्थान मुहैया करने के लिए घरेलू उपयोग के लिए और केन्द्रीय निर्गम मूल्य से उच्चतम दरों पर निर्यात के लिए विशिष्ट सीमा के अन्दर खुली बिक्री की जाए। सरकारी स्टाक में चावल और गेहूं की विपण्यता और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को हिसाब में लेकर निर्यात के लिए खुली बिक्री के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम ने फरवरी, 1996 तक अपने स्टाक से लगभग 15.98 लाख मीटरी टन चावल की बिक्री की है। फरवरी, 1996 तक गेहूं की कोई बिक्री नहीं की गई थी। भारतीय खाद्य निगम ने किसी प्रकार का सीधे निर्यात नहीं किया है। इस निर्यात के लिए उच्च श्रेणीकरण, पत्तन पर हैंडलिंग और लदान, आदि के लिए अतिरिक्त खर्च वहन करना होता है। इस प्रक्रिया में अब तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए चावल बेचकर लगभग 50 करोड़ रुपये सब्सिडि बचाने का अनुमान है।

(घ) और (ङ). वर्तमान नीति के अनुसार उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर निर्धारित किए गए मूल्यों पर खुली बिक्री की जा रही थी और इसलिए किसी प्रकार की निविदा नहीं मांगी गई थी। अत: इन सभी घटकों को हिसाब में लेकर किसी प्रकार की हानि/दायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता। विशेष रूप से निर्यात के लिए बिक्री करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को कोई अनुदान रिलीज नहीं किया गया था।

* फरवरी से अप्रैल, 1996 के लिए जहाज तक निष्प्रभार की दर

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

***178. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:**

श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में कई अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन विवादों को सुलझाने हेतु राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की 6 फरवरी, 1996 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या नदी जल को राष्ट्रीय परिसंपत्ति घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इनका उपयोग विनियमित किया जा सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऊपरी तथा निचले तटवर्ती राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे के लिए क्या सिद्धांत तैयार किए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम,1956 के तहत अब तक निम्नलिखित अधिकरण गठित किए हैं :-

1. गोदावरी जल विवाद अधिकरण (अप्रैल, 1969)

2. कृष्णा जल विवाद अधिकरण (अप्रैल, 1967)

3. नर्मदा जल विवाद अधिकरण (अक्तूबर, 1969)

4. रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण (अप्रैल, 1986)

5. कावेरी जल विवाद अधिकरण (जून, 1990)

पहले तीन अधिकरणों ने अपने अंतिम अधिनिर्णय पहले ही दे दिए हैं जबकि रावी-व्यास अधिकरण और कावेरी जल विवाद अधिकरण अभी चल रहे हैं।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के राष्ट्रीय जल बोर्ड ने राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी जल के आबंटन के लिए मसौदा नीति दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। मसौदा नीति दिशानिर्देशों पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 6.2.96 को नई दिल्ली में हुई तीसरी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त की गई राय को देखते हुए राष्ट्रीय जल बोर्ड को दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की सलाह दी गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जल आबंटन के लिए "संशोधित मसौदा राष्ट्रीय नीति दिशा-निर्देशों" में सहबेसिन राज्यों के बीच न्यायसंगत वितरण के लिए सुझाए गए मूल सिद्धांत/नीति दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

(I) बेसिन के जल में प्रत्येक बेसिन राज्य का अंशदान।

(II) प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा की गई जल की मांग।

(III) मांगे गए जल के उपयोग की व्यावहारिकता।

(IV) मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक अथवा पूरक स्रोतों की उपलब्धता।

(V) राष्ट्र के कल्याण के लिए नदी बेसिन के जल के विकाल की आवश्यकता।

नेत्रहीन व्यक्ति

*179. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार के अन्धता निवारण एवं नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार सन् 2000 ई. तक अनुमानतः कितने व्यक्तियों को नेत्रहीन होने से बचाया जा सकेगा;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जाएगा;

(घ) क्षेत्र-वार अनुमानित सफलता दर कितनी रहने की संभावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) 1989 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 12 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्ति हैं।

(ख) 2000 ईसवी तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता दर को 1.49 प्रतिशत से कम करके 0.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 25 से 30 लाख मोतियाबिन्द आपरेशन करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत प्रमुख जोर दिए जाने वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. शल्य चिकित्सा से मोतियाबिन्द से होने वाली अन्धता की रोकथाम

2. विभिन्न नेत्र परिचर्या एककों में रोग-नैदानिक और शल्य-चिकित्सीय सुविधाओं का दर्जा बढ़ाना

3. "रिफ्रेक्टिव एरर्स" वाले बच्चों का पता लगाना और उनका उपचार करना

4. नेत्र बैंक और कोर्निया के रोपण द्वारा कोर्निया की अंधता वाले लोगों का उपचार

5. नेत्र परिचर्या की सुविधाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नेत्र स्वास्थ्य शिक्षा।

सात राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु में विश्व बैंक सहायताप्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने जम्मू व कश्मीर में कार्यक्रम को तेज किया तथा कर्नाटक में डेनिश सरकार की सहायता से एक मार्गदर्शी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(घ) 1994-95 के लिए लक्ष्यों की उपलब्धि की क्षेत्रवार प्रतिशत प्रकार है:-

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
पश्चिमी	404500	448304	110
केन्द्रीय	550000	456301	83
दक्षिणी	644050	630227	9

पूर्वी	465300	279288	60
उत्तरी	385250	347860	90
	2449100	2161980	88

उपभोक्ताओं को लाभ

***180. श्री दत्तात्रेय बंडारू:**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रय मूल्यों में कमी आई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रय मूल्यों में आई इस कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) नवम्बर,1995 दिसम्बर, 1995 जनवरी, 1996 के दौरान तथा फरवरी, 1996 में 17.2.96 तक चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में हुआ प्रतिशत परिवर्तन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में कमी का प्रभाव खुदरा मूल्यों में प्रतिबिम्बित होने में समय लगता है। खुदरा मूल्य किसी समय विशेष में स्थानीय स्तर पर वस्तुओं की उपलभ्यता, मांग और आपूर्ति प्रबंध, निजी व्यापार द्वारा जमाखोरी तथा मौजूदा सुपुर्दगी प्रणाली से भी प्रभावित होते हैं।

सरकार आमतौर पर सभी वस्तुओं तथा विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने के अलावा सरकार द्वारा मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए अन्य उपायों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाजार मूल्यों से कम पर चावल तथा गेहूं की खुले बाजार में बिक्री करना तथा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर अनाज की आपूर्ति करना शामिल है। नारियल के तेल, ताड़ गिरी तेल, आर.बी.डी. ताड़-तेल, आर.बी.डी. पॉम स्टीयरिन को छोड़कर खाद्य तेलों का 30% के घटे सीमा शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को भी 20% के रियायती सीमा शुल्क पर पामोलीन का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। दालों के मामले में उनके आयात से खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया गया है। दालों के आयात पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दाल, खाने योग्य तिलहन तथा खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 में संशोधन किया गया है और आयातित दालों को उक्त आदेश में निर्धारित भंडारण सीमाओं की परिधि से बाहर कर दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जमाखोरों तथा कालाबाजारियों कें विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

नवम्बर, 95 दिसम्बर, 95 व जनवरी तथा फरवरी, 1996 के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का रुख

	नवम्बर 95	दिसम्बर 95	जनवरी 96	फरवरी 96*
चावल	+ 0.4	+ 0.3	– 0.5	– 2.6
गेहूं	+ 1.4	+ 1.8	+ 0.5	+ 0.4
चना	– 2.1	– 2.5	+ 2.0	– 1.4
अरहर	+ 0.4	+ 3.1	+ 0.3	– 6.3
आलू	+ 0.6	– 21.8	– 27.9	– 17.5
प्याज	+ 8.8	+ 11.8	– 6.5	– 22.0
चाय	+ 10.0	– 4.7	– 9.6	+ 3.1
चीनी	+ 0.2	– 0.2	+ 0.4	– 0.1
नमक	+ 23.1	+ 12.2	+ 7.2	+ 2.1
वनस्पति	– 0.1	– 0.5	– 2.1	– 1.2
सरसों का तेल	+ 0.7	स्थिर	+ 0.5	+ 0.6
मूंगफली का तेल	– 2.0	– 0.6	– 1.1	– 0.8
समस्त वस्तुएं	+ 0.5	– 0.1	– 0.2	स्थिर

* 17.2.1996 तक

खतरनाक रासायनिक दुर्घटनाएं

1372. श्री राम नाईक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उद्योगों में तेजी से वृद्धि होने के साथ रसायनों से होने वाली खतरनाक दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु रासायनिक उद्योगों के साथ संयुक्त प्रयास करने का हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले दस वर्षों के आंकड़ों के आधार पर परिसंकटमय रसायनों से होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं में वृद्धि का रूख नहीं देखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिसंकटमय रसायनों को हैंडल करने के करण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित उपाय 1987 में यथा संशोधित फैक्टरी अधिनियम, 1948 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय रसायनों विनिर्माण, भंडारण तथा आयात की नियमावली, 1989 संबंधित धाराओं जिन्हें दुर्घटनाओं को रोकने तथा मानव और पर्यावरण, दोनों पर दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। संबंधित प्राधिकरण, फैक्टरी निदेशालय द्वारा उद्योगों का वार्षिक निरीक्षण हर छह मास में आन-साइट योजना का मॉक ड्रिक करना तथा अधिष्ठाता द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करना तथा आवधिक ध्यान आडिट करना भी नियमों में निर्धारित किया गया है। नियमों के विभिन्न उपबंधों की ओर प्रमुख दुर्घटना वाले प्रतिष्ठानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1991-92 के दौरान देश भर में छह कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण तथा आयात नियमावली, 1989 तथा की एक व्यापक निर्देशिका तथा रसायनिक दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन तैयारी पर एक नियम पुस्तिका प्रकाशित की गई है ताकि संबंधित उद्योग तथा नियामक एजेंसियां बेहतर अनुपालन कर सकें।

सात अधिनिर्धारित संस्थाओं में दुर्घटना रोकने, तैयारी तथा उसके उपशमन के संबंध में कार्मिकों के प्रशिक्षण की एक योजना चालू पंच वर्षीय योजना के दौरान चल रही है। संयुक्त राष्ट्र परिभाषा के आधार पर परिसंकटमय रसायनों को पुन: परिभाषित करके इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने के लिए परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमों में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप पर चर्चा की जा रही है।

(घ) और (ङ). रसायनिक उद्योगों तथा उद्योग संघों के विशेषज्ञों के परामर्श से नियम बनाए गए हैं। ''रसायनिक दुर्घटना (आपाताकल आयोजना, तैयारी तथा प्रत्युत्तर) नियमावली, 1996'' नाम से नियमों के एक सेट को अंतिम रूप दिया गया है। इन नियमों में रसायनिक उद्योगों के सहयोग से इस प्रकार की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने की एक 4-स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

नगर पालिका क्षेत्र से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट

1373. डा. वसंत पवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने सड़क के विकास में नगर पालिका क्षेत्र से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का इस्तेमाल करने संबंधी कोई शोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है तथा प्रस्तुत की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित सड़क निर्माण में नगरपालिका अपशिष्ट के उपयोग के लिए एक परियोजना चलाई है।

(ख) और (ग). दो आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं :-

- नई दिल्ली नगर पालिका प्रसंस्करण संयंत्र से प्राप्त नगरपालिका अपशिष्ट नमूनों पर प्रयोगशाला अध्ययन पूरा हो गया है।

- परीक्षण भाग के निर्माण के लिए विनिर्देश बनाए गए हैं।

- दिल्ली नगर निगम के सहयोग से नगरपालिका अपशिष्ट तथा अन्य जमा कूड़े कचरे का उपयोग करके परीक्षण भागों का निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया है।

गंगा कार्य योजना

1374. श्री सनत कुमार मडंल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए निर्णय में उनके मंत्रालय को यह कहा गया है कि वह कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 36 शहरों में प्रदूषण कम करने को सम्भाव्यता का अध्ययन कराने हेतु निर्देश दे;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा गंगा की सफाई के मामले में और अधिक समस्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में इन 36 नगरों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के सर्वेक्षण और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और पूर्व व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलकत्ता मैट्रोपालिटन विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 26.12.1995, 8.1.1996 और 20.2.1996 को तीन बैठकें बुलाई गई। इस स्कीम का कार्यान्वयन केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच लागत में बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर किया जाना है। इस उद्देश्य के लिए 27 लाख रूपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई और जनवरी, 1996 को यह राशि कलकत्ता मैट्रोपालिटन विकास प्राधिकरण को जारी कर दी गई।

[हिन्दी]

कैंसर के मामले

1375. श्री विश्वनाथ शास्त्री: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कैंसर के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए उसे रोगों की विर्निदिष्टसूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अपने निर्णय की घोषण कब तक कर देगी;

(ग) क्या सरकार इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) कैंसर को रोगों की विनिर्दिष्ट सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). 8वीं योजना के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं में कैंसर के निवारण और शुरू में पता लगाने तथा उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर बल दिया गया है।

[अनुवाद]

रिज क्षेत्र का अतिक्रमण

1376. श्री अन्ना जोशी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में महाराष्ट्र के रिज क्षेत्र से उन समस्त अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें राज्य की हरियाली कम हो रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा पोली ग्राउंड तथा अन्य अतिक्रमणों एवं सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों के शिविरों सहित सरकार, धार्मिक संस्थानों तथा निजी व्यक्तियों द्वारा किय गये अतिक्रमणों को हटाने की दिशा में कोई पहल की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (घ). महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के लिए सहायता

1377. श्री एन.जे. राठवा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों की देखरेख के लिए प्रदत्त वार्षिक वित्तीय सहायता का संबंधित राज्यों द्वारा पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) कुछ राज्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा विलंब से स्वीकृति देने तथा मौसम की प्रतिकूल दशाओं और क्रियाविधि संबंधि विलंबों के कारण समय पर कुछ कार्यों को पूरा न कर सकने के कारण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए इस मंत्रालय द्वारा उन्हें प्रदान की गई निधियों का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

(ख) और (ग). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) अप्रयुक्त धनराशियों का अगले वित्तीय वर्षों के लिए पुनः वैधीकरण किया गया ताकि राज्य अनुमोदित कार्य मदों को पूरा कर सकें।

[हिन्दी]

धान की खरीद

1378. श्री रामपाल सिंह: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान धान की खरीद के लिए क्या

विवरण

राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य

(लाख रुपये)

	1992-93	प्रयुक्त	1993-94	प्रयुक्त	1994-95	प्रयुक्त
1. आंध्र प्रदेश	52.97	50.90	54.53	54.53	69.803	49.683
2. अरूणाचल प्रदेश	32.106	20.688	30.873	15.476	31.44	9.65
3. असम	1.40	1.40	103.979	–	–	56.17
4. बिहार	28.145	25.495	–	–	57.85	शून्य
5. गोवा	12.50	12.21	14.485	4.425	14.301	9.851
6. गुजरात	29.644	29.044	36.064	25.314	31.70	27.00
7. हरियाणा	8.93	8.93	10.75	6.00	14.88	14.23
8. हिमाचल प्रदेश	106.35	74.231	84.735	36.905	84.224	56.907
9. जम्मू व कश्मीर	8.879	8.897	15.575	15.575	2.70	2.70
10. कर्नाटक	90.41	88.44	114.545	113.575	132.86	130.83
11. केरल	34.724	27.309	42.453	27.734	70.815	62.485
12. मध्य प्रदेश	85.78	20.983	132.35	119.56	98.08	80.41
13. महाराष्ट्र	69.038	66.158	51.764	32.314	127.465	22.885
14. मणिपुर	19.90	19.90	15.15	14.75	19.30	19.30
15. मेघालय	7.62	3.30	19.81	19.81	19.03	14.53
16. मिजोरम	25.44	23.582	15.842	13.142	25.05	25.05
17. नागालैंड	1.00	1.00	2.62	–	–	शून्य
18. उड़ीसा	45.65	40.05	71.33	69.341	72.96	55.71
19. पंजाब	15.317	10.967	19.911	9.248	14.195	13.277
20. राजस्थान	69.63	60.186	79.456	56.926	64.30	58.08
21. सिक्किम	53.70	51.47	29.90	29.90	33.42	33.42
22. तमिलनाडु	37.80	30.46	55.33	55.33	15.43	शून्य
23. त्रिपुरा	42.23	39.77	9.75	9.75	3.344	1.954
24. उत्तर प्रदेश	43.305	39.383	75.548	75.548	75.10	55.458
25. पश्चिम बंगाल	20.517	20.517	42.26	33.45	63.245	63.075
संघ राज्य क्षेत्र का नाम						
1. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह-					3.00	
2. दमण व दीव	3.10	3.10	1.50	1.50		
कुल	946.00	778.372	1129.518	850.103	1145.492	862.655

लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक वास्तव में कितनी मात्रा में चावल की खरीद की गई है;

(ख) क्या धान की खरीद करने वाले एककों द्वारा कृषकों से धान नहीं खरीदे जाने तथा उसके फलस्वरूप कृषकों को हुए भारी घाटे के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में धान उत्पादकों से धान की कितनी मात्रा मेंसीधे खरीद की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) केन्द्रीय पूल के लिए मूल्य समर्थन योजना के अधीन धान की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और इस प्रकार इसकी वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। खरीफ विपणन मौसम, 1996-97 के दौरान पहली अक्तूबर, 1996 से मौसम शुरू होने पर धान की वसूली शुरू की जाएगी। तथापि, पहली अक्तूबर, 1995 से शुरू होने वाले वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1995-96 के दौरान अब तक (8.3.1995 तक) 77.96 लाख मीटरी टन चावल की वसूली हुई है।

(ख) खरीफ विपणन मौसम 1995-96 के दौरान खाद्य मंत्रालय में अब तक धान/चावल की वसूली से संबंधित केवल 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें तत्काल भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार को भेज दी गई थी ताकि इन पर तत्परता से उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

(ग) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में धान की कोई खरीदारी नहीं हुई है क्योंकि वहां धान (उचित औसत किस्म) के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक थे।

[अनुवाद]

वाणी सुधार चिकित्सा केन्द्र

1379. श्री परस राम भारद्वाज: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सरकारी अस्पतालों में विशेषरूप से प्रत्येक ई.एन.टी. विभाग में वाणी-सुधार चिकित्सा केन्द्र होना चाहिए।

(ख) यदि हां, तो क्या वाणी-सुधार चिकित्सा केन्द्र डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने 100 की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले मेडिकल कालेज के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षा संबंधी अपनी सिफारिशों में शल्य चिकित्सा विभाग और इसकी संबद्ध विशिष्टताओं में वाक् थैरापिस्ट कान, नाक गला का एक पद निर्धारित किया है।

(ख) राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोई वाक् थिरेपी केन्द्र नहीं है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मेडिकल कालेज

1380. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मेडिकल कालेजों में चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों को हिन्दी में उपलब्ध करा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो पुस्तकों को हिन्दी में उपलब्ध कराने तथा अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद कराने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख). जैसाकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा सूचित किया गया है, कुल मेडिकल कालेजों में विशेष विषयों के लिए हिन्दी में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं। हिन्दी की और पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है जिसके अंतर्गत मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कृत किया जाता है।

सिक्किम में वनों का विनाश

1381. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम राज्य में वनों के विनाश के संबंध में सिक्किम सरकार से स्पष्टीकरण मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने और वनों के इस प्रकार के विनाश को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट):

(क) से (ग). सिक्किम सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए सी.जी.एच.एस. की सेवाएं

1382. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवाओं को उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए इस सेवा को किस तारीख से शुरू करने की सभावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख). जहां यह योजना चल रही है वहां सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारी, जो गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर क्षेत्रों में रह रहे हैं, एक सी.जी.एच.एस. कार्ड प्राप्त करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह कार्ड केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर नजदीक के शहर से निर्धारित अंशदान का भुगतान करके जारी करवाया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति

1383. **श्री काशीराम राणा:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा उनकी पत्नियों को प्रसूति हेतु सेंट स्टीफन हास्पिटल के लिये ''रेफर'' किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार भेजे गये रोगियों द्वारा अस्पताल को भुगतान की गई राशि की पूरी प्रतिपूर्ति करती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं; और

(घ) रोगियों द्वारा अस्पताल को भुगतान की गई पूरी राशि कीं प्रतिपूर्ति उन्हें करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) से (घ). लाभार्थियों को खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा समय-समय पर नियम की गई दरों के अनुसार की जाती है।

मुम्बई जलापूर्ति परियोजना-III

1384. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मुम्बई जलापूर्ति परियोजना-III को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) इस स्कीम को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी के लिए मंत्रालय को नहीं भेजा गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

1385. **श्री सोमजीभाई डामोर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के काफी सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारी मंगोल पुरी के सामने आउटर रिंग रोड, पीतमपुर स्थित ग्रुप आवास समितियों और अन्य कालोनियों में रह रहे हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों का केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय इनर रिंग रोड के सामने शकूरबस्ती में पड़ता है;

(ग) क्या उक्त केंद्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय के लाभार्थियों को यहां तक पहुंचने के लिए 8 कि.मी. घूमकर जाना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार के विचार से यह उचित है कि गंभीर हालत वाले रोगी काफी समय प्रतीक्षा करें और उक्त औषधालय तक पहुंचने के लिए कई बसों में सफर करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त कालोनी में ही एक चल औषधालय शुरू न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) ये ऐसी कालोनियां हैं जहां सरकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्त और सेवारत) तथा अन्य व्यक्तियों की मिलीजुली आबादी रह रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) यथापि शकूरबस्ती में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय लगभग मध्य में स्थित है, तथापि यह संभव है कि इस औषधालय के दायरे में आने वाली निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर रह रहे लाभार्थियों को कुछ दूरी तय करनी पड़ सकती है।

(घ) और (ङ). चूंकि नाजुक स्थिति के रोगियों को अस्पताल में भर्ती करना होता है, इसलिए संजय गांधी स्मारक अस्पताल इन कालोनियों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर रहा है।

जापानी इनसेफ्लाइटिस

1386. श्री थाइल जॉन अंजलोज:

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल के कुछ क्षेत्रों में जापानी इनसेफ्लाइटिस का प्रकोप हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार द्वारा राज्य से जापानी इनसेफ्लाइटिस उन्मूलन हेतु उनके प्रयास में समर्थन हेतु चिकित्सीय और वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय की सूचनानुसार केरल के अल्प्पुझा और कोट्टायम जिलों में 22 फरवरी, 1996 तक जापानी एनसेफ्लाइटिस के 76 मामले थे तथा जापानी एनसेफ्लाइटिस से 24 मौतें हुई थीं। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान दो संदिग्ध मामले एक कोझिक्कोड़ और एक प्रथनथिट्टा जिलों से भी सूचित किए गए थे

(ग) और (घ). जी, हां। राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय ने राज्य को चार पोर्टेबल फागिंग मशीनों की आपूर्ति की और एक एम.टी. तकनीकी मलेथियन आबंटित किया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से जापानी एनसेफ्लाइटिस वैक्सीन की दस हजार शीशियां प्राप्त की हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे की टीमें स्थिति का जायजा लेने और रोग की जांच पड़ताल और उस पर नियंत्रण करने में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों की सहायता करने के लिए राज्य में भेजी गई।

केरल में हरिणों की संख्या

1387. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में विशेष रूप से वायनाड वन, में हरिणों की संख्या के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने वहां हरिणों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां। केरल सरकार ने 1993 में वयानाड़ के वनों सहित केरल में हिरनों की आबादी का अध्ययन किया।

(ख) राज्य में चीतलों की कुछ आबादी 6259 है जिनमें से 457 चीतल वयानाड़ वन्यजीव अभयारण्य में है।

(ग) और (घ). राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने सूचित किया है कि वे राज्य में हिरनों की आबादी सहित संपूर्ण वन्यजीवन की सुरक्षा के लिए वासस्थल सुधार करते हैं और शिकाररोधी कार्यक्रम बनाते हैं। इसमें दासस्थल प्रबंधक हेतु चारा प्रजातियों का उगाया जाना, जल रंध्रों और निगरानी बांधों आदि का निर्माण शामिल है। व्यानाड़ अभयारण्य में शिकाररोधी गतिविधियों के एक भाग के रूप में बेतार केन्द्र का एक नेटवर्क और कर्मियों को हथियार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अभयारण्य में हिरनों सहित वन्यजीवन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रकृति शिविरों के रूप में प्रकृति शिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

दन्त चिकित्सा कालेज

1388. डा. सुधीर राय:

श्री मुही राम सैकिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** दिनांक 27 फरवरी, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी दन्त चिकित्सा कालेजों के छात्र उक्त आर्थिक सहायता और ऋण पाने के हकदार नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निजी दन्त चिकित्सा कालेजों के छात्रों को भी ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग). माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त, 1995 के आदेशानुसार अनिवासी भारतीय/विदेशी छात्रों के कोटे को छोड़कर निजी मेडिकल कालेजों में भर्ती प्रत्येक छात्र के लिए 5000 रूपये की वार्षिक आर्थिक सहायता देय है। न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को आगे निदेश दिया है कि वह निजी मेडिकल और दंत चिकित्सा कालेजों में अध्ययनरत छात्रों को अध्ययन ऋण की सुविधा प्रदान करें।

क्षेत्रीय वानिकी परियोजना

1389. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा कुछ क्षेत्रीय वानिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों में इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(घ) उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सुपर बाजार का विकेन्द्रीयकरण

1390. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सुपर बाजार के कार्यों का और विकेन्द्रीयकरण करने का है जिससे खरीद, आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान, नई मदें आदि शामिल करने के मामले से क्षेत्रीय वितरण केन्द्र को मुख्यालय से मुक्त करने तथा नीति संबंधी मामलों को केवल मुख्यालय पर छोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अल्प सूचना पर कोई जानकारी उपलब्ध कराने तथा कारगर प्रबंध और नियंत्रण के लिए सुपर बाजार का पूर्ण कंप्यूटरीकरण कब तक किया जायेगा?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुपर बाजार एक स्वायत्तशासी सहकारी समिति है और यह प्रबंधकों का कार्य है कि वे अपने व्यापार का नियोजन तथा उसका नियंत्रण करें। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय वितरण केंद्रों को मुख्यालय से स्वतंत्र करना न तो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है और न ही यह वांछनीय है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उसने चरणों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य पहले ही हाथ में ले रखा है और प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि क्योंकि पूर्ण कम्प्यूटरीकरण निधियों की उपलब्धता, कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा अपनाई जाने वाली प्रणाली पर निर्भर करता है, अत: अभी से कोई समय सीमा बता पाना कठिन है।

घटिया मिनरल वाटर

1391. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ मिनरल वाटर एककों द्वारा मिनरल वाटर के विक्रय तथा नल के पानी को मिनरल वाटर का नाम दिए जाने संबंधी कदाचार के बारे में बार-बार शिकायतें मिलती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदाचार के संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय मानक ब्यूरो से मिनरल वाटर उद्योग के लिए गुणवत्ता एवं तैयार करने की प्रक्रिया संबंधी मानदंड निर्धारित करने हेतु निदेश देने का है ताकि मिनरल वाटर कंपनियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो में अपना पंजीकरण कराना तथा बोतलों पर संघटकों की मात्रा अंकित करना अनिवार्य हो जाए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते है।

(ङ) और (च): भारतीय मानक ब्यूरो ने मिनरल वाटर के संबंध में पहले ही आई एस-13428:1992 मानक प्रकाशित कर दिया है। मिनरल वाटर के लिए तकनीकी अपेक्षाएं, जैसी कि भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों में दी गई हैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1995 में शामिल की गई हैं, जो अनिवार्य हैं।

[हिन्दी]

कोयला परियोजनाएं

1392. श्री अमर पाल सिंह:

श्री रामपाल सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों के वनों में बड़े पैमाने पर पाये जाने वाले सागौन (टीक) के वृक्षों के सूखे पत्तों से धुंआ रहित कोयला बनाने के लिये लोक कल्याण की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यक्रम को तत्काल शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूध में विषाणु

1393 **श्री रवि राय:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1996 के "स्टेट्समैन" में "मिल्क इज स्प्रेडिंग इट्स वेनम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कृत्रिम दूध को प्रभावित करने वाला एक विषाणु जो हरियाणा में फैलने लगा है, राजस्थान और दिल्ली में उपभोक्ताओं के लिये अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) दिनांक 2.2.96 के स्टेट्समैन में कोई ऐसा समाचार ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता। तथापि, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए दूध की गुणवत्ता पर नजर रखें।

चीनी उत्पादन

1394. **श्री श्रीकान्त जेना:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता से अधिक था;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान स्थापित क्षमता की तुलना में कितना अधिक उत्पादन हुआ।

(ग) किन-किन राज्यों में मिलों की स्थापित क्षमता की तुलना में चीनी का अधिक उत्पादन हुआ।

(घ) क्या चीनी का अधिक उत्पादन होने के कारण सरकार का चीनी के आयात में कमी करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी कमी करने का विचार है; और

(च) क्या चीनी के अधिक उत्पादन और उपलब्धता के परिणामस्वरूप खुले बाजार में चीनी की कीमतों में कमी की कोई संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). 30.9.1995 की स्थिति के अनुसार 122.1970 लाख मी.टन की कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के मुकाबले 1994-95 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 145-85 लाख मी.टन (अनंतिम हुआ था), जो अधिष्ठापित क्षमता से 23.653 लाख मी.टन अधिक था।

(ग) 30.9.1995 की स्थिति के अनुसार 1994-95 चीनी मौसम के दौरान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा गोवा राज्यों में चीनी का उत्पादन उनकी अधिष्ठापित चीनी उत्पादन क्षमता से अधिक था।

(घ) और (ङ). वर्तमान में सरकार के खाते पर चीनी का और आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) खुली बिक्री चीनी के रिलीज की प्रक्रिया विवेकपूर्ण ढंग से विनियमित की जा रही है ताकि खुले बाजार में चीनी का मूल्य उपभोक्ताओं के साथ-साथ उत्पादकों के लिए भी उचित स्तर पर बना रहे जिससे कि वे किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दे सकें।

अप्रयुक्त औषधियां

1395. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक मूल्य की औषधियां बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये दवाइयां उचित समय पर उपयोग में लाई जा सकें, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चीनी और मिट्टी के तेल का कोटा

1396. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों को वर्ष 1995-96 के दौरान विशेषकर त्यौहारों के लिए चीनी और मिट्टी के तेल का निर्धारित कोटा नहीं मिल पाया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवाद ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वस्तुओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ). सरकार 1.00 लाख मी.टन चीनी त्यौहार कोटा के रूप में प्रत्येक वर्ष रिलीज करती है, (सामान्य मासिक कोटे के अतिरिक्त), जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा चुने गए (महीनों) में उनके मासिक लेवी कोटे के अनुपात में आबंटित की जाती है। लेवी चीनी के उठान व वितरण का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का है।

मिट्टी का तेल:- केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "एस.के.ओ." का 'बल्क' आबंटन करती है तथा तेल कम्पनियों द्वारा आबंटन के अनुसार यथा-समय "एस.के.ओ." का आबंटन किया जाता है। त्यौहार तथा बाढ़ जैसी आकस्मिकताओं आदि के लिए अतिरिक्त मिट्टी के तेल के आबंटन हेतु जब कभी भी अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो उन पर विचार किया जाता है, तथा इनकी गुणवत्ता के आधार पर इसकी स्वीकृति दी जाती है।

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं की शिकायतों

1397. श्री प्रभुदयाल कठेरिया:

डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच-पड़ताल हेतु प्रत्येक राज्य में "ओमबड्स मैन" नियुक्त करने या राज्य सरकारों को "ओमबड्स मैन" नियुक्त करने के संबंध में निदेश देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और.

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतें जिस प्रयोजन के लिए स्थापित की गई हैं वे उसे पूरा कर रही हैं। वे उक्त अधिनियम तथा उसके तहत निर्मित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही हैं।

सिंचाई परियोजनाएं

1398. श्री इन्द्रकरण रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में चल रही बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें पूरा करने हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है;

(ख) मूल निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ग). आंध्र प्रदेश की चालू बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला **विवरण संलग्न है।**

(घ) सिंचाई परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि होने के कारण मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में आते हैं :-

1) तकनीकी

व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीमित अन्वेषण और कार्यान्वयन के दौरान परियोजना के क्षेत्र तथा डिजाइन में परिणामी परिवर्तन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए मूल अनुमानों में अपर्याप्त प्रावधान, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुर्नस्थापना और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आदि।

2) वित्तीय

निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि, पर्याप्त निधि में उपलब्ध न होना तथा भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ जाना।

3) अन्य कारण

श्रम संबंधी परेशानी, ठेके संबंधी समस्याएं, पर्यावरणशास्त्रियों और भूमि विस्थापितों द्वारा आंदोलन, प्राकृतिक आपदाएं।

(ङ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए उठाए गए कदम ये हैं :- उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जिनमें काफी हद तक काम हो चुका है, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा परिव्यय निर्धारित करना, केंद्रीय जल आयोग और राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं का गहन प्रबोधन करना और राज्यों में लागत नियंत्रण की स्थापना करना आदि।

विवरण

आंध्र प्रदेश में चालू वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकन की स्थिति	अनुमोदित लागत	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 95 तक व्यय हेक्टे. में)	अंततः सिंचाई क्षमता (हजार में)	मार्च, 95 (हजार हेक्टे. एक में)	पूरा करने का निर्धारित कार्यक्रम	क्या परि-योजना निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वृहद परियोजनाएं								
1.	श्रीराम सागर चरण-1	अनु.	40.10	1519.15	856.08	411.00	292.00	8वीं योजना से आगे	हां
2.	श्रीसैलम दायां तट नहर	अनुन.	220.22	1185.58	360.28	67.89	-	- वही -	नहीं
3.	नागार्जुन सागर	अनु.	91.12	864.00	242.36	895.28	95.15	8वीं योजना	हां
4.	गोदावरी बैराज	अनु.	26.59	158.04	171.58	केवल स्थिरीकरण	केवल स्थिरीकरण	-वही-	हां
5.	सिंगूर	अनु.	29.75	130.42	146.28	-	जल आपूर्ति	-वही-	हां
6.	येल्लरू जलाशय	अनु.	107.35	277.50	244.43	-	केवल स्थिरीकरण	-वही-	नहीं
7.	सोमासीला	अनु.	17.20	296.00	204.34	38.48	10.50	8वीं योजना से आगे	हां
8.	टी.वी.पी.एच.एल.सी चरण-II	अनु.	9.15	193.00	149.29	89.62	49.68	8वीं योजना	हां
9.	वम्साधारा चरण-I	अनु.	8.78	73.85	59.11	20.13	17.14	-वही-	हां
10.	निजामसागर	अनु.	11.02	34.26	19.90	-	केवल स्थिरीकरण	8वीं योजना से आगे	हां
11.	जुराला	अनुन.	-	275.00	216.42	44.03	20.77	8वीं योजना	-
12.	तेलगु गंगा	अनुन.	-	1120.00	708.21	233.00	7.50	8वीं योजना से आगे	-

13. श्रीसेलम वायां शाखा नहर	अनुन.	–	967.00	65.18	121.00	–	–वही–	–
14. वम्साधारा चरण–II	अनुन.	–	410.74	6.87	23.71	–	–वही–	–
15. पूलीवेंदला शाखा नहर	अनु.	2.98	226.78	20.95	24.28	19.38	8वीं योजना	हां
मध्यम परियोजनाएं								
1. थाम्मीलेरू	अनुन.	–	9.83	9.97	2.77	2.77	8वीं योजना	–
2. गुडलावागू	अनु.	1.16	7.22	6.21	–	–	–वही–	हां
3. थानदावा	अनु.	6.57	17.20	11.73	14.83	14.63	–वही–	हां
4. कानुपुर	अनु.	3.64	21.30	14.89	17.81	4.32	–वही–	हां
5. चेय्यरू	अनु.	6.04	33.50	18.97	7.90	0.50	–वही–	हां
6. वर्धराजस्वामी गुडी	अनु.	10.50	18.21	48.07	4.17	1.00	–वही–	हां
7. दुग्गावांका	अनु.	4.86	23.43	9.59	5.40	–	–वही–	नहीं
8. येर्राकालवा	अनु.	10.40	143.24	27.39	9.91	–	–वही–	हां
9. झंझावती	अनुन.	–	48.50	17.09	9.24	–	–वही–	हां
10. आंध्र जलाशय	अनु.	7.83	16.89	7.33	42	–	–वही–	नहीं
11. माद्दूवालसा	अनु.	8.47	49.47	18.81	6.72	4.35	–वही–	हां
12. वेगालाराया सागराम	अनु.	8.65	27.48	21.83	6.72	4.35	–वही–	हां
13. वोत्तीवागू	अनु.	5.40	38.06	4.80	10.00	0.02	–वही–	हां
14. साथनाला	अनु.	3.22	25.35	17.89	9.71	6.05	–वही–	हां
15. तालीपेरू	अनु.	9.06	38.37	28.10	14.05	10.31	8वीं योजना	हां
16. मेद्दीगुडा	अनु.	2.50	4.69	4.33	2.43	2.64	–वही–	हां
17. ऊपर कोसीनाला	अनु.	6.99	22.26	6.91	4.13	1.00	8वीं योजना से आगे	हां
18. छालमालावागू	अनु.	3.66	22.14	3.56	2.43	–	8वीं योजना	नहीं
19. मद्दीलेरू	अनु.	17.00	28.56	3.13	5.21	–	–वही–	नहीं
ग. विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं								
1. नागार्जुन सागर								
2. श्रीराम सागर								
3. गोदावरी बैराज								
4. प्रकासाम बैराज 5. के.सी नहर	अनुन.	–	1630.00	60.99	उ.न.	उ.न.	8वीं योजना से आगे	–
6. टीबीपीएलएलसी								
7. टीबीपीएलएलसी चरण–II								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	पेन्नार नदी नहर								
9.	टीबीपीएलएलसी चरण–III								
10.	राजोलीवांदा विक्पपरिवर्तन								

योजना

1. अनु. –योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
2. अनुन. –अनुमोदित नहीं
3. उ.न. –उपलब्ध नहीं
4. यह सूचना कि परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है अथवा नहीं, एवं उनकी लागत वृद्धि केवल अनुमोदित परियोजनाओं के लिए दी जा सकती है।

एड्स की आयुर्वेदिक चिकित्सा

1399. **श्री राम कापसे:**

कुमारी उमा भारती:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल के जड़ी-बूटी चिकित्सक ने अमरीका में एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''एड्स'' के इलाज के लिए आयुर्विज्ञान चिकित्सा पद्धति की दवाइयां कारगर पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो एड्स के पूरी तरह से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत शोध को बढ़ावा देने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख). दिनांक 10.4.95 के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह सूचित किया गया है कि एक औषधि विक्रेता ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एच आई वी के लगभग 45 पाजीटिव व्यक्तियों पर औषधीय अवयवों की जाँच की है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार के मेडिकल स्टोर

1400. **श्री मंजय लाल:**

श्री आनंद रत्न मौर्य:

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुपर बाजारों के विशेष कर अस्पतालों में स्थित मेडिकल स्टोरों में दवाओं की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन अस्पतालों में मेडिकल स्टोर खोलने के संबंध में कोई विदेशी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्हें अपने भंडारों में दवाइयों की कमी की जानकारी है।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि विनिर्माताओं/सप्लायरों द्वारा कम आपूर्ति किए जाने तथा अचानक मांग बढ़ जाने के कारण काउंटर पर कभी-कभी कुछ जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

शराब कारखानों (डिस्टिलरियों) द्वारा प्रदूषण

1401. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषण फैलाने वाले एककों के रूप में, राज्यवार, किन-किन शराब कारखानों डिस्टिलरियों की पहचान की गई है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र न लगाने के संबंध में देश विशेषकर उत्तर प्रदेश में कुछ डिस्टिलरियों पर जुर्माना लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में अनेक डिस्टिलारियों ने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र नहीं लगाये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवाद ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी डिस्टिलरियों के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (घ) से (च). देश में 45 शराब कारखाने (डिस्टिलरियों) जिन्हें प्रदूषण फैलाने वाली डिस्टिलरियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इनके पास उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों नहीं है। राज्यवार दोषी इकाइयों के नाम निम्नलिखित हैं:-

आंध्र प्रदेश	- मेसर्स एनसीएस एस्टेट; ओ आर डिस्टलरीज
गुजरात	- मेसर्स गुजकैप डिस्टलर्ज (इंडिया) लि.; मेसर्स श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेदुत सहकारी पांडली लि.; मेसर्स येस्ट एल्को एंजाइम्स लि.
हरियाणा	- मेसर्स हरियाणा बगीवरीज लि.; मेसर्स पानीपत को आपरेटिव सुगर मिल्स (डिस्टलरीज यूनिट); मेसर्स हरियाणा डिस्टलरीज; मेसर्स अशीका डिस्टिलरी एंड कैमिकल्स
जम्मू कश्मीर	- मेसर्स दीवान मार्डन ब्रीवरीज; मेसर्स कश्मीर डिस्टलरीज प्रा.लि.; मेसर्स न्यू इंडिया डिस्टलरीज
कर्नाटक	- मेसर्स हिरण्यकेशी एस एस के नियामित; मेसर्स पप्पसारा डिस्टिलरी; मेसर्स गौरी इंडस्ट्रीज; मेसर्स उगर सुगर वर्क्स लि.; मेसर्स खोडे डिस्टिलरी लि.
केरल	- मेसर्स दि-को-आपरेटिव सुगर लि.; मेसर्स ट्रावनकोर सुगर एंड कैमिकल्स लि.
मध्यप्रदेश	- मेसर्स काक्स डिस्टिलरी; मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी; मेसर्स केडिया डिस्टिलरी; मेसर्स भोपाल डिस्टलरीज; मेसर्स सिवनी डिस्टिलरी; मेसर्स धार डिस्टिलरी लि.
महाराष्ट्र	- मेसर्स वेस्टर्न महाराष्ट्र डवलेपमेंट कारपोरशन लि.; मेसर्स टेरना सहकारी एस एस के लि.; मेसर्स करनवीर काका साहेब वाघ एस एस के लि.; मेसर्स निफ्हड एस एस के लि.; मेसर्स पंचगंगा एस एस के लि.; मेसर्स बेलगंगा एस एस के लि.; मेसर्स यूनाइटेड को-आपरेटिव डिस्टिलरी लि.; मेसर्स तिलक नगर डिस्टिलरीज; मेसर्स कोल्हापुर सुगर मिल्स; मेसर्स सोमय्या आर्गेनिक कैमिकल्स लि.
उड़ीसा	- मेसर्स उमेरी डिस्टिलरी (प्रा.) लि.
पंजाब	- मेसर्स पंजाब खांड उद्योग लि.
सिक्किम	- मेसर्स सिक्किम डिस्टिलरीज लि.
तमिलनाडु	- मेसर्स साउदर्न एग्रीफरनेस इंडस्ट्रीज (डिस्टिलरी प्रभाग)
संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	- मेसर्स पांडिचेरी डिस्टिलरी लि.
उत्तर प्रदेश	- मेसर्स सारावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स (डिस्टिलरी यूनिट); मेसर्स कप्तानगंज डिस्टिलरीज
पश्चिम बंगाल	- मेसर्स ईस्टर्न डिस्टिलरी; मेसर्स प्रकाश डिस्टिलरी; मेसर्स आई एफ डी एग्रो इंडस्ट्री लि.

इन इकाइयों के पास जरूरी शोधन सुविधाएं नहीं हैं और इन सभी इकाइयों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 24.2.96 को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

(ख) और (ग). उच्चतम न्यायालय ने रिट-याचिका (सिविल) संख्या 1990 की 327 में दिनांक 23.1.1996 के अपने आदेश के तहत मेसर्स मोहन मेकिंस लि. पर 5 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा, 20.2.1995 को मेसर्स अवध सुगर मिल्स पर 25,000/- रुपए का जुर्माना लगाया गया और मेसर्स सेन्ट्रल डिस्टिलरी पर क्रमश: दिनांक 7.4.1995 और 17.11.1995 को

10,000/- रु. और 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1402. श्री दत्तात्रेय बंडारूः

श्री प्रेम चंद रामः

श्री रूप चंद पालः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दवाओं का समय पर उपलब्धता के संबंध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं के संबंध में आकृष्ट किया गया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा क्या कार्यपद्धति अपनाई जाती है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान गत 6 महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार योजना द्वारा दवाइयों की खरीद तथा आपूर्ति के मामले में कदाचार, अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) आम तौर पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की फार्मूलरी दवाओं का आपूर्ति करने में कोई विलम्ब नहीं होता है। तथापि, यदि कोई दवा औषधालयों में उपलब्ध नहीं होती तो उसे व्यक्तिगत नुस्खों की पर्चियों पर तत्काल स्थानीय कैमिस्ट से खरीदा जाता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सूचीबद्ध औषधों के लिए चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन में वार्षिक मांग भेज कर औषधें प्राप्त करती हैं। जहां तक गैर-सूचीबद्ध दवाओं का संबंध है, उन्हें औषधालय द्वारा विशेषज्ञ द्वारा नुस्खा लिखने पर स्थानीय कैमिस्टों के जरिए खरीदा जाता है।

(ग) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंत:स्रावी गड़बड़ियां

1403. श्री तारा सिंहः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1996 को "पायनीर" में इन्डोक्राइन डिसोर्डसे हेव मिलियन्स इन बेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या अंत:स्रावा गड़बड़ियों के कारण काफी ज्यादा संख्या में व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी की रोक-थाम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि अंत:स्रावी विकारों वाले व्यक्तियों की संख्या काफी ज्यादा है।

(ग) और (घ). स्थानिक घेघा जो प्रधात अंत:स्रावी विकारों में से एक है, के निवारण हेतु राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से समस्त देश में चलाया जा रहा है। अवटु के सही ढंग से कार्य न करने जैसे अन्य अंत:स्रावी विकारों के उपचारार्थ सुविधाएं खास-खास अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

जलाशय योजनाएं

1404. श्री हरिसिंह चावड़ाः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई जलाशय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाएं कब से लंबित हैं और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) और (ख). स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी गुजरात की नई, बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को हल करती है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से पर्यावरण/वन/पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन संबंधित स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

विवरण

स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी गुजरात की नई, बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लाभ हेक्टेयर में	मंजूरी की स्थिति
1	2	3	4	5	6
	वृहद परियोजनाएं				
1.	मच्छु-1 सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	फरवरी 1991	11.12	2,140	राज्य के वित्त विभाग की सहमति एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिलने की शर्त पर सलाहकार समिति द्वारा परियोजना को तकनीकी-आर्थिक रूप से 8/93 में स्वीकार किया गया। राज्य सरकार को इन टिप्पणियों का अनुपालन करना है।
मध्यम परियोज़नाएं					
2.	वालान सिंचाई परियोजना	मई 1990	22.16	7,390	सलाहकार समिति ने 3/91 में इस पर विचार करना स्थगित कर दिया क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन से परिप्रेक्ष्य में तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की स्वीकृति तथा क्रापिंग पैटर्न के बारे में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। परियोजना को कल्याण मंत्रालय द्वारा अगस्त, 94 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना दृष्टि से स्वीकृति कर दी गई है। राज्य सरकार ने वन संबंधी दृष्टिकोण से स्वीकृति तथा क्रापिंग पैटर्न की समीक्षा भी प्राप्त करनी है।
3.	उण्ड-II	दिसम्बर 1991	38.94	4,250	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करना है।
4.	गोमा	मई, 1994	31.10	7,000	-वही-

1	2	3	4	5	6
5.	ओजत-II	अक्तूबर, 93	59.73	7,970	-वही
6.	मित्ती सिंचाई का पुनर्निर्माण	जून, 1993	14.15	2,030	-वही-
7.	महुपडा जल संसाधन परियोजना	सितम्बर, 93	25.74	2,340	-वही-
8.	वोर्तु-II सिंचाई	दिसंबर, 91	30.38	6,150	-वही-
9.	नानिबरसन	नवंबर, 91	32.40	3,760	-वही-
10.	बकरोल	जनवरी, 95	23.86	4,290	-वही-

[हिन्दी]

अपशिष्ट पदार्थ का निपटान

1405. श्रीमती भावना चिखलिया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के जिला/जनरल अस्पतालों के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) क्या मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद

1406. श्री बसुदेव आचार्य: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद में भ्रष्टाचार तथा धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वंध्याकरण

1407. डा. परशुराम गंगवार:

श्री सुशील चन्द्र वर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान वंध्याकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) 31 जनवरी, 1996 तक राज्यवार कितने नलबंदी और नसबंदी आपरेशन किये गये;

(ग) इस पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या पुरूषों तथा महिलाओं दोनों के आपरेशन के संबंध में किसी नई तकनीक का विकस किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो नई तकनीक की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित किया गया वंध्याकरण का लक्ष्य 50,31,650 है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ). पुरूषों के लिए एक नई विधि ''नो स्कैलपेल वैसेक्टोमी'' शुरू की गई है। इस विधि में कोई चीरा और टांके नहीं लगाए जाते हैं। इसमें कम समय लगता है और इसकी कम जटिलताएं हैं।

विवरण-I

1995-96 के दौरान किए गए राज्यवार नसंबदी और नलबंदी आपरेशन (जनवरी, 1996 तक).

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	नसंबदी	नलबंदी
I.	बड़े राज्य (1 करोड़ अथवा इससे अधिक की जनसंख्या वाले)		
1.	आंध्र प्रदेश	14868	363689
2.	असम	381	15601
3.	बिहार	1347	114607
4.	गुजरात	5932	200716
5.	हरियाणा	1130	78462
6.	कर्नाटक	418	99042
7.	केरल	417	311870
8.	मध्य प्रदेश	5570	284403
9.	महाराष्ट्र	6526	415763
10.	उड़ीसा	2525	104236
11.	पंजाब	1013	76159
12.	राजस्थान	1419	124295
13.	तमिलनाडु	310	252500
14.	उत्तर प्रदेश	25473	309677
15.	पश्चिम बंगाल	932	199298
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
1.	हिमाचल प्रदेश	1995	21455
2.	जम्मू व कश्मीर	422	7760
3.	मणिपुर***	90	674
4.	मेघालय**	1	726
5.	नागालैंड**	-	176
6.	सिक्किम*	28	435
7.	त्रिपुरा	32	7488
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	16	1108
9.	अरूणाचल प्रदेश*	5	673
10.	चंडीगढ़	71	2278
11.	दादरा व नगर हवेली	21	255
12.	दिल्ली*	1280	24554
13.	गोवा	12	3261
14.	दमण व दीव	-	411
15.	लक्षद्वीप*	-	17
16.	मिजोरम*	-	1933
17.	पांडिचेरी*	27	7487
III.	अन्य अभिकरण		
1.	रक्षा मंत्रालय	3318	13790
2.	रेल मंत्रालय	1329	14697
		76980	3059586

- - आंकड़े अनंतिम हैं।

- = शून्य

* = दिसम्बर, 1995 तक

** = नवम्बर, 1995 तक

*** = अक्तूबर, 1995 तक

विवरण-II

राज्यों को 1995-96 के दौरान वंध्यीकरण के स्वींकारकर्ताओं को मजदूरी की क्षति की भरपाई की योजना के अधीन भुगतान की गई रकम

क्रम. संख्या	राज्य का नाम	भुगतान की गई रकम (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1108.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.00
3.	असम	240.00
4.	बिहार	1108.00
5.	गोवा	8.00
6.	गुजरात	535.00
7.	हरियाणा	230.00
8.	हिमाचल प्रदेश	81.00
9.	जम्मू व कश्मीर	37.00

10.	कर्नाटक	772.00
11.	केरल	212.00
12.	मध्य प्रदेश	739.00
13.	महाराष्ट्र	1108.00
14.	मणिपुर	6.00
15.	मेघालय	1.50
16.	मिजोरम	6.00
17.	नागालैंड	4.50
18.	उड़ीसा	370.00
19.	पंजाब	221.00
20.	राजस्थान	462.00
21.	सिक्किम	2.00
22.	तमिलनाडु	600.00
23.	त्रिपुरा	20.00
24.	उत्तर प्रदेश	1105.00
25.	पश्चिम बंगाल	810.00
		9791.00

[अनुवाद]

पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

1408. श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1992 में रियो-डी-जेनेरो में हुए पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). जून, 1992 में रियो-डी-जेनेरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में पर्यावरण और विकास, एजंडा 21 तथा वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास संबंधी गैर-विधिक बाध्यता सिद्धांतों पर रियो घोषणा को व्यापक तौर पर स्वीकार किया था। उस सम्मेलन में जैव विविधता कन्वेंशन तथा जलवायु परिवर्तन ढांचागत कन्वेंशन भी हस्ताक्षर के लिए रखे गए थे।

भारत ने इस निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की है। दोनों कन्वेंशन अनुमोदित किए गए हैं। पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए भारत की प्राथमिकताएं जिनका उल्लेख रियो करारों में किया गया है, पर्यावरण कार्रवाई कार्यक्रम दस्तावेजों में बताई गई है। पर्यावरण कार्रवाई कार्यक्रम में अभिनिर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं - सतत शहरी प्रबंधन, उत्पादन की स्वच प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन, संस्थागत ढांचा निर्माण, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों का उपयोग संवर्द्धन आदि। प्राथमिकता वाले इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से कार्रवाई शुरू की गई है।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास आयोग जिसका संस्थागत तंत्र के रूप में विश्व स्तर पर एजेंडा 21 की विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए गठन किया गया है उसकी बैठक वर्ष में एक बार स्थिति की समीक्षा करने के लिए होती है। राष्ट्रीय स्तर पर, एजेंडा 21 के विभिन्न अध्यायों के क्रियान्वयन हेतु नोडल दायित्व की शिनाख्त कर ली गई है और योजना तथा विकास प्रक्रिया में एजेंडा 21 की चिंताओं के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग कार्रवाई कर रहे हैं।

वानिकी के क्षेत्र में भारत वन मुद्दों और वन सिद्धांतों के संवर्द्धन के लिए बार-बार चर्चा करता रहा है। 1995 के मध्य में इन प्रयासों का चर्मोत्कर्ष उस समय हुआ जब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के लिए एक ओपन-एण्डेड अंतर्शासकीय वन पैनल बनाने का निर्णय लिया। भारत वर्तमान में इस पैनल का सह-अध्यक्ष है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पूल में राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का योगदान

1409. श्री लाल बाबू राय:

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खाद्यान्नों की कितनी मात्रा खाद्यान्न-वार बफर स्टाक में है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्रीय पूल में वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का योगदान किया गया;

(ग) क्या खाद्यान्नों के उत्पादन में लगातार वृद्धि के बावजूद किसानों का योगदान तुलनात्मक रूप से कम रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कृषि मूल्य नीति की समीक्षा करने का है ताकि किसान केन्द्रीय पूल में और अधिक योगदान कर सकें?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) दिनांक 1.2.1996 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 161.60 लाख मीटरी टन चावल और 114.20 लाख मीटरी टन गेहूं का स्टाक था।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विपणन मौसम 1992-93 (अप्रैल - मार्च) से गेहूं की वसूली

हजार मीटरी टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (04/03/1996)
बिहार	–	–	नगण्य	नगण्य
गुजरात	–	नगण्य	–	1
हरियाणा	1372	3454	3047	3102
हिमाचल प्रदेश	–	1	नगण्य	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	नगण्य	242	66	169
पंजाब	4489	6494	7285	7299
राजस्थान	22	496	65	454
उत्तर प्रदेश	497	2128	1406	1302
चण्डीगढ़	–	नगण्य	–	–
दिल्ली	–	20	–	नगण्य
अखिल भारतीय जोड़	6380	12835	11869	12327

नगण्य: 500 मीटरी टन से कम

विवरण-II

विपणन मौसम 1992-93 (अक्तूबर-सितम्बर) से चावल की वसूली

हजार मीटरी टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (07/03/1996)
(क) केन्द्रीय पूल में अंशदान करने वाले				
आंध्र प्रदेश	3296	3987	4024	1857
अरूणाचल प्रदेश	नगण्य	–	–	–
असम	9	5	1	2
बिहार	–	3	1	–
हरियाणा	909	1248	1425	688

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (04/03/1996)
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-
कर्नाटक	116	134	44	76
मध्य प्रदेश	689	804	759	631
महाराष्ट्र	70	86	66	36
उड़ीसा	380	388	327	319
पंजाब	4905	5486	5826	3456
राजस्थान	22	21	25	2
उत्तर प्रदेश	1186	1295	727	608
पश्चिम बंगाल	170	161	151	97
चण्डीगढ़	30	26	23	-
दिल्ली	5	5	4	-
पांडिचेरी	6	2	-	-
जोड़ (क):	11793	13651	13402	7772
(ख) केन्द्रीय पूल में अंशदान नहीं करने वाले				
गुजरात	28	20	11	-
जम्मू और कश्मीर	-	-		-
तमिलनाडु	1232	589	291	80
जोड़ (ख)	1260	609	302	80
जोड़ (क) और (ख)	13053	14260	13705	7852

[अनुवाद]

आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध

1410. **श्री फूलचन्द वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान शोध कार्यों में लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्थान को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संस्थान को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जल संसाधनों का दोहन

1411. **श्री मनोरंजन भक्त:**

श्री भोगेन्द्र झा:

श्री तारा सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत तथा नेपाल के प्रधानमंत्रियों के बीच महाकाली नदी के जल संसाधानों के दोहन के संबंध में हाल ही में किए गए समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन विभिन्न परियोजनाओं के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) 12.2.1996 को हस्ताक्षरित "सारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास" संबंधी संधि के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:-

(1) नेपाल को सारदा बराज़ से जल की आपूर्ति की विद्यमान व्यवस्था को जारी रखा जाना।

(2) टनकपुर बराज से आर्द्र मौसम में 1000 क्यूसेक जल आपूर्ति तथा नेपाल के साथ पहले हुए समझौते के अंतर्गत शुष्क मौसम में 150 क्यूसेक की तुलना में 300 क्यूसेक।

(3) टनकपुर विद्युत घर से 20 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा की सप्लाई के पूर्व समझौते की तुलना में नेपाल को 70 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा की विद्युत आपूर्ति नि:शुल्क करना।

(4) दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुप्रयोजनी परियोजना को नदी के दोनों किनारों पर समान क्षमता के विद्युत घरों के साथ एकीकृत परियोजना के रूप में कार्यान्वियन करना। उत्पन्न कुल ऊर्जा दोनों पक्षों के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। संधि के लागू होने की तारीख से छ: महीने के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा; और

(5) महाकाली नदी आयोग का गठन किया जाना है व जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि समान संख्या में हों ताकि संधि के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदमों पर दोनों पक्षों द्वारा सिफारिशें की जाएं।

(ख) पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना सहित वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए समझौते पर बातचीत की जाएगी और इसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से एक वर्ष के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और इस परियोजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के प्रावधानों के अध्यधीन इसके कार्यान्वयन के लिए समझौते की तारीख से आठ वर्ष के भीतर पूरे किए जाने का लक्ष्य होगा। दोनों देश प्रत्येक को मिलने वाले लाभ की अनुपात में लागत का बंटवारा करेंगे जिसका हिसाब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए लगाया जाएगा। दोनों देश अपने-अपने हिस्से को पूरा करने के लिए परियोजना के लिए धन जुटाने का प्रयास करने हेतु सहमत हो गए हैं।

(ग) पंचेश्वर परियोजना संधि के लागू होने की तारीख से एक वर्ष और छ: माह के भीतर शुरू हो जाने की आशा है।

खाद्यान्नों की ढुलाई

1412. श्री सत्यदेव सिंह: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की ढुलाई पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी यह प्रतिबंध हटा लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिबंध कब तक हटा लिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार सरोवर और टिहरी बांध परियोजनाएं

1413. श्री विलासराव नागनाथराव गुडेवार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर और टिहरी बांध परियोजना को पर्यावरणीय और वानिकी संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरणविद् इन परियोजनाओं के विरूद्ध अभियान शुरू कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). जी, हां। सरदार सरोवर तथा टिहरी बांध परियोजनाओं को क्रमश: 24 जून, 1987 और 19 जुलाई, 1990 को पर्यावरणीय मंजूरी तथा इन परियोजनाओं को वानिकी मंजूरी क्रमश: 8 सितम्बर, 1987 और 4 जून, 1987 को दी गई थी।

(ग) से (ङ). सरदार सरोवर परियोजना के पर्यावरणीय और पुनर्वास पहलुओं के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। टिहरी बांध परियोजना के संबंध में हिमालय क्षेत्र में इसके स्थित होने के करण परियोजना की सुरक्षा के बारे में आशंका प्रकट की गई है। इन परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान, इन मामलों पर

विचार किया गया था। और इन परियोजनाओं की मंजूरी के दौरान जरूरी सुरक्षा उपायों की सिफारिश की गई। संबंधित परियोजना प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करें।

स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र

1414. श्री आनन्द रत्न मौर्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण केन्द्रों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने और इन्हें व्यापक बनाने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लाइसेंसशुदा चिकित्सकों जैसे अल्पावधिध प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के बजाय इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है; और

(च) देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति औसतन कितना खर्च किया जाता है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) से (घ). जी, हां। ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगे चिकित्सा तथा अर्थ चिकित्सा कार्मिकों के कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने चिकित्सा तथा अर्थ-चिकित्सा कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के विभिन्न क्रियाकलापों में निम्नलिखित कौशल आधारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए हैं :-

- दाइयों को प्रशिक्षण।
- ए.एन.एम. के लिए संवर्धक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- आई.यू.डी. निवेशन में ए.एन.एम. को प्रशिक्षण।
- चिकित्सा तथा अर्थ चिकित्सा कार्मिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

इसके अतिरिक्त, परिवार कल्याण योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सा तथा अर्थ चिकित्सा कर्मचारियों के कौशल में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं :-

- महिला नसबंदी के लिए लेपरोस्कोपित प्रशिक्षण।
- चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन।
- शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम।
- पुनर्नलिकाकरण।

क्षेत्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित की गई/स्थापित की जाने वाली संस्थाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् लाइसेंसिएट पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देती।

(च) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 1995 के अनुसार वर्ष 1990 के लिए भारत में स्वास्थ्य पर प्रतिवर्ष खर्च लगभग 21 डालर है।

विवरण

विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित किए गए / स्थापित किए जाने वाले प्रशिक्षण संस्थान

आई.पी.पी. II		**प्रशिक्षण संस्थान**
1. आंध्र प्रदेश		6
2. उत्तर प्रदेश		1
आई.पी.पी. III		
1. केरल	(1) ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	3
	(2) एम.पी.डब्ल्यू(एम) स्कूल	4
2. कर्नाटक	आर.एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी.	1
आई.पी.पी. II		
पश्चिम बंगाल	(1) जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	1
	(2) एम.पी.डब्ल्यू(एम) स्कूल	23
	(3) सुपरवाइजर ट्रेनिंग स्कूल	1
	(4) रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्कूल	1
आ.. .पी. I/I		
1. आंध्र प्रदेश	(1) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू	1
	(2) डी.टी.टी.	22
	(3) डिविजनल ट्रेनिंग सैंटर/रिजनल ट्रेनिंग स्कूल सैंटर	3
2. उत्तर प्रदेश	(1) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	1
	(2) डी.टी.टी.	29
	(3) डिविजनल ट्रेनिंग सैंटर/रिजनल ट्रेनिंग सैंटर	8
3. मध्य प्रदेश	(1) डिविजनल ट्रेनिंग सैंटर/रिजनल ट्रेनिंग सैंटर	2

	(2) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	1 (प्रस्तावित)
आई.पी.पी. I/II		
1. पंजाब	(1) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	1 (प्रस्तावित)
	(2) रिजनल ट्रेनिंग सैंटर/डिविजनल ट्रेनिंग सैंटर	3
	(3) डी.टी.टी.	12
2. हरियाणा	(1) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	1
	(2) आर.टी.सी./डिविजनल ट्रेनिंग सैंटर	14
3. गुजरात	(1) एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी.	1
	(2) डी.टी.टी.	15
	(3) रिजनल ट्रेनिंग सैंटर/डिविजनल ट्रेनिंग सैंटर	4
4. बिहार	(1) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	1 (प्रस्तावित)
	(2) रिजनल ट्रेनिंग सैंटर/डिविजनल ट्रेनिंग सैंटर	7
	(3) ए.एन.एम. ट्रेनिंग सैंटर स्कूल	11
5. जम्मू व कश्मीर	(1) आर.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	2 (प्रस्तावित)
	(2) डी.टी.टी.	
आई.पी.पी. I/III		
आई.पी.पी. IX		
1. कर्नाटक	(1) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	1 (प्रस्तावित)
	(2) डी.टी.सी.	19 (प्रस्तावित)
2. राजस्थान	(1) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	1 (प्रस्तावित)
	(2) आर.टी.सी.	1 (प्रस्तावित)
	(3) डी.टी.सी.	2 (प्रस्तावित)
3. असम	(1) अपग्रेडेशन ऑफ ए.एन.एम./जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल टू डी.टी.सी.	17 (प्रस्तावित)
	(2) एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	1 (प्रस्तावित)
	(3) आर.एच.टी.सी.	1 (प्रस्तावित)
यू.एन.एफ.पी.ए.		
1. महाराष्ट्र	डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग टीम	26
2. राजस्थान	(1) ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	10
	(2) एल.एच.वी. ट्रेनिंग स्कूल	3
3. हिमाचल प्रदेश	(1) ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ट्रेनिंग सैंटर	1
	(2) महिला हैल्थ वर्कर ट्रेनिंग सैंटर	2
डेनिडा		
1. मध्य प्रदेश	बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) स्कूल	2
2. तमिलनाडु		
ओ.डी.ए.		
उड़ीसा	जिला प्रशिक्षण यूनिट	2

बासमती चावल

1415. श्री मोहन सिंह (देवरिया): क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय पूल के लिए लेवी कोटे हेतु खरीदे गए बासमती चावल को सस्ती दरों पर खुले बाजार में बेचे जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्रीय पूल में कितना-कितना बासमती चावल दिया गया और इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को कितना-कितना बासमती चावल प्रदान किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) केन्द्रीय पूल के लिए लेवी प्रणाली के अधीन बासमती चावल की वसूली नहीं की जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनिवार्य ग्रामीण सेवा

1416. श्री मोहन रावले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार क... ...द ने यह निर्णय किया है कि एम.बी.बी.एस. डाक्टरों का ग्रामीण क्षेत्र में तीन वर्षों की सेवा करने के पश्चात ही स्थायी रूप से पंजीकरण किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिषद की अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने अक्तूबर, 1995 में नई दिल्ली में हुए इसके सम्मेलन में संकल्प पारित किये कि कुछ समय विशेष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती अनिवार्य बनाई जाये और इसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पूर्वापेक्षा बनाया जाये।

(ग) अन्य संकल्प अन्य बातों के साथ-साथ परिवार कल्याण की योजनाओं में वृद्धि करने संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण और खाद्य गुणवत्ता तथा औषधों के लिए जिम्मेदार संगठनों का दर्जा बढ़ाने पर जोर देने से संबंधित हैं।

(घ) ये सभी केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विचार किये जाने और कार्यान्वित किये जाने की अवस्थाओं में हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वन क्षेत्र

1417. श्रीमती सरोज दुबे :

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन क्षेत्र में 1990-91 के बाद तेजी से ह्रास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1990-91 के बाद (वर्ष-वार) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी की कटाई में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) वनरोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में असंतोषजनक प्रगति के क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1993 के अनुसार अंडमान और निकोबार के वन आवरण में 1991 के मूल्यांकन की तुलना में 1993 के मूल्यांकन के दौरान 2 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है।

(ग) ... और निकोबार द्वीप समूह में 1990-91 से लकड़ी की ... इस प्रकार है:

1990-91	103660 घनमीटर
1991-92	105319 - वही -
1992-93	125480 - वही -
1993-94	130136 - वही -
1994-95	135523 - वही -

(घ) और (ङ) वन पुनरुद्धार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संतोषजनक रहा। सतत विकास के लिए वनों का प्रबंधन अंडमान और निकोबार प्रशासन के वन विभाग द्वारा ही किया जाता है और साथ ही तत्काल चार वर्ष का पुनरूद्धार कार्यक्रम बनाया जाता है।

लेडी रीडिंग हैल्थ स्कीम

1418. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बाड़ा हिन्दूराव में संचालित लेडी हार्डिंग हैल्थ स्कीम के अन्तर्गत देश भर के विभिन्न अस्पतालों की नर्सों हेतु 10 माह की अवधि का पी.एच.एन. पाठ्यक्रम चलाया जाता है;

(ख) क्या दिल्ली सरकार के अधीन एम.सी.डी. अस्पतालों को ... कुछ राज्यों में नर्सों को उक्त पाठ्यक्रम के दौरान अवकाश और वेतन संबंधी सभी लाभ मिलते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विभिन्न राजयों और संघ राज्य क्षेत्रों से लेडी रीडिंग हैल्थ स्कीम, दिल्ली में पब्लिक हैल्थ नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिल की गई नर्सों को उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों और विनियमों के अनुसार छुट्टी और वेतन के लाभ मिल रहे है।

नियोमाइसिन सल्फेट

1419. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोमाइसिन सल्फैट तथा फ्रेमिसीटिन सल्फेट दोनों एक ही दवा है तथा दोनों में प्रयुक्त अवयव भी एक ही है;

(ख) यदि हां, तो नियोमाइसिन सल्फैट [illegible] में उपलब्ध होने पर भी फ्रेमिसीटिन सल्फेट का आयात कि[illegible] क्या कारण है; और

(ग) विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये नियोमाइसिन सल्फैट का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश के फ्रेमिसीटिन की कच्ची सामग्री बनाने और इसका शुद्धिकरण करने की प्रौद्योगिकी अभी उपलब्ध नहीं है और फार्मूलेशन बनाने के लिए इसका आयात किया जाता है।

(ग) नियोमाइसिन सल्फेट युक्त फार्मूलेशनों का विनिर्माण किया जाता है औश्र इनका देश में विपणन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में ठेके के मजदूर

1420. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मस्टर रोल मजदूर राज्य-वार भारतीय खाद्य निगम में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन मजदूरों को नियमित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनकी संख्या कितनी है और किन-किन स्थानों पर वे अभी तक ठेके पर कार्य कर रहे है और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कावेरी जल विवाद

1421. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद की जांच करने हेतु प्रो. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर संबंधित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का अंतर्राज्यीय नदी जल के बंटवारे के संबंध में कोई व्यापक नियम बनाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और;

(छ) यदि नहीं, तो अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के संबंध में बढ़ते विवाद को देखते हुए इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वे ये है :-

i) दोनों राज्यों में जल की कमी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक जनवरी से मई तक तमिलनाडु को देय 11.4 टी एम सी जल की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित करे।

ii) तथापि, तमिलनाडु में जल की कमी की समस्या को कम करने के लिए विशेषकर जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में जब मांग अधिकतम होगी, के दौरान उपलब्धता बढ़ाई जाए ताकि मैत्तूर बांध पर 2.5 टी एम सी अतिरिक्त उपलब्धता बढ़ाई जा सके जिसे अप्रैल और मई में देय निर्मुक्तियों से समायोजित किया जाये। ऐसी निर्मुक्तियों का समय बहुत संकटपूर्ण हैं।

(ग) कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री ने प्रधनमंत्री से अनुरोध किया है कि उन्हें विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट भेजी जाए ताकि वे इसकी सिफारिशों को भली प्रकार समझ सकें तथा मुख्य सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां दे सकें।

(घ) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भेज दी गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार ने अंतर्राज्यीय नदियों तथा घाटियों के जल से सबंधित विवादों के अधिनिर्णय के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 पहले ही लागू कर दिया हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधनों में अंतर्राज्यीय मुद्दों पर एक स्थायी समिति अप्रैल, 1990 में गठित की गई है, जिसके सदस्य राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् से लिए गए है। तथापि, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के राष्ट्रीय जल बोर्ड ने राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के जल के आबंटन के लिए मसौदा नीति दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन मसौदा नीति दिशानिर्देशों पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 6-2-1996 को नई दिल्ली में हुई तीसरी बैठक में विचार किया गया।

स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

1422. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का हाल ही में दिल्ली में आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) और (ख). निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन दिनांक 16 फरवरी, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया :-

(i) राज्यों द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की पुनरीक्षा,

(ii) खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1956 और उसके बनाए गए नियमों के संबंध में टास्क फोर्स की सिफारिशें,

(iii) उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी, 1996 में दिए गए फैसले की रोशनी में रक्त बैंकिंग पद्धति में सुधार करना,

(iv) हैजा की घटना की रिपोर्टिंग प्रणाली।

(ग) इस सम्मेलन के मुख्य निर्णय इस प्रकार थे :-

मलेरिया : राज्य सरकारों से कहा गया कि वे (i) अन्त क्षेत्रीय तालमेल के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार बोर्ड की स्थापना करें:

(ii) मच्छर पनपने की स्थितियां तैयार करने के लिए दाण्डिक कार्रवाई की व्यवस्था करने हेतु माडल उप नियम लागू करने पर विचार करना,

(iii) कार्यक्रम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए रिक्त पदों को भरना,

(iv) कार्यक्रम को लम्बे समय तक चलाए रखने के लिए समुदाय की भागीदारी,

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम :

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे टास्क फोकर्स की सिफारिशों पर ब्यौरेवार टिप्पणियां भेजें।

रक्त बैंक :

राज्य सरकारों से आग्रह किया गया था कि वे रक्त बैंकों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर उपयुक्त कार्रवाई शुरू करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी की गई कार्रवाई की रिपोर्टें उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए भेजें।

जहां तक औषध प्रवर्तन मशीनरी का संबंध है, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ व्यय में हिस्सेदारी करने हेतु अपनी सहमति सूचित करें।

हैजा के संबंध में राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे इस रोग की घटना स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा परिपत्रित किए गए संशोधित प्रोफार्मा में सूचित करें।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक औषधियां

1423. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी अनेक आयुर्वेदिक औषधियां तैयार की गई हैं, जो दर्द निवारक और नींद लाने की औषधि के रूप में उपयोग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिये सस्ती औषधियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिये और आयुर्वेदिक औषधियों का अनुसंधान करने के लिये सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार निजी क्षेत्र को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). ऐसी कई आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो दर्द निवारण और नींद लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसी औषधियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुसंधान करने के लिए केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद अनुसंधान परिषद का गठन किया है। भारत सरकार इस परिषद का पूरा-पूरा वित्तपोषण करती है।

(घ) मंत्रालय तथा केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद निजी क्षेत्र में किसी अनुसंधान के लिए वित्तपोषण नहीं कर रही है।

विवरण

दर्दनिवारण में प्रयुक्त आयुर्वेदिक दवाओं की सूची

मिश्रित फरमुलेशन

1. वेदनातक रस
2. सिरा तुला वज्र रस
3. सुला गजा केसरी रस
4. सिरा सुला वती
5. वटकुलांतक रस
6. महायोगराज गुग्गुलू

एकल औषधि

1. गुग्गुलू
2. सिद्धा कुचिला
3. रसना

4. लसुना

5. हिंगु

नींद लाने में आयुर्वेदिक दवाओं की सूची

1. निद्रोदय रस

2. सर्पगंधा वती

3. सर्फ गंधा मिश्रण

4. तगराडी योग

5. विजया वती

एकल औषधि

1. अहिफेना

2. तगर

3. सर्पगंधा

4. ज्योतिषमती

5. वका

6. विजया (भांग)

नदियों को अंतर्सम्बंधित करना

1424. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रायद्वीपीय और हिमालय से निकलने वाली नदियों को अंतर्सम्बंधित करने की लागत का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण द्वारा लगाए गए हिसाब के अनुसार विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने की अनुमानित लागत लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए है जिसमें विद्युत घटक भी शामिल है। तथापि, सभी व्यवहार्यता रिपोर्टों के पूरा होने के बाद ही वास्तविक लागत अनुमानों का पता चलेगा। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत सभी 17 सम्पर्कों तथा हिमालय घटक के 19 संपर्कों में से 5 सम्पर्कों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी हो गई हैं।

वर्ष 1994-95 में कुछ व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी हो गई हैं। उनके लागत अनुमान नीचे दिए गए हैं:

i) केन-बेतवा संपर्क - 1988 करोड़ रुपए

ii) पम्बा अ[illegible]नकोविल वैपार संपर्क - 3469 करोड़ रुपए

iii) पार ताई-नर्मदा संपर्क - 1398 करोड़ रुपए।

हेपेटाइटिस "बी" वायरस

1425. श्री विजय एन. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेपेटाइटिस "बी" वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतें एड्स संक्रमण से होने वाली मौतों की अपेक्षा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान भारत में हेपेटाइटिस "बी" वायरस के संक्रमण से कितनी मौतें हुई हैं, और

(ग) सरकार द्वारा लोगों को इस घातक बीमारी से सचेत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित वायरस हेपाटाइटिस के कारण हुई मौतों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	मौतों की सूचित कुल संख्या
1994	1112 (28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्ट)
1995	540 (25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनंतिम रिपोर्ट)

(ग) चूकिं हेपेटाइटिस "बी" वायरस का संक्रमण अक्सर संक्रमित रक्त-या सिरिंजों और संक्रमित व्यक्तियों से घनिष्ठ संपर्क के कारण होता है, इसलिए इसके निवारण के उपयों को निरंतर रूप से प्रचार माध्यमों से प्रचारित किया जा रहा है। पीलिया के निवारणार्थ स्वास्थ्य शिक्षा फोल्डर भी तैयार कर लिया गया है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1426. श्री के. मुरलीधरन : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से पुनर्गठित-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुछ और प्रखंडों को सम्मिलित कर लिये जाने के अनुराध हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है, और

(घ) क्या पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत तटीय और पिछड़े जनजातीय बहुल क्षेत्र के 16 और प्रखंडों को इसमें

शामिल कर लिये जाने संबंधी के रल सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई विलम्ब हुआ हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ग). जी, हां। राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तरह अतिरिक्त खण्डों को शामिल करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया गया है कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा का विस्तार सुनिश्चित रोजगार स्कीम के तहत आने वाले सभी ब्लाकों में कर दिया जाए।

(घ) केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि ये क्षेत्र सुनिश्चित रोजगार स्कीम के तहत नहीं आते हैं।

यूनानी औषधालय

1427. **श्री एम. कृष्ण स्वामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्किट क्षेत्र के निवासियों द्वारा इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत यूनानी औषधालय खोले जाने की निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग के संबंध में के ाई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक औषधालय खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार की प्राथमिकता केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, राहत क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय (यूनानी यूनिट सहित) खोलने की है। क्योंकि गोल मार्किट में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लाभार्थी पहले ही साउथ एवेन्यू स्थित यूनानी यूनिट की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए फिलहाल गोल मार्किट में ऐसी एक यूनिट खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जंगलों में आग लगने की घटनाएं

1428. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृ पा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार अग्निकांडों के कारण कितना वन क्षेत्र बर्बाद हुआ; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकनें के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के (श्री राजेश पायलट) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, के रल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के ग्यारह चुने हुए राज्यों में ''आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत राज्यों को हाथ के औजारों की अधिप्राप्ति, अग्निरोधी वस्त्रों, बेतार सेटों, अग्नि खोजियों, निगरानी टावरों का निर्माण, अग्नि रेखाएं खीचने, प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन, अनुसंधान और विकास तथा प्रचार हेतु शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

चीनी मिल के स्थान का परिवर्तन

1429. **श्री रतिलाल वर्मा** :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य से नई चीनी मिल लगाने के स्थान को परिवर्तित किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिकि या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। मैसर्स कावेरी विभाग सहकारी खण्ड उद्योग मंण्डली लिमिटेड से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में गुजरात में लगने वाली नई चीनी मिल को खाटा-अम्बा, तहसील वनसाड की बजाए ग्राम-धामधूमा, तालुक चीखली, जिला-वलसाड में लगाने का अनुरोध किया गया था। इस प्रस्ताव से संबंधित खाद्य मंत्रालय की टिप्पणियों/विचारों को उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग को भेज दिया गया है ताकि उक्त विभाग की लाइसेंसिंग समिति द्वारा इन पर विचार किया जा सके।

वन मुखिया योजना

1430. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्तर पर वन संरक्षण गतिविधियों को चलाने के लिए प्रत्येक पंचायत से एक "वन मुखिया" नियुक्त करने संबंधी उनके मंत्रालय के प्रस्ताव का उन पर्यावरणविदों द्वारा विरोध किया गया है जो यह मानते हैं कि सुझाये गये मार्गनिर्देशों से निचले स्तर पर भ्रष्टाचार फैल सकता हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निचले स्तर के संगठनों तथा राज्य सरकारों को टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद एक विवाद सहित राष्ट्रव्यापी "वन मुखिया" योजना शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) (क) से (ग). वन मुखिया स्कीम के दिशानिर्देश सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेज दिए गए हैं। किसी भभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के इस स्कीम का विरोध नहीं किया है। इस स्कीम का उल्लेख 23 जनवरी, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित "गैर सरकारी संगठन सम्मेलन" में भी किया गया था। किसी भी प्रतिनिधि ने इस स्कीम का विरोध नहीं किया। तथापि, हाल ही में मंत्रालय को 4 गैर-सरकार संगठनों से पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्रमण्डलीय वन अधिकारी द्वारा वन मुखिया के नामांकन और वन मुख्यिाओं को अंतिम फसल से 10 प्रतिशत तक प्रोत्साहन से संबंधित स्कीम की कतिपय विशेषताओं पर आशंका व्यक्त की है। स्पष्ट किया जाता है कि वन मुखियाओं का नामांकन प्रमण्डलीय वन अधिकारी द्वारा ही नहीं किया जाएगा बल्कि पंचायतों से परामर्श करके किया जाएगा। उसी प्रकार वन मुखियाओं को प्रोत्साहन संभवत: लगभग 20 वर्ष की अवधि के पश्चात ही मिल पाएगा। जिनमें 10 तक वन मुखिया शामिल होंगे। इस तरह प्रत्येक वन मुखिया का 1 प्रतिशत अथवा उससे कम हिस्सा होगा जो खण्ड/पंचायत स्तर की परामर्शदात्री समितियों द्वारा यथा मूल्यांकित उसके कार्य-निष्पादन पर आधारित होगा।

धनराशि की वसूली

1431. श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्योगों सहित वन प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की धनराशि को वसूल करने में लापरवाही बरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी थी और कितनी धनराशि वास्तव में वसूल की गई; और

(घ) बकाया धनराशि की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ख). यद्यपि प्रयोक्ता एजेंसियां से क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के अन्तर्गत निधियों की वसूली में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि वसूली में लापरवाही बरती जा सकती है।

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान क्षतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से निर्धारित 3795 लाख रुपए, 264 लाख रुपए तथा 14876 लाख रुपए की तुलना में क्रमश: 3079 लाख रुपए, 1077 लाख रुपए तथा 11,173 लाख रुपए वसूल किए गए।

(घ) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जमा करने तथा आसानी से निकालने के लिए एक विशेष लेखा शीर्ष बनाया गया है।

- वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्तावों को प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के लिए निधियों की वसूली के बाद ही अंतिम मंजूरी दी जाती है।

- इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी देते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की नियमित निगरानी करते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खांडसारी एकक

1432. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत खांडसारी एककों की संख्या कितनी है;

(ख) गत ती वर्षों के दौरान, वर्षवार, खांडसारी का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) इन खांडसारी एककों द्वारा कृषकों को गन्ने का प्रति क्विंटल क्या मूल्य दिया जाता है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान इन एककों में कुछ अनियमितताएं पायी गयीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार वहां लगभग 1200 खंडसारी यूनिटें चल रही हैं।

(ख) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान

देश में खंडसारी का उत्पादन निम्नानुसार हुआ है:-

वर्ष	खंडसारी का उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1990-91	12.9
1991-92	12.4
1992-93	13.7

(ग) से (ङ). केन्द्रीय सरकार केवल चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पदकों को देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। वर्ष 1995-96 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य 42.50 रुपये प्रति क्विंटल है जो 8.5% की मूल रिकवरी से जुडा है तथा चीनी की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 0.54 रुपये की प्रीमियम की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार खंड्सारी अथवा विद्युत क्रेशरों आदि को आपूर्ति किए जाने वाले गन्ने के लिए कोई दर निर्धारित नहीं करती। खंडसारी यूनिटों की लाइसेंसिंग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करते हुए ये यूनिटें गन्ने की खरीदारी के लिए दिन-प्रतिदिन की दरें तय करती हैं।

[अनुवाद]

ताजमहल

1433. डा. वसंत पवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा प्रसिद्ध ताजमहल के आसपास के प्रदूषण से उसकी सुन्दरता नष्ट हो रही है तथा उसके अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ताजमहल को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने के प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये उचित कार्यवाही की जाये, पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल संरचनात्मक दृष्टि से उपयुक्त और स्थिर है। संरचना की ईंट और चूने के गारे की मुख्य सामग्री की हालत ठीक है और उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) ताजमहल के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में निम्नलिखित हैं :-

1. ताजमहल के चारों ओर के समलंब को सीमांकित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी नए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं हैं।

2. आगरा में उद्योगों में फरनेस तेल और डीजल जनित्रों के उपयोग पर प्रतिबंध है। फाउण्डरियों को जाड़े की रातों में चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

3. ताजमहल की ओर मथुरा रिफाइनरी की निचली तरफ सल्फर डाईआक्साइड निगरानी केन्द्रों का लगातार अनुरक्षण किया गया है और वरिवेशी वायु में सल्फर डाईआक्साइड तथा नाईट्रोजन के आक्साइडों के रुझान की भी निगरानी की गई है।

4. मथुरा रिफाइनरी ने अनेक उपायों की योजना बनाई है जिनमें हाइड्रोक्रेकर अपनाना भी शामिल है ताकि इसके सल्फर डाई उत्सर्जनों को लगातार नीचे लाया जा सके।

5. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगरा में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है और उसे संचालित किया गया है।

6. ताजमहल की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान की सिफारिशों को सेक्टरल मंत्रालयों अर्थात् पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भू-तल परिवन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, ऊर्जा मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया है।

7. फाउण्डरियों को निर्देश दिया गया है कि वे उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए अपने मुम्बदी भट्टियों में विभक्त विस्फोटन प्रणाली अपनाएं।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिम गैस मंत्रालय ने ताज को वायु प्रदूषण के प्रभावों से बचाने के लिए 10 सूत्रों पैकेज कार्यक्रम शुरू किया है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.4.94 के अपने आदेश में पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा अपने रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार ताज महल के चारों और हरित पट्टी तैयार करने के प्रयोजन के लिए एक विशेष सेल स्थापित करे। इस मंत्रालय ने हरित पट्टी विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष सेल स्थापित किया है।

(ग) और (घ). ताजमहल के परिरक्षण के बारे में 1984 की रिचय याचिका (सिविल) संख्या 13381 की पहली सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी, 1993 में की गई थी। इसके बाद न्यायालय द्वारा अनेक आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने उत्तर दिया है और

न्यायालय के आदेशें का पालन किया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. ताजमहल के चारों और एक हरित पट्टी बनाने के लिए एक विशेष सेल गठित किया है।

2. वायुमण्डलीय पर्यावरण गुणवत्ता तथा ताजमहल एवं आगरा के स्मारकों के परिरक्षण के बारे में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

3. आगरा-मथुरा क्षेत्र में उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के बारे में एक सकारात्मक उत्तर दायर करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन क्षेत्र

1434. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्र के क्षेत्रफल को नापने के लिये क्या-क्या विभिन्न तरीके अपनाये गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न तरीकों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की फिर से जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) वन क्षेत्र के सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रमाणिक तकनीक क्या है; और

(ङ) देश के वन क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने पर कितनी धनराशि प्रति वर्ष खर्च की जा रही है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण दो वर्ष में एक बार उपग्रह आंकड़ों के निर्वचन द्वारा देश के वन आवरण पद्धतियों से किया जाता है - पहला उपग्रह आंकड़ों के दृश्यात्मक निर्वचन से और दूसरा डिजिटल निर्वचन द्वारा। डिजिटल निर्वचन की तकनीक के मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) और (ग). 1993 के दौरान वन आवरण के मूल्यांकन के लिए कुछ खेत्रों के उपग्रह आंकड़ों का निर्वचन डिजिटल पद्धति से किया गया था। निर्वचन दृश्यात्मक और डिजिटल दोनों प्रकार के निर्वचनों से कुछ क्षेत्रों के निष्कर्षों की तुलना करते सतय यह पता लगा कि उपग्रह आंकड़ों के दृश्यात्मक निर्वचन की सीमाओं को डिजिटल दोनों प्रकार के निर्वचनों द्वारा कुल वन आवरण में कोई विशेष अंतर नहीं था।

(घ) दृश्यात्मक और डिजिटल केलिए गत तीन वर्षों के दौरान वन आवरण के मूल्यांकन तकनीक प्रमाणिक हैं।

(ङ) उपर्युक्त कार्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि निम्नवत् है:-

	(लाख रुपए)
1992-93	86.72
1993-94	78.42
1994-95	86.13

पश्चिमी कोसी नहर

1435. श्री भोगेन्द्र झा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल में भीमनगर बैराज से निकलने वाली पश्चिमी कोसी नहर से लगभग साढ़े सात लाख एकड़ भूमि की पूरे वर्ष सिंचाई की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो नेपाली क्षेत्र में और भारतीय क्षेत्र में कमला नदी के पूर्व और पश्चिम में इस नहर का कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) कमला नदी पर साइफन बनाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) नहर की चरम सिंचाई क्षमता 6.29 लाख एकड़ है।

(ख) इस परियोजना से संबंधित पूरे किए गए कार्य का प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

नेपाल का भाग

बैराज	: कार्य पूरा कर लिया गया।
नहर (35.13 कि.मी.)	: पूरी कर ली गई है।
भारत का भाग	
नहर	
0 से 56.58 कि.मी. की पहुंच	
मिट्टी की कार्य एवं लाइनिंग संरचना	: 99% पूरा हो चुका है।
	: 62% पूरा कर लिया गया है,
	: 23% अतिरिक्त कार्य चल रहा है।
56.58 कि.मी. से आगे	: कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(ग) राज्य सरकार से कम निधि मिलने के कारण कमला नदी पर साइफन के निर्माण संबंधी कार्य धीमी गति से चल रहा है।

पेट्रोल में अल्कोहल का मिश्रण

1436. श्री नवल किशोर राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई पश्चिमी देशों में पेट्रोल की मोटरगाड़ियों के टेट्रा सीसा से होने वाले प्रदूषण को पेट्रोल में 10 से 20 प्रतिशत तक अल्कोहल मिश्रित करके पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार बार-बार शीरे/अल्कोहल की कमी का दावा करके अथवा अल्कोहल से होने वाले मूल्य वर्धित लाभ के बहाने इसे अपनाने से बच रही है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले में लिए जाने वाले निर्णय का विकेन्द्रीकरण करने तथा सर्वोत्तम संभव उत्पादों के विपणन कार्य को औद्योगिक घरानों के लिए छोड़ देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजशे पायलट): (क) इथाइल अल्कोहल एक संयोजी है जो कुछ पश्चिमी देशों में पेट्रोल में टेट्रा-इथाइल सीसे के विकल्प में प्रयुक्त किया जाता है।

(ख) पेट्रोल में एक संयोजी के रूप में इथाइल अल्कोहल द्वारा टेट्रा-इथाइल लेड के विकल्प की संभवना के सत्यापित करने के लिए प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की गई है।

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने अल्कोहल के साथ पेट्रोल के सम्मिश्रण जिसे या तो अकेले या मिश्रण के रूप में प्रयुक्त किया जाना है, के प्रयोग की सिफारिश की है। इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो ने ईथर जैसे अन्य संयोजियों की भी सिफारिश की है जिसका प्रयोग टेट्रा-इथाइल लेड के विकल्प के लिए किया जा सकता है। तेल कम्पनियों के पास पेट्रोल गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए बेहतर रिफाइनिंग प्रक्रियाएं अपनाने सहित किसी भी अनुशंसित संयोजी को अपनाने का विकल्प है।

राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम

1437. श्री राम नाईक : क्या पर्यावरण वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्लोबल ट्रापिकल फारेस्ट्री प्रोग्राम के अनुरूप एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने वन संरक्षण के लिए कृषकों की सहभागिता की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, जहाँ। सरकार ने राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने हेतु कार्रवाई की है।

(ख) राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं की शिनाख्त की गई है:-

1. मौजूदा वन संसाधनों की सुरक्षा।

2. वन उत्पदकता में वृद्धि।

3. नीतिगत और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

4. कुल मांग को कम करना।

5. वन क्षेत्र का विस्तार।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने अवक्रमित वन भूमि के पुनरुद्धार में ग्राम समुदायों की सहभागिता के संवर्द्धन के लिए जून 1990 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

शिशु मृत्यु दर

1438. श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षु मृत्यु दर के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख). भारत के महापंजीयक का कार्यालय नमूना पंजीयन पद्धति के जरिए शिशु मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण करता है। बड़े राज्यों के वर्ष 1994 के शिशु मृत्यु दरों के अनंतिम अनुमान और छोटे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 1992-94 की अवधि के शिशु मृत्यु दरों के औसत अनुमान क्रमश: संलग्न विवरण 1 और 2 में दिए गए है।

विवरण-1

शिशु मृत्यु दर के अनंतिम अनुमान बड़े राज्य-1994

बड़े राज्य	शिशु मृत्यु दर
1. आन्ध्र प्रदेश	63
2. असम	77

3. बिहार	66
4. गुजरात	64
5. हरियाणा	67
6. हिमाचल प्रदेश	67
7. कर्नाटक	65
8. केरल	16
9. मध्य प्रदेश	98
10. महाराष्ट्र	54
11. उड़ीसा	103
12. पंजाब	53
13. राजस्थान	84
14. तमिलनाडु	59
15. उत्तर प्रदेश	88
16. पश्चिम बंगाल	61

विवरण-2

छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1992-94 की अवधि के लिए शिशु मृत्यु दर के अनंतिम अनुमान

छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	1992-94 का शिशु मृत्यु दर
1	2
1. अरुणाचल प्रदेश	63
2. गोवा	14
3. जम्मू व कश्मीर	अनुपलब्ध
4. मणिपुर	23
5. मेघालय	49
6. मिजोरम	अनुपलब्ध
7. नागालैंड	6
8. सिक्किम	37
9. त्रिपुरा	43
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	30
2. चण्डीगढ़	32
3. दादरा व नगर हवेली	78
4. दमण व द्वीप	43
5. दिल्ली	43
6. लक्षद्वीप	27
7. पांडिचेरी	31

एन.ए. - अनुपलब्ध

सुपर बाजार

1439. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार को व्यावसायिक प्रबंध उपलब्ध कराने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं,

(ख) क्या सुपर बाजार के आंशिक विकेन्द्रीकरण से होने वाले लाभों का कोई मूल्यांकन कराया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) सुपर बाजार के प्रबंध मंडल में तीन पदेन वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार द्वारा नामित किया जाता है जो प्रबंध मंडल द्वारा लिए जाने वाले निर्णय करने में व्यावसायिक पुट देते हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि कम्प्यूटरीकरण जैसे क्षेत्रों में, जहां व्यावसायीकरण की अधिक जरूरत है, व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सेवाएं भाड़े पर ली जाती हैं। इसके अलावा, लेखा परीक्षा के दौरान अनुभवी सनदी लेखाकारों की सेवाओं का प्रबंधकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग). सुपर बाजार ने सूचित किया है कि अपनी 150 शाखाओं, को विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की कारगर तथा समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छः क्षेत्रीय वितरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यह भी सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों के आंतरिक आकलन से पता चलता है कि इस प्रणाली से उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों को विभिन्न वस्तुओं की नियमित तथा समय से आपूर्ति करने में सहायता मिली है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

1440. श्री बोल्ला [illegible] गमय्या : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नलकूपों को लगाया जाना

1441. श्री एन.जे. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नलकूपों के लगाए जाने हेतु विश्व बैंक से प्राप्त सहायता राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में राज्यवार कितने नलकूप लगाए गए?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल में दो नलकूप परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता के साथ क्रियान्वयनाधीन थी। दोनों राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान नलकूमों की स्थापना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायकता का ब्यौरा तथा लगाए/क्रियाशील किए नलकूपों की संख्या दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	विवरण	लगाए/क्रियाशील किए नलकूप 1992-93	1993-94	1994-95	विश्व बैंक सहायता 1992-93	1993-94	1994-95	कैफियत
1.								
	(क) बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना (बिहार)							
	1. नए नलकूप	34	38	शून्य	4.370	0.339	7.077	ऋण 31.5.96
	2. आधुनिकीकरण	260	295					को समाप्त
	3. पुनर्वास	1673	364					हो गया।
	(ख) पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना (पश्चिम बंगाल)							
	1. उच्च निस्सरण नलकूप	263	101					ऋण 31.3.94
	2. मध्यम निस्सरण नलकूप	58	38	शून्य	1.659	11.632	9.990	को समाप्त
	3. निम्न नस्सरण नलकूप	311	196					हो गया।
	4. उथले नलकूप	693	348					

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण

1442. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण को सौंपी जाने वाली भूमिका के बारे में बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ देश में औषध नियंत्रक संगठनों और प्रशासनिक तंत्रों के खराब कार्यकरण के बारे में फार्मास्यूटिकल उद्योग की शिकायतों को दूर करेगा,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना के लिये किसी

प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता है,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) इस विषय में विधेयक कब तक तैयार करके संसद में प्रस्तुत किये जाने की संभवना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले.) : (क) से (च). जैसाकि संशोधित औषध नीति, 1994 में परिकल्पना की गयी है, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित करके राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की भमिका तथा कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:-

1. औषधों के निर्माण, आयात, निर्यात, आपूर्ति, संबंर्धन तथा उपयोग से संबंधित प्राथमिक उपयुक्त मानकों का विकास तथा निर्धारण।

2. देश में उपयोग के लिए फार्मास्यूटिकल उत्पादों का अनुमोदन तथा पंजीकरण करना; यदि (क) वे चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं (ख) वे चिकित्सीय रूप से प्रभावकारी हैं, (ग) वे सुरक्षित हैं;

3. औषधी तथा अच्छे निर्माण व्यवहारों के उपयुक्त गुणवत्ता मानकों को प्रभावी रूप से लागू करना;

4. अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रभावित करने वाली औषधियों का केन्द्रीय पंजीकरण,

5. उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिए पंजीकृत फार्मास्यूटिकल्स के बारे में सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(छ) सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कने के बाद ही संसद में विधेयक लाया जा सकता है।

आयुर्वेदिक औषध

1443. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 23 नवम्बर, 1995 को आयुर्वेदिक औषधियां स्थानीयतौर पर खरीद करने के संबंध में कोई आदेश जारी किये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उपरोक्त आदेश के कारण रोगियों क‍ा आयुर्वेदिक औषधियों के लिये कम से कम 15-20 दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी,

(घ) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक औषधियों के मामले में भी एलोपैथिक औषधियों के समान स्थानीय खरीद की सुविधा प्रदान करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) लाभार्थियों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ). सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए आयुर्वेदिक औषधियों की स्थानीय खरीद की प्रणाली पहले से ही चल रही है जैसा कि ऊपर (ख) में उल्लेख किया गया है।

विवरण

अपर निदेशक (के.स.स्वा. योजना) कार्यालय
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
स्थापना (जी) अनुभाग
कमरा नं. 507, डी, विंग, पांचवीं मंजिल
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक : 23.11.95

आदेश

अधिक मूल्य वाली, प्राचीन और प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक औषधियों की स्थानीय खरीद की योजना और पिछले कुछ महीनों में इन पर हुए व्यय की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यालय में जांच की गई हैं। यह निश्चत किया गया है कि सूची में शामिल न की गई, प्राचीन और प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक औषधियों के सभी नुस्खे सलाहकार (आयुर्वेद एवं सिद्ध)/उप सलाहकार (आयुर्वेद)/के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने के बाद ही खरीदने की अनुमति होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

इसे निदेशक (के.स.स्व.यो.) के अनुमोदन से. जारी किया जाता है।

ह./-
(डा. एस.के. मित्तल)
अपर निदेशक (के.स.स्वा.यो.)

सेवा में

(1) (क) अपर निदेशक, के.स.स्वा. योजना, के केन्द्रीय/दक्षिण/उत्तरी/पूर्वी अंचल, नई दिल्ली।

1. सलाहकार, आयुर्वेद निर्माण भवन, नई दिल्ली

2. उप सलाहकार, आयुर्वेदिक, निर्माण भवन, नई दिल्ली

3. चिकित्सा अधीक्षक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, आयुर्वेदिक अस्पताल, लोदी रोड, नई दिल्ली

4. आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, सी जी एच एस आयुर्वेदिक विंग, सफदरजंग अस्पताल, न.दि.

5. प्रभारी चिकित्सा, आयुर्वेदिक स्टोर डिपो, बीकानेर हाऊस, नई दिल्ली

6. केन्द्रीय स्वास्थ्य येाजन के आयुर्वेदिक औषधालयों/यूनिटों के प्रभारी चिकित्सा अधिकरी।

[हिन्दी]

चांदमारी क्षेत्र

1444. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या पर्यावरण वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना द्वारा निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिये तैयार किये गये चांदमारी क्षेत्र का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है,

(ख) क्या सरकार ने चांदमारी क्षेत्र में बम, गोलाबारूद, गोली आदि के प्रयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने के लिये कोई उपाय किये हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) देश में ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर चांदमारी क्षेत्र तैयार किये गये हैं और चांदमारी क्षेत्र हैयार किये जाने का प्रस्ताव है जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) चांदमारी क्षेत्रों में शेल/बम केवल प्रभाव (लक्ष्य) क्षेत्र में पड़ते हैं प्रभाव क्षेत्र में वनस्पतिजात तथा प्राणीजात पर शेल/बम पडने के कारण कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) से (ङ). पूरे देश में 92 चांदमारी क्षेत्र हैं जिनमें से 12 अधिग्रहित किए गए हैं और शेष 80 अधिसूचित हैं और ये सामान्यतया मानव बस्तियों से दूर हैं। सेना प्राधिकारियों ने इन क्षेत्रों में प्रमुख पारिस्थितिकीय सुधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने कुछ चांदमारी क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार के लिए तीन प्रमुख कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया है।

गुजरात की लंबित परियोजनाएं

1445. श्री महेश कनोडिया : क्या पर्यावरण वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में पर्यावरण तथा वानिकी दृष्टि से स्वीकृति हेतु लंबित गुजरात की विभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावकों से अपेक्षित सूचना और संबंधित ब्यौरों की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन की अवधि की निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

क.	**पर्यावरण मंजूरी**		
1.	जीएमडीसी का एक्रीमोटा में टीपीएस आधारित लिग्नाइट (2×120 मे.वा.)	जुलाई, 93	जांच के अंतिम चरण में
2.	कावास कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट चरण-II (650 मे.वा.)	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतिक्षा है।
3.	जीआईपीसीएल का 2×20 मे.वा. मेंगरोल टी पी एस	सितम्बर, 95	कार्रवाई की जा रही है
4.	जामनगर के पोतीखावडी में 4×250 मे.वा. रिलायंस टीपीएस	सितम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतिक्षा है।
5.	मेसर्स गुजरात पावर कारपोरेशन लि.	अक्तूबर, 95	अतिरिक्त सूचना की

	द्वारा 2×120 मे.वा. घोघा टीपीएस		प्रतीक्षा है।
6.	मेसर्स गुजरात अलकालीज़ तथा केमिकल्स लि. द्वारा कैप्टिव कम्बाइंड साइकिल को-जेनेरेशन वाष्प और विद्युत संयंत्र (90 मे.वा.)	नवम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतिक्षा है।
7.	वास्तान लिग्नाइट खान, मेसर्स जीआई डीसी	दिसम्बर, 95	– वही –
8.	चूना पत्थर खान, मेसर्स संघी सीमेंट	जनवरी, 96	कार्रवाई की जा रही है
9.	तालुका जाफराबाद, जिला अमरेली, गुजरात में तटीय विनियम क्षेत्र में चूना पत्थर और मार्ल का खनन	सितम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतिक्षा है।
10.	आईपीसीएल का डाहेज-गंधार बड़ोदा पाइप लाइन परियोजना	मई, 95	कार्रवाई की जा रही है
11.	मेसर्स डालफिन लेबोरेट्रीज लि. का सनंद, अहमदाबाद में फार्मास्युटिकल संयंत्र	जून, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतिक्षा है।
12.	मेसर्स मेट्रोकैम इंडस्ट्रीज लि., बड़ोदा का डाइ और डाइ इंटरमीडिएट का विनिर्माण	जुलाई, 95	कार्रवाई की जा रही है
13.	मेसर्स इफ्को, गुजरात द्वारा कांडला उर्वरक संयत्रा का विस्तार	जुलाई, 95	कार्रवाई की जा रही है
14.	मेसर्स यूनाइटेड फासफोरस लि. का अहमदाबाद के पास जुडावा में जीआईडीसी एस्टेट में क्लोरअलकाली संयत्र की स्थापना	जुलाई, 95	– वही –
15.	मेसर्स एशियन पेंट्स का एंकलेश्वर गुजारात के जीआईडीसी औद्योगिक एस्टेट में पेंट संयंत्र का विस्तार	जुलाई, 95	– वही –
16.	मेसर्स क्रभको का हजीरा में पेट्रो फास्फेट परियोजना	अगस्त, 95	– वही –
17.	मेसर्स बिड़ला सैलुलोज़ बड़ोदार का कराची, जिला भडौच में 60,000 टीपीए क्षमता का विश्कोस स्टैपल फाइबर संयंत्र	अगस्त, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
18.	मेसर्स डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटिड लि. का झगाडिया में कास्टिक सोडा संयंत्र	अगस्त, 95	कार्रवाई की जा रही है
19.	मेसर्स मेटडाइज़ लि. का तांबा प्रगालक एंव रिफाइनरी काम्पलेक्स तथा कैप्टिव पार्ट सुविधाएं	नवम्बर, 95	कार्रवाई की जा रही है प्रतीक्षा है।
20.	मेसर्स सीरीयल इंडिया लि. का जीआईडीसी पैनोली जिला, गुजरात में एग्रो रसायन परियोजना	जनवरी, 96	कार्रवाई की जा रही है
21.	बम्बई से बड़ोदरा तक एक सक्सप्रेस मार्ग का निर्माण	जून, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

22.	मंगरोली फिशिंग हारबर का विस्तार	जुलाई, 95	कार्रवाई की जा रही है
23.	मेसर्स इडियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि. का द्रव्य हाइड्रो कार्बन तथा अन्य रसायनों को हैंडिल करने के लिए काबे की खाड़ी में डाहेज में एक पत्तन टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव	अक्तूबर, 94	- वही -
24.	कच्छ जिले में खारो-क्रीक की कैप्टिव जैटी का निर्माण-मेसर्स संघी इंडस्ट्रीज लि. का प्रस्ताव	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
25.	तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना के अंतर्गत गुजरात के ओखा बंदरगाह में भंडारण टेंको का निर्माण-मेसर्स वेस्टर्न पेट्रो-डायमंड प्राइवेट लि. का प्रस्ताव	जुलाई, 95	- वही -
26.	तालुका महल जाफराबाद, जिला अमरेली, गुजरात में तटीय विनियम क्षेत्र में चूना-पत्थर और मार्ल का खनन	सितम्बर, 95	- वही -
27.	आईपीसीएल का गंधार पेट्रोकैमिकल्स काम्पलेक्स के लिए नर्मदा नदी पर एक कैप्टिव जैटी सुविधा की स्थापना	अक्तूबर, 95	कार्रवाई की जा रही है
28.	एचपीसीएल तारा पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में कांडला बदरगाह में प्रस्तावित वास्तविक जैटी	अक्तूबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
29.	मेसर्स लारसन एंड टुब्रो का सीमेंट परियोजना के लिए गांव कोवाया, राजुका तालोका, अमरेली में कैप्टिव जैटी	जनवरी, 96	कार्रवाई की जा रही है
30.	भारतीय तेल निगम लि. द्वारा कांडला में वास्तविक जैटी का निर्माण	जनवरी, 96	- वही -
(ख)	**वानिकी मंजूरी**		
1.	जामनगर में मेसर्स सेंचुअरी कैमिकल्स के लिए नमक पट्टे का नवीकरण 742.42 है.	दिसम्बर, 95	कार्रवाई की जा रही है
2.	जामनगर में सिक्का में एलपीजी स्टोरेज 9.67 है.	जनवरी, 96	कार्रवाई की जा रही है
3.	बड़ोदार में एस एस परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत वितरण प्रणाली. 10.88 है.	जनवरी, 96	- वही

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

1446. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परियोजनाएं, नहरें और अन्य आधुनिकीकरण योजनाएं, जिनके लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हुई है, का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं से राज्यवार कितनी सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरे देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

परियोजना का नाम	राज्य	31.12.95 को उपलब्ध सहायता की राशि (मिलियन अमेरिका डालर में)	समझौते की तारीख	ऋण समापन तारीख	31.12.95 को उपयोग (संचित)	सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)	कैफियत
1. अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना (फेज-II)	कर्नाटक	169.208	16.6.1989	31.12.96	149.208 अम.डा.	150	
2. महाराष्ट्र काम्पोजिट सिंचाई परियोजना (फेज-III)	महाराष्ट्र	182.620	5.12.1985	31.3.1996	139.411 अम.डा.	144	
3. पंजाब सिंचाई और जलनिकास परियोजना	पंजाब	171.429	9.2.1990	31.3.1998	84.824 अम.डा.	26.7	
4. जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	274.289	6.4.1994	31.12.2000	27.081 अम.डा.	155	आधुनिकीकरण भी शामिल है
5. जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	282.900	22.9.1995	31.3.2002	शून्य	70	- वही -
6. जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	290.9	5.1.1996	31.3.2003	शून्य	345	- वही -
7. बांध सुरक्षा आश्वासन पुनर्वास परियोजना	बहु-राज्यीय	148.88	10.6.1991	30.9.1997	14.850 अम.डा.	-	लागू नहीं, परियोजना बांधों के पुनर्वास संबंधित हैं
8. जल विज्ञान परियोजना	बहुराज्यीय	142.000	2.9.1995	31.3.2002	शून्य	-	लागू नहीं यह आंकड़ा संकलन सुदृढ़ीकरण परियोजना है

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन/खपत

1447. **श्री नरेश कुमार बालियान:**

श्री राम सिंह कस्वां:

श्री विजय एन. पाटील:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार चीनी के उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यवार और वर्षवार चीनी मिलों को गन्ने की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई और उनसे कितने प्रतिशत वसूली की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों 1992-93 से 1994-95 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी के राज्यवार उत्पादन की जानकारी देने वाला विवरण-I संलग्न है।

चीनी वर्षों 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान चीनी की अखिल-भारतीय खपत निम्नलिखित है:-

चीनी वर्ष	आंतरिक खपत (लाख मीटरी टन में)	
1992-93	120.05	
1993-94	111.29*	* (खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.)
1994-95	118.55	के अधीन निजी पार्टियों द्वारा खुले बाजार में बिक्री हेतु आयात की गई चीनी को छोड़कर)

चीनी की राज्यवार खपत से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि खुली बिक्री चीनी के अंतरराज्यीय संचलन पर कोई पाबंदी नहीं है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

1992 पिछले तीन चीनी वर्षों 1992-93 से 1994-95 के दौरान चीनी के राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े .000 टन में)

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95 (अ)
उत्तर प्रदेश	2857	2715	3583
बिहार	327	221	375
असम	8	4	6
पंजाब	409	311	314
हरियाणा	345	3308	342
पश्चिम बंगाल	4	5	6
उड़ीसा	33	24	44
मध्य प्रदेश	60	37	69
राजस्थान	24	16	18
महाराष्ट्र	3360	2746	5008
गुजरात	751	826	768
आंध्र प्रदेश	540	647	877
कर्नाटक	848	831	1224
तमिलनाडु	976	1085	1861
केरल	6	2	12
पांडिचेरी	45	37	62
नागालैंड	3	1	1
गोवा	13	8	15
समस्त भारत	10609	9824	14585

(अ) अनंतिम

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों 1992-93 से 1994-95 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा पेरा गया गन्ना तथा गन्नपे से चीनी की प्रतिशत प्राप्ति दर्शाने वाला विवः

राज्य	पेरा गया गन्ना			गन्ने से चीनी की प्रतिशत (अ) प्राप्ति		
	1992-93	1993-94 आंकड़े .000 टन	1994-95	1992-93	93-94	94-95 (अ)
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	29578.00	28989.00	38310.00	9.66	9.37	9.42
बिहार	3494.00	2405.00	4307.00	9.37	9.20	9.15
असम	97.00	62.00	83.00	8.40	6.99	8.12
पंजाब	4351.00	3362.00	3505.00	9.39	9.27	9.13
हरियाणा	3446.00	3239.00	3727.00	10.00	9.52	9.19
पश्चिम बंगाल	55.00	63.00	95.00	7.98	7.29	7.40

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	360.00	277.00	538.00	9.09	8.93	8.11
मध्य प्रदेश	603.00	395.00	732.00	9.88	9.21	9.55
राजस्थान	234.00	166.00	191.00	9.52	8.60	9.09
महाराष्ट्र	29723.00	24671.00	45981.00	11.32	11.14	10.93
गुजरात	6625.00	7442.00	6512.00	11.34	11.09	11.65
आंध्र प्रदेश	5304.00	6555.00	9290.00	10.18	9.87	9.43
कर्नाटक	7980.00	7933.00	11893.00	10.65	10.48	10.30
तमिलनाडु	10386.00	12103.00	21415.00	9.41	8.96	8.68
केरल	78.00	32.00	132.00	8.00	7.26	8.81
पांडिचेरी	482.00	408.00	710.00	9.37	8.98	8.79
नागालैंड	37.00	18.00	11.00	7.90	6.65	7.22
गोवा	138.00	85.00	166.00	9.47	8.86	9.51
समस्त भारत	102971.00	98205.00	147598.00	10.31	10.01	9.93

(अ) अनंतिम

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का निर्यात

1448. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ध्यान दिए बिना 1500 करोड़ रुपये की बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात किया था;

(ख) निर्यात के लिये किन-किन व्यक्तियों को चावल आवंटित किया, इस प्रयोजनार्थ क्या तरीके अपनाए गए और उन्हें किस मूल्य पर चावल उपलब्ध कराया गया;

(ग) किस दर पर उनके द्वारा चावल का निर्यात किया गया और उस समय बासमती एवं गैर-बासमती चावल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या था;

(घ) इसके कारण सरकार को कितनी क्षति हुई और इसका सीधा निर्यात कर भारतीय खाद्य निगम को कितना लाभ हुआ था; और

(ङ) क्या इस क्षति के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 3 मिलियन मीटरी टन बढ़िया और उत्तम चावल निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन हेतु बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया है। भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक चावल का सीधे निर्यात नहीं किया है। फ़रवरी, 96 के अन्त तक इन्होंने निर्यातकों को लगभग 15.98 लाख मीटरी टन बढ़िया और उत्तम चावल बेचा है। चावल के अधिशेष स्टाक को निर्यात करने का निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)/संपुष्ट सार्वजनिक विवरण प्रणाली (आर.पी.डी.एस.) की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

(ख) जिन पार्टियों (दोनों क्षेत्रों की अर्थात् सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) को निर्यात के लिए चावल आवंटित किया गया था उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़िया और उत्तम चावल के लिए निश्चित की गई कीमतें निम्नुसार हैं :-

अवधि	बढ़िया चावल	उत्तम चावल	कैफियत
19.4.95 - 9.8.95	6300-6700	6600-7000	यद्यपि मूल्य रेंज वही रही लेकिन दिनांक 10.8.95 से पत्तन शहरों में बिक्री मूल्य 200 रू. प्रति मीटरी टन बढ़ाये गये।
10.8.95 - 27.11.95	6300-6700	6600-7000	

अवधि	बढ़िया चावल	उत्तम चावल	कैफियत
28.11.95 - 6.2.95 7.2.96 - 14.2.96	6880-7110	7000-7420	
तटवर्ती राज्य	(193.06 - 203.47 अमेरिकी) डालर)	(202.31 - 212.43 अमेरिकी) डालर)	(यद्यपि मूल्य अमेरिकी डालर में दिये गये हैं, किन्तु क्रेताओं को केवल भारतीय रुपये में भुगतान करना है।)
गैर-तटवर्ती राज्य	(193.06 - 205.49 अमेरिकी) डालर)	(292.31 - 214.45 अमेरिकी) डालर)	
15.2.1996 से आज की तरीख तक			
केवल तटवर्ती राज्य	(237.73 - 246.36 अमेरिकी) डालर)	(246.94 - 255.57 अमेरिकी) डालर)	

(ग) चावल की गैर-बासमती बढ़िया और उत्तम किस्मों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर पब्लिक स्टॉक से निर्यातकों को "जहां है और जैसा है" के आधार पर बेचा गया। यह ज्ञात नहीं है कि निर्यात के अनुरूप स्तर पर लाकर इन्होंने किस देश को कब और किस दर पर इस चावल का निर्यात किया। तथापि, वर्तमान निर्यात आयात नीति के अनुसार बासमती और गैर-बासमती दोनों प्रकार के चावल का निर्यात बगैर न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिये किया जा सकता है।

(घ) और (ङ). अधिशेष स्टॉक को रखने की लागत को कम करने और गेहूं और चावल की चालू/आगामी वसूली के लिए भण्डारण स्थान उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम को बढ़िया और उत्तम चावल का निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन हेतु बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। केन्द्रीय पूल में चावल केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किया जाता है। निर्यातकों को बेचे गये चावल के मूल्य भारतीय खाद्य निगम की घरेलू खुली बाजार बिक्री योजना के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य/मूल्यों से अधिक हैं और इसलिए हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय खाद्य निगम ने चावल को निर्यात के स्तर तक समुन्नत करके चावल का सीधे कोई निर्यात नहीं किया है। इसमें अतिरिक्त खर्चा शामिल होता है।

विवरण

1. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया
2. खनिज तथा धातु व्यापार निगम
3. प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपो. ऑफ इंडिया लिमिटेड
4. मै. हमदन एक्सपोर्ट्स
5. मै. निर्मल कुमार भूरा एंड कं.,
6. मै. बिशन सरूप राम किसन
7. कुन्दन राइस मिल्स
8. एल.टी. ओवरसीज
9. मै. बी.एस.आई. लिमिटेड
10. मै. एस.एच. ग्रुप
11. मै. ताना एग्रो इम्पैक्स
12. मै. कोठारी ग्लोबल
13. मै. जिन्दल निर्यात
14. मै. सम्पत इंडस्ट्रीयल कंस्ट्रक्शन कंपनी
15. मै. कोटक एंड कंपनी
16. मै. टीना आयल एंड केमिकल्स
17. मै. श्री रायर इंपैक्स
18. कांतिलाल एंड कम्पनी
19. मै. वी.के. एजेन्सीज
20. तेराई ओवरसीज लिमिटेड

21. अनन्त त्रिफिना
22. मै. सचदेवा एंड सन्स
23. जिन्दल ओवरसीज लिमिटेड
24. शिवम इंडरनेशनल
25. मै. नोवाकोम ऑयल प्रोडक्ट्स
26. खुशी राम बिहारी लाल
27. एम.बी. एक्सपोर्ट्स
28. पुनसुप (पंजाब राज्य नागरिक कोर्पोरेशन)
29. रामा एसोसिएट्स
30. प्रियंका ओवरसीज
31. टीना ओवरसीज लि.
32. जमनादास माधवजी
33. शिवनाथ राय हरनारायण
34. अल्लांसन्स
35. ताना ट्रेडिंग कारपोरेशन
36. मै. रघुनाथ इंटरनेशनल
37. यूनिवर्सल एंटरप्राइसेज
38. सतनाम ओवरसीज लिमिटेड,
39. मै. एमसन्स लिमिटेड
40. मै. स्पेस एंटरप्रोइसेज
41. मै. आर. प्यारेलाल इंटरनेशनल
42. मै. मुम्मार्क
43. मै. श्रीजी ट्रेडिंग कम्पनी
44. नेफड (मै. नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन)

[हिन्दी]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1449. **डा. महादीपक सिंह शाक्यः**

श्री एन. डेनिसः

श्री नीतीश कुमार :

श्री गोपी नाथ गजपतिः

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 28 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 242 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयंन को असंतोषजनक पाया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उनकी त्रुटियों को दूर करने हेतु कोई ठोस उपाय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिमाणात्मक आंकड़ों के रूप में मूल्यांकन तथा अध्ययन दल के फील्ड स्तर के प्रेक्षणों से पता चलता है कि आबादी के कमजोर वर्गों के लिए यह स्कीम सभी क्षेत्रों तथा राज्यों में आमतौर पर लाभप्रद है। तथापि अध्ययन में यह बताया गया है कि स्कीम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए और उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग). संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं अभिज्ञात किए गए विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं के बारे में समीक्षा तथा मानीटरिंग की जा रही है। चूंकि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा सुप्रवाही बनाना एक निरनतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, अतः प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

क्षय रोग नियंत्रण

1450. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्माः**

श्री परसराम भारद्वाजः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में क्षय रोगियों की वर्तमान संख्या क्या है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्षय रोग के नियंत्रण के लिये कोई ठोस नीती बनाई है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कितने क्षय रोग

उपचार केन्द्र खोले गए?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में क्षय रोग के रोगियों के संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं। 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य में क्षय रोग के सूचित रोगियों की कुल संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 50:50 भागीदारी के आधार पर एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 1962 से देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी रोगियों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सुदृढ़िकरण और उपचार दरों में पर्याप्त सुधार हेतु एक संशोधित कार्यनीति अपनाई जा रही है। यह कार्यनीति परीक्षण के आधार पर विश्व बैंक की सहायता से 15 परियोजना स्थलों पर कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) देश में 438 जिला क्षय रोग केन्द्रों की स्थापना की गई है।

विवरण

राज्यों के नाम	पता लगाए गए और उपचाराधीन नए रोगी
1. आंध्र प्रदेश	68,111
2. अरुणाचल प्रदेश	3,567
3. असम	14,963
4. बिहार	64,294
5. गोवा	3,245
6. गुजरात	1,51,572
7. हरियाणा	-
8. हिमाचल प्रदेश	12,756
9. जम्मू व कश्मीर	14,203
10. कर्नाटक	68,713
11. केरल	27,340
12. मध्य प्रदेश	76,942
13. महाराष्ट्र	1,34,893
14. मणिपुर	4,995
15. मेघालय	2,115
16. मिजोरम	910
17. नागालैंड	1,348
18. उड़ीसा	29,873
19. पंजाब	37,576
20. राजस्थान	36,284
21. सिक्किम	1,255
22. तमिलनाडु	1,02,935
23. त्रिपुरा	2,067
24. उत्तर प्रदेश	2,68,862
25. पश्चिमी बंगाल	74,921
26. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप-समूह	472
27. चण्डीगढ़	1,746
28. दमन एवं नगर हवेली	209
29. दमन एवं दीव	731
30. दिल्ली	37,534
31. लक्ष्यद्वीप	154
32. पांडिचेरी	4,553
	12,49,139

[अनुवाद]

नगरों में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सर्वेक्षण

1451. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी :

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री: यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सार्वजनिक हित की याचिकाओं के संदर्भ में महानगर और अन्य बड़े नगरों में पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाने के लिए उनका कोई व्यापक सर्वेक्षण आरम्भ कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के

सहयोग से कसौटी प्रदूषकों के संबंध में परिवेशी वायु और सतही जल में प्रदूषकों के स्तरों की मानीटरी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक चालू कार्यक्रम है। अत्यंत प्रदूषित 24 क्षेत्रों की शिनाख्त की गई है और इन क्षेत्रों के प्रदूषण उपशमन के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। इस प्रकार के 14 क्षेत्रों के लिए योजना बना ली गई है और उनका क्रियान्वयन शुरू किया गया है।

प्रदूषण के दुष्प्रभावों से ताजमहल को बचाने के लिए लोक हित वाद के संबंध में आगरा, मथुरा क्षेत्र में प्रदूषण भार का मूल्यांकन करने और प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित एजेंसियों द्वारा ताजमहल के आसपास हरित पट्टी उगाने, फाउंड्रियों में विभाजित विस्फोट गुम्बदी भट्ठी बनाने, निरंतर विद्युत आपूर्ति तथा आगरा, मथुरा क्षेत्र में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईधन की आपूर्ति करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

बांधों का निर्माण

1452. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

श्री भोगेंद्र झा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेपाल के साथ कोसी और कमला नदियों पर बांध के निर्माण के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ को किस प्रकार नियंत्रित करने का है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों की जांच-पड़ताल, आयोजना और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकार की है। तकनीकी एवं संवर्धन किस्म के निर्माण कार्यों में केन्द्र सरकार सहायता प्रदान करती है। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने अपने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सचिवालय के साथ मिलकर गंगा की सभी नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए बृहद मास्टर योजनाएं तैयार की है और राज्य सरकारों को भू-सर्वेक्षणों अन्वेषणों के बाद विस्तत योजनाएं तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन प्रारंभ करने के लिए भेज दी हैं।

जल संसाधन संबंधी विभिन्न परियाजनाओं के बारे में जांच पड़ताल करने और परियोजना रिपोर्टे तैयार करने संबंधी नेपाल से बातचीत विभिन्न चरणों में चल रही है। हाल में, इन परियोजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। फिर भी, नेपाल से मिलने वाले सहयोग पर ही इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में औद्योगिक प्रदूषण

1453. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **पर्यावरण वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में किन-किन उद्योगों से प्रमुख नदियां प्रदूषित हो रहीं हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन उद्योगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को प्रदूषण रोकने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पयावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि यद्यपि नदियों के किनारे स्थित औद्योगिक एस्टेटों से औद्योगिक बहिस्राव के विसर्जन के कारण साबरमती, दमनगंगा, कोलक और भदेर जैसी बड़ी नदियों के कुछ भाग प्रदूषित पाए गए हैं लेकिन वे पाँच क्षेत्रों में किसी एकल इकाई के कारण प्रदूषित नहीं हुई हैं।

(ख) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रूषण नियुत्रण उपकरण लगाने के निदेश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ). लघु औद्योगिक इकाइयों के प्रत्येक समूह को साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता की अधिकतम 50 लाख रुपए है और राज्य सरकार से इतनी ही राशि का अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यवार उद्योगों को दी गई सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

राज्य	केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता (लाख रुपए)
1. आंध्र प्रदेश	132
2. गुजरात	55

3. हरियाणा	12
4. हिमाचल प्रदेश	9
5. कर्नाटक	52
6. मध्य प्रदेश	78
7. महाराष्ट्र	138
8. पंजाब	20
9. राजस्थान	3
10. तमिलनाडु	372
11. उत्तर प्रदेश	77
12. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	50

[अनुवाद]

उपकरणों की खरीद

1454. श्री अन्ना जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपकरणों की खरीद हेतु अनुदान सहायता देती है,

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार की मंजूरी/सहायता जारी किए जाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के अनेक आवेदन लम्बित हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार का इन आवेदनों का निपटारा कब तक कर दिए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान का राज्यवार ब्यौरा कृपया संलग्न विवरण-1 पर देखा जाये।

(ग) जी, हां।

(घ) कृपया ब्यौरा संलग्न विवरण '2' पर देखा जाए।

(ङ) जब भी संस्था/संगठन मांगे गए वांछित सूचना/दस्तावेज भेज देता है, मामलों को अनुदान की मंजूरी के लिए अनुदान समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

विवरण-1

6.3.1996 तक सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार सूची

चिकित्सीय सेवाओं की सुधार योजना

क्र.सं.	संस्था का नाम	धनराशि और प्रयोजन
	महाराष्ट्र	
1.	भारतीय वैदिक समन्वय समिति (श्री आयुर्वेद महाविद्यालय) नागपुर	2,57,550/- रु. उपकरणों की खरीद के लिए
2.	आयुर्वेद शिक्षण मण्डल, पुणे	4,00,000/- रु. उपकरणों की खरीद के लिए
3.	स्वस्थी योग प्रतिष्ठान प्रेक्चर और ओरथोपेडिक हॉस्पिटल, मिराज।	1,50,000/- रु. उपकरणों की खरीद के लिए
	गुजरात	
4.	श्री सर्वोदय आरोग्य मण्डल, इसानपुर (गांधीनगर)	1,50,000/- रु. उपकरणों की खरीद के लिए

विवरण-2

मंजूरी/संवितरण के लिए सरकार के पास विचाराधीन मामलों की सूची

क्रसं.	संस्था का नाम	धनराशि	प्रयोजन	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	लोकमान्य चिकित्सा प्रतिष्ठान छिन्दवाड़ा, पुणे	1,00,000/- रु.	वैन की खरीद	अनुदान पहले ही मंजूर कर दिया गया है। लेकिन इसे विमुक्त नहीं किया गया है क्योंकि पहले के सहायता अनुदान के लिए समुप्रयोजन प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5
2.	आयुर्विधा प्रसारक मंडल, सियोन, बम्बई	2,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	अनुदान पहले ही मंजूर कर दिया गया है लेकिन संस्था द्वारा बॉण्ड और अन्य दस्तावेज न भेजे जाने के कारण उसे विमुक्त नहीं किया गया है।
3.	प्रवर चिकित्सा न्यास का प्रवर ग्रामीण अस्पताल अहमद नगर महाराष्ट्र	4,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	- वही -
4.	काकासाहेब महस्के स्मारक चिकित्सा प्रतिष्ठान अहमदनगर (महाराष्ट्र)	3,50,000/- रु.	- वही -	- वही -
5.	लोकमान्य चिकित्सा फउंडेशन, पुणे	2,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	अनुदान समिति के विचाराधीन
6.	स्व. श्रीराम अहिरराव स्मारक न्यास धुले (महाराष्ट्र)	1,50,000/- रु.	एम्बुलैंस वैन की खरीद	- वही -
7.	आयुर्वेद प्रसारक मण्डल का एस. सी. मुथा आर्य वैद्यक महाविद्यालय और डा. एम.एन. आगास्थे धर्मार्थ अस्पताल एवं प्रसव गृह सतारा (महाराष्ट्र)	4,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	- वही -
8.	श्रीमती कमलादेवी जी. मित्तल पुर्नवास महाविद्यालय (आयुर्वेद प्रचार संस्थान), बम्बई	2,00,000/- रु.	एम्बूलैंस वैन की खरीद	- वही -
9.	राष्ट्रीय विज्ञान मंच, नेमादे अस्पताल, विसानजी नगर, जलगांव (महाराष्ट्र)	1,99,743/- रु.	- वही -	
10.	सासवाड ग्रामीण स्वास्थ्य फाउंडेशन, मार्फत डा. मैनकर अस्पताल, पुणे	1,50,000/- रु.	उपकरणों एवं वैन की खरीद	- वही -
11.	डा. महस्के का चिकित्सा फाउंडेशन, अमलनेर, जलगांव (महाराष्ट्र)	2,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	अनुसार समिति के अनुमोदनाथ भेजा जा रहा है।
12.	कल्याण चिकित्सा फाउंडेशन्स मोहिनतारा अस्पताल, पुणे	4,00,000/- रु.	- वही -	संस्था से सूचना/दस्तावेजों की प्रतीक्षा है।
13.	तेरना पब्लिक धर्मार्थ उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)	1,50,000/- रु.	एम्बुलैंस की खरीद	- वही -
14.	सुश्रुत चिकित्सा केयर एवं रिसर्च सोसायटी, हर्डीकार अस्पताल, पुणे	4,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	- वही -
15.	डी.ई.डी.टी.यू. शिक्षण सोसायटी परभनी (महाराष्ट्र)	4,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	- वही -

1	2	3	4	5
16.	फेयरबैंक जेम्स फ्रैन्डशिप स्मारक अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य यूनिट, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	4,00,000/- रु.	- वही -	- वही -
17.	यशवन्तराव चव्हाण सहकारी अस्पताल, मांब्दा, अकोला	4,00,000/- रु.	- वही -	- वही -
18.	मनुछाया सामाजिक कल्याण सायटी अमरावती	4,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	संस्था से सूचना/दस्तावेजों की प्रतीक्षा है।
19.	श्री विवेकानन्द नर्सिंग होम, श्री शिवाजी नगर, अहमदनगर	4,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	- वही -
20.	यशवंतराव चव्हाण सहकारी अस्पताल, तेलहारा, अकोला	1,98,975/- रु.	- वही -	- वही -
21.	सत्यविष्णु चैरीटेबल न्यास, औरंगाबाद	4,00,000/- रु.	- वही -	- वही -
22.	संस्कृति समवर्धन मंडल, शारदा नगर नान्देड़	3,28,036 /- रु.	- वही -	- वही -
23.	फालतन आरोग्य मंडल, सतारा	2,00,000/- रु.	- वही -	- वही -
24.	पुणे चेस्ट अस्पताल, औंध, पुणे	7.20 करोड़ रुपए परियोजना की अनुमानित लागत	ह्रदय आपरेशन विभग के आधुनिकी-करण हेतु।	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र मांगा गया है। वह अब प्राप्त हो गया है।
25.	दीनदयाल स्मारक अस्पताल, पुणे	2,00,000/- रु.	उपकरणों की खरीद	संस्था से सूचना/दस्तावेजों की प्रतीक्षा है।

खाद्य अपमिश्रण

1455. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में "जल" सम्मिलित नहीं है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम की समीक्षा कर रहे कार्य बल ने उक्त अधिनियम के दायरे में "जल" को शामिल करने का कभी सुझाव दिया था, और

(ग) स्थानीय निकायों द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति अनिवार्य बनाने के लिए इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) इस मामले पर भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों के विचार/टिप्पणियां मांगने के लिए पहले ही कार्य आरम्भ कर दी गई है।

[हिन्दी]

जल संसाधन

1456. डा. परशुराम गंगवार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संविधान में संशोधन करके जल संसाधनों को समवर्ती सूची में लाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामला राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के समक्ष रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त विषय पर कोई सर्वसम्मति हो पाई है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) देश में समन्वित और जल संसाधन विकास को शीघ्र पूरा करने के लिए विनियमन और अंतर्राज्यीय मतभेदों, दोनों का समाधान करने के संबंध में केन्द्र द्वारा अधिक सक्रिय भूमिका निभाये जाने का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जल बोर्ड की 23.9.1995 को हुई सातवीं बैठक में ''जली संसाधन विकास के कानूनी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता'' संबंधी पेपर पर चर्चा की गई जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों/ संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। जैसाकि इसमें कोई आम सहमति नहीं हुई, इस मामले में राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाएं

1457 **श्री सैयद सहाबुद्दीन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना पर वर्ष-वार कितना वार्षिक व्यय हुआ,

(ख) उक्त अवधि में वर्ष-वार कितने व्यक्तियों ने अशंदान किया,

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने हकदार व्यक्ति थे, और

(घ) हकदार व्यक्तियों को दी गई दवाओं पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय कितना हुआ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (घ). सूचना सलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	सी.जी.एच.एस. पर वार्षिक व्यय (करोड रुपये)	अंशदाताओं की संख्या	पात्र व्यक्तियों/ लाभार्थियों की संख्या	औषधियों पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय (रुपयों में)
1992-93	88.38	8,73,807	40,01,947	101
1993-94	119.97	8,99,466	40,23,425	168
1994-95	143.93	8,86,238	40,19,266	221

[हिन्दी]

किराये के भवन

1458. **श्री दत्ता मेघे :**

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा दिल्ली में किराये के भवनों की जिलेवार क्या संख्या है,

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पट्टा समझौता खत्म होने के बाद उन भवनों को खाली करने के लिए कई पत्र प्राप्त किए हैं तथा उनके द्वारा अपने लिए भवन निर्माण नहीं करने के क्या कारण हैं,

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई,

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा निर्मित भवनों की क्या संख्या है तथा किराये के भवन खाली नहीं किए जाने के जिलेवार क्या कारण हैं, और

(ङ) जिन मामलों में पट्टा समझौते की अवधि समाप्त हो गई है वहां किराये के भवन खाली कराने के लिए तथा मांग के अनुसार किराये में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनसंख्या घड़ी

1459. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिलों में जनसंख्या घड़ी स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता फोरम

1460. **श्री सत्येदव सिंह : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व किस प्राधिकारी पर होता है,

(ख) जिला उपभोक्ता फोरमों द्वारा दिये गये ऐसे कितने निर्णयों का कार्यान्वयन अब तक नहीं किया है जिन पर राज्य अथवा केन्द्रीय उपभोक्ता न्यायालय ने कोई स्थगनादेश जारी नहीं किये थे, और

(ग) इस संबंध में यदि कोई विलम्ब है, तो उसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अनुसार उपभोक्ता अदालतों द्वारा पारित आदेशों को लागू न किये जाने की स्थिति में पीड़ित पक्ष उसी उपभोक्ता अदालत में उनके कार्यान्वयन हेतु अपनी अपील दायर कर सकता है।

(ख) और (ग). यह मंत्रालय इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं करता है।

चिड़िया घर

1461. **श्री विलास राव नागनाथ राव गूंडेवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने चिड़िया घर हैं,

(ख) देश में चिड़िया घर संचालित करने वाली राज्य-वार कितनी संस्थाओं ने केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण से मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन किया है,

(ग) राज्यवार कितने चिड़ियाघरों को अभी तक मान्यता प्रदान की गई है, और

(घ) शेष चिड़िया घरों को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है और उन चिड़िया घरों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिन्होंने मान्यता हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत चिड़िया घर की परिभाषा में आने वाली 358 संस्थाओं की संख्या और जिन संस्थाओं को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता दे दी गई है उनकी संख्या क्रमश: विवरण-1 और 2 में दी गई है। कुछ ऐसे चिड़िया घरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हो सकती हैं जिन्हें मान्यता हेतु आवेदन के बिना ही चिड़िया घरों के रूप में संचालित किया जा रहा है।

(घ) अधिसंख्य बड़े, मझौले और छोटे चिडिया घरों का मूल्यांकन पहले ही किया गया है और मान्यता दे दी गई है। लघु चिड़िया घरों के मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों को शामिल करके शीघ्रता करने का प्रस्ताव है।

जिन चिड़ियाघरों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है उनके संबंध में राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को ऐसे सभी चिड़ियाघरों को बंद करने और उनके द्वारा धारित बंदी जीव जन्तुओं को अपने नियंत्रण में लेने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

विवरण - 1

जिन चिड़ियाघरों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनके राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	बड़े	मझौले	छोटे	लघु/मृग उद्यान	परिक्रमी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अण्डमान और निकोबार	-	-	1	-	-	1
2.	आंध्र प्रदेश	2	-	2	23	-	27
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	1	-	2	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	1	–	–	1	–	2
5.	बिहार	1	1	2	10	11	25
6.	दिल्ली	1	–	1	2	–	4
7.	दादर और नगर हवेली	–	–	4	–	–	4
8.	गुजरात	2	1	5	7	–	15
9.	गोवा	–	–	1	2	–	3
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	9	–	10
11.	हरियाणा	–	–	1	13	–	14
12	जम्मू तथा कश्मीर	–	–	–	3	–	3
13.	केरल	–	1	1	8	–	10
14.	कर्नाटक	1	1	1	29	–	32
15.	महाराष्ट्र	1	–	4	26	–	31
16.	मध्य प्रदेश	–	3	1	9	–	13
17.	मेघालय	–	–	1	2	–	3
18.	मणिपुर	–	1	–	–	–	1
19.	मिजोरम	–	–	1	–	–	1
20.	नागालेंड	–	–	2	–	–	2
21.	उड़ीसा	1	–	–	21	–	22
22.	पंजाब	1	–	–	11	–	12
23.	राजस्थान	–	2	3	5	–	10
24.	सिक्किम	–	–	–	3	–	3
25.	तमिलनाडु	1	4	–	14	1	20
26.	त्रिपुरा	–	1	–	1	–	2
27	उत्तर प्रदेश	2	–	1	44	7	54
28.	पश्चिम बंगाल	1	–	3	23	4	31
	कुल	15	16	32	272	23	358

विवरण - 2

जिन चिड़ियाघरों को मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनके राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	बड़े	मझौले	छोटे	लघु/मृग उद्यान	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अण्डमान और निकोबार	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	2	–	2	1	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
4.	असम	1	–	–	–	1
5.	बिहार	1	1	2	6	10
6.	दिल्ली	1	–	–	–	1
7.	दादर और नगर हवेली	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	2	1	6	1	10
9.	गोवा	–	–	1	–	1
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	–	1
11.	हरियाणा	–	–	1	3	4
12	जम्मू तथा कश्मीर	–	–	–	–	–
13.	केरल	–	1	1	–	2
14.	कर्नाटक	1	1	1	–	3
15.	महाराष्ट्र	1	–	4	2	7
16.	मध्य प्रदेश	–	3	1	1	5
17.	मेघालय	–	–	–	–	–
18.	मणिपुर	–	1	–	–	1
19.	मिजोरम	–	–	–	–	–
20.	नागालेंड	–	–	–	–	–
21.	उड़ीसा	1	–	–	8	9
22.	पंजाब	1	–	–	–	1
23.	राजस्थान	–	2	3	–	5
24.	सिक्किम	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	तमिलनाडु	1	4	–	1	6	
26.	त्रिपुरा	–	1	–	–	1	
27	उत्तर प्रदेश	2	–	1	8	11	
28.	पश्चिम बंगाल	1	–	2	4	7	
	कुल	15	15	26	36	92	

[अनुवाद]

क्षय और दमा रोग

1462. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली तथा अन्य राज्यों में क्षय और दमा रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे रोगों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है,

(ग) क्या सरकार का कोई विचार इस प्रयोजनार्थ किसी कार्य बल का गठन करने का है, और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख). दिल्ली सहित किसी राज्य से क्षयरोगियों की संख्या में वृद्धि की कोई सूचना नहीं दी गई है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, के मध्य 50:50 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 1962 से देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी रोगियों का नि:शुल्क उपचार किया जाता है। कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए तथा उपचार दरों में पर्याप्त रूप से सुधार करने के लिए संशोधित कार्यनीति अपनाई जा रही है। यह कार्यनीति परीक्षण के आधार पर विश्व बैंक की सहायता से 15 परियोजना स्थलों पर कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों से बनाई जाने वाली औषधियां

1463. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीम, पीपल आदि बरगद के पत्तों से बनाई जाने वाली कितनी जड़ी-बूटी युक्त औषधियों को सरकार द्वारा पेटेन्ट किया गया है,

(ख) क्या उक्त वृक्षों से बनाई जाने वाली औषधियों को पेटेन्ट करने के पश्चात कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां कतिपय औषधियों को देश में अधिक मूल्यों पर बेच रही हैं, और

(ग) यदि हां, तो मूल रूप से देश में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों को पेटेन्ट करने में सरकार की झिझक के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) हमारे देश में जड़ी-बूटियों से बनाई जाने वाली औषधियों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने नीम तेल-निम्बेतिक्तम के अरक का पेटेंट प्राप्त किया है जो कि साइरियासिस और पेप्टिक अल्सर के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली औषधि है। ऐसा समझा जाता है कि पिछले 23 वर्षों में 80 से अधिक पेटेंट भारत में विभिन्न नीम आधारित उत्पादों के लिए प्रदान किए गए हैं। इनमें से 48 भारतीय मूल के कहे जाते हैं।

(ख) मंत्रालय को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। पेटेंट और इससे संबंधित विषयों तथा औषधियों के मूल्यों पर इसके प्रभाव का पता कुछ समय बाद ही लग सकेगा।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग जैसी भारत सरकार की अनेक राष्ट्रीय एजेंसियां इस मुद्दे की जांच कर रही हैं जिसका उद्देश्य हमारे देश की समृद्ध जड़ी बूटी सम्पदा को बचाने के लिए पेटेंट/आईपीआर और टी आर और टीआरआईपीएस निगमन के लिए उपयुक्त कानून बनाना है।

[अनुवाद]

दन्त चिकित्सा शिक्षा

1464. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में दन्त चिकित्सा के गिरते स्तर की जानकारी है]

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) देश में दन्त चिकित्सा कालेजों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितने कालेजों को भारतीय दन्त परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है, और

(घ) सरकार द्वारा देश में दन्त चिकित्सा के स्तर के अनुरक्षण और उसमें सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (घ). भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने देश में दन्त चिकित्सा शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं। परिषद दन्त चिकित्सा शिक्षा के मानकों को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने के लिए नियमित अन्तरालों पर दन्त चिकित्सा कालेजों पर निरीक्षण करती है।

जैसा भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा सूचित किया गया है 79 दन्त चिकित्सा कालेजों में से 63 दन्त चिकित्सा कालेजों को परिषद द्वारा मान्यता दी गई है। वर्ष 1993 में दन्त चिकित्सा अधिनियम 1948 के संशोधन के बाद नया दन्त चिकित्सा कालेज खोलने तथा सीटों को बढ़ाने अथवा किसी मौजूदा दन्त चिकित्सा कालेज में अध्ययन का उच्च पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित होती है।

राजस्थान को यमुना नदी के जल की आपूर्ति

1465. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान द्वारा यमुना नदी से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस राज्य को कितने जल का आवंटन किया गया था,

(ग) क्या सरकार का पेयजल की आपूर्ति हेतु राजस्थान को यमुना नदी के आवंटन में वृद्धि करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच 12.5.1994 को हुए समझौते के अनुसार अपर यमुना नदी बोर्ड में सदस्य के रूप में राजस्थान ने पेयजल सहित यमुना नदी से अपने हिस्से के जल की आपूर्ति करने की मांग की है।

भारत सरकार के संकल्प द्वारा 11.3.1995 को गठित अपर यमुना नदी बोर्ड ने 22.4.1995 के बाद से राजस्थान को नीचे दिए अनुसार यमुना जल वितरित किया है:-

अवधि	समझौता ज्ञापन के अनुसार हिस्सा (बी सी एम)	क्यूसेक	अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा किया गया वास्तविक आवंटन (क्यूसेक)
मार्च-जून 95	0.086	288	100 23.4.95 से 15.5.95 तक
जुलाई-अक्तूबर, 95	0.963	3202	290 16.5.95 से 30.6.95 तक
नवंबर 95-फरवरी 96	0.070	238	
मार्च-जून, 96	0.086	288	

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका

1466. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या पर्यावरण वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय सुरक्षा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट मार्ग-निर्देश और योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार राज्य सरकारों को इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). पर्यावरण के बचाव में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जून, 1992 में जारी राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण एवं विकास नीति विवरण और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण एवं विकास नीति में आय प्रदान करने वाले, स्ववित्तीय और दीर्घकालिक संरक्षण कार्यक्रमों में जन स्तर पर सक्रिय रूप से महिलाओं को शामिल करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय वन नीति में वनीकरण के लिए विशाल जन आंदोलन तैयार करने के लिए महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्रालय के कार्यक्रमों में इन नीतियों का निरूपण शामिल है। इन कार्यक्रमों में वनीकरण कार्यक्रम, पर्यावरणीय जन-जागरूकता कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम शामिल है। मंत्रालय ने महिलाओं की भूमिका और महिला संगठनों की उपलब्धियों की सराहना की है और निम्नलिखित महिलाओं/महिला संगठनों को उनके उत्कृष्ट वनीकरण कार्यों के लिए इन्दिरा प्रियदर्शनी वृक्षिमित्र पुरस्कार प्रदान किए :-

क्रम सं.	नाम	जिस वर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया
1.	श्रीमती सुगाधा कुमारी त्रिवेन्द्रम, केरल	1986
2.	महिला मंगल दल चमोली, उत्तर प्रदेश	1986
3.	महिला मण्डल, माही, गायकवाड़ी, पाटेवाड़ी बावी, खण्डवी, ज्वालके, हलगांव और जलगांव अहमदनगर (महाराष्ट्र)	1987
4.	चन्द्रपुर गर्ल्स हाई स्कूल (प्राइमरी यूनिट) दक्षिण त्रिपुरा	1991
5.	इरूला ट्राइबल बुमनस बेलफेयर सोसायटी चिंगलपेट, तमिलनाडु	1992
6.	वूमन संगमस आफ दी दक्खिन डिवेलपमेट सोसायटी मेडक, आंध्र प्रदेश	1993

स्वयंसेवी संगठन

1467. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय स्वास्थ्य योजनाओं में भागीदारी करने वाली धमार्थ अथवा स्वयंसेवी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं हेतु वर्षवार, योजनावार और राज्यवार कितने-कितने बजट का प्रावधान किया गया और वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई, और

(ग) इन योजनाओं की निगरानी प्रणाली और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पवर रख दी जाएगी।

मोतियाबिन्द के मामले

1468. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मोतियाबिन्द के मामलों में वृद्धि हो रही है,

(ख) क्या सरकार का इस बीमारी को रोकने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास आरम्भ करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इसमें स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) फिलहाल कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) सरकार ने सात बड़ें राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जिसमें भारत में मोतियाबिन्द की कुल व्याप्तता दो तिहाई है, में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द से होने वाली दृष्टिहीनता ही 1974 से शुरू कर दी है। ये राज्य सात वर्षीय परियोजना के दौरान 11 मिलियन से अधिक दृष्टि पुन: स्थापना संबंधी शल्यक्रियाएं करेंगे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर में भी अग्रणी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। सभी राज्यों के सहायता के के स्वरूप में संशेधन किया गया है। अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समितियों को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है।

(ग) मोतियाबिन्द की घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल है :-

(1) सेवा प्रदाय सुदृढ़ करना।

(2) नेत्र परिचर्या के लिए मानव संसाधनों को सुदृढ़ करना।

(3) दूरगामी कार्यकलापों तथा जनजागरूकता को बढ़ाना, और

(4) संस्थागत क्षमता का विकास करना।

स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका इस प्रकार परिकल्पित की गई है :

(क) शिविरों के माध्यम से सेवा प्रदाय

(ख) जांच एवं दूरगामी कार्यकलाप

(ग) असेवित क्षेत्रों में चुने हुए लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा सेवा प्रदाय का विस्तार।

वन क्षेत्र

1469. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1980 के प्रारंभ में वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) वर्ष 1995 के अन्त तक स्थिति क्या है,

(ग) वन क्षेत्र में यदि कोई कमी हुई है तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा क्रमश: 1981-83 और 1989-91 की मूल्यांकन अवधि के लिए प्रकाशित स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1987 और 1993 के आधार पर राज्यवार वास्तवितक वन आवरण सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वन आवरण में गिरावट का मुख्य कारण जलाऊ लकड़ी, चारा और लघु टिम्बर की मांग और पूर्ति में व्यापक अंतर, झूम खेती के कारण क्षति, दावानल और चराई के साथ वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अंतरण का होना है।

(घ) वन आवरण में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम हैं:-

1. भोगाधिकार में हिस्सेदारी और लाभ वितरण की क्रियाविधि के जरिए वन संरक्षण और पुनरूद्धार में ग्राम समुदाय को शामिल करके सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से वन आवरण में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

3. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को काष्ठ प्रतिस्थापन और जलाऊ लकड़ी के संरक्षण पर नीतिगत सलाहकार समूहों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

4. आदिवासियों ओर ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता के जरिए अवक्रमित वनों की बहाली के साथ-साथ दावानल नियंत्रण के लिए भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

5. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अंतरण को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया है।

विवरण

वन आवरण की तुलनात्क स्थिति - 1983 और 1991 का मूल्यांकन

(वर्ग कि.मी. में क्षेत्रफल)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987 मूल्यांकन	1993 मूल्यांकन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	50194	47,256
2.	अरूणाचल प्रदेश	60500	68,661
3.	असम	26386	24,508
4.	बिहार	28748	26,587
5.	गोवा (दमन और दीयु सहित)	1285	1,250
6.	गुजरात	13570	12,044
7.	हरियाणा	644	513
8.	हिमाचल प्रदेश	12882	12,505
9.	जम्मू और कश्मीर	20880	20,443
10.	कर्नाटक	32264	32343
11.	केरल	10402	10,336
12.	मध्य प्रदेश	127749	135,396
13.	महाराष्ट्र	47416	43,859
14.	मणिपुर	17679	17,621
15.	मेघालय	16511	15,769
16.	मिजोरम	19092	18,697
17.	नागालैंड	14351	14,348
18.	उड़ीसा	53163	47,145

19.	पंजाब	766	1,343
20.	राजस्थान	12478	13,099
21.	सिक्किम	2839	3,119
22.	तमिलनाडु	18380	17,726
23.	त्रिपुरा	5753	5,538
24.	उत्तर प्रदेश	31443	33,961
25.	पश्चिम बंगाल	8811	8,186
26.	अंडमान और निकोबार	7603	7,624
27.	चण्डीगढ़	2	5
28.	दादर और नगर हवेली	237	206
29.	दिल्ली	15	22
30.	लक्ष्यद्वीप	–	–
31.	पांडिचेरी	8	–
	कुल	642,041	640,107

उचित दर की दुकानें

1470. **श्री तारा सिंह : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकानों विशेषकर यमुनापार क्षेत्र के मण्डल संख्या 40 के अंतर्गत उचित दर दुकान संख्या 6867 से चीनी के साथ-साथ गेहूं, चावल तथा आटा खरीदने की बाध्यता भी है,

(ख) क्या सरकार ने उचित दर की दुकानों को इस संबंध में कोई निर्देश जारी किये है, और

(ग) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं को चीनी के साथ-साथ अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिएये बाध्य किये जाने के क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी, जिसमें उचित दर की दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण करना शामिल है, राजय सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उपभोक्ताओं पर यमुनापर के क्षेत्र में मंडल संख्या 40 में दुकान संख्या 6867 से चीनी के साथ गेहूं, चावल तथा आटा खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते है।

चीनी मिल

1471. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली शहर के नवादगंज के निकट एक और चीनी मिल की स्थापना करने में बाधाएं पैदा की जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सो (ग). केन्द्र सरकार ने बरेली जिले के नवाबगंज तथा मीरगंज में चीनी मिलें स्थापित करने हेतु दो आशय पत्र प्रदान किए हैं।

चावल की खेप

1472. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चालू मौसम के दौरान पंजाब से महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के पत्तन के निकटवर्ती शहरों को चावल की कितनी खेप भेजी गई,

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उक्तखोप की प्रति टन कितनी कीमत निर्धारित की गई और वास्तव में कितनी कीमत वसूली गई,

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत वसूली गई,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप निगम को कितनी हानि हुई,

(ङ) क्या इन खेपों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने व्यय पर भेजा गया था,

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(छ) क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है, और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ज). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(हिन्दी)

वानिकी और पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

1473. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान मध्यप्रदेश में वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई,

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ परियोजनावार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान परियोजनावार उपलब्धि कितनी-कितनी रही?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (आज तक) के दौरान मध्य प्रदेश में वनों, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए संघ सरकार द्वारा संचालित स्कीमों के ब्यौरों के साथ-साथ वित्तीय और भौतिक दोनों प्रकार की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	संक्षिप्त उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधीयन की सीमा	स्थिति	गत तीन वर्ष 93-94, 94-95 और 95-96 के दौरान उपलब्धियों वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	वित्तीय सहायता के जरिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास में राज्य की मदद करना।	100%	चालू	415.68	27 राष्ट्रीय उद्यान कवर।
2.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तरजी वितता सुनिश्चित करना।	100% अनावर्ती 50% अनावर्ती	चालू	52.07	वित्तीय बंटनों में लक्ष्य नियत
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों की परिधि में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका	100% अनावर्ती 30% अनावर्ती	चालू	38.47	4 राष्ट्रीय उद्यान कवर। प्रदान करना।
4.	बाघ परियोजना	बाघों की व्यवहार्य आबादी के अनुसरक्षण को सुनिश्चित करना।	100% अनावर्ती 50% अनावर्ती	चालू	389.03	4 बाघ रिजर्व कवर
5.	बाघ रिजर्वो के आसपास पारि विकास	बाघ रिजर्वो की परिधि में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना।	100% %नावर्ती 50% अनावर्ती	चालू	94.18	4 बाघ रिवर्ज कवर
6.	बाघ परियोजना क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आदिवासी गांवों के लिए लाभ-उन्मुख स्कीम।	पुन: स्थापना योजना के तहत आदिवासी और अन्य परिवारों का पुनर्वास	100%	चालू	23.50	वित्तीय बंटनों में लक्ष्य नियत।
7	समन्वित वनीकरण और पारि-विकास स्कीम।	वनीकरण और पारि-विकास का संवर्द्धन।	100%	चालू	1498.07	27130 है. क्षेत्र कवर
8.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम।	अभिनिर्धारित जलाऊ लकड़ी की कमी वाले जिलों में जलाऊ लकड़ी और चारे की आपूर्ति में वृद्धि करना।	50%	चालू	729.22	30240 है. क्षेत्र कवर

1	2	3	4	5	6	7
9.	बीज विकास स्कीम	गुणवत्ता वाले बीजों के लिए आधारभूत सुविधा निर्माण करना।	100%	चालू	14.61	वित्तीय बंटनों में लक्ष्य नियत।
10.	गैर-इमारती लकड़ी वाले वनोपज जिसमें औषधीय पादप सम्मिलित हैं	औषधीय पादपों सहित गैर इमारती लकड़ी वनोपज उगाना।	100%	चालू	120.99	2871 है. क्षेत्र कवर।
11.	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों की भागीदारी	बायोमास संसाधन बेस सुधारने के लिए अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना।	100%	चालू	127.07	1213 है. क्षेत्र कवर
12.	भोज नमभूमि का संरक्षण और प्रबंधन	नमभूमियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त नीतियां बनाना।	100%	चालू	115.23	वित्तीय बंटनों में लक्ष्य नियत
13.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	वनों की सुरक्षा के लिए दावानलों को	100%	चालू	82.74	- वही -
14.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिड़ियाघरों के अनुरक्षण और प्रबंधन हेतु अवसंरचना-सुधार के लिए चिड़ियाघरों को सहायता प्रदान करना।	100%	चालू	41.603	चिड़ियाघर कवर।
15.	पर्यावरण वानी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना।	100%	चालू गठित	22.42	45 जिलों में
16.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	खान, क्षिप्रा, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, बेणगंगा और चंबल नदियों का प्रदूषण उपशमन	50%	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में 106.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर खान, क्षिप्रा, ताप्ती, बेतवा नर्मदा बेणगंगा और चंबल नदियों को शामिल किया गया है।		

[अनुवाद]

सब के लिए स्वास्थ्य योजना

1474. डा. वसंत पवार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस शताब्दों के अंत तक ''सब के लिए स्वास्थ्य'' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्यों के प्रति आश्वस्त है;

(ख) क्या इस योजना के क्रियान्वयन पर किसी एजेंसी द्वारा निगरानी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो खर्च की गयी राशि और इस संबंध में की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में निर्दिष्ट लक्ष्यों के निष्पादन में हुई प्रगति की समीक्षा यह दर्शाती है कि केवल कुछ लक्ष्य, जैसे, शिशु मृत्यु दर, आशोधित मृत्यु दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, गर्भवती स्त्रियों और शिशुओं के लिए टीकाकरण के लक्ष्य और कुष्ठ रोग का उन्मूलन के लक्ष्य इस शताब्दी के अंत तक प्राप्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों की पहुंच को आगे बढ़ने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हेतु कई उपाय प्रारम्भ किए गए है।

(ख) सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यक्रम अधिकारी केन्द्र-स्तर के साथ-साथथ राज्य-स्तर पर प्रत्येक कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन करते हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ों में)

योजना		गैर-योजना
स्वास्थ्य	492.54 रू.	788.20 रू.
परि. कल्याण	1521.85 रू.	12.83 रू.

एड्स नियंत्रण, कुष्ठ, मोतियाबिन्दु दृष्टिहीनता के साथ-साथ स्त्रियों और बच्चों हेतु विशेष प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं सें संबद्ध कार्यक्रमों में वृद्धि हेतु विदेशी सहायता सुलभ करने में पर्याप्त प्रगति हुई है।

संस्था प्रमुखों के रिक्त पद

1475. श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या पर्यावरण वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मंत्रालय के अंतर्गत किन-किन संस्थाओं में संस्था प्रमुखों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों पर कब तक भर्ती किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). इस सायं पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत संस्थाओं के प्रमुखों के रिक्त पदों जिन्हें सरकार द्वारा भरा जाना है, के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	रिक्त पद का पदनाम	तारीख जिससे पद रिक्त है
1	2	3	4
1.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	महानिदेशक	1.8.1995
2.	भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल	निदेशक	30.9.1994
3.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	निदेशक	24.1.1995
4.	गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा	निदेशक	7.8.1995
5.	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कलकत्ता	निदेशक	1.3.1996

(ग) इन पदों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाना अपेक्षित होता है जिसमें विज्ञापन, वयन और उपयुक्त प्राधिकारी का अनुमोदन लेना शामिल है। अत: इन पदों को भरने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती है।

जानलेवा विषाणु

1476. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1995 के "द पायोनियर" में "डेडली वाइरस में हैव फाउंड ग्राउंड इन इण्डिया" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसकी रोकथाम हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार ने इस समस्या पर काबू पा लिया है। रोग-निगरानी को सुदृड़ करने के लिए एक व्यापक कार्य-योजना तैयार की गई हैं जिसमें सूचना की और प्रवाह, प्रयोगशाला नैदानिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, केन्द्रों को नेटवर्क बनाना और रोग की व्यापतता दर का अनवरत प्रबोधन करने की परिकल्पना की गई है।

आहार विषाक्तता के मामले

1477. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों से वर्ष 1996 के दौरान आहार विषाक्तता के कुछ मामले सामने आये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) इन विद्यालयों में भविष्य में आहार विषाक्तता के मामलों की पुनरावृति को रोकने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख). अगस्त और दिसम्बर, 1995 के दौरान नई दिल्ली नगर परिषद के स्कूलों से बासी ब्रेड के उपयोग के कारण खाद्य विषाक्तता के दो मामलों की सूचना दी गई।

(ग) जी हां।

(घ) स्कूल को सप्लाई की नई डबलरोटी संदूषित पाई गई लेकिन किस स्रोत पर संदूषित हुआ, इस बात को निश्चित नहीं किया जा सका।

(ङ) नई दिल्ली नगर परिषदों ने ऐसे मामलों की पुनरावृति रोकने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं जिसमें यादृच्छिक रूप से खाद्य पदार्थ के पैकेटों के नमूने लेना आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक पैकेट पर कोड संख्याओं और निर्माण इत्यादि की तारीख प्रदर्शित करना शामिल है।

पुराने टिनों के पुनः उपयोग पर प्रतिबन्ध

1478. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का पुराने टिनों को खाद्य तेलों के पैक करने के लिये पुनः उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रतिबन्ध को न लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं तथा तेल मिल मालिकों के लिये कठिनाई उत्पन्न होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख). उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की पैकिंग के लिए पूर्ण प्रयुक्त टीन के डिब्बों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ग) और (घ). जी हां।

गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रतिबंध को स्थगित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं एवं तेल उत्पादकों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने आदेशों के क्रियान्वयन को तब तक स्थगित रखने का सुझाव दिया है जब तक कि सभी संबंधित वर्गों केसाथ इस मामले पर चर्चा न कर ली जाए और उपयुक्त राय न वना ली जाए।

(ङ) इस संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने का निर्णय किया गया है क्योंकि संशोधित नियम पहले ही 4 फरवरी, 1996 से लागू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

चावल की डॉलर में कीमत

1479. श्री नवल किशोर राय:

डा. महादीपक सिंह शाक्य:

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):

श्री बलराज पासी:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल डॉलर के बदले में चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या डालर का मूल्य रूपये के मूल्य के अनुरूप निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी दर क्या है;

(ङ) क्या उपरोक्त मूल्य प्रणाली के द्वारा रूपये की तुलना में चावल के मूल्य में भी वृद्धि होगी और चावल के लिए निगम को दी जाने वाली राजसहायता में भी कमी आएगी; और

(च) यदि हां, तो चावल के प्रकारों सहित राजसहायता में अनुमानतः कितनी राशि की कमी आएगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). सरकार ने हाल ही में चावल के निर्यात के लिए खुली बिक्री के मूल्य डालर में निर्धारित किए हैं जिनकी वसूली

भारतीय रूपये में की जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग). को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। यह स्थिति तब होगी जब अमरीकी डालर की विनियम (बिल) दर भारतीय रूपये के मुकाबले अधिक हो जाएगी। यदि भारतीय रूपये के मुकाबले अमरीकी डालर की दर कम हो जाती है तो स्थिति उलटी हो जाएगी।

(च) नए मूल्य-निर्धारण पैटर्न के अधीन सब्सिडि में बचत की धनराशि का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

चौबीस घंटे चिकित्सा सुविधाएं

1480. श्री महेश कनोडिया:

श्री पंकज चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौबीस घंटे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए छोटे चिकित्सा केन्द्र और मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये केन्द्र कहां-कहां खोले जाते हैं;

(घ) उनके निर्माण में कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(ङ) उपरोक्त चिकित्सा केन्द्र कब तक खुल जाएंगे?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

चीनी मिलें बेचना

1481. श्री एन.जे. राठवा:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्यों में उदारीकरण के नाम पर कुछ चीनी मिलों को बेच दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ख). केन्द्रीय सरकार को उदारीकरण के तहत चीनी मिलों को बेचने के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चीनी मिलों का कार्यनिष्पादन

1482. श्री नरेश कुमार बालियान: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक चीनी मिल का कार्य निष्पादन कितना-कितना रहा; और

(ख) इन चीनी मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) पिछले तीन चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) में प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक चीनी मिल का कार्य-निष्पादन दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 5 चीनी उपक्रमों को उनके प्लांट तथा मशीन के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि के वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसी क्षेत्र के समान संख्या के उपक्रमों को गन्ना विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चीनी विकास निधि से धनराशि उपलब्ध कराई गई।

विवरण

पिछले तीन चीनी वर्षों में एक वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के चीनी मिलों का कार्य-निष्पादन दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	फैक्टी का संक्षिप्त नाम	पेरा गया गन्ना (टनों में)			बनाई गई चीनी (टनों में)			वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता के उपयोग के संबंध में (%)		
		1992-93	1993-94	1994-95 (अ)	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राजस्थान									
1.	श्रीगंगा नगर	33894	31572	52662.94	3390	2813.13	5034.52	53.81	44.66	79.92
	उत्तर प्रदेश									
2.	मोहिद्दीनपुर	174670.79	226798.73	226473.85	14940.31	20424.97	20737	75.00	102.53	104.10
3.	सखौती टांडा	154375.33	206359.65	203016.39	14030.60	16936.41	19024.20	70.43	95.06	95.50
4.	मेरठ	106780.96	81137	51869.95	9926.40	6906	4243.40	61.32	42.66	26.21
5.	बुलन्दशहर	30428.60	91008.56	73104.51	12010	7412.70	5995	59.34	36.62	29.62
6.	सहारनपुर	97740.18	265680.33	308792.73	8237.70	24246.02	28188.14	46.95	138.21	160.68
7.	रोहानाकना	254258.36	265647.94	289912	25215	25280	27774	113.29	113.58	124.78
8.	डाईवाला	268706.37	273930.20	295581.22	24936.50	24280.10	26890.60	75.11	73.13	80.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	बिजनौर	268082.45	276890.15	320220.42	23982.10	25115.10	26890.60	72.23	75.64	90.93
10.	अमरोहा	354397.83	326310.62	336402.90	33480.08	29196.16	32124.88	130.96	114.21	125.66
11.	रामपुर	221163.35	240071.78	334981.09	20034.34	21540.26	30037.84	49.49	53.21	74.21
12.	बरेली	90541.22	45760.83	130498.67	7529.19	3493.97	11543.77	55.80	25.89	85.56
13.	महोली	105130.51	49709.24	134143.96	9034.14	4230.92	11938.64	44.54	20.90	58.99
14.	हरदोई	142609.78	85585.61	113465.59	12547	6982.80	9845.50	51.65	28.75	40.53
15.	छाता	200788.12	194332.43	250049.01	17416.0	16196.71	21870.13	52.46	48.78	65.87
16.	चान्दपुर	292852.83	270297.80	300736.10	29280	25289.30	29199.10	110.24	95.21	109.93
17.	किच्छा	435899.72	398179.77	490633.79	41132.05	38035.68	47985.39	103.24	95.46	120.44
18.	घाटमपुर	90713.88	32009.50	71874	8983.49	3048.23	6638	54.11	18.36	39.98
19.	बाराबंकी	61181	41047.91	68645.01	4978.42	3328.80	5971.20	37.49	25.06	44.96
20.	बुड़वाल	69484.70	31346.48	84915.58	5697.71	2825.16	7749.42	52.77	26.16	71.77
21.	जरवाल रोड	35449.47	154347.80	262514.78	10830.64	13269	23249.50	72.95	89.37	156.59
22.	पिपराइच	116018.25	72141.89	106885.91	9984.50	6102.60	8653.50	92.47	56.52	80.15
23.	घुगली	98488.86	81340.70	110883.70	8180	7756.50	10640	60.62	57.42	78.86
24.	सिसुआवाजार	311112.87	262800.49	394757.21	28828	25035.75	35275.36	86.83	75.41	106.25
25.	खाडडा	261323	199182.18	302166.18	23031	18785.60	25684	138.74	113.16	154.72
26.	लक्ष्मीगंज	155445.90	105261.34	142742.14	13398.60	9348.20	11820.50	112.10	78.21	98.90
27.	रामकोला	138162.68	92937.90	135999.64	11701.98	8176.76	11341.68	111.40	77.84	107.97
28.	भटनी	103042	81824	104580.83	9068	7074.50	8473.50	67.20	52.43	62.80
29.	छितानी	137934.27	8149024	150017.22	11995.01	6931.60	11672.38	111.10	64.20	108.11
30.	मुंडरवा	84355.72	88604.91	114088.55	7334.80	7660.80	9633.50	77.68	81.13	102.02
31.	नंदगंज	75961.47	47232.30	50263.88	6418.80	4012.80	3870.50	38.66	24.17	23.31
32.	दरियापुर	110109.84	61718.10	107563.28	10368.00	5775	11906	62.59	34.79	71.72
33.	बैतालपुर	109783.09	77394.94	116960.29	9052.20	6730	10533	74.57	55.44	86.77
34.	देवरिया	103194.59	77292.42	124598.98	9078.86	6728.99	10279.68	70.84	52.51	80.21
35.	रतना (शाहगज)	86831.86	63645.35	62219.35	7463	5219.80	4946.70	55.31	38.68	36.66
36.	नवाबगंज	97192.09	58177.81	0.00	7488.90	4391.30	0.00	37.00	21.69	0%
	मध्य प्रदेश									
37.	मेहिदीपुर रोड	19054.97	11441.91	21690.59	2025.33	1158.97	2319.96	45.41	25.98	52.01
	बिहार									
38.	गरोल	5372.49	592.17	0.00	311.45	35.55	0.00	4.06	0.46	0%
39.	रयाम	11076.14	3705.16	0.00	837.02	268.85	0.00	9.58	3.08	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	लोहट	25614.04	12877.71	0.00	1690.53	869.25	0.00	13.55	6.97	[illegible]
41.	सकरी	13203.08	5852.69	33543.02	1023.25	420.96	2776.28	13.33	5.48	36.17
42.	समस्तीपुर	27033	112307	26387	2241	997	1807.70	29.38	13.07	23.70
43.	बनमखी	31612.25	124547.27	18600.26	2453.50	906.90	1352.76	25.58	9.45	14.10
44.	लौरिया	131900.77	96188.49	158896.30	12314.50	8316.79	13483.30	80.22	54.18	87.84
45.	सुगोली	42600.70	27851.41	41149.82	3286.32	2160.57	3086.72	38.08	25.04	35.77
46.	मीरगंज	85955.43	70638.50	108137.58	7560.72	6144	9353.64	45.04	36.60	55.73
47.	सवान	1199.68	0.00	0.00	84.10	0.00	0.00	1.25	0%	0%
48.	न्यू सवान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
49.	बिहटा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
50.	वारसलीगंज	1842.09	0.00	0.00	110.88	0.00	0.00	1.65%	0%	0%
51.	गुरारो	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
52.	चारगोला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	पश्चिम बंगाल									
53.	अहमदपुर	11380.66	6863.91	31755.43	891.46	485.05	2257.51	39.94	21.73	101.14
54.	दीमापुर	37166.67	17855.07	10898.33	2936.72	1186.55	785.29	45.88	18.54	12.27
	आन्ध्र प्रदेश									
55.	शकरनगर	278552.88	328059.25	512393.96	29796.14	32138.79	49229.91	66.50	71.73	109.87
56.	जंहीराबाद	85989.22	104317.17	250057.28	8602.00	9722.46	19452.55	70.22	79.36	158.79
57.	मीरायलगुडा	0.00	0.00	56311.06	0.00	0.00	5011.40	0%	0%	40.91
58.	हिन्दपुर	25017.40	57292.37	134837.33	2276.47	5427.53	12372.73	18.58	44.31	101.00
59.	[illegible]पल्ली	42624.50	99441.25	186515.94	3644.62	8950.39	16517.86	29.75	73.06	134.84
60.	मेडक	205043.01	170763.42	259583.00	22558.10	17640.76	23701.09	184.15	144.00	193.48
61.	बोबिली	44376.78	54308.22	87733.24	3102.89	4559.02	6386.62	49.25	54.73	76.67
62.	सियनग्राम	41818	61053.36	72599.80	4356.52	5911.55	6459.67	72.87	98.89	108.05
	कर्नाटक									
63.	मांडया	634672.00	649733	778332	58290.28	61371.81	73205.01	86.58	91.16	108.74
64.	गंगावती	102946.99	59989.80	165288.02	10346.16	5879	16243.42	30.73	17.46	48.25
65.	भद्रावती	341956.16	261022.46	454190.66	34574.61	26189.11	46429.40	102.71	77.80	137.94
	तमिलनाडु									
66.	थंजावर	387548.91	347737.31	580682.72	36522.72	30365.90	46599.95	92.93	77.26	118.57
67.	पैरामबलूर	447684.26	433734.44	859633.07	43720.22	40749.35	71754.28	92.70	86.40	152.15
68.	मदुरा	111954.83	176299.71	374739.63	10489.35	15348.09	30560.06	53.38	78.11	155.52

[अनुवाद]

संयुक्त नदी आयोग

1483. श्री जगतबीर सिंह द्रोण: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नदी जल के बंटवारे के संबंध में विवादों को निपटाने के लिए गठित भारत नेपाल संयुक्त नदी आयोग की कोई बैठक आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जल के बंटवारे से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए भारत-नेपाल संयुक्त नदी आयोग का गठन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारत और नेपाल के बीच बहने वाली नदियों के जल के बंटवारे संबंधी विवादों को आपसी बातचीत के जरिए हल किया गया है। अभी हाल में, ''सारदा बराज, टनकपुर बराज एवं पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी बेसिन के एकीकृत विकास संबंधी संधि पर दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों द्वारा दिनांक 12.2.1996 को हस्ताक्षर किए गए।

पोलियो मुक्त जिले

1484. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुल जिले पोलियो मुक्त घोषित किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल का पइनमिट्ठा जिला पोलियो से पूरी तरह मुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो इसे पोलियो मुक्त घोषित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). अक्तूबर, 1988 से पठानमथिट्टा जिले से पोलियो के किसी रोगी की सूचना नहीं दी गई है। तथापि, एक जिला इतनी छोटी इकाई होता है कि उसे पोलियो मुक्त जिला घोषित नहीं किया जा सकता।

चीनी का उत्पादन

1485. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर से दिसम्बर, 1995 के दौरान 1994 की उसी अवधि की तुलना में चीनी के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उत्पादन में आई गिरावट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). 1995-96 मौसम के दौरान 31 दिसम्बर, 1995 तक चीनी का उत्पादन 37.27 लाख मी.टन था, जबकि 1994-95 मौसम की इसी अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन 41.16 लाख मी.टन था। आरम्भ में इस मौसम (1995-96) में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष से कम था। यह शीर्ष पिराई मौसम (जनवरी से आरम्भ) के दौरान बढ़ा है तथा अब अंतराल नियमित रूप से कम हो रहा है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1994-95 तथा 1995-96 31 दिसम्बर तक (अन.) मौसम के दौरान चीनी का राज्यवार उत्पादन

क्रम सं.	राज्य	उत्पादन 1995-96 (टनों में)	उत्पादन 1994-95 (टनों में)	बढ़ोत्तरी (+) अथवा (-) 1995-96 में, 1994-95 पर
1.	पंजाब	177545	162252	15293.00
2.	हरियाणा	103095	135018	-31923.00

1	2	3	4	5
3.	राजस्थान	1634	782	852.00
4.	उ. प्रदेश	983356	1028143	-44787.00
5.	म.प्र.	19842	9163	10679.00
6.	गुजरात	347476	271905	75571.00
7.	महाराष्ट्र	1277047	1514937	-237890.00
8.	बिहार	74926	80362	-5436.00
9.	असम	0	0	0.00
10.	आं.प्र.	156999	160373	-3374.00
11.	कर्नाटक	356058	384532	-28474.00
12.	तमिलनाडु	200810	338625	-137815.00
13.	केरल	7269	5787	1482.00
14.	उड़ीसा	8612	4698	3914.00
15.	प. बंगाल	2141	2339	-198.00
16.	नागालैंड	0	0	0.00
17.	पांडिचेरी	5947	13856	-7909.00
18.	गोवा	3748	3631	117.00
	समस्त भारत	3726505	4116403	-389898.00

होम्योपैथी अनुसंधान

1486. श्री अन्ना जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे सिथत होम्योपैथी नैदानिक अनुसंधान एकक बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एकक को पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार):

(क) और (ख). जी हां। सरकार द्वारा परिषद के कार्यकरण की की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप परिषद के अध्यक्ष का अनुमोदन लेने के पश्चात, भागलपुर के औषध प्रदान करने वाले एकक सहित पुणे के होम्योपैथी के नैदानिक अनुसंधान एकक और कलकत्ता के केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान को 1986 में बन्द कर दिया गया था।

(ग) और (घ). जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं का निजीकरण

1487. श्री सत्यदेव सिंह:

श्री अमर पाल सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निजीकरण की संभावना की जांच करने के लिए गठित उच्चच्च स्तरीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समिति ने यह निर्णय लिया कि सभी सिंचाई (सतही और भूजल) और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र की सहभागिता व्यवहार्य है तो यह भी वांछनीय होगा कि इसे ऐसी चुनिंदा परियोजनाओं के लिए, जिनमें अंतर्राज्यी मामले, सुरक्षा आदि की समस्याएं नहीं है, प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया जाए। समिति ने विभिन्न अन्य संबंधित पहलुओं जैसे निजी क्षेत्र की सहभागिता का आधार, वित्तीय पहलुओं, कानूनी पहलुओं, निजी निवेशकों को दी जाने वाली रियायतें, आदि की भी सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों पर आधारित आवश्यक दिशानिर्देशों को तय करने के बाद, सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में राज्य सरकारों को पहल करनी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वृक्षारोपण कार्यक्रम में सेना का सहयोग

1488. श्री गोपी नाथ गजपति: क्या **पर्यावरण वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वृक्षारोपण कार्यक्रम में सेना का सहयोग लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में सेना का अभी तक सहयोग लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). सेना, प्रादेशिक सेना के साथ मिलकर पर्यावरण और वन मंत्रालय के पारि-कार्य बलों तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय के बंजर भूमि विकास कार्यबल के माध्यम से वन भूमि तथा वनेतर भूमि दोनों पर वनीकरण कार्य चलाने में मदद देता है, इस समय पारि-कार्य बल उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में और बंजर भूमि विकास कार्य बल मध्य प्रदेश में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सेना अपने फील्ड-फायरिंग रेंजों तथा छावनियों में भी वृक्षारोपण करती है। इन कार्यक्रमों को इन बलों के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जारी रखे जाने की संभावना है।

खाद्य रंग

1489. श्री मोहन रावले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 16 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2059 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पारम्परिक मिठाइयों को बनाने में खाद्य रंगों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञों की क्या राय है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). तकनीकी कमेटी की सिफारिशों, जो हाल ही में प्राप्त हुई है, की जांच की जा रही है।

जल संसाधनों का उपयोग

1490. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषकर केरल में जल संसाधनों के संरक्षण और समुचित उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हासिल उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार का विचार गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों से कोई सहायता लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). केरल सहित देश में जल संसाधनों के संरक्षण और उनके समुचित उपयोग के संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उठाए गए कदमों में से शामिल हैं:- देश के विभिन्न भागों में हर वर्ष जल संसाधन दिवस मनाना, विभिन्न केन्द्रों पर प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना और संचार माध्यमों के जरिए अभियान चलाना आदि। सरकारी प्रयासों के अलावा सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रकाशन जारी करने आदि के जरिए हर वर्ष जल संसाधन दिवस मनाने के लिए गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की सहायता भी ली जाती है। ये संगठन हैं :- भारतीय जल संसाधन समिति, भारतीय वाटरवर्क्स ऐसोसियशन और इंजीनियरों की संस्था (भारत)।

गोदामों की भण्डारण क्षमता

1491. डॉ. के.वी.आर. चौधरी: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के भंडारों की भंडारण क्षमता सहित राज्यवार कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या इन गोदामों की भंडारण क्षमता पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त निगमों को राज्यवार कितनी अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता है; और

(घ) उक्त निगमों की भंडारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के संबंध में विवरण I, II और III संलग्न है।

(ख) चूंकि अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम की क्षमता उपयोगिता क्रमशः 60% और 77% है इसलिए इन निगमों की भंडारण क्षमता पर्याप्त समझी गई है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

दिनांक 1.2.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता, रखा हुआ स्टॉक और इसके उपयोग की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख मीटरी टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भंडारण क्षमता		जोड़	रखा हुआ स्टॉक	उपयोग की प्रतिशतता
		ढकी हुई क्षमता	कैप क्षमता			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.13	-	0.13	0.004	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	17.72	3.00	20.72	9.18	44
3.	असम	2.81	-	2.81	1.41	50
4.	बिहार	6.09	-	6.09	2.60	43
5.	गोवा	0.15	-	0.15	0.005	04
6.	गुजरात	8.07	6.18	14.25	7.79	55
7.	हरियाणा	13.62	3.05	16.67	9.09	55
8.	हिमाचल प्रदेश	0.25	-	0.25	0.36	141
9.	जम्मू व कश्मीर	0.84	0.13	0.97	0.52	53
10.	कर्नाटक	4.15	0.56	4.71	2.97	63
11.	केरल	5.42	-	5.42	3.47	64
12.	मध्य प्रदेश	15.32	1.55	16.87	10.88	65
13.	महाराष्ट्र	16.00	2.25	18.25	9.07	50
14.	मणिपुर	0.14	-	0.14	0.05	37

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	0.17	–	0.17	0.11	61
16.	मिजोरम	0.15	–	0.15	0.03	19
17.	नागालैंड	0.21	–	0.21	0.09	40
18.	उड़ीसा	4.25	–	4.25	2.20	52
19.	पंजाब	52.45	29.82	82.27	58.47	71
20.	राजस्थान	10.60	8.01	18.61	14.69	79
21.	सिक्किम	0.09	–	0.09	0.06	61
22.	तमिलनाडु	7.32	–	7.32	3.45	47
23.	त्रिपुरा	0.35	–	0.35	0.13	37
24.	उत्तर प्रदेश	27.70	5.67	33.37	19.02	57
25.	पश्चिम बंगाल	11.66	–	11.66	4.33	37
26.	चंडीगढ़	0.72	0.15	0.87	0.67	77
27.	दिल्ली	3.69	0.12	3.81	1.43	38
28.	पांडिचेरी	0.41	–	0.41	0.28	69
	जोड़	210.48	60.49	270.97	162.37	60

टिप्पणी : इसमें केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों से किराये पर ली गई 41.95 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है।

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (अपनी और किराये पर ली गई/ढकी हुई और कैप) की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	ढकी हुई			कैप (खुली)			सकल जोड़
		अपनी	किराये पर ली गई	जोड़	अपनी	किराये पर ली गई	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	19	23	42	–	–	–	42
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	–	3	–	–	–	3
3.	मेघालय	2	4	6	–	–	–	6
4.	मणिपुर	2	1	3	–	–	–	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मिजोरम	3	2	5	–	–	–	5
6.	नागालैण्ड	4	2	6	–	–	–	6
7.	त्रिपुरा	2	5	7	–	–	–	7
8.	बिहार	19	46	65	–	–	–	65
9.	उड़ीसा	21	23	44	–	–	–	44
10.	पश्चिम बंगाल	26	53	79	–	–	–	79
11.	सिक्किम	1	2	3	–	–	–	3
12.	दिल्ली	7	1	8	2	–	2	10
13.	हरियाणा	37	75	112	23	1	24	136
14.	हिमाचल प्रदेश	3	14	17	–	–	–	17
15.	जम्मू व कश्मीर	10	3	13	2	–	2	15
16.	पंजाब	104	252	356	78	98	176	532
17.	चंडीगढ़	4	9	13	2	2	4	17
18.	राजस्थान	35	43	78	14	17	31	109
19.	उत्तर प्रदेश	51	188	239	30	24	54	293
20.	आन्ध्र प्रदेश	35	102	137	2	–	2	139
21.	केरल	20	12	32	–	–	–	32
22.	कर्नाटक	11	25	36	10	–	10	46
23.	तमिलनाडु	16	14	30	–	–	–	30
24.	पांडिचेरी	3	–	3	–	–	–	3
25.	गुजरात	14	20	34	11	10	21	55
26.	महाराष्ट्र	16	37	53	3	2	5	58
27.	गोवा	1	–	1	–	–	–	1
28.	मध्य प्रदेश	41	128	169	2	5	7	179
	जोड़	510	1084	1594	179	159	338	1932

विवरण-III

31.12.1995 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम के केन्द्रीय भण्डागारों और भाण्डागार क्षमता की राज्य/क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	भाण्डागारों की सं.	भाण्डागार क्षमता (मीटरी टन में)				सकल उपयोगिता
				निर्मित/किराये पर ली गई/अपनी	खुली	जोड़	
की %ता							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**अहमदाबाद क्षेत्र**						
	गुजरात	27	192563	66875	35148	294568	85
2.	**बंगलौर क्षेत्र**						
	1. कर्नाटक	22	130610	53494	—	184104	84
	2. केरल	5	67909	3201	—	70210	82
	जोड़27	198519	55795	—	254314	84	
3.	**भोपाल क्षेत्र**						
	मध्य प्रदेश	39	530790	141870	—	672660	93
4.	**भुवनेश्वर क्षेत्र**						
	उड़ीसा	9	126000	3902	—	129902	65
5.	**मुंबई क्षेत्र**						
	1. महाराष्ट्र	69	347009	213137	203073	763219	95
	2. गोआ	2	17000	—	—	17000	संपूर्ण
	जोड़71	364009	213137	203073	780219	95	
6.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास मुंबई	3	165840	20000	50000	235840	संपूर्ण
7.	**कलकत्ता क्षेत्र**						
	पश्चिम बंगाल	45	288706	243304	22304	554314	64
8.	**चंडीगढ़ क्षेत्र**						
	1. हरियाणा	16	140680	65344	—	206024	71
	2. हिमाचल प्रदेश	2	5370	—	5370	सम्पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. पंजाब	28	440200	149958	83996	674154	84
	4. चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र	1	10550	2652	—	13202	80
	जोड़ :	47	596800	217954	83996	898750	81
9.	**दिल्ली क्षेत्र**						
	1. राजस्थान	15	111395	42108	897	154400	68
	2. दिल्ली राज्य क्षेत्र	13	111093	23043	9416	144362	सम्पूर्ण
	3. मारूति उद्योग	1	—	2869	—	2869	सम्पूर्ण
	जोड़ :	29	223298	68020	10313	301631	86
10.	**गुवाहाटी क्षेत्र**						
	1. असम	6	44200	627	—	44827	64
	2. मणिपुर	1	—	1800	—	1800	28
	3. मिजोरम	1	1500	—	—	1500	—
	4. नागालैंड	1	13000	—	—	1300	88
	5. त्रिपुरा	2	24000	—	—	24000	90
	जोड़ :	11	82700	2477	—	85127	73
11.	**हैदराबाद क्षेत्र**						
	आन्ध्र प्रदेश	54	953030	129141	16007	1098178	62
12.	**लखनऊ क्षेत्र**						
	उत्तर प्रदेश	51	820590	65842	4563	890995	64
13.	**मद्रास क्षेत्र**						
	1. तमिलनाडु	27	492562	59747	15045	567354	72
	2. पांडिचेरी	1	7350	3360	—	10710	95
	जोड़ :	28	499912	63107	15045	578064	72
14.	**पटना क्षेत्र**						
	1. बिहार	16	114137	46696	—	160833	61
	सकल जोड़ :	457	5156894	1338052	440449	6935395	77

[हिन्दी]

वृक्षारोपण योजनाएं

1492. श्री भोगेन्द्र झा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में हरियाली, पर्यावरण और लकड़ी के भंडार के संरक्षण हेतु रेल लाइनों, सड़कों और नहरों के तटबन्धों के दोनों और फलदार तथा अन्य प्रकार के वृक्ष लगाने और उन्हें सुरक्षित रखने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए चरणबद्ध योजना बना ली गई है और क्रियान्वित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं। रेल लाइनों, सड़कों तथा नहरों के किनारों पर भी ये कार्यकलाप चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे अपनी-अपनी परियोजनाओं में उनके एक अभिन्न हिस्से के रूप में सड़कों, नहरों/नदियों, रेलवे लाइनों के किनारों पर वृक्षारोपण कार्य को भी शामिल करें।

[अनुवाद]

सुपर बाजार को लाभ

1493. डा. वसंत पवार: क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सुपर बाजार के लाभ की वर्षवार वृद्धि दर क्या है;

(ख) क्या लाभ में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सुपर बाजार के कार्यकरण को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) सुपर बाजार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार सुपर बाजार का सकल लाभ, निवल लाभ तथा वृद्धि दर निम्नवत है:-

(लाख रू. में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
सकल लाभ	807.13	925.40	1051.00
वृद्धि दर	-	14.65%	13.57%
निवल लाभ	10.83	41.65	22.11
वृद्धि दर	-	284.58%	(-) 46.92%

(ख) हालांकि वर्ष 1993-94 के दौरान गत वर्ष की तुलना में सकल लाभ तथा निवल लाभ में वृद्धि हुई है, तथापि वर्ष 1994-95 के दौरान निवल लाभ में गत वर्ष की तुलना में कमी आई है।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि 1994-95 के दौरान निवल लाभ में कमी ऊपरी खर्च में वृद्धि होने के कारण हुई है।

(घ) सुपर बाजार एक स्वायत्तशासी सहकारी समिति है, जिसका अपना प्रबंधन है, जो उसकी गतिविधियों का नियोजन तथा नियंत्रण करता है। सरकार केवल समय-समय पर इसके कार्यकरण की समीक्षा करती है। तथापि, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि बाजार के कार्यकाल में सुधार करने के लिए अलाभकर शाखाओं को बंद कर दिया गया है और कुछ आर्थिक रूप से अलाभप्रद चलती-फिरती दुकानों को बंद कर दिया गया है। केवल तकनीकी वर्गों को छोड़कर 1988 से नई भर्ती पर रोक लगा दी गई और जब कभी नई शाखाएं खोली जाती हैं, तो मौजूदा कर्मचारियों में से ही कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

सी.पी.सी.बी. द्वारा जोनल एटलस को तैयार किया जाना

1494. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बी.पी.सी.बी.) के चरणबद्ध तरीके से जिलावार जोनल एटलस तैयार करते हुए पूरे देश की एटलस तैयार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके किन उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा;

(ग) क्या सी.पी.सी.बी. ने इस प्रयोजनार्थ कोई पर्यावरणीय योजना ग्रुप गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न, जिलों से संबंधित जोनल एटलस तैयार करने हेतु संबद्ध राज्य सरकारों से सहयोग मांगा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 के दौरान सी.पी.सी.बी. द्वारा इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने जिलों को शामिल किया जाएगा तथा तत्संबंधी विवरण क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चरणबद्ध ढंग से देश को कवर करने के लिए पर्यावरणीय निहितार्थों के आधार पर उद्योगों के नियतन हेतु जिला-वार जोनिंग एटलस तैयार करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के उद्देश्य हैं :-

1. उद्योगों के स्थलनियतन हेतु क्षेत्रों का जोन बनाना और वर्गीकृत करना।

2. उद्योगों के स्थलनियतन हेतु स्थान की शिनाख्त करना।

3. शिनाख्त किए गए स्थलों के लिए उचित उद्योगों की शिनाख्त करना।

(ग) और (घ). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता, नियोजकों और इंजिनियरों, अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा संबद्ध उपकरणों सहित एक पर्यावरणीय योजना ग्रुप गठित किया गया है।

(ङ) और (च). इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सहयोग मांगा है और 1995-96 के दौरान 14 राज्य इस परियोजना को संचालित करने के लिए स्वैच्छिक रूप से आगे आए हैं। 1996-97 के दौरान अनेक अन्य राज्य भी राज्यों के नए जिलों में इस परियोजना में भाग लेने के लिए आगे आए हैं।

(छ) 1996-97 के दौरान कवर किए जाने वाले जिलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान कुल 70 जिले कवर किए जाने हैं। ब्यौरे नहीं निकाले गए हैं।

विवरण

1996-97 के दौरान उद्योगों के स्थल नियतन हेतु जोनिंग एटलस तैयार करने के लिए जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	1996-97 के लिए जिले
1	2	3
1.	केरल	एर्नाकुलम, कन्नूर
2.	मध्य प्रदेश	4 जिलों (अंतिम रूप दिया जाना है)
3.	त्रिपुरा	संपूर्ण राज्य (4 जिले)
4.	पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी दार्जिलिंग जिले का सिलीगुड़ी उप-प्रभाग
5.	गोवा	संपूर्ण राज्य
6.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू/श्रीनगर
7.	बिहार	पटना, राँची, हजारीबाग, भागलपुर, वैशाली, बेगूसराय में से चार जिले
8.	कर्नाटक	बेल्लारी, बेलगाम, धारवाड, बंगलौर (ग्रामीण)
9.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर, मेरठ
10.	गुजरात	जुनागढ़, अमरेली, भावनगर, जामनगर
11.	मेघालय	रि-भोई
12.	उड़ीसा	क्योंझोर, कटक (अविभक्त)
13.	संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी	पांडिचेरी और काराईकाल क्षेत्र
14.	हिमाचल प्रदेश	2 जिले (अंतिम रूप दिया जाना है)
15.	महाराष्ट्र	2 जिले (अंतिम रूप दिया जाना है)
16.	असम	दारंग, सोनितपुर, सिबसागर

1	2	3
17.	मणिपुर	———
18.	अरूणाचल प्रदेश	2 जिले (अंतिम रूप दिया जाना है)
19.	राजस्थान	2 जिले (अंतिम रूप दिया जाना है)
20.	तमिलनाडु	चेंगल पट्टू- एम जी आर
21.	अति. राज्य/जिले	6 जिले
	कुलः	52 जिले

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात मूल्य

1495. श्री नवल किशोर रायः क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गेहूं के निर्यात मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ; और

(ग) क्या गेहूं के मूल्यों में यह वृद्धि भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1995-96 के लिए निर्धारित गेहूं के किफायती मूल्यों से भी कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वृद्धि की प्रतिशतता 6.77% से 13.57% के बीच है।

(ग) जी, हां। दिनांक 2.2.1996 से निर्धारित गेहूं के वर्तमान बिक्री मूल्य पंजाब, हरियाणा, आदि में 122.89 अमरीकी डालर प्रति मीटर टन से लेकर पत्तन नगरों के 50 किलोमीटर की दूरी के अन्दर 141.58 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के रेंज में हैं। दिनांक 2.2.1996 को स्थिति के अनुसार भारतीय रुपये में ये मूल्य 4458.45 रुपये से 5136.50 रुपये प्रति मीटरी टन बैठते हैं जबकि भारतीय खाद्य निगम की इक्नामिक लागत 5636 रुपये प्रति मीटरी टन है।

गांवों में पर्यावरण आयोजना

1496. श्री महेश कनोडिया. क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में पर्यावरणीय आयोजन के लिये किसी स्कीम को आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में, वर्षवार इस स्कीम पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, गैर-कृषि भूमि पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 14 नवम्बर, 1995 को ''जिले की सबसे हरी पंचायत'' नामक एक योजना शुरू की गई थी। पंचायतें वर्ष 1996 से 2000 तक किए गए अपने-अपने वृक्षारोपण कार्यों का ब्यौरा भेजेंगी। 4 वर्षों की अवधि में कम से कम 10 हैक्टेयर क्षेत्र पर कार्य किया जाएगा अथवा 7,500 वृक्षों का रोपण किया जाएगा। प्रत्येक जिले की सबसे अच्छी पंचायत पर निर्णय लिया जाएगा और उसे एक लाख रुपय प्रदान किए जाएंगे।

[अनुवाद]

तेलुगु गंगा परियोजना

1497. श्री रामकृष्ण कोंताला: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलुगु गंगा परियोजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) तेलुगु गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य मद्रास शहर को 15 हजार मिलियन घन फुट जल की आपूर्ति करना है। आन्ध्र प्रदेश, सरकार ने राज्य के करनूल, कुडप्पा, चित्तूर तथा नेल्लूर जिलों में मार्गस्थ सिंचाई की भी परिकल्पना की है।

(ख) अंतर्राज्यीय जल मुद्दों के हल न किए जाने के कारण सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 1988 में इस परियोजना पर विचार स्थगित कर दिया गया। कृष्णा बेसिन राज्यों ने अपने स्वयं के बीच अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने का निर्णय लिया है। 1465.00 करोड़ रुपए की अद्यतन अनुमानित लागत की तुलना में मार्च, 1995 तक प्रत्याशित व्यय 708.21 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजना को आठवीं योजना के बाद तक आगे ले जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

वन्य उत्पादों को जब्त किया जाना

1498. श्री नरेश कुमार बलियान:

श्री चिन्मयानंद स्वामी:

क्या **पर्यावरण वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में देश में, विशेषरूप से दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में, जानवरों की खाल तथा अन्य वन्य जीव उत्पाद जब्त दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जब्त की गई वस्तुओं का क्या ब्यौरा है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) जंगली जानवरों को मारने तथा उपर्युक्त वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां। हाल ही में वन्यजीव उत्पादों का अनेक बार पकड़े जाने की खबरें है। राज्य तंत्र के माध्यम से पकड़ी गई वस्तुओं के ब्यौरे राज्य सरकार द्वारा रखे जाते हैं। यह मंत्रालय दिल्ली, बंबई, मद्रास और कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय वन्यजीव संरक्षण कार्यालयों के जरिए पकड़ी गई वस्तुओं के ब्यौरे एकत्र और उनका मिलान करता है। गत एक वर्ष में वन्यजीव के क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं के ब्यौरों के साथ-साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डनों से प्राप्त जब्ती की सूचनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) इन मामलों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और अन्य संगत अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

(घ) वन्य जीव जन्तुओं को मारने और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल वन्य पशुओं के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध है।
2. बाघ, हाथियों तथा गैंडों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा तथा सरंक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
3. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 441 वन्यजीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र कवर है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
4. वन्यजीव प्राधिकारियों को वन्य पशुओं के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर उनके द्वारा छापे मारे जाते हैं।
5. पशुओं के संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।
6. वन्यजीवों की तस्करी को रोकने के लिए अधिकांशतया देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाते हैं।
7. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा-शुल्क तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षकों आदि जैसे अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्तर-विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। 1995 के दौरान नई दिल्ली और देहरादून में इन सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ।

विवरण

क्र.सं.	पकड़ी गई मदें	वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय	सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू दिल्ली	सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5
1.	बाघ की खाल	5	–	6
2.	बाघ के नाखून	290	–	–
3.	बाघ की हड्डियां	10 कि.ग्राम.	–	–
4.	तेन्दुए की ख़ाल	9	15	16
5.	चीते की खाल	4 कि.ग्राम.	3.200 कि.ग्रा.	–
6.	मरू बिल्ली की खाल	212	27	–
7.	मरू लोमड़ी की खाल	796	–	–
8.	जंगली बिल्ली की खाल	21	10	–
9.	तेन्दुआ बिल्ली की खाल	12	–	–
10.	गंध्र बिलाव की खाल	7	–	–
11.	उदबिलाव की खाल	46	–	–
12.	कृष्णसार की खाल	21	2	21
13.	लोम यर्म/वस्तुएं	2016 कि.ग्रा.	–	–
14.	वन्य पशुओं की खाल	253 कि.ग्रा.	–	हां
15.	सिल्वर लोमड़ी की खाल	1	–	–
16.	लोमड़ी/सियार की खाल/वस्तुएं	455	484	–
17.	हाथी के पैर	1	–	
18.	गजदन्त	1	–	
19.	मोर पंख	22.540 कि.ग्रा. + 7981	–	–
20.	साहीक्विल	5.550 कि.ग्रा. + 5600	–	–
21.	जंगली पक्षियों के पंख	7.395 कि.ग्राम	–	–
22.	छिपकली की खाल	1	–	–
23.	मगरमच्छ की खाल	3	–	–
24.	घड़ियाल की खाल	1	–	–

1	2	3	4	5
25.	गिलहरी की खाल	2	–	–
26.	जेबरा की खाल	1	–	–
27.	मृगश्रृंग/वस्तुएं	45 + 593.7 कि.ग्रा.	–	मीट
28.	हाथी दांत/हाथी दांत की बनी वस्तुएं	817 + 23.4 कि.ग्रा.	–	77.742 कि.ग्रा.
29.	नेवले के बाल	3.800 कि.ग्रा	–	–
30.	नेवले के बाल ब्रश/अन्य वस्तुएं	924	10682	–
31.	गैंडे के सींग	1	–	1
32.	सांप की खाल की वस्तुएं	11	–	–
33.	पैंथोलोप हागसोनी (शहतूश) से प्राप्त	172	–	–
34.	जंगली पशुओं के सींग	7	–	–
35.	परिक्षित तितलियां	0.2 कि.ग्रा. + 267	–	–
36.	मेंढ़क	50	–	–
37.	कछुएं	160	–	–
38.	गिरगिट	10	–	–
39.	बाज	3	–	–
40.	टुइयां तोता	240	3607	–
41.	मुंनिया	–	3127	–
42.	मैना	2	85	–
43.	बाया	–	233	–
44.	ब्रहमी बतख	–	12	–
45.	बुलबुल	–	25	–
46.	लघुपुच्छ वानार	–	1	–
47.	समुदी सीपी/वस्तुएं	125.615 कि.ग्रा. + 3147 + 30 पैकेज	–	–

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम में कथित अनियमितताएं

1499. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय खाद्य निगम में अनेक अनियमितताएं एवं घोटाले हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के कार्यकरण को सुधारने एवं सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). अभी तक किसी प्रकार के घोटाले की डील नोटिस में नहीं है। तथापि, जब कभी अनियमितताएं पाई जाती हैं तब इनकी जांच की जाती है और दोषी व्यक्ति के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए मामलों और दिए गए दण्ड का ब्यौरा निय निम्नानुसार है :-

	1993	1994	1995
पंजीकृत मामलों की संख्या	773	545	539
जिन मामलों में दण्ड दिया गया उनकी संख्या	663	575	454

(ग) भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता विभाग द्वारा नियमित और अचानक की जाने वाली जांच में तेजी लाई गई है। पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	नियमित जांच	अचानक की गई जांच	जोड़
1993	1189	643	1832
1994	1495	1175	2670
1995	1329	1245	2574

इसके अतिरिक्त भारत सरकार निगम की कार्यप्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से तिमाही आधार पर इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है।

[हिन्दी]

पल्स पोलियो अभियान

1500. श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश भर में चलाए गए पल्स पोलियों अभियान में फरीदाबाद में स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी संख्या 70 को शामिल नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस चूक के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं। पल्स पोलियों अभियान के अन्तर्गत औषधालय, सामान्यत: संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय अपेक्षाओं के आकलन के आधार पर चयनित किए गए थे। फरीदाबाद स्थित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या-70 का चयन हरियाणा सरकार द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि अन्य औषधालयों की तुलना में इस औषधालय की अवस्थिति मध्य में नहीं थी।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. संक्रमण

1501. श्री अन्ना जोशी :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे और मुंबई में एच.आई.वी. का संक्रमण तीव्रता से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर वर्ष 1994 से अब तक कुल कितने व्यक्तियों और उनमें से कितनी गर्भवती महिलाओं में एच.आई.वी. पॉजिटिव पाया गया और कितने लोगों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है; और

(ग) एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करके इस संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1994 के आरंभ और 29.2.96 तक की अवधि के दौरान, महाराष्ट्र से एच आई वी पाजिटिव के 1755 रोगी, जिनमें से 917 रौगी पूर्णत : एड्स से ग्रस्त हैं, की सूचना प्राप्त हुई है। एंट्री-नैंटाल क्लीनिक में सेंटिनल सर्वेक्षण के दौरान जिन 800 गर्भवती स्त्रियों की स्क्रीनिंग की गई, उनमें से 2.5 प्रतिशत गर्भवती स्त्रियों के एच आई वी संक्रमण से पीड़ित होने की सूचना राज्य सें प्राप्त हुई है। एच आई वी पाजिटिव लोगों को दाखिल करने के लिए पृथक - रूप में कोई वही स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें अन्य सामान्य रोगियों की तरह दाखिल किया जाता है और उनका उपचार किया जाता है।

(ग) हाल में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में कायन्वियनाधीन है। इस कार्यक्रम को 1992-97 की अवधि के दौरान विश्व बैंक के 84 मिलियन यू.एस. डालर (222.6 करोड़ रू.) के हल्के ऋण से वित्तपोषित किया जा रहा है। एड्स का सामना करने हेतु, कार्यक्रम प्रबंधन सुदृढ़ीकरण, जोखिम व्यवहार समूहों और सामान्य जनता में जानकारी उत्पन्न करना, यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, कंडोम संवर्धन, रक्त सुरक्षा और रक्त का विवेकसम्मत प्रयोग तथा बेहतर निगरानी सुविधाएं, एच आई वी / एड्स रोगियों के निदान और प्रबंधन की नीतियां तैयार की गई है।

चीनी उद्योग

1502. **श्री सनत कुमार मण्डलः क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और विश्वस्तर पर चीनी उत्पादन में इसका हिस्सा 14% है परन्तु फिर भी भारत न तो चीनी का विश्वसनीय निर्यातक देश है और न ही देश का चीनी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक पाने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली लेवी चीनी की मात्रा में पिछले कई वर्षों से कमी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के संक्षरण हेतु एक विनियम प्राधिकरण की स्थापना करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). जी, हां। 1994-95 मौसम के दौरान चीनी के लगभग 146 लाख मीटरी टन के भरपूर उत्पादन होने के कारण भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इसके फलस्वरूप हाल ही में चीनी का बड़े पैमाने पर निर्यात हुआ है और चीनी उद्योग चीनी का निर्यात करने हेतु सभी प्रयास कर रहा है।

(ग) और (घ). 1991 की जनगणना के आधार वर पश्चिम बंगाल के मासिक लेवी कोटे में संशोधन कर इसे 27182 मीटरी टन से बढ़ाकर 28934 मीटरी टन कर दिया गया है।

(ङ) और (च). किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सरकार द्वारा स्वयं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अधीन की जाती है।

अन्न बचाओ अभियान

1503. **डा. वसंत पवारः क्या खाद्य मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्न बचाओ अभियान के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार/ वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्यान्नों के परिरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है और क्या खाद्यान्नों का निजी खाद्यान्नों/ भाण्डागारों में भण्डारण करने के लिए निजी एजेंसियों को राज सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्यान्न बचाओ अभियान के संबंध में हुई प्रगति, अन्न सुरक्षा अभियान के दलों (टीमों) द्वारा किए गए कार्यों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा उपाबन्ध पर दिया गया है।

(ग) और (घ). खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों में शामिल है : प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रदर्शन और प्रचार के माध्यम से खाद्यान्नों के परिरक्षण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार करना, प्रति केन्द्रक (न्यूकलियस) गांव के लिए 5000/- रूपये प्रदान कर इनका विकास करना, अन्न भण्डारण के पुराने तरीकों में सुधार करना और किसानों को इपुट्स, जैसे मैटेलिक आऊटलैट्स, इन्लैट्स, पालिथिन शीट आदि के रूप में 300/- रूपये प्रति "स्ट्रक्चर" प्रोत्साहन राशि प्रदान कर पक्की कोठी का निर्माण करना। तथापि, इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडि प्रदान नहीं की गई है। अन्न सुरक्षा अभियान की 14 प्रमुख टीमों और 3 उप (सब) टीमों में से प्रत्येक टीम प्रतिवर्ष 26 और 12 केन्द्रक गांवों का विकास करती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 400 गांव केन्द्रक गांव के रूप में विकसित किए जाते हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के बचाव के संबंध में हुई प्रगति

क. किये गये प्रदर्शन सं. चूहा नियंत्रण अधीन अन्न की कवर किये	अन्न सुरक्षा अभियान के मुख्य दल उप दल की स्थिति	अन्न सुरक्षा अभियान प्रमय/उप-दल द्वारा कवर किया गया क्षेत्र प्रधुमित राज्य मात्रा	संघ राज्य	वर्ष प्रशिक्षण क्षेत्र की संख्या	खाद्यान्नों को बचाने में अ.सु.अ. दलों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति आयोजित गांवों की कार्यक्रमों	कवर पिल्म/ संख्या शो की संख्या	किये भाग ली गई स्लाइड प्रदर्शनियों की संख्या	आयोजित लघु स्तर की	गैर-धात्विक स्थानों का	निर्माण सुधर जिलों की संख्या	भण्डारण किये गये की संख्या उपचारों की संख्या	प्रधुनित निरोधी चूहों के मकानों की संख्या	आयोजित दिये गये क उपचारों (क्विंटल में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अहमदाबाद	गुजरात	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	1993-94	160	67	245	99	1814	16000	8056	7961	17559
				1994-95	87	46	129	63	1339	6500	4506	3833	9161
2.	बंगलौर	कर्नाटक	-	1993-94	106	60	110	90	1407	22720	1393	5342	4347
			-	1994-95	67	40	72	71	1006	11755	660	2999	2678
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	-	1993-94	169	105	245	148	2559	8395	4135	6156	12563
	एवं उप-दल		-	1994-95	131	77	122	112	1602	13685	2270	4409	14082
4.	रायपुर												
5.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	-	1993-94	111	61	106	73	1023	11713	1367	5560	1869
			-	1994-95	76	42	71	62	29	6192	909	4544	604
6.	कलकत्ता	प. बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम	अंडमान और निकोबार,	1993-94	126	74	110	74	1546	2768	1354	4649	2526
				1994-95	102	40	88	67	1236	1650	679	2693	1564
7.	चण्डीगढ़	पंजाब	चण्डीगढ़	1993-94	117	60	107	77	1536	4637	143	867	1222
		हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर	-	1994-95	78	47	83	41	1007	11905	512	1335	2620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	गुवाहाटी	असम, मणिपुर,	-	1993-94	104	60	134	78	1809	2495	1345	2171	2369
		नागालैण्ड, मेघालय,	-	1994-95	64	40	84	61	1106	2900	688	1902	1528
		अरूणाचल प्रदेश											
		और मिजोरम											
9.	गाजियाबाद	हरियाणा, पश्चिमी	-	1993-94	135	81	150	99	1508	5590	1711	9435	10324
		उत्तर प्रदेश, दिल्ली	-	1994-95	99	50	265	43	1010	7157	1729	6835	9237
10.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	-	1993-94	104	82	115	77	1802	9210	2127	2198	4276
			-	1994-95	67	43	66	41	1012	13645	1261	2181	3491
11.	जयपुर	राजस्थान	-	1993-94	114	74	122	92	1478	35725	2407	3027	11246
			-	1994-95	98	83	68	59	1012	4268	755	1136	3605
12.	लखनऊ और	उत्तर प्रदेश उप-दल	-	1993-94	183	106	173	128	2930	9176	6139	4438	11913
			-	1994-95	110	69	114	75	2023	23127	3247	5266	14692
13.	वाराणसी	- वही -											
14.	मद्रास	तमिलनाडु	पांडिचेरी	1993-94	105	60	115	72	1662	56960	13096	6231	6087
			-	1994-95	74	40	117	45	1010	36328	6183	5160	4047
15.	पटना	बिहार	-	1993-94	116	60	112	73	1488	11382	5123	2796	7283
			-	1994-95	76	40	69	60	1255	7976	4483	2480	5738
16.	पुणे	महाराष्ट्र और गोवा	-	1993-94	128	60	214	99	1558	36558	1466	226	5266
			-	1994-95	92	40	174	77	1098	10276	1278	1498	4898
17.	त्रिवेन्द्रम	केरल	लक्षद्वीप	1993-94	57	38	48	42	709	10125	1164	990	4584
			-	1994-95	47	36	34	38	138	16675	1443	961	3427

दिल्ली के अस्पताल

1504. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पतालों को विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्र सरकार अस्पतालों के पास विस्तार हेतु निम्नलिखित योजनाएं है :-

(1) सफदरजंग अस्पताल : ओ पी डी भवन का विस्तार

(2) डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल : आपातकालोन ब्लॉक के विस्तार हेतु योजनाएं।

(3) कलावती सरन अस्पताल : जापनी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण की सहायता से 150 अतिरिक्त पलंगों और नतीनतम उपकरण के साथ-साथ 4 मंजिले भवन के निर्माण की योजनाएं।

[हिन्दी]

रुग्ण चीनी मिलें

1505. श्री हरिन पाठक :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री दत्ता मेद्ये :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री खेलन राम जागड़े :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1995 तक राज्यवार कितनी चीनी मिलें बन्द हो चुकी है; अथवा बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने रूग्ण चीनी मिलों के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) बिहार चीनी निगम के अन्तर्गत चल रही चीनी मिलों की स्थिति क्या है और रेंयम, सकरी लाभ और समस्तीपुर की चीनी मिलों के पुन: चालू करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु कदम उठाये गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) 31.12.1995 को स्थिति के अनुसार 54 फैक्ट्रियों से उत्पादन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन फैक्ट्रियों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है :-

राज्य	मिलों की संख्या
बिहार	15
पंजाब	1
उत्तर प्रदेश	5
गुजरात	3
महाराष्ट्र	8
असम	3
उड़ीसा	1
आन्ध्र प्रदेश	9
कर्नाटक	4
केरल	2
मध्य प्रदेश	2
नागालैंड	1

(ख) एक चीनी मिल कई कारणों से बन्द हो सकती है जैसे - अपर्याप्त गन्ने की उपलब्धता, अलाभकारी आकार, पुराने तथा पारंपरिक प्लांट व मशीनरी, तकनीकी व प्रबंधन संबंधी समस्याएं, वित्तीय कठिनाईयां आदि।

(ग) इस संबंध में संबंधित रूग्ण चीनी मिलों/राज्य सरकारों को अपनी नीति बनानी होती है तथा केन्द्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है।

(घ) सरकार चीनी मिलों को होने वाले लाभ तथा हानि का कोई लेखा-जोखा नहीं रखती। चीनी मिलों को स्वयं ही पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करनी होती है तथा संबंधित संस्थानों से इन योजनाओं को स्वीकृत कराना होंता है। ऐसी पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है, बशर्ते चीनी मिलें निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों की तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी

1506. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई अनिवासी भारतीयों ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में तथा विशेष रूप से चिकित्सा आधारभूत सुविधाओं को स्थापित करने में अपनी रुचि तथा इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अनिवासी भारतीयों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों, यदि कोई हों तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा भी देश के अन्दर व्यक्तिगत या संयुक्तरूप से विदेशी सहयोग के द्वारा लोगों विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शर्तों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (च). जी, हां। पिछले चार वर्षों में अनिवासी भारतीयों द्वारा व्यक्तिगत रूप से और/अथवा निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत में अस्पताल/नैदानिक केन्द्र स्थापित करने के लिए 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र देश में अत्यावश्यक एवं नवीनतम चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने में पहले ही प्रमुख भागीदार हैं।

बाल बचाव कार्यक्रम

1507. **श्री अन्ना जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले तीन वर्ष के दौरान, प्रत्येक वर्ष, राज्यवार, बाल बचाव कार्यक्रम पर किया गया आवंटन, उस पर हुआ व्यय और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में पिछले तीन वर्षों के आबंटन और व्यय के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों में कार्यक्रम की उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

शिशु जीवन-रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 92-93 से 94-95 तक के दौरान आबंटन तथा व्यय के विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित राशि	व्यय की कई	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	593.37	593.33	933.15	933.15	1521.77	1521.77
2.	अरूणाचल प्रदेश	45.89	22.32	50.41	22.62	55.73	55.73
3.	असम	392.15	366.99	524.33	524.33	1099.94	1106.12
4.	बिहार	721.1	721.10	1323.6	1301.43	2475.78	2494.33
5.	गोवा	15.85	15.85	17.54	17.54	24.2	24.98
6.	गुजरात	485.46	485.44	730.19	730.19	1016.75	1022.46
7.	हरियाणा	269.74	269.74	336.9	336.92	483.29	489.47
8.	हिमाचल प्रदेश	122.45	122.45	182	182	230.39	235.15
9.	जम्मू व कश्मीर	88.04	88.04	228.95	228.95	259.76	259.76

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	494.02	494.02	798.63	798.63	1123.92	1133.84
11.	केरल	294.27	294.27	472.84	472.84	710.27	723.33
12.	मध्य प्रदेश	886.23	886.23	1383.17	1383.17	2505.55	2518.37
13.	महाराष्ट्र	676.4	676.40	1145.95	1145.95	1613.73	1638.46
14.	मणिपुर	46.85	46.85	72.31	72.31	81.67	86.11
15.	मेघालय	41.03	41.03	45.89	45.89	53.65	56.91
16.	मिजोरम	24.69	24.69	25.69	25.69	27.65	28.69
17.	नागालैंड	35.33	35.33	36.72	36.72	42.15	44.24
18.	उड़ीसा	400.97	400.97	676.24	676.24	1312.5	1330.37
19.	पंजाब	258.34	263.34	404.6	404.6	487.87	491.38
20.	राजस्थान	608.14	608.14	1091.24	1091.24	2054.6	2076.07
21.	सिक्किम	18.25	18.25	21.5	21.5	20.46	23.16
22.	तमिलनाडु	572.45	573.45	978.38	978.38	1262.88	1274.75
23.	त्रिपुरा	35.18	34.65	56.5	56.5	75.4	77.12
24.	उत्तर प्रदेश	1599.55	1599.55	2357.8	2357.8	4500.03	4558.07
25.	पश्चिम बंगाल	739.02	739.02	845.12	845.12	1254.57	1253.02
26.	अ.नि.	14.16	8.60	13.19	6.69	6.07	6.07
27.	चंडीगढ़	9.69	4.94	10.95	5.85	11.93	11.93
28.	दा.ने.ह.	5.84	1.56	7.63	2.93	9.81	9.81
29.	दिल्ली	80.59	55.30	164.31	137.91	275.72	284.72
30.	द. दीव	6.89	1.81	19482	14.33	1.28	1.28
31.	लक्षद्वीप	7.12	3.38	5.93	1.73	1.02	1.02
32.	पांडिचेरी	33.09	26.18	22.66	20.51	21.72	26.12
	योग	9622.60	9523.22	14984.17	14879.66	24622.06	24880.21

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान शिशु जीवन-रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के तहत उपलब्धियों का राज्यवार विवरण

व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम1992-93 से 94-95 के दौरान लक्ष्य तथा कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र								
			लक्ष्य (लाख में)			कवेरज स्तर (प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
I	**बड़े राज्य**								
1.	आन्ध्र प्रदेश	1992-93	16.40	18.20	100.14	100.30	108.72	95.02	104.70
		1993-94	16.85	18.60	104.05	104.17	110.87	98.70	106.55
		1994-95	16.31	18.04	104.68	104.09	111.08	98.47	10137
2.	असम	1992-93	5.092	6.57	80.08	80.20	90.86	72.33	62.21
		1993-94	6.05	6.72	88.93	88.00	101.46	92.33	82.52
		1994-95	7.02	7.79	84.10	84.12	92.02	86.00	76.42
3.	बिहार	1992-93	27.48	30.46	75.53	74.77	82.73	71.00	63.18
		1993-94	28.07	31.11	77.77	78.27	66.17	71.04	60.32
		1994-95	28.57	31.59	51.87	52.02	53.56	42.73	38.66
4.	गुजरात	1992-93	11.75	13.00	92.18	93.74	97.16	88.27	87.08
		1993-94	11.98	13.25	99.98	100.87	102.15	94.96	94.68
		1994-95	11.78	12.00	99.72	103.41	102.00	96.53	96.80
5.	हरियाणा	1992-93	5.05	5.58	[illegible].67	91.82	100.72	90.59	76.05
		1993-94	5.17	5.17	87.55	88.23	100.56	79.58	72.35
		1994-95	5.38	5.96	93.84	94.35	102.40	85.54	80.71
6.	कर्नाटक	1992-93	12.06	13.33	90.28	90.53	98.80	83.89	91.57
		1993-94	12.29	13.58	94.19	94.36	102.00	88.93	95.48
		1994-95	11.80	13.16	96.54	96.77	102.66	90.68	97.35
7.	केरल	1992-93	5.52	5.86	105.50	110.00	118.61	97.36	103.23
		1993-94	5.50	5.94	100.16	103.38	112.32	92.47	91.39
		1994-95	5.32	5.66	107.44	107.11	114.13	05.45	91.83
8.	मध्य प्रदेश	1992-93	23.04	26.23	79.05	79.03	84.53	81.45	67.53
		1993-94	23.60	26.87	88.60	88.90	93.01	88.77	79.31
		1994-95	22.81	25.86	96.23	96.15	101.28	96.53	91.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	महाराष्ट्र	1992-93	21.23	23.24	96.97	99.39	100.95	91.22	85.61
		1993-94	21.73	23.78	96.51	97.28	101.79	90.02	85.51
		1994-95	20.49	22.46	101.10	102.15	107.03	93.17	88.32
10.	उड़ीसा	1992-93	8.76	10.07	89.31	89.77	98.61	81.74	70.51
		1993-94	8.92	10.25	88.68	88.92	96.61	87.58	76.80
		1994-95	8.70	9.94	98.95	99.10	107.87	93.30	81.61
11.	पंजाब	1992-93	5.46	5.96	103.88	104.41	113.62	105.20	96.67
		1993-94	5.56	6.07	109.29	109.68	115.03	105.75	102.50
		1994-95	5.60	6.12	108.63	108.87	117.63	102.52	103.31
12.	राजस्थान	1992-93	14.02	15.63	93.86	91.99	92.97	89.37	80.20
		1993-94	14.37	16.02	91.28	91.63	91.79	88.22	84.44
		1994-95	15.45	17.30	90.18	90.50	90.23	84.09	78.88
13.	तमिलनाडु	1992-93	12.04	13.27	103.84	104.57	115.49	102.29	100.12
		1993-94	11.85	12.97	103.69	104.12	114.14	102.72	100.67
		1994-95	11.56	12.66	104.07	104.15	114.79	102.51	98.89
14.	उत्तर प्रदेश	1992-93	47.17	53.18	93.04	03.15	95.37	89.06	73.11
		1993-94	48.25	54.40	97.21	97.39	96.65	93.41	78.28
		1994-95	47.98	56.34	98.08	98.70	99.92	80.30	79.80
15.	पश्चिम बंगाल	1992-93	18.13	19.92	87.34	88.39	88.04	70.91	76.84
		1993-94	18.54	20.36	84.90	85.50	96.23	74.22	79.99
		1994-95	17.11	18.82	87.20	88.50	97.86	77.43	79.19
	छोटे राज्य/सं.रा. क्षेत्र								
16.	हिमाचल प्रदेश	1992-93	1.34	1.47	93.71	93.23	100.03	90.61	80.01
		1993-94	1.36	1.50	94.51	94.37	94.32	89.61	76.82
		1994-95	1.47	1.62	81.66	81.44	81.72	76.75	73.67
17.	जम्मू कश्मीर	1992-93	2.36	2.61	76.97	78.83	95.60	71.47	37.47
		1993-94	2.43	2.68	77.87	78.70	97.24	69.73	36.57
		1994-95	2.50	2.76	75.63	74.83	92.44	65.23	36.63
18.	मणिपुर	1992-93	0.39	0.41	83.31	83.16	87.80	70.20	85.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1993-94	0.40	0.42	88.13	90.65	93.16	70.50	89.72
		1994-95	0.38	0.41	94.49	94.49	110.24	83.99	86.21
19.	मेघालय	1992-93	0.55	0.60	43.82	41.59	62.79	28.98	35.33
		1993-94	0.57	0.62	49.63	49.22	56.96	34.62	40.99
		1994-95	0.55	0.60	78.04	76.23	81.67	54.45	64.68
20.	नागालैंड	1992-93	0.20	0.22	51.97	50.95	73.62	53.64	34.91
		1993-94	0.21	0.23	42.00	41.34	45.17	38.42	30.97
		1994-95	0.26	0.27	27.13	22.26	31.01	16.16	21.22
21.	सिक्किम	1992-93	0.10	0.11	93.51	93.59	95.93	80.75	60.69
		1993-94	0.11	0.12	85.47	78.79	93.54	70.71	46.81
		1994-95	0.09	0.10	85.48	89.80	105.63	80.28	48.33
22.	त्रिपुरा	1992-93	0.66	0.73	65.51	65.72	98.10	68.26	47.97
		1993-94	0.68	0.75	73.92	79.16	106.26	77.52	51.62
		1994-95	0.67	0.73	73.12	72.56	89.27	70.48	53.37
23	अंडमान निको.	1992-93	0.06	0.06	99.90	99.95	100.02	95.08	80.05
		1993-94	0.06	0.07	100.16	100.15	101.08	93.02	80.66
		1994-95	0.06	0.07	99.24	99.24	101.71	91.11	82.03
24.	अरूणाचल प्रदेश	1992-93	0.25	0.28	63.92	59.85	70.40	45.34	38.06
		1993-94	0.25	0.28	63.32	62.27	66.73	47.99	36.95
		1994-95	0.24	0.26	71.73	71.73	67.51	54.85	43.15
25.	चंडीगढ़	1992-93	0.11	0.12	139.50	140.90	141.40	114.56	120.97
		1993-94	0.12	0.13	115.46	110.67	143.48	103.34	100.77
		1994-95	0.12	0.12	117.63	118.90	150.75	106.04	115.36
26.	दा.न. हवेली	1992-93	0.05	0.05	88.38	90.31	98.85	86.41	74.79
		1993-94	0.05	0.06	100.12	100.12	96.33	91.07	83.52
		1994-95	0.06	0.06	87.67	90.52	97.07	83.16	82.61
27	दिल्ली	1992-93	2.15	2.34	97.37	99.68	115.14	98.80	91.84
		1993-94	2.24	2.43	91.83	93.40	134.68	90.37	74.69
		1994-95	2.69	2.92	89.47	72.89	98.29	74.34	64.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	गोवा	1992-93	2.15	2.34	97.37	99.68	115.14	98.80	91.84
		1993-94	2.24	2.43	91.83	93.40	134.68	90.37	74.69
		1994-95	2.69	2.92	89.47	72.89	98.29	74.34	64.13
29.	दमण और दीव	1992-93	0.03	0.03	79.49	79.34	103.30	101.20	100.91
		1993-94	0.03	0.03	70.67	70.67	104.84	100.18	100.29
		1994-95	0.03	0.03	154.96	160.77	118.46	128.31	116.57
30.	लक्षद्वीप	1992-93	0.01	0.01	107.28	105.56	109.78	109.70	117.06
		1993-94	0.01	0.01	103.36	110.53	99.39	107.71	85.55
		1994-95	0.01	0.01	82.31	83.85	72.31	74.38	65.43
31.	मिजोरम	1992-93	0.15	0.17	117.99	117.48	104.52	110.87	99.70
		1993-94	0.17	0.17	100.72	105.12	115.51	99.04	98.19
		1994-95	0.22	0.25	85.20	85.20	85.20	80.72	68.55
32.	पांडिचेरी	1992-93	0.16	0.17	113.43	115.61	129.64	108.56	114.60
		1993-94	0.16	0.17	116.33	117.61	125.39	106.32	102.98
		1994-95	0.17	0.18	115.67	116.98	121.46	106.04	107.26
अखिल भारत		1992-93	242.90	270.08	90.53	91.04	96.54	85.82	70.18
		1993-94	247.90	275.55	93.10	93.57	96.95	88.51	82.48
		1994-95	247.65	275.26	91.95	92.28	97.07	83.54	80.90

नोट : वर्ष 1993-94 तक और 1994-95 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

0-4 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु दर (न.प.प. अनुमान)

	राज्य	1991	1992	1993
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	21.3	20.0	17.1
2.	असम	32.4	30.5	29.7
3.	बिहार	22.8	26.8	25.3
4.	गुजरात	23.3	23.7	20.7
5.	हरियाणा	23.0	22.8	20.3
6.	हिमाचल प्रदेश	19.3	17.6	16.1
7.	जम्मू कश्मीर	-	-	-
8.	कर्नाटक	23.6	21.7	20.0

9.	केरल	4.3	3.9	3.4
10.	मध्य प्रदेश	44.5	38.5	36.9
11.	महाराष्ट्र	16.3	15.9	14.1
12.	उड़ीसा	39.0	33.4	33.7
13.	पंजाब	17.0	17.4	16.1
14.	राजस्थान	30.9	33.6	26.2
15.	तमिलनाडु	16.1	15.3	13.6
16.	उत्तर प्रदेश	35.6	37.8	32.9
17.	पश्चिम बंगाल	20.6	18.4	17.0
	भारत	26.5*	26.5*	23.7**

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर ** जम्मू व कश्मीर तथा मिजोरम को छोड़कर * नमूना पंजीयन पद्धति

शिशु मृत्यु दर : भारत (नमूना पंजीकरण पद्धति अनुमान)

	राज्य	1992	1993	1994*
1.	आन्ध्र प्रदेश	71	64	63
2.	असम	76	81	77
3.	बिहार	72	70	66
4.	गुजरात	67	58	64
5.	हरियाणा	75	66	67
6.	हिमाचल प्रदेश	NA	63	67
7.	जम्मू कश्मीर	NA	NA	NA
8.	कर्नाटक	73	67	65
9.	केरल	17	13	16
10.	मध्य प्रदेश	104	106	98
11.	महाराष्ट्र	59	50	54
12.	उड़ीसा	114	110	103
13.	पंजाब	56	55	53
14.	राजस्थान	90	82	84
15.	तमिलनाडु	58	56	59
16.	उत्तर प्रदेश	98	94	88
17.	पश्चिम बंगाल	64	58	61
	भारत	79	74	73

* अनन्तिम

चीनी मिलों को लाइसेंस

1508. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा उद्योग मंत्रालय को चीनी मिलों के लिए राज्यवार लाइसेंस दिये जाने के लिए कितने आवेदनों की अनुशंसा की गयी है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): चीनी उद्योग की लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा की जाती रही है। दिसम्बर, 1995 में सरकार ने चीनी उद्योग की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति को जारी रखने का निर्णय लिया। 7-3-1996 तक की स्थिति के अनुसार खाद्य मंत्रालय द्वारा उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग को नई चीनी मिले स्थापित करने हेतु आशय-पत्र/ औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु 20 आवेदनों को लाइसेंसिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुशंसा की गई है। इसकी राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य	औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र प्रदान करने हेतु अनुशंसित आवेदनों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	8
2.	कर्नाटक	10
3.	तमिलनाडु	2
		20

[हिन्दी]

खांडसारी उद्योग

1509. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खांडसारी उद्योग पर लागू भंडारण-सीमा को हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग). खाण्डसारी व्यापारियों की स्टाक रखने संबंधी सीमा 500 क्विंटल से बढ़ाकर 1000 क्विंटल कर दी गई है और स्टाक की कारोबार अवधि भी दिनांक 14.2.1996 को पन्द्रह दिन से बढ़ाकर तीस दिन कर दी गई है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम

1510. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्नों की ढुलाई करने वाले रेलवे वैगनों को निर्यातकों के लिये चावल की ढुलाई करने के कार्य में लगा दिये जाने के परिणामस्वरूप देश में उचित दर की दुकानों को खाद्यान्नों की आपूर्ति में गंभीर दिक्कतें आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल को अपने गोदामों से निर्यातकों की पसंद वाले स्थानों तक पहुंचाया जाता रहा है जबकि सरकारी नीति के अनुसार चावल को "जैसा है जहां है" आधार पर बेचा जाता है:

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम को निर्यातकों से बहुत अधिक राशि वसूल करनी है क्योंकि निगम चावल को पत्तन शहरों पर कम मूल्य पर भेजता रहा है;

(ङ) यदि हां, तो निर्यातकों के पास भारतीय खाद्य निगम की कितनी धनराशि बकाया है और यह कब से बकाया है; और

(च) क्या निर्यातकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का प्रयोग अपने चावल के भंडारण के लिये किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये निर्धारित खाद्यान्नों का भंडारण उन गोदामों में नहीं हो पाता है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजन वाले वैगन निर्यातकों को नहीं दिये गये हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने निर्यातकों के साथ आपस में सहमति हुए स्थानों पर स्टॉक सुपुर्द करने के लिए रेल संचलन किया है। ऐसा मूल रूप से स्टाक का तीव्रता से निपटान करने के लिए किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं। निर्यातकों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित अनुबंधित अवधि के अंदर स्टाक उठाना होता है और यदि वे अनुबंधित अविध के अन्दर स्टाक नहीं उठाते हैं तो भारतीय खाद्य निगम दोषियों से भण्डारण प्रभार वसूल करता है।

चीनी का निर्यात

1511. श्री अमरपाल सिंह: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान खुली बिक्री हेतु चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में चीनी के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग). चीनी की अधिशेष उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी तक मैसर्स भारतीय चीनी तथा सामान्य उद्योग निर्यात-आयात निगम लिमिटेड, जो कि चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम 1958 के उपबंधों के तहत एक अधिसूचित निर्यात एजेंसी है, के माध्यम से खुली बिक्री के हिस्से में से 6.50 लाख मी. टन की मात्रा वाणिज्यिक निर्यात हेतु अधिसूचित की है। चूंकि चीनी का निर्यात देश में अधिशेष चीनी की उपलब्धता में से किया जा रहा है, अत: देश में चीनी की कीमत पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा खुले बाजार में चीनी का मूल्य चीनी की मासिक रिलीज प्रक्रिया से विनियमित किया जाता है।

लक्षद्वीप में विमानपत्तन

1512. श्री तारा सिंह:

श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एक लाख से अधिक वृक्ष कटवाकर लक्षद्वीप में प्रस्तावित विमान पत्तन के निर्माण कराने के औचित्य और इसके फलस्वरूप वन और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर उक्त परियोजना के प्रभाव पर संबंध में भी विचार किया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). लक्षद्वीप के द्वीपसमूह के आंद्रोथ में एक विमानपत्तन के निर्माण के लिए दिसम्बर, 1995 में एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसके लिए कोई पर्यावरणीय अथवा वानिकी स्वीकृति नहीं दी गई है। परियोजना प्रस्ताव को संशोधित करके पुन: प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। किसी परियोजना को स्वीकृति देने से पूर्व स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर परियोजना के प्रभाव को सदैव ध्यान में रखा जाता है।

नर्सिंग होम और भवन का नवीकरण

1513. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 1 मार्च , 1996 तक डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के भवन और नर्सिंग होम के नवीकरण और आधुनिकीकरण पर अलग-अलग कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भवन और नर्सिंग होम के नवीकरण और आधुनिकीकरण के नाम पर भारी धनराशि का दुर्विनियोग किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसी कोई शिकायत जांच के लिए नहीं पड़ी हुई है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए किया गया व्यय।

वर्ष	व्यय			
	निर्माण-कार्य		विद्युत	
	उपचर्या गृह	अन्य भवन	उपचर्या गृह	अन्य भवन
1993-94	29,65,000	48,57,000	8,57,000	4,79,000
1994-95	16,45,000	34,46,000	2,05,000	5,96,000
1995-96 (1.3.1996 तक)	38,307	16,76,296	1,54,000	3,36,000

नामदफा बाघ परियोजना के संबंध में दिनांक 28 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और इसमें हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं ''नामदफा बाघ परियोजना'' के संबंध में दिनांक 28 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तरणों की ओर ध्यान दिलाता हूं। प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित दिया गया था :-

(क) अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि नामदफा बाघ रिजर्व अथवा अन्य वन्य जीव अभयारण्यों के निकट कोई बस्तियाँ नहीं हैं और इस प्रकार इन क्षेत्रों को चकमा शरणार्थियों द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

2. प्रश्न के सही उत्तर को कृपया निम्नलिखित पढ़ा जाए :-

(क) अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि चकमा शरणार्थी नामदफा बाघ परियोजना/राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतिजात और प्राणिजात को क्षति पहुंचा रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

सही उत्तर को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारणों को बताने वाला विवरण

अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार से सही उत्तर विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उत्तर को सही करने में विलम्ब।

[अनुवाद]

12.03.म.प.

गन्ना उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बताने दीजिए। आज हम इस मुद्दे को उठाने के लिए सदस्यों को और समय देंगे। हो सकता है हम 2.00 बजे तक अपनी चर्चा जारी रखें और हम दोपहर के भोजन के लिए भी न उठें। दो बजे से 3.30 म.प. तक हम नियम 184 के अंतर्गत चर्चा जारी रखेंगे और 3.30 म.प. पर मतदान होगा। 3.30 म.प. से 6.00 म.प. तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे गन्ना उत्पादकों की समस्या को उठाने के लिए अवसर दिया है लेकिन मैं तो बिहार का मामला उठाना चाहता हूं। ... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं गन्ने का मामला उठा रहा हूं और जब बिहार का मामला उठेगा तब भी मुझे कहने का मौका दीजियेगा। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, आज सारे देश में केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि सारे देश में जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, गन्ना उत्पादकों के ऊपर बड़ा भारी संकट आया हुआ है। गन्ने की पैदावार काफी हुई है। लेकिन खरीददार नहीं है। गन्ना खेतों में खड़ा है। गन्ना सूख रहा है। उसकी पिराई की कोई व्यवस्था नहीं है और गन्ना उत्पादकों के सामने काफी आर्थिक संकट है। एक और तो गन्ना खड़ा है, खरीददार नहीं है और दूसरी ओर गुड़ के दाम गिर रहे हैं। इस तरह से किसान दोहरे पाटों में पिस रहा है। चीनी मिल पर गन्ने का भाव 74 रूपये क्विंटल है लेकिन क्रेशरों और कोल्हूओं पर जिसमें 65 फीसदी गन्ना खरीदा जाता है, गन्ने का भाव 34 रूपये क्विंटल हो गया है।

यदि यही स्थिति रही, तो गन्ने की पैदावार घटेगी। आगे जाकर शक्कर कम बनेगी और हमें फिर विदेशों से शक्कर मंगाने की स्थिति का सामना करना होगा।

प्रधान मंत्री जी ने मेरठ की यात्रा के दौरान यह ऐलान किया था कि चीनी उद्योगों पर से लाइसैंस प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक लाइसैंस प्रणाली समाप्त नहीं हुई है। सरकार दोहरीकरण कीं बात कहती है, मगर केन्द्र हाथ से सत्ता और अधिकर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे महाराष्ट्र का उदाहरण मालूम हैं। महाराष्ट्र की सरकार गन्ना मिल लगाना चाहती थी, लेकिन केन्द्र ने अनुमति नहीं दी। केन्द्र को उस मिल में अनुमति देने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी...

श्री दत्ता मेघे (नागपुर): महोदय, जिन को दो-दो साल से अनुमति मिली है, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। पार्टी को देख कर पैदा दे रहे हैं। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता मेघे, यदि आप बोलना चाहते हैं तो आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, सरकार स्पष्ट

करे कि गन्ना चीनी मिलों के लाइसैंस के बारे में उसकी नीति क्या है? क्या दोहरीकरण के अन्तर्गत ये लाइसैंस प्रणाली समाप्त करना आवश्यक नहीं है। वर्तमान संकट को हल करने के लिए यह भी सुझाव दिया गया है कि लघु खण्डसारी ईकाइयों को वैक्युम-पैन की अनुमति दे दी जाए। लघु खण्डसारी ईकाइयों की रिकवरी 6.5 प्रतिशत है। जिस तरह से वे किसानों को लाभकारी मूल्य देने की स्थिति में नहीं है, वेक्यूम-पैन की अनुमति मिलने से रिकवरी बढ़ेगी और किसानों को लाभ होगा तथा चीनी की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। किसानों को तत्काल राहत देने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर गुड़ की खरीद के सुझाव पर भी विचार करना चाहिए। चीनी का निर्यात करने वाली मिलों को अतिरिक्त सुविधायें देने की भी आवश्यकता है।

आज अंतिम दिन है। गन्ना उत्पादक आज सत्र में क्या होता है, इसकी ओर टकटकी लगाए देश रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में संतोषजनक उत्तर देगी। आप मंत्री महोदय को निर्देश दे चुके हैं कि वे इस संबंध में ब्यान देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है। वह तैयार हैं इसलिए वे उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष मिल जुलाई तक चलने के बाद भी किसानों का समस्त गन्ना पिराई नहीं हो सकता। गन्ना किसानों को 44 रू. प्रति क्विंटल की आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मवना शुगर मिल ने अपनी पिराई क्षमता 50 हजार से बढ़ा कर एक लाख प्रति क्विंटल प्रतिदिन कर ली हैं। लेकिन उद्योग मंत्री जी ने बढ़ी हुई क्षमता पर अनुमति नहीं दी है। यदि यह मिल बढ़ी हुई क्षमता पर पिराई करती, तो अभी तक 60 लाख क्विंटल गन्ने की अधिक पिराई हो सकता थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को आर्थिक दुर्दशा से बचाया जा सकता था। मैंने पिछले सत्र में 28.11.95 को यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत तथा वर्तमान सत्र में 27.2.96 को नियम 377 के अन्तर्गत उठाया था तथा 6 मार्च, 9.10.95 को नई पिराई क्षमता पर पिराई करने हेतु संस्तुति कर दी थी तथा 2 जनवरी, 1996 को उद्योग मंत्रालय की स्क्रीन समिति ने भी इस लाइसैंस को देने की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन उद्योग मंत्री इस मामले को अभी तक लटकाए हुए है और इस मिल को अभी तक बढ़ी हुई क्षमता पर आश्य पत्र जारी नहीं किया गया है। मेरा आपसे व सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उद्योग मंत्री से किसानों को आर्थिक दुर्दशा से बचाने हेतु सदन में उत्तर दिलावें, तथा तुरन्त नयी क्षमता वृद्धि पर आश्य पत्र जारी करवाया जाए। खाद्य मंत्री जी ने अपने पर्सनल इन्टरैस्ट लेकर भी तीन-चार बार उद्योग मंत्री जी से सम्पर्क साधा, लेकिन वे इस मामले को लटकाए हुए हैं।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि खाद्य मंत्री जी को इसका उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाए। ... **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी को गन्ने का कोई भी प्रश्न पूछने के लिए हम मना नहीं करते हैं।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की तरफ से हम अपने नेता वाजपेयी जी को धन्यवाद देते हैं। आज गन्ना किसान वाजपेयी जी पर नजर लगाए हुए थे और वे प्रसन्न होंगे कि वाजपेयी जी ने उनकी दुर्गति की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बोलने के लिए समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत थोड़े में बोलना है क्योंकि बहुत लोगों को चान्स देना है।

श्री राम नगीना मिश्र: उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि गन्ना किसानों को गन्ना खड़ा है और वह सूख रहा है और आधे दाम पर कोल्हू उसे खरीद रहे हैं। जो गन्ना किसानों ने मिलों को दिया है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं आपको सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में तीन अरब बासठ करोड़ रूपया केवल 15.1.96 तक बकाया था। इतना ही नहीं, गन्ने के दाम को लेकर रामकेला में गोली चली थी ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी, आपको बहुत थोड़े में बोलना है। समय देने के बाद भी अगर आप पौइंट पर नहीं बोलेंगे तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र: आप मुझे बोलने दीजिए। मैं पौइंट पर बोल रहा हूं।

मैं मंत्री जी को चैलेन्ज कर रहा हूं। इन्होंने देवरिया में कहा था कि गन्ने का उचित दाम हम दिलवाएंगे। आज भारत सरकार की चीनी मिलों का साल करोड़ रूपया बकाया है। उसकी आज तक पेमेण्ट नहीं हुई है। यह गवर्नर की रिपोर्ट है। इसके अलावा

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारी सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि आधे दाम पर गन्ने की पर्चियों कोई गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि गन्ना किसानों का जो गन्ना मूल्य बकाया है, कम से कम गन्ना पर्चियों को एक चैक के रूप में बैंकों के माध्यम से गिरवी रखकर पेमेण्ट करवाएं ताकि गन्ना किसान अपनी रोजी-रोटी चला सकें। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ सत्यपाल सिंह जी का स्टेटमेंट **ही** रिकॉर्ड पर जाएगा।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर): अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो गन्ना किसानों की दुर्दशा के विषय में अपना वक्तव्य दिया है, इससे भी बदतर हालत आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की है। नेता विरोधी दल ने यह कहा कि इस समय गन्ने का सरकारी भाव 70 से 74 रूपय प्रति क्विंटल है जबकि 34 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्राइवेट क्रशर वाले गन्ने खदीद रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि मध्य उत्तर प्रदेश में 20 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदा जा रहा है। किसान मजबूर हो रहा है और उत्तर प्रदेश में क्योंकि गवर्नर शासन है और गवर्नर ने आकर हमारे जिले में कहा कि ये चीनी मिले बंद नहीं होंगी जब तक गन्ना नहीं पड़ जाएगा। आज आधा मार्च बीत रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब चौथाई गन्ना भी नहीं पिरा है और अगर यह नीति नहीं सुधारी गई, किसान के गन्ने का भाव तय नहीं किया गया तो 20-25 रूपए के भाव से गन्ना किसानों का जो शोषण हो रहा हैं, अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो सरकार को चैंक करने की आवश्यकता है कि कम से कम 50 रूपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के लिए दाम दें। इस समय गुड़ की इतनी कम कीमत में बिक्री हो रही है जितनी अप्रत्याशित रूप से कभी भी इतिहास में नहीं हुई। इस समय गन्ना किसान लुट रहा है और साथ ही ओलावृष्टि की वजह से गन्ना किसानों का गन्ना नहीं पिरा है और किसानों की रबी की फसल बरबाद हो गई है। इसमें गन्ना किसान बहुत परेशान है। इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने विशेष रूप से गन्ना किसानों की समस्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक ओर गन्ना का बकाया मूल्य बढ़ता चला जा रहा है, तीन अरब रूपए से ज्यादा की राशि उत्तर प्रदेश के किसानों की बकाया है।

मेरा आपसे दूसरा निवेदन यह है कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना सप्लाई में जो सट्टा हुआ है उसक परिणाम यह है कि गन्ने की पर्चियां ब्लैक में बेची जा रही है। एक-तिहाई गन्ना पेरा जा चुका है। शेषष गन्ना अभी बाकी है। ओलावृष्टि से अलग आफत हो गई है। हमारे जनपद गोंडा में तीन-चौथाई गांव ओलावृष्टि से तबाह हो चुके है। किसान इस बार खलिहान तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि गन्ने की नीति के बारे में सुस्पष्ट यहां पर वक्तव्य दें कि बकाया राशि का कब तक भुगतान हो जाएगा। सट्टे की जो अव्यवस्था है वह कब तक समाप्त हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों का जहां कि गन्ना 80 प्रतिशत चीनी मिलों में पेरा जा रहा है, उसका कैसे सुधार किया जाएगा। गुड़ के दाम कमहो गये हैं। खांडसारी, चीनी मिलें और गुड़ के उद्योग के लोग औन-पौने दाम लगा करके क्रय कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा यह आग्रह है। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मान्यवर, आप भी महाराष्ट्र प्रदेश से आते हो। चीनी मिल पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का एकमात्र सहारा है। गन्ना ही एकमात्र इंश्योरेंस फसल है। मेरा आपसे आग्रह है कि गन्ने के मूल्य का भुगतान और उसकी पेराई की सुव्यवस्था बनाने के लिए आप सरकार को निर्देश दें।

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र जनपद सिद्धार्थ नगर में कोई चीनी मिल नहीं हैं। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सब हिदुस्तान के गन्ने के बारे में मिनिस्टर साहब बोलेंगे।

श्री रामपाल सिंह: एक चीनी मिल वर्ष 1990 से स्वीकृत पड़ी है लेकिन अभी तक नहीं लगी है और हमारे क्षेत्र का जो गन्ना बस्ती, वाल्टरगंज और खलीलाबाद मिलों को जाता था। वाल्टरगंज चीनी मिल बंद पड़ी है। खलीलाबाद चीनी मिल का आधुनिकीकरण किया गया है और वह भी ठीक से नहीं चल रही है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्र का काफी गन्ने पड़ा हुआ है। इसकी कही सप्लाई कराई जाए, गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाए और क्षेत्र में जो ओलावृष्टि से फसल नष्ट हुई है. उससे किसानों को राहत पहुंचाई जाए। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट बैठ जाइये। आप व्यवस्था करने दीजिए। पहले आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, हमको मौका नहीं मिल रहा है, कमाल है, हम आधा मिनट चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, आपको टाइम नहीं मिल सकता है। अगर मैं खड़ा हूं, तो आप क्यों खड़े है?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझाने की कोशिश करिए कि हम सब को अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हमने समय बढ़ा दिया है। जिन सदस्यों को अवसर दिया गया है, यदि वे अपने वक्तव्य को 5 या 6 मिनट से अधिक बढ़ा देंगे तो अन्य लोगों को समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए कृपया अन्य सदस्यों का ध्यान रखिए। हम आपमें से प्रत्येक सदस्य को समय देने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर, जब आप खड़े हो जाते हैं तो अपनी बात समाप्त नहीं करते है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिहं: अध्यक्ष जी, गन्ने के मामले में माननीय वाजपेयी जी ने बहुत सी समस्याओं को रख दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को दो सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम प्रत्येक सदस्य को अन्य मुद्दों पर बोलने का समय देंगें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, दो सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव तो यह है कि जो गन्ने की कीमत फैक्टरियों पर बकाया है और उनकी पर्चियों किसानों के पास हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में वसूली बड़े जोरों से हो रही है। लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार उनको यहां से यह निर्देशित करें, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है जो चीनी की रसीदें हैं, जो गन्ने की रसीदें है, जो हमने यहां डाला है, वे गन्ने की रसीदे हमारे लोन में मुजरा की जाएं। पर्ची लोन में मुजरा की जाएं। नंबर दो सुझाव मेरा यह है कि चीनी गन्ने के किसानों के ऊपर जो मुसीबत आई है उसका निराकरण करने के लिए जो उसको भुगतान कम मिल रहा है, उसकी सब्सिडी सरकार गन्ना किसानों को दें। **...(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही मुद्दे पर बोलना जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आज के दिन सब लोगों को जितना अकोमोडेट किया जा सकता है उतना करना चाहिए। गन्ने का एक विषय है, अन्य विषय भी है। अन्य विषयों पर भी दूसरे लोग बोलेंगे।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, आप अपना हाथ नीचे कीजिए और मुझे बोलने दीजिए। दूसरे विषय है उनके ऊपर भी आप बोलना चाहेंगे। आप सब लोग गन्ने के विषय में सरकार की क्या नीति है वह भी जानना चाहते हैं। मिनिस्टर साहब उसके बारे में शायद बोलने के तैयार है क्योंकि उनको पहले इन्फोर्मेशन थी।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): महोदय, मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं। **(व्यवधान)** जहां तक कि चीनी के मूल्यों का संबंध है मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या औद्योगिक और मूल्य लागत ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) ने चीनी का मूल्य नियत करते समय गन्ने के सह-उत्पादों के मूल्य को ध्यान में रखा था। माननीय मंत्रीजी ने कहा 'जी हाँ'। उन्होंने कहा कि वे मुझे औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) की रिपोर्ट दिखायेंगे। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट माँगी तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट देने से इंकार कर दिया।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैज़ाबाद): मंत्रीजी सार्वजनिकं सभा में बोलकर आये हैं उसके बारे में यहां जवाब दें तो अच्छा होगा। तीन-चार दिन पहले अलीगढ़ में बोलकर आये है कि किसान गन्ना बोना छोड़ दें। ये क्या किसानों की चिता करेंगे? ये चाहते है कि किसान मर जाये। इन्होंने जो भाषण दिया है उसका उल्लेख इनको यहां करना चाहिए और उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

[अनुवाद]

12.22 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री अमल दत्त: माननीय मंत्रीजी अपनी बात से मुकर गए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद): ये तो मिले बंद कर रहे हैं, ये क्या जवाब देंगे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रीजी गन्ने के संबंध में बोल रहे हैं।

आप गन्ने के संबंध में सरकार की नीति जानना चाहते हैं। वह बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं। वह गन्ने की पिराई के संबंध में सरकार की नीति का उल्लेख करेंगे। इसके पश्चात् आपने सूचना दी है। नाम मेरे सामने हैं। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया है, हम शून्य काल में उठाई गई बातों पर विचार करने के लिए 2 बजे तक बैठेंगे। मैं एक-एक करके नाम बुलाऊँगा।

...(व्यवधान)...

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन परेशान है, क्योंकि यह सही बात है कि इस बार गन्ना किसान के सामने बहुत परेशानियां है। मैं वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों की समस्या को उठायास। मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि और मुद्दो से हटकर पहली बार वाजपेयी जी को गन्ना किसानों की समस्या याद आई है। ... (व्यवधान) मैं तो उनको धन्यवाद दे रहा हूं। ... (व्यवधान) मैं तो उनको बधाई दे रहा हूं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। सुनने दीजिए।

श्री अजित सिंह : लखनऊ में गन्ना पैदा नहीं होता, लेकिन उनके बावजूद वाजपेयी जी को गन्ना किसानों की याद आई। इसके लिए वे बधाई के पात्र है।

12.25 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डा.जी.एल. कनोजिया (खीरी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह बहुत लाइटली दिया है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय मंत्री जी को एक बात का सुझाव दूं? अनेक सदस्य इस मामले पर चर्चा करने के लिए इच्छुक हैं। क्या आप उन्हें सभा समाप्त हो जाने के पश्चात् चाय के लिए आमंत्रित करेंगे और इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे। आप यहाँ वक्तव्य दें और उसके पश्चात् उन्हें आमंत्रित करें।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था कि गन्ना किसानों के सामने समस्याएं है और माननीय सदस्य उस बारे में बहुत चिन्तित है क्योंकि चुनाव आने वाले है। इसलिए किसानों की समस्याओं की ओर ज्यादा ध्यान देना स्वाभाविक है। इसमें कोई शक नहीं कि किसानों के सामने समस्याएं है।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के सामने समस्या इसलिए है कि पिछले साल चीनी बहुत पैदा हुई और 145 लाख टन से भी ज्यादा पैदा हुई। हमारे यहां खपत केवल 125 लाख टन की है। इसलिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए है जिससे देश में जो ज्यादा चीनी पैदा हो गई है उसको कैसे खपायासए जाए। इसलिए सरकार ने साढे छः लाख टन चीनी, ... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आवला): अध्यक्ष महोदय, ये गलत लाइन पर जा रहे है। हम गन्ना किसान की बात कर रहे है और आप चीनी का जवाब दे रहे हैं। आप तो उल्टा जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली की सड़कों पर गन्ना पैदा नहीं होता है।

...(व्यवधान)...

श्री राजवीर सिंह: आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं, सदन यह जानना चाहता है। किसानों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विषय ऐसा हैं जिसमें आपको बहुत रुचि है। गन्ने में रुचि हो सकती है। इसलिए मिनिस्टर साहब को

प्लीज अपना स्टेटमेंट करने दीजिए और उसके बाद वे आपको मिलने वाले है। आप उनसे चर्चा कीजिए। जो सुनने की और मानने की बात होगी, वह बात ये मान लेगें और आपको समझाएंगे।

...(व्यवधान)...

श्री अजित सिंह : जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा, चीनी की खपत बढ़ाने के लिए साढ़े छ- लाख टन चीनी, ... (व्यवधान) चीनी और गन्ना कोई अलग-अलग नहीं है। आपको तो पता है कि गन्ने से ही चीनी बनती है। ...(व्यवधान)

श्री विनय कटियार: जो गन्ना खेत में खड़ा है, उसकी समस्या का समाधान कैसें होगा, हम यह जानना चाहते हैं, लेकिन मंत्री महोदय, उसको चीनी के साथ जोड़ कर, किसानों के गन्ने को खेत में ही सुखाना चाहते हैं? ...(व्यवधान) किसानों का गन्ना खेत में ही सूख जाए, यह उनकी नीति है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठिए। गन्ने के संबंध में एक कहावत है, ...

...(व्यवधान)...

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : चलाते हो दुकान और करते हो किसान की बात। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतनी बात काफी होनी चाहिए। आप उन्हें बुलाइए और उनसे चर्चा करिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, उन्हें अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जी हाँ, उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : पहले, आप पूरी बात सुन लीजिए। चीनी से शुरू हुआ हूं तो गन्ने पर जरूर आऊंगा। पिछले साल चीनी ज्यादा पैदा हुई इसलिए चीनी की खपत बढ़ाने के लिए साढ़े छः लाख टन चीनी निर्यात करने के आदेश हम जारी कर चुके है। यदि चीनी उद्योग ज्यादा निर्यात कर सकते हैं तो हम खुशी से उनको और चीनी देंगे जिससे वे निर्यात कर सकें। देश में चीनी की खपत बढ़ाने के लिए लैवी की चीनी जो अभी तक 86 की जनसंख्या के आधार पर दी जाती थी, उसे हमने 91 के आधार पर कर दिया है। हमने फ्री सेल चीनी बढ़ा दी है। गन्ना किसान को चीनी देने की भी योजना हमने इस साल शुरू की है कि यदि वह एक टन गन्ना सप्लाई करता है तो उसे .75 किलोग्राम चीनी सस्ते दाम पर मिलेगी। इस साल भी गन्ना बहुत हुआ है और यह आशा है कि इस साल 140 लाख टन से ज्यादा चीनी बनेगी। यदि आप देखें, पिछले साल 15 फरवरी तक जितनी चीनी बनी थी, इस साल भी करीब-करीब उतनी ही चीनी बनी है। इसका मतलब यह है कि मिलों ने इस साल भी उतना ही गन्ना पेरा है जितना पिछले साल इस समय तक पेरा था ... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह: आप आंकड़ों को बहुत छिपाते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अजित सिंह : जहां तक किसानों के बाकी पैसे की बात है, इस साल 31 जनवरी तक 25 प्रतिशत बाकी पैसा था, पिछले साल यह 17 प्रतिशत से ज्यादा था और यदि आप 1992-93 से देखे तो हर साल 31 प्रतिशत से लेकर 17 प्रतिशत तक इस समय किसानों को गन्ने का दाम बाकी रहा है। पिछले साल, जैसा मैंने कहा, इस समय 17 प्रतिशत से ज्यादा था और सीजन खत्म होने के बाद सिर्फ डेढ़ प्रतिशत रह गया था। इस समय किसानों का जो बकाया है, वह कोई अनयूजवल चीज नहीं है, वह 17 प्रतिशत से लेकर 31 प्रतिशत तक पिछले पांच सालों में 31 जनवरी तक रहा है। इस बार किसानों की जो समस्या आप देख रहे हैं, उसका कारण यह है कि इस बार क्रशर्स और गुड़ बनाने वाले, खास तौर से दिल्ली के आसपास के जो लोग है, वे किसानों को कम पैसा दे रहे हैं क्योंकि इस बार मोलैसेस का दाम कम हो गया है, बगास का दाम कम हो गया है। ... (व्यवधान) डिमांड, सप्लाई की बात है जितना वे पे कर सकते हैं। उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जब वाजपेयी जी पूरे चीनी उद्योग पर नियंत्रण खत्म करने की बात कर रहे है तो मेरे ख्याल से वह यह नहीं कहेंगे कि आज हम खांडसारी और गुड़ से नियंत्रण शुरू कर दें। इसलिए उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह कहना कि वह गन्ने का कितना दाम दें, सरकार उसे फोर्स करे, वह नहीं कर सकते। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि खांडसारी उद्योग की जो स्टॉक लिमिट थी, कितना स्टॉक रख सकते हैं, कितने दिन तक रख सकते हैं, उसको हमने बहुत बढ़ा दिया है जितनी उनकी मांग थी। गुड़ को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या विदेशों में ले जाने पर जो रोक-टोक थी, उसको हमने खत्म कर दिया है। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से यह भी कहा है कि यदि वह गुड़ खरीदकर बांट सके, जैसे कम दाम पर गेहूं, चावल वगैरह देते हैं, उस योजना पर भी वह विचार कर रही

है। यह प्रदेश सरकार के हाथ में है और तमिलनाडु की सरकार ने ऑलरैडी कर दिया है कि जब तक गन्ना खेत में रहेगा तब तक मिल चलती रहेगी चाहे उसमें कितनी ही रिकवरी कम हो जाए और उनमें केन्द्र सरकार उनको इनसैनटिव देगी। पैसा 25 प्रतिशत हैं लेकिन इस बार गन्ना मिलों की माली हालत अच्छी नहीं है क्योंकि पिछली बार चीनी बहुत पैदा हुई और हम ज्यादा चीनी रिलीज़ कर रहे हैं। मार्किट में चीनी के दाम भी नहीं बढ़े हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह: जब चीनी आपके गोदाम में पड़ी है तो उसे डीकंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं। ... (व्यवधान) राशन की दुकान में चीनी नहीं मिल रही है, ब्लैक में बिक रही है। यदि इतनी चीनी सरप्लस है तो उसकी आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? एक तरफ चीनी गोदामों में सड़ रही है और दूसरी तरफ लोगों को चीनी नहीं मिल रही है, यह क्या व्यवस्था है? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया चेयर को ऐडरैस कीजिए। ...

...(व्यवधान)...

श्री अजित सिंह : चीनी मिलों की हालत ठीक रहे और वे किसानों को पूरा पैसा दे सकें, इसके लिए केन्द्र सरकार ने और कई कदम उठाए हैं। एस.डी.एफ. फंड की तरफ से सरकार ने 5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया है और उसकी केयरिंग कॉस्ट, फाईनैंशल चार्जेस, स्टोरेज कॉस्ट सरकार देगी। इसी फंड से उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की करीब 20 करोड़ रूपया इस बार मिलेगा। ... (व्यवधान) करीब 40 करोड़ रूपया महाराष्ट्र की मिलों को मिलेगा। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: किसानों का जो गन्ना सड़ रहा है, उसका क्या कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री अजित सिंह : महाराष्ट्र की चीनी मिलों की ज्यादा समस्या थी, वे कौपरेटिव चीनी मिले हैं। चीनी स्टॉक में इतनी थी कि कौपरेटिव का पैसा चीनी स्टॉक में फंसा हुआ था, कौटन में भी फंसा हुआ था, इसलिए नाबार्ड को कहा गया था कि वह कौपरेटिव बैंक को 200 करोड़ रूपये दे जो नाबार्ड ने दिया और पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के कौपरेटिव बैंकों ने वह पैसा वापिस भी कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि अब उनकी स्थिति ठीक है। ... (व्यवधान) चीनी मिल लगाने में चार साल तक लग जाते हैं। बहुत से लाईसैंस पैन्डिग है जो पिछले 1-2 सालों में दिए गए हैं।

उनमें काम हो रहा हैं। ये सब चीनी मिलें लग जाएंगी तो यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। ... (व्यवधान) कोई चीनी मिल बिकेगी, कोई बेची जाएगी, कोई खरीदी जाएगी, कोई लगाई जाएगी, वह तो रहेगा।

अब मैं लाईसैंस की समस्या के बारे में बताऊंगा। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे अहम मसले पर बड़े अच्छे ढंग से बोल रहे हैं। आप पहले सुनिए।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी): बिहार में किसानों के गन्ने की हालत क्या होगी?

अध्यक्ष महोदय : हां, बिहार के बारे में भी बात करेंगे।

श्री अजित सिंह : प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में कहा था कि सरकार इसको डीलाईसैंस करने के बारे में विचार कर रही है।

शुगर इंडस्ट्री में लाईसैसिंग, डीलाईसैंसिंग में तीन चीजें इनवॉल्व हैं - एक तो कन्ज्यूमर है जिसको हम पी.डी.एस. से चीनी देते हैं, दूसरा किसान है जो गन्ना पैदा करता है और तीसरी मिल है। इन तीनों का ध्यान करके ही इसमें कोई नीति बनाई जा सकती है। चीनी मिलों के उद्योग के दौ फैडरेशन हैं - एक कौपरेटिव और दूसरा इसमा। दोनों इस पक्ष में है कि आप इस उद्योग को पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं कर सकते । इसमा जोकि प्राईवेट मिल ओनर हैं, वे भी नहीं चाहते है कि आप पूरी तरह से नियंत्रण खत्म कर दें। ... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह: वे इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मार्किट में उनके कम्पीटीटर आ जाएंगे, उनकी मोनोपेली खत्म हो जाएगी। ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मंत्री जी के इस बयान से आज यह साबित हो गया है कि यह सरकार उन पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन गई है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, बार-बार टोक रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। ...

...(व्यवधान)...

श्री अजित सिंह : महाराष्ट्र में ज्यादातर चीनी मिलें कौपरेटिव्ज की हैं और वे चाहते हैं लाईसैसिंग सिस्टम चलता रहे। आपने कहा कि केन्द्र सरकार को कोई लेना-देना नहीं है, उनको सिर्फ यही करना पड़ता है कि आप चीनी मिल लगा दीजिए, यह बात सही नहीं है। यहां कौपरेटिव बैंक हैं, हर चीनी मिल लगाने के लिए स्टेट गवर्नमैंट पैसा देती है लेकिन बड़े दुख की बात है कि महाराष्ट्र की सरकार ने पोलीटिकल रीज़न्स से तय कर लिया है कि हम उन लोगों को ही पैसा देंगे, यदि कोई और मिल लगाएगा तो उसे पैसा नहीं देंगे। उन्होंने कोई मानदंड नहीं बनाया है। उन्होंने कहा है कि उन चार ऐप्लीकेशन को हम पैसा देंगे और किसी को नहीं देंगे। और केन्द्रीय सरकार भी कोआपरेटिव को देती है। जहां तक लाइसेंस, डीलाइसेंस की बात हैं, फिर मैंने कहा कि

कोई भी इसके हक में नहीं है, लेकिन सरकार इन लोगों से बात कर रही हैं, और लोगों से बात कर रही है।

आप PDS में चीनी सप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, हांलाकि कह रहे हैं कि बहुत चीनी हुई है, दाम कम कर दीजिए। आप PDS में चीनी सप्लाई करना चाहते हैं, आप किसान को पूंजीपतियों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं और आरोप लगाते हैं कि हम पूंजीपतियों पर ... (व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे): अध्यक्ष जी, इन्होंने महाराष्ट्र शासन पर गलत आरोप लगाया है। ... (व्यवधान)

श्री अजित सिंह : गन्ने का दाम पूंजीपति तय करेगा या सरकार तय करेंगी, यह आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह: अन्य चीजों पर लाइसेंस नहीं है पर कृषि उत्पादन पर लाइसेंस है, यह कहां का न्याय है? ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : अगर आप चीनी उद्योग को पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त कर देंगे तो क्या गन्ने का दाम सरकार तय करेगी या पूंजीपति तय करेगा, यह भी आपको सोचना पड़ेगा? आज जो गन्ने का दाम सरकार तय करती है और कहती है कि इतना दाम देना पड़ेगा, आज जो समस्या मिल के सामने आ रही है, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं और हम उनको मजबूर करते हैं कि पैसा दो, अगर यह गन्ना उन पूंजीपतियों पर छोड़ देंगे तो क्या किसान को पैसा मिलेगा ... (व्यवधान) और सुनिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह किसी ने मांग नहीं की है।

श्री अजित सिंह : अभी आपके सदस्यों ने मांग की है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अजीत सिंह जी, please share him.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता, यह चीनी का मामला है, गन्ने का मामला है, आखिरी दिन हैं, थोड़ी मिठास रहनी चाहिए।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अजित सिंह : उसके लिए चाय पर बुला रहा हूं, सभापति जी ने कहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अजित सिंह जी, मेरा विचार है कि वे कुछ हद तक आपसे सहमत हो रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन वह मुझसे सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह कोई नहीं कह रहा है कि सब कुछ मुक्त कर दीजिए। जो चीनी मिल लगाने के लिए लाइसेंस की प्रणाली है, प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि हम उसपर विचार कर रहे हैं और हम कह रहे हैं वह विचार आप पूरा कर डालिये तो हमपर आरोप लगाया जा रहा है, यह तरीका ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। ... (व्यवधान)

श्री राम कापसे: महाराष्ट्र शासन के बारे में आपने गलत आरोप लगाया है, आप गलत आरोप मत लगाइये। ... (व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे: महाराष्ट्र सरकार गलत काम कर रही है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री में वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी बिहार पर बोलने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तीन गन्ना मिलों पर किसानों का रूपया बकाया है, उसके भुगतान की क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, आप सब इस बात पर सहमत है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : लाइसेंस की प्रक्रिया के सरलीकरण

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के बारे में सरकार विचार कर रही है, जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सकें, मोड ट्रांसपोर्ट हो सके, लेकिन पूरे उदारीकरण की बात पर भी बहुत से लोगों की राय है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दोनों एसोसिएशन, कोआपरेटिव और प्राइवेट, उसका पूरा उदारीकरण नहीं चाहती हैं। आपको सोचना होगा कि किसानों को आज हम, आप सब की मांग और हम सब की मांग है, जब तक किसान का गन्ना है, तब तक मिल चलती रहनी चाहिए, अगर आप पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर देंगे तो आप गन्ना मिल को कैसे कहेंगे कि आप चलाते रहिये, नुकसान उठाते रहिये और किसान का गन्ना पेरते रहिये ... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह: मिल मालिक खुशामद करके गन्ना लेते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप इस तरह से चर्चा जारी नहीं रख सकते।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)...*

एक माननीय सदस्यः मवाना शुगर मिल का क्या हुआ?

श्री अजित सिंह : मवाना की शुगर मिल के बारे में अमर पाल सिंह जी ने कहा, उन्होंने खुद ही बताया है कि खाद्य मंत्रालय नवम्बर दिसम्बर में ही यह रिपोर्ट भेज चुका था। उद्योग मंत्रालय इसका लाइसेंस जारी करता है। दो जनवरी को उनकी कमेटी ने इसको मान लिया था। फरवरी में मंत्री महोदय ने कुछ और जानकारी चाही थी, जो हम उनको भेज चुके हैं। मैं उनसे मालूम करूंगा कि इसको आशय-पत्र देने में क्या देर है और क्यों देर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप इस तरह से चर्चा जारी नहीं रख सकते।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : माननीय सदस्य ने BICP की रिपोर्ट के बारे में कुछ कहा था। .. (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : बीआईसी के बारे में कहा, वह बीआईएफआर के सामने है। वह सिक मिल है, बीआईएफआर देख रही है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है? .. (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): केन्द्र सरकार की चार मिल्स हमारे क्षेत्र में है। गन्ना किसानों को पिछले साल का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। दिल्ली की सरकार को इस साल भुगतान कराने में क्या अपत्ति है? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाये। अगर गन्ने पर हाउस में ऐसे चर्चा होती है तो शूगर फैक्टरी की जनरल मीटिंग में कैसे होती होगी?

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम): कतिपय और मुद्दे भी हैं जिन्हें हम इस सभा में उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे सदस्यों को नियंत्रित करने दीजिए। आप सब लोग उठ कर बोल रहे हैं। मंत्री जी, आपने बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी, आपने बहुत अच्छे ढंग से उत्तर दिया है। कृपया आप उनसे मिलिए। आप कारखानों और गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों की सहायता करेंगे और उन्हें सब कुछ बताएंगे। कृपया उन्हें अवश्य बुलाइए। उनके साथ बैठकर बात करें। ...

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनें साथियों से कहें कि कम बोलें या न बोलें। हर सदस्य अपने साथी को पकड़ कर रखें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): महोदय, मुझे इस मामले को बहुत संक्षेप में उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस संसद के इस सत्र का आज अंतिम दिन है और बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, महोदय, मैं एक बार फिर उत्तराखण्ड से संबंधित प्रश्न उठाना

चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं है कि उसका उत्तर देने के लिए कोई यहां पर है। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से हाल ही में यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों अर्थात कुमायूं-गढवाल में पृथक राज्य उत्तराखण्ड बनाने के संबंध में महीनों से आंदोलन चल रहा है - यह मामला उसके विचाराधीन था और वह यह घोषणा करने वाले हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनका क्या स्वीकार करने का और क्या स्वीकार न करने का विचार है। जब आंदोलन से संबंधित लोगों का प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला था तो उन्हें यह अहसास कराया गया था कि सरकार किसी पैकेज प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसकी वह शीघ्र ही घोषणा करेगी। महोदय, अब इस लोक सभा का यह सत्र आज समाप्त हो रहा है और इसके बाद इस लोक सभा का कोई सत्र नहीं होगा। यद्यपि लोक सभा के चुनाव निकट आ रहे हैं फिर भी मंत्री महोदय ने कोई अनुवर्ती वक्तव्य नहीं दिया है कि उन्होंने क्या करने का निर्णय लिया है। आन्दोलन चल रहा है। मुझे भय है, उस क्षेत्र के बहुत से लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी है, कि वे लोग चुनावों का बहिष्कार करेंगे, यदि उस क्षेत्र पर चुनाव थोपा जाता है तो, क्योंकि उनकी मांग की मुख्य बात यह है कि वे मौजूदा उत्तरप्रदेश राजय के नियंत्रण या क्षेत्रधिकार से दूर रहना चाहते हैं। वह क्षेत्र वर्षों से उस राज्य का भाग रहा है। वहां के लोगों का विश्वास है कि इस वजह से उन्हें नुकसान हुआ है उनकी उपेक्षा हुई है, विकास और अन्य बातों की उनकी मांगों की उपेक्षा की गई है। अत: वहां के लोग किसी तरह से इस बात से आश्वस्त हैं कि इन जिलों को मिला कर उनके लिए पृथक राज्य होना चाहिए।

महोदय, यह सीमावर्ती क्षेत्र है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है और यदि सरकार इस पर अनुक्रिया व्यक्त नहीं करती है तो इस आंदोलन के और तेज होने की संभावना है। उस क्षेत्र में हजारों भूतपूर्व सैनिक रह रहे हैं और वे इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात पर भी और आर्थिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अत: गृह मंत्री जी से सरकार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति से यह जानने के लिए मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं कि इस मांग पर सरकार किस स्तर पर विचार कर रही है। क्या सरकार कोई घोषणा कर रही है या नहीं क्या सरकार चुनाव घोषित होने से कोई घोषणा करने जा रही है। इस क्षेत्र को अनिवार्य रूप से, अनिच्छा से चुनावों में शामिल किया जा रहा है जिसमें लोग बिलकुल भी भाग नहीं लेना चाहते हैं। अन्यथा उस क्षेत्र में गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग उत्तर प्रदेश विधान मंडल जिसमें सभी दल शामिल थे प्रस्तावों से सर्वसम्मति से दो बार अनुमोदित हो चुकी है और उसके बाद से यह आंदोलन चल रहा है। महीनों बीत गए हैं। हम सब जानते हैं कि मुजफरनगर में उस समय क्या हुआ जो लोग, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी अपनी मांगे रखने के लिए दिल्ली आ रहे थे। मैं अब उस सब के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। उन पर अत्याचार किए गए, गोली चलाई गई, महिलाओं को अपमानित किया गया और अब लोग कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अत: वे अब मांग कर रहे हैं कि पृथक राज्य के उनके दावे के अभी स्वीकार किया जाए और कम से कम सिद्धान्त रूप में ऐसा किया ही जाए ब्यौरे बाद में निर्धारित किए जा सकते हैं। सरकार कुछ भी कहने से इनकार कर रही, सरकार को हां या न कहना चाहिए।

लोक सभा का चुनावों के बाद तक स्थाई सत्रावसान हो जाएगा। जब कि चुनाव होने जा रहे हैं, सरकार इन नौ पर्वतीय जिलों में भी चुनाव करवाना चाहती है जबकि लोग चुनावों का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे चुनावों में शामिल नहीं होंगे। मुझे हाल ही में उत्तरप्रदेश के राज्यपाल से मिलने का अवसर मिला और मैंने इस बारे में उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि "हमें आशंका है कि उस क्षेत्र में बहुत गड़बड़ होगी, लेकिन हम नहीं जानते हैं जब तक केन्द्र सरकार इस मामले पर निर्णय न हीं लेती है तब तक कि इसका सामना कैसे किया जाए।" महोदय, अत: आपकी अनुमति से मैंने यह मामला उठाया है। मैं केन्द्र सरकार से इस प्रश्न जिस पर वह काफी लम्बे समय से विचार कर रही है, कुछ प्रतिक्रिया चाहता हूं।

श्री अर्जुन सिंह (सतना): महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): अध्यक्ष जी, मैं भी इस विषय पर बराबर नोटिस दे चुका हूं और यहां पर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बराबर मुद्दा उठा रहे हैं और इस सरकार को साढ़े चार साल से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 अगस्त, 1991 की बात है और यह 1996 है। 12 अगस्त, 1991 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव यहां पर भेजा हुआ है कि इन आठ जिलों का पृथक प्रस्ताव बनाया जाये। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 अगस्त 1991 को प्रस्ताव भेजा हुआ है और यहां पर यह सरकार तब से कह रही है कि प्रस्ताव विचाराधीन है। यह किस प्रकार की सरकार है जो पांच साल से एक निर्णय नहीं ले सकती है, बार-बार कहती है और बार-बार बहानेबाजी करती है। उसके बाद यहां पर प्राइवेट मैम्बर्स रिजोल्यूशन पर साढ़े साल घंटे की बहस हुई थी और माननीय गृह मंत्री जी ने यहां पर कहा था कि अभी राष्ट्रपति शासन है। यह 1994 की बात है। जैसे ही चुनी हुई सरकार आ जायेगी,

हम निर्णय लेंगे। हालांकि पहला प्रस्ताव भी चुनी हुई सरकार ने भेजा था। दूसरी चुनी हुई सरकार आई। फिर एक प्रस्ताव इनके पास 1994 का आया। उसके बाद यह कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे माननीय इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि अभी दो-तीन महीने पहले जनवरी के महीने से डिले करने के लिए, देर करने के लिए, बहानाबाजी करने के लिए लोगों को, संगठनों को बुलाना शुरू किया। 35-40 संगठनों को दिल्ली में रातोंरात खड़ा कर दिया। न तो विधान सभा के और न ही लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ पिछले पांच साल से कोई वार्तालय इन्होंने नहीं किया है और मैं बराबर इनसे निवेदन कर रहा हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों से बात करिये। ये अपने जान पहचान के दोस्तों को बुला लेते हैं और टी.वी. पर उनका फोटो दिखा देते हैं और कह देते हैं कि बातचीत हो रही है। हमने पहले भी इसी विषय में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वॉकआउट किया था। लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा है। वर्ष 1994 एजुकेशन के दृष्टिकोण से जीरो वर्ष हो गया है। साढ़े चार सौ करोड़ में से ढ़ाई सौ करोड़ रूपया मुलायम सिंह की सरकार ने वापस दे दिया है कि वहां पर आन्दोलन चल रहा है और वापस इस्तेमाल नहीं हो सकता। अभी तक इस साल में 100 करोड़ से ऊपर रूपया वापस चला गया है और फिर से वापस होने की उम्मीद है। वहां पर विकास के नाम पर जीरो हो गया है। जो होटल पर्यटन से संबंधित थे, वे सब बन्द हो गये हैं और सरकार दूसरी तरह से अपना पैसा लेने के लिए लोन वसूल कर रही है। इस प्रकार के अनेक अन्याय हो रहे हैं।

जहां तक चुनाव के बारे में कहा गया है ... (व्यवधान) माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा है कि गवर्नर महोदय ने कहा है कि वहां पर बहुत बड़े दंग हो जायेंगे ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगरपालिका और न्याय पंचायतों के चुनाव होने वाले थे, पूरे राज्य में हुए, सिर्फ आठ जिलों में नहीं किए गए ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने इन सब बातों पर कल चर्चा कर ली है। मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी अब आप अपनी बात समाप्त करेंगे।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): मैंने पूछा था, क्यों नहीं हो रहे हैं ... (व्यवधान) उन्होंने कहा इस लिए नहीं हो रहे हैं ... (व्यवधान) यह झूठ बात कही गई है कि चुनाव इस वजह से नहीं हुए हैं कि किसी ने अपना नामांकन पत्र ही नहीं किया था। मैंने राज्यपाल महोदय को बताया कि कितने नामांकन पत्र दिए हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने कल इस पर चर्चा कर ली है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में कल चर्चा हुई है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अर्जुन सिंह जी को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। केवल उन्हीं का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने सदन में एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया है और मैं उनका समर्थन करता हूं। समर्थन केवल इसलिए नहीं कि इस देश के अन्दर एक भू-भाग से एक पृथक राज्य की मांग हो रही है। यह मांग न केवल जायज है, बल्कि मैं समझता हूं कि भारत के हित में है। अगर इस बात को समझने की कोशिश यह शासन नहीं करना चाहता, तो यह इसकी जिम्मेदारी होगी, यदि उस अंचल में, जो संवेदनशील अंचल हैं, शांति-व्यवस्था भंग होती है। हमें जनमत के आधार पर स्वीकार करना चाहिए, यदि इस देश के अन्दर बड़े-बड़े राज्य बन सकते हैं, और राज्य बन सकते हैं, तो क्या कारण है कि उत्तराखण्ड लोगों की मांग कि उत्तराखण्ड पृथक राज्य क्यों नहीं बन सकता है? हम उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के लिए पूरा समर्थन करते हैं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): हम लोग भी इसका पूरा समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बड़े इशूज इन्वाल्व हैं, एक दम जम्प मत कीजिए इधर से उधर।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान: हम लोगों ने समर्थन कर दिया।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैं इस मुद्दे का समर्थन करती हूं क्योंकि कल 1 बजे रात को जब मंत्री महोदय ने इस मुद्दे पर उत्तर दिया तो उस समय आप वहीं थे। ... (**व्यवधान**) मैं इस मुद्दे का समर्थन कर रही हूं। यह सब क्या है? ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): सर, आप जा रहे हैं। इतना बडा सवाल उठाने का हम को मौका नहीं मिला है। ... (**व्यवधान**) यह तो अन्याय हो रहा है ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट के लिए आप बैठ जाइए। ...

...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया आप बैठ जाइए। मेरी एक बैठक है मुझे जाना है। उपाध्यक्ष महोदय यहां पर बैठे हैं और वह निश्चित रूप से सूची में दिए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेंगे। आपको भी सहयोग करना चाहिए। आप में हर कोई दस-पन्द्रह मिनट बोलना चाहता है। ...

...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उस मीटिंग में तो हमें भी जाना है। इसलिए पांच मिनट सुन लीजिए। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप इस बात से सहमत होंगे कि ... (**व्यवधान**) हमारा एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत अर्थात "वन्देमातरम" है। मैंने संसदीय कार्य मंत्रालय और आपको भी अनेक पत्र लिखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। कृपया आपको वह मुद्दा छोड़ देना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी: सभा के सत्रावसान पर या सभा का समापन होता है या सभा भंग होती है तो हम "वन्देमातरम" गाकर इसे समाप्त करते हैं। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्रीय कक्ष में बंकिम चन्द्र चटर्जी का कोई चित्र नहीं है। मैं आपको पहले ही काफी पत्र लिख चुकी हूं।

अध्यक्ष महोदय : जगह नहीं है। हम उनका चित्र लगाने की कोशिश करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी: केन्द्रीय कक्ष में बहुत जगह है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस तरह के मुद्दे यहां नहीं उठाने चाहिए। मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। ...

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : आपको अवसर दिया जाएगा। मैंने कह दिया है कि यह 2 बजे तक जारी रहेगा। हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित नहीं कर रहे हैं।

01.00 म.प.

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत तकलीफ के साथ सदन का ध्यान बिहार में सरकारी खजाने की लूट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ... (**व्यवधान**) यह राज्य से संबंधित विषय है। इस पर यहाँ चर्चा नहीं की जानी चाहिये। अतः, उन्हें यह मुद्दा उठाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं एक संवैधानिक सवाल उठाना चाहता हूं ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी): महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाये ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि से संबंधित रिपोर्ट के हवाले से कुछ बताना चाहता हूं। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (**कटक**): महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं एक संवैधानिक सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ... **(व्यवधान)**

श्री विनय कटियारः यह विषय तो सबसे पहले उठना चाहिए था। ... **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री नीतीश कुमार का भाषण कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के नवे प्रतिवेदन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। .. **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाज़त से मैं आगे आकर बोलना चाहता हूं। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

01.03 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 01.15 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

01.04 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 01.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

01.17 म.प.

लोक सभा 01.17 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की शिकायते प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं - जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे सहयोग दीजिये। आज अन्तिम दिन है तथा **सौहार्दपूर्ण** वातावरण बना रहना चाहिए। ...

...(व्यवधान)...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आप यह निर्णय कर लें कि इस सभा की कार्यवाही समुचित ढंग से चलती रहनी चाहिये अथवा नहीं। **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जो ट्रेजरी स्कैम हुआ है। पशुपालन विभाग के माध्यम से बड़े पैमाने पर नाजायज ढंग से, अवैध ढंग से अरबों रूपये की निकासी हुई है। यह मामला प्रकाश में आया है। हाई कोर्ट ने भी कल सी.बी.आई. इंक्वायरी का आदेश दिया है। पटना उच्च न्यायालय नें भी अपने आदेश में अनेको जगह स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं कि बिहार सरकार में जो बड़े लोग है उनको मालूम था और उनकी जानकारी में खजाने की लूट हो रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक संवैधानिक प्वाइंट पर हूं। भारत सरकार का पैसा था। कृषि संबंधी स्थाई समिति ने अपने नोवें प्रतिवेदन में यह कहा है कि बिहार में जो केन्द्र की राशि है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। पशुपालन विभाग और सरकारी खजाने का सचालन, बजट का निर्माण **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाईये। मैं सभी का नाम बारी-बारी से बोलने के लिए पुकारूंगा। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे क्षमा कीजिये। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाईये। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने सभा 15 मिनट के लिए स्थगित की थी। यह समझौता हुआ है। अन्य माननीय सदस्य भी अपनी शिकायतें रखना चाहते हैं। अतः, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाईये। मैंने श्रीमती सरोज दुबे का नाम बोलने के लिए पुकारा है।

...(व्यवधान)...

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक संवैधानिक मामला उठा रहा हूँ। ... (**व्यवधान**) इस तरह से शोर मचाकर इसको बोलने से रोका जा रहा है। यह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है।

01.21 म.प.

इस समय श्रीमती लवली आनंद आई और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गई।

श्री नीतीश कुमार: राजकोष की रक्षा करना केन्द्र सरकार का दायित्व है। ... (**व्यवधान**)

01.21$\frac{1}{4}$ म.प.

इस समय श्रीमती लवली आनंद अपने स्थान पर वापस चली गई।

श्री नीतीश कुमार: सी.ए.जी. की रिपोर्ट, जो बिहार विधान मंडल में दिसम्बर, 1995 में रखी गई, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1345 करोड़ रूपए की अवैध निकासी हुई है। यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट में है। ऐसी हालत में वहां की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, यह हमारी मांग है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक हैं, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने श्रीमती सरोज दुबे का नाम पुकारा है। श्री नीतीश कुमार जी आपका धन्यवाद। आपने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। श्रीमती सरोज दुबे। ...

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, अब यह बात समाप्त हो चुकी है।

[हिन्दी]

सरोज दुबे जी, आप टेलीफोन इण्डस्ट्री के बारे में बोलिए।

01.23 म.प.

इस समय श्री नीतीश कुमार, श्रीमती लवली आनंद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

01.23¼ म.प.

इस समय श्री नीतीश कुमार, श्रीमती लवली आनंद और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सरोज दुबे, आपका नाम पुकारा गया है। आप आई.टी.आई., इलाहाबाद की इकाई में अनियमितताओं के बारे में बोल सकती हैं। ...

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, आप आपनी बात साफ तौर पर कह चुके हैं। अब मैंने श्रीमती सरोज दुबे का नाम पुकार है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो मामला उठा रही हूं वह 15 हजार कर्मचारियों को रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ मामला हैं। वे लोग भूखों मरने जा रहे हैं ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सरोज दुबे आई.टी.आई., इलाहाबाद की इकाई में अनियमितताओं के बारे में जो कुछ कहेंगे, वहीं कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा। ...

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य सदस्यों को अपनी शिकायते रखने के लिए मिले अवसर में बाधा मत डालिये। श्री नीतीश कुमार, अपने बिहार में हुई अनियमितताओं के बारे में बताया है। आप अपनी बात बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से कह चुके हैं। उस पर बहस नहीं हो सकती। आपने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दी है और इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जा रहा है।

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने स्थान पर बैठ जाईये। ...

...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, 15 हजार वर्करों की बेरोजगारी का सवाल है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं, कृपया उनकी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरीके से आप उन माननीय सदस्यों के बोलने का अवसर खराब कर रहे हैं, जो अपनी शिकायतें रखना चाहते हैं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, 15 हजार वर्करों की रोजी-रोटी का सवाल है। ... (व्यवधान.)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा के समक्ष केवल यही एक मुद्दा नहीं है। अन्य और भी अनेक मुद्दे इस सभा के समक्ष हैं। श्री नीतीश कुमार जी अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन चलने वाला नहीं है। ...(व्यावधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह बात माननीय सदस्यों पर निर्भर करती है कि वे अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायें तथा अन्य माननीय सदस्यों को इस बहस में भाग लेने दें।

...(व्यवधान)...

01.27 म.प.

इस समय श्री नीतीश कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। ऐसा करना उचित नहीं है। आज अन्तिम दिन है। यदि अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा, तो वे और कहाँ अपनी शिकायतें रख सकते हैं। इसके लिए यदि संसद नहीं, तो उनके लिए अन्य कौन-सा मंच खुला है? अतः, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाईये। कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण कीजिये।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरीके से आप वास्तव में उन माननीय सदस्यों के अधिकार छीन रहे हैं जिनको इस सभा ने बोलने का अधिकार प्राप्त है और जो अपनी शिकायतें रखना चाहते हैं। इससे सभा में मर्यादा कायम नहीं होती।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी: उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस नहीं चलने दिया जाएगा। यह विश्वासघात है। यह नहीं चलने दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे सभा स्थगित करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिये। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये। ...

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठ जाइए। यहां पार्लियमेंट में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब समय धीरे-धीरे आ रहा है। मैदान में लड़ेगे। आरोप-प्रत्यारोप वहां लगाएंगे। यहां संसद में नहीं।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही चलने दीजिये।

ऐसा करना उचित नहीं है। कपड़ा मिलों में कार्यरत 20000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत-सी अन्य समस्याएं भी हैं।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक अन्य समस्याएं भी हमारे सामने हैं।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी-अपनी जगहों पर बैठ जाईये।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि नियम पुस्तिका में एक नियम यह है कि जब कभी पीठासीन अधिकारी अपनी बात कहने के लिए खड़े हों, तब माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने-अपने स्थानों पर बैठे रहें। मैं जो कहना चाहता हूं वह मुझे कह लेने दें। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करना उचित नहीं है। कृपया उन अन्य माननीय सदस्यों के बोलने के अवसर को मत छीनिए, जो अपनी शिकायतें रखना चाहते हैं।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आप अपनी बात सुस्पष्ट तरीके से रख चुके हैं। आप पांच मिनट तक बोलते रहे हैं। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : संसद ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपनी ऊंची आवाज का प्रदर्शन करें। आपको अपना तर्क प्रस्तुत करना होगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि शून्य काल 2 म.प. तक चलेगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठचित नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाईए। ऐसा करते हुए आप उन माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं जिन्हें इस सदन में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों एवं देश की समस्याओं को रखने का अधिकार है।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं यह उचित नहीं है। आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। कृपया आप पीछे बैठ अपने अन्य मित्रों की ओर भी ध्यान दीजिए। उनके अपने भी मुद्दे हैं जो वे सदन में उठाना चाहते हैं।

1.34 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकद फर्श पर खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

1.35 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.02 म.प.

लोक सभा 2.02 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नया विषय लेंगे।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी हवाला मामले पर बोलेंगे।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के समक्ष यह मामला नहीं है। सदन के समक्ष हवाले से संबंधित मामला है। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोल रहे थे। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): मुझे एक संवैधानिक सवाल उठाने दीजिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, जैसे कि पहले घोषणा की जा चुकी है, हम सीधे हवाले से संबंधित मामले को लेंगे। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोल रहे थे अब वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने आपको एक नोटिय दिया है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इस मामले को नहीं लिया जा सकता। आप इस मामले को उपयुक्त समय पर उठाईए अब नहीं। यह घोषणा की गई थी कि दो बजे हवाले से संबंधित मामले को लिया जाएगा। हम उसका पालन करना चाहिए। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बेकार में सदन में व्यवधान मत डालिए। कृपया नियमित चर्चा में व्यवधान मत डालिए। अब आप नियमित चर्चा पर आईए। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या आप सदन की गरिमा नहीं रखेंगे? ... (**व्यवधान**) यह क्या तमाशा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात, मैं केवल एक संवैधानिक मुद्दे को लेकर कुछ कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, सदन के समक्ष वह मामला नहीं है। आप इस मामले को उचित समय पर उठाईए। यदि वह संवैधानिक मामला है तो आप उपयुक्त समय पर उठा सकत हैं। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल नहीं है। यह अनियम समय नहीं है। यह नियम समय है। बैठक में और कार्य मंत्रणा समिति में सभी राजनैतिक दलों के माननीय सदस्यों एवं नेताओं द्वारा इस आशय का ,निर्णय लिया गया था कि दो बजे हवाले से संबंधित मामले पर चर्चा शुरू होगी। मैंने श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को अपना भाषण शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। ...

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, उस मामले को हमने नहीं लिया है। आप इस मामले को उचित समय पर उठाईए। यह शून्य काल नहीं है। आप कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

2.06 म.प.

इस समय श्रीमती लवली आनन्द और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लो की सदन अव्यवस्थित है तो मैं इसे व्यवस्थित मान लूंगा।

2.07 म.प.

इस समय श्रीमती लवली आनन्द और कुछ अन्य माननीय सदंस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, आप कृपया इसे उपयुक्त समय पर उठाईए। आप के पास समय है। मैं ऐसा नहीं की सकता कि कब परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि इस मामले को उठाने के लिए आपके पास समय है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे: श्री जार्ज फर्नान्डीज से पूछिये कि उस समय यह क्या कर रहे थे जब हवाला चल रहा था। उस समय इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह हमारे लिए ठीक बात नहीं है कि सदन को अव्यवस्थित रखें।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब यह बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, आप यह विषय उपयुक्त समय पर उठा सकते हैं।

कृपया कुछ देर धीरज रखिए। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी,

आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे: पहले हवाला के बारे में बोलने दीजिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमारे सामने यह विषय नहीं है।

बस एक मिनट ; मुझे सभा स्थगित करने के लिए विवश मत कीजिए। क्या इस प्रकार से बोलना आपके लिए उचित है?

श्री श्रीकान्त जेना (कटक): आप इस बात पर सहमत थे कि हम दो बजे चर्चा शुरू कर देंगे।

2.09 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम पुकारा है। वह बोलने के लिए खड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष जी, जो लोग बोलना चाहते थे, उनको क्यों नहीं बोलने दिया गया? हम लोग बोलना चाहते थे, हमारे बोलने नहीं दिया। ... (व्यवधान) हम लोग संवैधानिक प्वाइंट पर कुछ बोलना चाहते थे। हमको बोलनें नहीं दिया गया। यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह मामला समाप्त हो गया है। अब हवाले से संबंधित मामले को किया गया है। कृपया व्यवधान मत डालिए। आपने बोल लिया है। वह रिकार्ड में गया है। उसके बाद ही सभा को स्थगित किया गया था। यह सभा हम सब की है।

...(व्यवधान)...

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह क्या है? दोहरे मानदंडों की भी कोई सीमा है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे है। कृपया उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)... *

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि शून्य काल मध्याहन 2 बजे तक चलेगा। अब हम अनुसूची के अनुसार कार्य करेंगे॥

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : फिर कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले पर निर्णय लेने का क्या अर्थ है? हमने हवाला मामले पर मध्याहन 2 बजे चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया था। कार्य मंत्रणा समिति में वह प्रस्ताव पारित करने का क्या अर्थ है?

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में हमने निर्णय लिया था कि हवाला मामले पर मध्याहन 2 बजे चर्चा शुरू की जाएगी। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोल रहे थे। कृपया व्यवधान मत डालिए। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठिए। ऐसा करके हम उन अन्य सदस्यों का हक छीन रहे हैं जो बोलना चाहते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए। अब हम किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि हवाला मामले पर चर्चा मध्याहन 2 बजे शुरू की जाएगी। जिन्होंने अपने नाम दे दिए और जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको पहले अवसर मिल चुका है। आप अपनी सीट पर वापिस जाइए और फिर सुझाव दीजिए। तब उत्तर दिया जाएगा। अब हम अनुसूची के अनुसार कार्यवाही को आगे बढ़ाते है।

...(व्यवधान)...

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते है।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : दलों के नेता माननीय सदस्यों को शांत करे और उन्हें अपनी-अपनी सीट पर बैठने का आग्रह करें ...

...(व्यवधान)...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट रूकिए। मैंने श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को बोलने का अवसर दिया है। श्री यादव मैं आपको आप में बोलने का अवसर दूंगा,

पहले हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)...

2.16 म.प.

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्यांक 18) - (वाणिज्यिक) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तथा राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एवं इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्याकं 18)-(वाणिज्यिक)-होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9285/96]

(2) (एक) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारण अधिनियम, 1985 की धारा 24 की उपधारा (4) तथा धारा 25 के अंतर्गत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारण के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षक लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारण के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9286/96]

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9287/96]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को

सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9288/96]

(3) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9289/96]

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्यांक 17) - (वाणिज्यिक) - भारतीय खाद्य निगम और भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्याकं 17)-(वाणिज्यिक)-भारतीय खाद्य निगम की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9290/96]

(2) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षक लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9291/96]

(4) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1995 जो 7 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.पी. 41-1/95 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9334/96]

(5) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1995 जो 12 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 27 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9335/96]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1995-96 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1995, जो 8 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 731 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9336/96]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सामान्य भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 1995 तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, श्री जी. वेंकट स्वामी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सामान्य भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 1995 जो 3 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9337/96]

(2) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखकों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9238/96]

(4) (एक) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोड, नागपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखें।

(दो) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड, नागपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9339/96]

(6) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9340/96]

(ख) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9341/96]

खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1995

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री गिरिधर गमांग की ओर से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1995, जो 28 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 634 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9292/96]

भारतीय माध्यस्थम परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) भारतीय माध्यस्थम परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय माध्यस्थम परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9342/96]

(3) जनरल फण्ड एकाउंट्स आफ दि काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9343/96]

(5) पूल फण्ड एकाउंट्स आफ दि काफी बोर्ड, बंगलौर के 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9344/96]

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): महोदय, मैं श्री राजशेखर मूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभी पटल पर रखता हूं-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9293/96]

(ख) (एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9294/96]

(3) (एक) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9295/96]

(5) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9296/96]

(7) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर, गांधीग्राम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी

संस्करण)।

(दो) नेशनल शिप डिज़ाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर, गांधीग्राम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9297/96]

(8) (एक) कोचीन डॉक लेबर बोर्ड, कोची के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) कोचीन डॉक लेबर बोर्ड, कोची के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9298/96]

(10) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9299/96]

(12) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षा लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9300/96]

(14) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 753(अ) जो 17 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जिनके द्वारा पाराद्वीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 754(अ) जो 17 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, और जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (सेवा की सामान्य शर्तें) विनियम 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 755(अ) जो 17 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, और जिनके द्वारा विशाखापत्तनतम पत्तन न्यास कर्मचारी न्यास (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 756(अ) जो 17 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, और जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (अवकाश यात्रा रिसायत) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(पाच) सा.का.नि. 757(अ) जो 17 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, और जिनके द्वारा मारमुगांव पत्तन कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 756(अ) जो 17 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, और जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 763(अ) जो 28 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, और जिनके द्वारा काण्डला पत्तन कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 13(अ) जो 9 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (वाहन अग्रिम मंजूरी) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 14(अ) जो 9 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, और जिनके द्वारा मद्रास पत्तन कर्मचारी न्यास (त्यौहार और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम मंजूरी) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 15(अ) जो 9 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 16(अ) जो 9 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) (संशोधन) विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा.का.नि. 17(अ) जो 9 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा.का.नि. 88(अ) जो 13 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास (नौभरकों की अनुज्ञप्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(चौदह) सा.का.नि. 99(अ) जो 19 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जिनके द्वारा मारमुगांव पत्तन (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9301/96]

(15) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सामान की ढुलाई) नियम, 1995 जो 27 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 811 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9302/96]

(16) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 87(अ), जो 31 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 पर गाजीपुर को बलिया-छपरा-हाजीपुर जोड़ने वाले तथा बिहार में पटना के पास समाप्त होने वाले राजमार्ग संख्या 30 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9303/96]

(17) (एक) कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9304/96]

(19) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9305/96]

(21) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9306/96]

(22) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2ख) के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन नियम, 1994 जो 27 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 523(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9307/96]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री राजेश पायलट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1994-95 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9345/96]

(3) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9346/96]

(5) (एक) गोविन्द वल्लभ पत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) गोविन्द वल्लभ पत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9347/96]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत अंदमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (1995 का संख्याकं 16)-(वाणिज्यिक)- के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9348/96]

(8) (एक) भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9349/96]

(10) (एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9350/96]

(12) (एक) सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9351/96]

इनैक्ट्रानिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) इनैक्ट्रानिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9308/96]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9309/96]

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9310/96]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री एच.आर. भारद्वाज की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के

अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 2821/एम.टी./96 जो 2 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसका आशय संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 के अंग्रेजी संस्करण में कतिपय शुद्धियां करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9352/96]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 191(अ), जो 13 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 22 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 545(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ताकि आदेश के हिन्दी संस्करण में कतिपय संशोधन किये जा सकें।

(दो) का.आ. 193(अ), जो 13 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 552(अ) में प्रकाशित आदेश के हिन्दी संस्करण में कतिपय संशोधन किये जा सकें।

(तीन) का.आ. 541(अ), जो 22 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5540 का विखण्ड किया गया है।

(चार) का.आ. 554(अ), जो 22 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अक्तूबर, 1986 की अधिसूचना संख्या का.आ. 760(अ) का विखण्ड किया गया है।

(पांच) दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1995, जो 6 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 320(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 16 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या का.आ. 439(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1995, जो 20 जुलाई, 1995 अधिसूचना संख्या का.आ. 646(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1995, जो 29 जुलाई, 1995 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 591(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1995, जो 28 जुलाई, 1995 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 676(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) का.आ. 667(अ), जो 28 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिंखित कतिपय कंपनियों के बारे में खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा नियत की गई।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9353/96]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक काडर की भर्ती) संशोधन विनियम, 1995, जो 14 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 795(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9354/96]

(3) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो के वर्ष 1994-95 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9355/96]

सेन्टर फार दि डिवलपमेंट ऑफ ग्लास इन्डस्ट्री फिरोजाबाद का वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): महोदय, मैं श्री एम. अरूणाचल क्षेत्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) सेन्टर फार दि डिवलपमेंट ऑफ ग्लास इन्डस्ट्री फिरोजाबाद का वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) सेन्टर फार दि डिवलपमेंट ऑफ ग्लास इन्डस्ट्री फिरोजाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9356/96]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री एम.वी. चन्द्रशेखरमूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 519 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 937(अ), जो 28 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 938(अ), जो 28 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 997(अ), जो 27 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 998(अ), जो 27 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 75(अ), जो 30 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 76(अ), जो 30 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) 1 जनवरी, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या-1, जो गुवाहाटी में एक माड्रन पोर्क प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना करने के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपस्करों के आयात पर उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) 19 जनवरी, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 20, जो कापर-टी गर्भ निरोध साधनों

के उत्पादन के लिए अपेक्षित हिस्सों के आयात पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) 24 जनवरी, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 25, जो राज्य व्यापार निगम द्वारा आर.बी.डी. पामोलीन के आयात पर उदग्रहणीय 20 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क और सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) 1 फरवरी, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 30, जो सी.यू.टी.ज. 200 बी-गर्भ निरोधक साधनों के निर्माण के लिए संघटकों/कच्ची सामग्री के आयात पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) तदर्थ छूट आदेश संख्या 299, जो 13 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नेशनल हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट प्रोजेक्ट के चरण-दो के लिए आवश्यक उपस्करों के आयात पर सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 43(अ) जो 22 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नेपाल से भारत को ऐसे माल के आयात को जिनका भारत से भिन्न देशों से नेपाल को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्यात किया गया है, एक प्रतिबंध लगाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 106(अ) जो 28 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हैंडलूम टेरी टावलिंग क्लाथ और हैंडलूम टेरी टावल्स की रंगाई करके निर्यात करने पर शुल्क वापसी की दर की तारीख, 16 जून, 1996 से विनिर्दिष्ट करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9357/96]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.आ. 83(अ), जो 8 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थे तथा जिसके द्वारा 28 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 266/67-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.आ. 87(अ), जो 13 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थे तथा जिसके द्वारा दिल्ली आयुक्तालय में कम्प्यूटरों पर तैयार किए गए आगम-पत्र की दूसरी प्रति को वैध शुल्क अदायगी दस्तावेज के रूप में विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9358/96]

(3) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया कर्मचारी पेंशन और गारंटी निधि नियम और विनियम (संशोधन) 1995, जो 23 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/एसपीएल. 5328 में प्रकशित हुए थे।

(दो) भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियम (संशोधन) 1995, जो 23 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/एडीएम/एसपीएल. 5329 में प्रकशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9359/96]

(5) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) काशी नाथ सेठ बैंक लिमिटेड (भारतीय स्टेट

बैंक के साथ समामेलन) योजना, 1995, जो 31 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1010 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) का.आ. 1010 (अ) 1995, जो 31 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा काशी नाथ सेठ बैंक लिमिटेड के भारतीय स्टेट बैंक के साथ समामेलन की तारीख निर्धारित की गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9360/96]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार स्वीकार करना) विनियम, 1980, जो 29 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ. ओ एम आर एण्ड आई आर: ए:/5/6/864 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि पत्र जो 30 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या एचओ: ओएसआर एण्ड आईआर: ए:/5/6/2253 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995, जो 29 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडीएमएन/5/3889 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सेंट्रल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995, जो 29 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/पीआरएम/पेंशन/95-96/278 में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त मद (6) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9361/96]

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्याक 6) - 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (वैज्ञानिक विभाग) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9362/96]

भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं इत्यादि।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1996, जो 25 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 67(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1996, जो 25 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1995, जो 9 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 537 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9363/96]

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन विनियम, 1995, जो 16 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 551 में प्रकाशित हुए थे।

महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1975-76 से 1994-95 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1975-76 से 1994-95 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

के बारे में एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9364/96]

(ख) (एक) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9365/96]

(दो) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9366/96]

(तीन) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9367/96]

(चार) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9368/96]

(पांच) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9369/96]

(छह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9370/96]

(सात) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9371/96]

(आठ) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9372/96]

(नौ) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9373/96]

(दस) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9374/96]

(ग्यारह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9375/96]

(बारह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9376/96]

(तेरह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9377/96]

(चौदह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे

के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9378/96]

(पन्द्रह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9379/96]

(सोलह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9380/96]

(सत्रह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9381/96]

(अठारह) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9382/96]

(उन्नीस) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9383/96]

(बीस) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9384/96]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9385/96]

भारतीय प्रेस परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और इन पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं पी.एम. सईद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) भारती प्रेस परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9311/96]

इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

नगर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी.वाई. कृष्णन्): महोदय, मैं श्रीमती सुखबंस कौर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9386/96]

(दो) नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एण्ड कैटरिंग टैक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा

लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9387/96]

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्रालाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9388/96]

(ख) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एण्ड यूट्रीशन, नई दिल्ली और होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटिरिग टैक्रालाजी नई दिल्ली और श्रीनगर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9389/96]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9390/96]

क्रीम युक्त मक्खन श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1995 तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): महोदय, मैं की ओर से निम्नलिखित पत्र सभी पटल पर रखता हूं-

(1) कृषि उपज (श्रेणीकरण ओर चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत क्रीम युक्त मक्खन श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1995, जो 7 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9312/96]

(2) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखकों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9313/96]

भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे और इन पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): महोदय, मैं श्री सी. सिल्वेरा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(दो) भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की मरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9391/96]

(3) भारत यत्र निगम लिमिटेड और इसके अनुषंगियों के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं को लेखा वर्ष की

समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9392/96]

(4) कंपनि अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(1) (एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9393/96]

दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1996-97 का वार्षिक बजट दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1994-95 का वाषिक प्रतिवेदना और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): महोदय, मैं श्रीमती उर्मिला सी पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9314/96]

(2) (एक) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9315/96]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) नाथपा झाकरी विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9317/96]

(6) (एक) ऊर्जा प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(दो) ऊर्जा प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9318/96]

(8) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 4ख की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों निबन्धन और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1996, जो 22 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 101(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9394/96]

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) नियम, 1996 और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा पत्रों इत्यादि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियनन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियनन और दुरुपयोग निवारण) नियम, 1996 जो 1 जनवरी, 1996 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1(अ) में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9395/96]

(2) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9396/96]

(4) (एक) आल इंडिया इन्सटिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आल इंडिया इन्सटिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) आल इंडिया इन्सटिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9397/96]

(5) (एक) पास्च्यर इन्सटिट्यूट आफ इंडिया कूनूर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पास्च्यर इन्सटिट्यूट आफ इंडिया कूनूर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पास्च्यर इन्सटिट्यूट आफ इंडिया कूनूर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9398/96]

(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मकार और स्वास्थ्य निरीक्षक (वेतन का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 2) जो 5 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9399/96]

(7) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियना मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9400/96]

(9) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9401/96]

(11) (एक) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9402/96]

(13) (एक) आचार्य हरिहर रीजनल सेन्टर फार कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंन्ट सोसाइटी, कटक के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आचार्य हरिहर रीजनल सेन्टर फार कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंन्ट सोसाइटी, कटक के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) आचार्य हरिहर रीजनल सेन्टर फार कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंन्ट सोसाइटी, कटक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9403/96]

(15) (एक) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इन्सटिट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इन्सटिट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इन्सटिट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9404/96]

(17) (एक) इंडियन काउंसिल आफ मेडीकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ मेडीकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9405/96]

(19) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9406/96]

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र का वार्षिक प्रतिवेदन तथा का वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा तथा पत्रों इत्यादि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): महोदय, मैं कुमारी शैलजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9407/96]

(3) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9408/96]

(5) (एक) कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक अनुबन्ध जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित है।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9409/96]

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन तथा 1994-95 उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों इत्यादि को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं डा. कृपा सिन्धु भोई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9410/96]

(3) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष

1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9411/96]

(5) (एक) कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9412/96]

(7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9413/96]

गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री अयूब खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9319/96]

(ख) (एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9320/96]

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9321/96]

(5) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9322/96]

(6) (एक) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9323/96]

(8) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :-

(एक) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (इस्टेब्लिश)/94 जो 4 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बीवीएससी तथा एएच कार्यक्रमों में सीटों का बंटवारा करने के बारे में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति द्वारा बनाये गए प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9324/96]

(दो) 1995 की अधिसूचना संख्या 2 [संख्या वीसी/सीएयू/14 (इस्टेब्लिश)/94] जो 22 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक सहायक कर्मचारीवृन्द के पदों का सृजन तथा उन्हें भरने के बारे में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बनाये गये प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9325/96]

(9) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9326/96]

(11) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोचि के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोचि के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोचि के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9327/96]

भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण, आदि।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): महोदय, मैं श्री एस.एस. अहलुवालिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9328/96]

(3) आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड, तथा शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9329/96]

(4) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9330/96]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9331/96]

(7) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन 6-3-1996 को सभा पटल पर रखा गया। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9332/96]

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदय, मैं श्री सुरेश पचौरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(1) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 9414/96]

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 से 1991-92 के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षित लेखाओं के कार्यकरण की समीक्षा

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) से राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-1988 से 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9415/96]

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 से 1991-92 के लेखा परिक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9416/96]

राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण, आदि।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): महोदय, मैं कुमारी विमला वर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9317/96]

2.20 म.प.

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने 12वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने दर्शायी गई अवधि के लिए सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति देने की सिफारिश की है:-

1. श्री गोविन्दराव निकम 27.11.95 से 22.12.95
2. श्री ए. अशोकराज 27.11.95 से 22.12.95
3. श्री एस.बी.थोराट 27.11.95 से 19.12.95

क्या सभा चाहती है कि जैसा कि समिति ने सिफारिश की है, सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदानुसार सूचित किया जाएगा।

2.21 म.प.

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर): महोदय, मैं कोयला मंत्रालय—कोयले का उत्पादन और वितरण के बारे में प्राक्कलन समिति का सत्तावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

2.21½ म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

चौवनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

स्कवाड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, मैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 54वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.22 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन तथा दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज (सांरगढ़) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(1) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण-मंत्रालय केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों तथा कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा उनमें उनके लिये प्रवेश में आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का पैसठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल एक और दो के चार दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

2.22½ म.प.

[अनुवाद]

रेल अभिसमय समिति

बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री नीतीश कुमार (बाड़) : महोदय मैं "1996-97 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी मामलों" संबंधी रेल अभिसमय समिति के बारहवें प्रतिवेदन तथा इससे संबंधित कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.23 म.प.

कृषि संबंधी स्थायी समिति

सैंतीसवां तथा अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री नीतीश कुमार (बाड़) : महोदय मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा संबंधित कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) "खेसारी दाल" के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (1994-95) के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सैंतीसवां प्रतिवेदन ।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के संबंध में अड़तीसवां प्रतिवेदन ।

2.24 म.प.

[अनुवाद]

संचार संबंधी स्थायी समिति

अठाइसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में संचार संबंधी स्थायी समिति के

निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

(1) केन्दीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के संबंध में संचार संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अतंर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अट्ठाइसवां प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के संबंध में संचार संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उनतीसवां प्रतिवेदन।

2.25 म.प.

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

सातवां तथा आठवां प्रतिवेदन

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य): महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सातवां प्रतिवेदन ।

(2) "रक्षा अनुसंधान और विकास—मुख्य परियोजनाएं" के संबंध में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

2.25½ म.प.

[अनुवाद]

वित्त संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां तथा तेइसवां प्रतिवेदन

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) "आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती" के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन ।

(2) "वित्त मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों" के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तेईसवां प्रतिवेदन।

2.26½ म.प.

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

सताइसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री हरि किशोर सिंह (शिव्हर): पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) 'उर्वरक शिक्षा नीति और परियोजना' (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग) संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) प्रक्रियात्मक और विविध मामलों संबंधी कार्यवाही सारांश।

2.27 म.प.

[हिन्दी]

रेल संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं "भारतीय रेलवे के वैगनों की आवश्यकता, खरीद और उपयोग" के संबंध में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (1995-96) का इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.27½ म.प.

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

बाइसवां, तेइसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां तथा सताइसवां प्रतिवेदन

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की ''वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मांगों'' के संबंध में 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय परती भूमि विकास के संबंध में सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(3) ''भूमि अर्जन अधिनियम, 1894'' के संबंध में 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

(4) ''ग्रामीण जल पूर्ति एवं स्वच्छता'' से संबंधित 11 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(5) ''केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का आयोजन, अनुरक्षण, अद्यतन और कम्प्यूटरीकरण-एक मूल्यांकन'' से संबंधित छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(6) ''जवाहर रोजगार योजना'' से संबंधित 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

2.29 म.प.

[अनुवाद]

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) बाईसवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): महोदय, मैं बाईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) तेइसवां तथा चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार): महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) रबड़ के संबंध में तेईसवां प्रतिवेदन; और

(2) समुद्री उत्पादों के संबंध में चौबीसवां प्रतिवेदन ।

2.30 म.प.

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनतालीसवां तथा चालीसवां प्रतिवेदन

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(1) संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में अट्ठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन।

(2) महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में छत्तीसवां प्रतिवेदन।

(3) शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(4) स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के

संबंध में 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अड़तीसवां प्रतिवेदन।

(5) परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उनतालीसवां प्रतिवेदन; और

(6) युवा कार्य और खेल-कूद विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चालीसवां प्रतिवेदन।

2.31½ म.प.

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

श्री के.जी. शिवप्पा (शिमोगा): महोदय, मैं वनों के संरक्षण और वानिकी विकास तथा अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण एवं सुधार के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय वन नीति से संबंधित पर्यावरण और वन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन (1994-95) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के तीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.32 म.प.

[अनुवाद]

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टि पालयम): महोदय, मैं याचिका समिति की सड़सठवीं से सत्तरवी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.33 म.प.

[अनुवाद]

उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में दिनांक 11.12.95 के तारांकित प्रश्न सं. 205 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव): महोदय, मैं सदन का ध्यान इस सदन में 11 दिसम्बर, 1995 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 205 के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं। प्रश्न के मूल उत्तर के भाग (ख) में निर्दिष्ट अनुलग्नक के कुल योग में कुछ गलतियां रह गई थीं। 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उर्वरकों के राज्यवार उत्पादन तथा खपत का एक संशोधित अनुबंध संलग्न है।

2. टंकण अशुद्धियों के कारण हुई त्रुटि के लिए खेद प्रकट करते हुए मैं सदन से क्षमा चाहता हूं।

3. यह संशोधन वक्तव्य सदन में दिनांक 18.12.95 को दिया जाना था परन्तु उस दिन सदन की कार्यवाही के स्थान तथा तदुपरान्त सदन की कार्यवाही के बार-बार स्थगन के कारण इसे शरदकालीन अधिवेशन में नहीं दिया जा सका।

2.35 म.प.

(अनुवाद)

मलेरिया नियंत्रण के संबंध में दिनांक 27.2.1996 के तारांकित प्रश्न संख्या - 2 के उत्तर मे शुद्धि करने वाला वक्तव्य

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं दिनांक 27.2.96 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या-2 के भाग (क) और (ख) के दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। अनजाने में, बिहार राज्य, जहां 1995 में मलेरिया के कारण 34 मौतें हुई थी, के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाए :-

(क) और (ख). देश में मलेरिया के रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन तक नियंत्रित कर दी गई हैं राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यकम प्राधिकारियों के अनुसार 1995 में बिहार में मलेरिया के कारण 34 मौतें हुई। जहां तक काला बाजार का संबंध है, रोगियों और मौतों की संख्या में कमी हुई है, वह सही नहीं हैं बिहर इन सभी बीमारियों से संकान्त है।

असुविधा के लिए खेद है।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : महोदय, यह गलत सूचना है। मलेरिया का उन्मूलन नहीं किया गया है। जहां तक काला आजार का संबंध है, न तो इसका उन्मूलन किया गया है और न ही इसमें कोई कमी आई है। महोदय, यही कारण है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो सूचना दी गई है, वह सही नहीं है। बिहार इन सभी बीमारियों से संक्रान्त है।

संशोधित अनुबंध

1992-93 के दौरान उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन तथा खपत

(000 मी. टन)

राज्य का नाम	उत्पादन (1992-93)		खपत (1992-93)		
	एन	पी	एन	पी	के
1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	369.4	276.0	1021.65	410.69	81.75
कर्नाटक	112.2	41.9	419.40	239.60	120.94
केरल	237.9	143.6	83.92	47.25	71.79
तमिलनाडु	599.2	368.6	455.33	161.53	182.61
अण्डमान और निकोबार			0.30	0.22	0.27
पाण्डिचेरी			9.27	3.21	3.98
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	1794.1	615.8	496.16	181.14	39.29
मध्य प्रदेश	397.2	54.7	502.00	255.92	35.09
महाराष्ट्र	946.6	184.7	731.00	280.00	121.00
राजस्थान	164.9	33.1	349.40	136.04	5.07
दादर और नागर हवेली			0.65	0.42	0.08
गोआ	235.8	94.4	3.21	1.88	1.83
उत्तर क्षेत्र					
हरियाणा	200.0	11.8	464.71	141.41	2.51
हिमाचल प्रदेश			24.47	3.75	2.37
जम्मू और कश्मीर			33.52	10.14	0.74
पंजाब	460.2	31.7	934.52	254.25	10.56
उत्तर प्रदेश	1323.2	54.1	1785.46	345.74	48.51
चण्डीगढ़			0.48	0.05	.01
दिल्ली			11.02	1.33	.04

1	2	3	4	5	6
पूर्वी क्षेत्र					
आसाम	136.8	0.7	16.20	5.28	5.12
मणिपुर			6.67	1.90	0.58
मेघालय			1.56	1.23	0.28
नागालैंड			0.27	0.38	0.09
सिक्किम			0.61	0.37	0.10
त्रिपुरा			5.13	2.53	1.27
अरूणाचल प्रदेश			0.30	0.14	0.05
मिजोरम			0.41	0.54	0.24
टी बोर्ड (एन.ई)			27.00	4.88	11.55
बिहार	191.6	28.5	474.59	100.19	20.96
उड़ीसा	192.5	240.5	142.59	39.08	21.27
पश्चिम बंगाल	68.7	126.1	424.68	212.64	93.96
दमन और दीव			.15	.04	0.01
लक्षद्वीप			0	0	0
	7430.3	2306.2	8426.83	2843.77	883.92

1993-94 के दौरान उर्वरक का राज्यवार उत्पादन तथा खपत

(000 मी. टन)

राज्य का नाम	उत्पादन (1993-94)		खपत (1993-94)		
	एन	पी	एन	पी	के
1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	489.9	197.4	1085.74	369.50	88.09
केरल	262.2	112.8	77.60	33.12	66.11
कर्नाटक	100.0	31.1	472.81	215.02	116.40
तमिलनाडु	487.5	223.0	413.88	161.34	205.69
पाण्डिचेरी		-	11.52	3.82	3.93
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			0.22	.10	.03

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	215.3	50.1	3.12	1.86	1.09
मध्य प्रदेश	413.2	45.5	521.20	235.95	16.83
महाराष्ट्र	902.3	155.1	804.00	259.00	131.00
गुजरात	1702.7	641.1	472.88	157.01	39.19
राजस्थान	243.9	14.7	365.98	133.75	2.63
दमण एण्ड द्वीव			0.15	0.04	0.01
दादर एण्ड नागर हवेली			0.68	0.38	0.02
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	129.4	20.6	471.64	98.67	15.01
उड़ीसा	188.6	177.1	154.59	34.17	18.95
पश्चिम बंगाल	35.0	68.4	425.31	183.21	138.57
आसाम	87.3	0.2	20.72	4.98	7.70
त्रिपुरा			5.25	1.72	0.89
मणिपुर			8.20	0.86	0.05
मेघालय			1.84	1.13	0.27
नागालैंड			0.50	0.46	0.14
अरुणाचल प्रदेश			0.28	0.21	0.08
मिजोरम			0.36	0.43	0.15
सिक्किम			0.61	0.28	0.09
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	237.5	3.8	522.88	148.44	0.36
पंजाब	478.9	20.6	946.52	245.49	7.47
उत्तर प्रदेश	1257.5	54.3	1893.52	359.85	38.75
हिमाचल प्रदेश			24.65	2.34	1.62
जम्मू और कश्मीर			35.17	6.56	0.60
दिल्ली			13.28	2.44	0.02
चण्डीगढ़			0.51	0.02	0.00

1	2	3	4	5	6
टी बोर्ड			32.66	6.35	8.84
लक्षद्वीप			0.05	0.00	0.12
योग (अखिल भारत)	7231.2	1815.8	8788.32	2669.30	908.70

1994-95 के दौरान उर्वरक का राज्यवार उत्पादन तथा खपत

(000 मी. टन)

राज्य का नाम	उत्पादन (1994-95)		खपत (1994-95)		
	एन	पी	एन	पी	के
1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	507.3	268.8	1138.08	385.05	120.35
केरल	283.5	132.6	81.18	39.93	78.20
कर्नाटक	133.8	47.2	494.69	202.23	125.82
तमिलनाडु	606.7	370.5	455.83	179.78	230.96
पाण्डिचेरी			12.38	3.61	4.22
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			0.24	0.9	.25
पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	222.4	88.0	3.37	1.46	1.42
मध्य प्रदेश	386.4	73.3	591.16	274.75	30.0
महाराष्ट्र	896.9	161.9	876.00	345.00	169.00
गुजरात	1756.9	724.8	572.27	195.64	50.38
राजस्थान	522.8	16.3	451.18	142.81	8.04
दमण एण्ड द्वीव			0.12	.03	0.01
दादर एण्ड नागर हवेली			0.65	0.39	0.04
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	174.8	27.4	516.09	100.35	36.5
उड़ीसा	214.8	323.8	161.77	33.27	24.93
पश्चिम बंगाल	36.4	100.	451.91	177.71	123.96
आसाम	73.3	0.2	22.38	3.85	10.77
त्रिपुरा			4.88	1.77	1.03

1	2	3	4	5	6
मणिपुर			7.51	0.90	0.14
मेघालय			1.93	1.12	0.17
नागालैंड			0.25	0.28	0.10
अरुणाचल प्रदेश			0.27	0.18	0.09
मिजोरम			0.37	0.31	0.24
सिक्किम			0.55	0.22	0.00
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	209.3	12.6	559.11	150.50	2.62
पंजाब	483.5	34.8	1013.46	255.92	15.79
उत्तर प्रदेश	1434.6	110.3	1986.65	417.40	76.33
हिमाचल प्रदेश			24.84	2.40	1.97
जम्मू और कश्मीर			37.81	7.27	1.22
दिल्ली			13.03	1.70	0.02
चण्डीगढ़			0.38	0.06	0.001
टी बोर्ड			26.68	4.90	2.03
लक्षद्वीप			4.06	0.00	0.12
कुल (अखिल भारत)	7945.4	2492.7	9507.08	2931.68	1124.72

1995-96 के दौरान उर्वरक का राज्यवार उत्पादन तथा खपत

(000 मी. टन)

राज्य का नाम	उत्पादन (1992-93)		खपत (1992-93)		
	एन	पी	एन	पी	के
1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	287.6	158.5	1269.30	428.18	149.10
कर्नाटक	99.0	26.1	534.29	214.05	127.77
केरल	190.4	87.2	91.17	43.92	78.13
तमिलनाडु	371.3	239.0	517.92	199.31	255.65
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	.34	0.20	.14
लक्षद्वीप	-	-	.06	0.0	.12

1	2	3	4	5	6
पाण्डिचेरी	–	–	15.53	4.84	5.24
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	1099.8	447.0	645.17	237.00	66.57
मध्य प्रदेश	232.4	42.7	703.89	337.01	46.80
महाराष्ट्र	504.8	104.1	959.00	373.10	199.0
राजस्थान	361.7	9.7	524.90	177.05	8.32
दादर और नागर हवेली	–	–	.75	.48	.04
गोवा	142.9	48.7	3.77	1.65	1.51
दमन एण्ड द्वीव	–	–	.0	.0	.0
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	127.7	5.7	648.55	170.20	2.53
हिमाचल प्रदेश	–	–	32.89	2.81	2.47
जम्मू और कश्मीर	–	–	47.53	9.20	1.05
पंजाब	258.9	16.1	1076.63	308.88	15.44
उत्तर प्रदेश	997.6	51.8	2227.78	604.35	106.09
चण्डीगढ़	–	–	.34	.11	.03
दिल्ली	–	–	15.08	2.51	.06
पूर्वी क्षेत्र					
आसाम	36.1	0.0	23.19	6.29	11.20
मणिपुर	–	–	11.76	1.91	.43
मेघालय	–	–	2.35	1.27	.27
नागालैंड	–	–	.44	.22	.05
सिक्किम	–	–	.76	.32	.07
त्रिपुरा	–	–	6.92	2.58	2.58
अरुणाचल प्रदेश	–	–	.32	.22	.10
मिजोरम	–	–	.57	.41	.27
टी बोर्ड (एन.ई)	–	–	14.2	6.66	9.02
बिहार	78.7	14.2	648.56	167.74	67.28
उड़ीसा	106.7	168.9	188.21	51.29	37.40
पश्चिम बंगाल	44.3	65.1	524.44	205.97	156.49
कुल (अखिल भारत)	4939.9	1476.8	10754.04	3559.74	1351.32

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हमें नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, एक अनुपूरक कार्य-सूची हम लोगों के सामने रखी गई है। उसमें आयटम नं. 49क क्रिश्चियन्स के संबंध में एक बिल पेश करने की बात लिखी गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह बिल पेश कर रही है या नहीं, या खाली वोट ठगने के लिए यह सब कर रही है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी उसके लिए नोटिस दिया हुआ है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: इसे हम लोग बिना डिस्कशन के पास करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, यह मद सं. 49(क) है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे हम कुछ समय बाद ले सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, पूरक कार्य-सूची के अनुसार, यह मद सबसे पहले है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप ठीक कहते हैं। आप यदि ठीक समझते हों, तो आपको कोई भी उचित आपत्ति उठाने का अधिकार है। अब, आप इसे ऐसे ही रहने दें, हम बाद में इसे ले लेंगे।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, आप मद संख्या 50 लेने जा रहे हैं जबकि यह मद संख्या 49(क) है।

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर कुछ समय बाद चर्चा करेंगे।

श्री राम विलास पासवान: इसका क्या कारण है? यह एक अति महत्वपूर्ण विधेयक है और हम इसे बिना किसी चर्चा के पारित करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। श्री राम नाईक, मेरी बात सुनें।

श्री राम नाईक: महोदय, मैंने एक सूचना दी है जिसमें मैंने एक आपत्ति उठाई है। ...**(व्यवधान)**

2.38 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम विलास पासवान: क्या उन्होंने इसे मतदान के लिए परिचालित किया है?

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोलबाग): अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हो सकता। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया था। ...**(व्यवधान)**

श्री कालकादास: अध्यक्ष महोदय, हमें इस पर आपत्ति है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप बैठ जाइये।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के पास जो अनुपूरक कार्य-सूची भेजी गई है उसमें 49क में लिखा है, ...**(व्यवधान)**

श्री कालकादास: आज के एजेंडे में नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस प्रकार अनुमति नहीं दे रहा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेंट्री कार्य-सूची में लिखा है कि श्री सीता राम केसरी जी प्रस्ताव करेंगे कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में और

संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। यह लिखा हुआ है और इसे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ... (व्यवधान)

चेयर की तरफ से आईटम नम्बर 50 का निर्देश दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसकी सप्लीमैंट्री लिस्ट में आपके पास भेजा था या नहीं? यदि भेजा था तो भारत सरकार इसे पेश क्यों नहीं कर रही है? मेरा यही प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, जो कार्यसूची हमारे पास है, उसमें उस विधेयक का या विषय का उल्लेख नहीं है जो श्री पासवान उठा रहे है। क्या हम लोगों को अंधेरे में रखकर कोई कागज यहां वितरित किया गया है? क्या यह कार्यसूची का विषय है? क्या ऐन वक्त पर इस तरह से कार्यसूची में कोई बात जोड़ी जा सकती है? अध्यक्ष महोदय, सदन के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

श्री राम नाईक: कार्यसूची में कोई परिवर्तन की बात नहीं है। 70 आईटम्स है, उसमें कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आज 12.15 बजे हमको हिन्दी के बिल की कापी सर्कुलेट की गई। जैसे ही 12.15 बजे मुझे वह कापी मिली, मैंने तुरन्त 12.16 बजे आपको नोटिस लिखकर भेज दिया कि यदि यह बिल इंट्रोड्यूस करने का इरादा होगा, यदि वह आईटम आप अभी लेने वाले होंगे तो मैं उसका विरोध करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में आपकी आपत्ति क्या है। एक आपत्ति यह है कि प्रतियां परिचालित नहीं की गई हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: बाकी के ऑबजैक्शन्स मैं आपको बता देता हूं। अपने यहां जो रूल्स ऑफ बिजनस है, उसमें रूल नम्बर 74 पहले मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 74 में निम्नलिखित बात बताई गई है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:-

''विधेयकों के पुर:स्थापन के बाद प्रस्ताव तथा वाद-विवाद की व्याप्ति। 74 विधेयक जब पुर:स्थापित किया जाए तब या उसके बाद किसी अवसर पर प्रभारी सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात:

परन्तु यह और भी कि ऐसा प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न कर दी गई हों और यदि विधेयक की प्रतियां प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों, तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव किए जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।''

[हिन्दी]

इसमें पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपकी ओर से अलग-अलग समय पर जो डायरैक्शन्स दी जाती है, उसमें डायरैक्शन 19 (क) (एक) में लिखा है।

[अनुवाद]

लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 19 (क) में निम्नलिखित बात बताई गई है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:-

''(1) विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने का इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा;

(2) इस निदेश के अधीन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष अल्प सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दें।''

[हिन्दी]

इसलिए पहली बात यह है कि क्या आपको 7 दिन के पहले इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बारे में सूचना दी गई थी या नहीं? दूसरी बात इसमें यह है कि यदि सूचना देने की बात या आपके ऐग्ज़ामिन करने के बाद मान लीजिए तय किया, तब भी मैम्बर्स का यह अधिकार है कि उन्हें दो दिन पहले वह बिल इंट्रोडयूस करने के लिए मिलना चाहिए ताकि यदि उसपर कोई कौन्सटीटयूशनल ऑब्जेक्शन हो तो वे उसे ले सकते है और साथ ही साथ कौन से कारणों से उस पर आपत्ति लेनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें ख्याल आ सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष के निदेश के निदेश 19 (ख) में जो उल्लेख किया गया है उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:-

''यदि दो दिन से कम की सूचना दी जाती है, तो मंत्री को विचार के लिए कारण बताना होगा।''

[हिन्दी]

दो दिन का नोटिस नहीं दिया गया है और सात दिन का नोटिस आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है, वह आपको मालूम है। लोक सभा के सत्र का आज अंतिम दिन है, लेकिन केवल लोक सभा के सत्र का ही अंतिम दिन नहीं है, वह लोक सभा का भी अंतिम दिन हो जायेगा और इसलिए जब लोक सभा समाप्त होने जा रही है, ऐसे समय पर ऐसे मजाक में कोई फटाक से बिल लेकर आये और सदन को विश्वास में न ले, यह तो संविधान के साथ खिलवाड़ है और संविधान के साथ यह मजाक हो रहा है और इसलिए यह बात हुई।

लेकिन जल्दी-जल्दी में पढ़ने के बाद हमको ख्याल में आता है कि इस प्रकार का विधेयक, जो क्रिश्चियनों को कोई सुविधा देने के बारे में लाया जा रहा है, यह संविधान में परिवर्तन करने का बिल है। आर्डिनरी बिल को भी दो दिन का नोटिस चाहिए, तो संविधान में परिवर्तन करने के समय पर जब तक कोई बिल के बारे में पहले सहमति नहीं होती है तो यह अचानक बिल लाये और जब चुनाव सामने है, उस समय बिल लाया जाय, यह बहुत ही बड़ी आपत्तिजनक बात है और साथ ही साथ इसके कारण आज जिनको यह सुविधाएं मिल रही है, उनका परसेण्टेज कम हो जायेगा और इस प्रकार का अन्याय आज मंत्री के मन में आया और इसलिए जो सारे दलित है, आदिवासी समाज के लोग है, उनपर यह अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सिटी में कुछ और लोग आयेंगे और यह जो सारी व्यवस्था है, वह धर्म के कारण, हिन्दू धर्म में जो बुराइयां थी, उन बुराइयों के कारण जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए है और इसलिए सदन में इसके बारे में बार-बार विचार हुआ है और इसपर यह तय हुआ था कि हिन्दू धर्म की यह कुरीतियां दूर करने के लिए यह सुविधाऐं हैं। यह सुविधा और किसी धर्म के लोगों को नहीं दी जा सकती है। हां, किसी को इकोनॉमिकली बैकवर्ड करके सुविधा देने की बात है तो उसके बारे में बात हो सकती है, लेकिन इस तरह से खिलवाड़ करने की बात नहीं हो सकती है और इसलिए चुनाव के उद्देश्य से इस लाये हुए बिल का हम विरोध करते हैं।

मेरा आपको निवेदन है कि ऐसा बिल, जो इस प्रकार से लाने का प्रयास है, आप उसको अनुमति न दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात सब के लिए नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा है। कालका दास जी का नोटिस है, इसलिए मैं उनको मौका दे रहा हूं। आपका नोटिस नहीं है, मैं आपको मौका नहीं दूंगा।

श्री कालकादास: मेरा भी यही कहना है कि इस बिल को रखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, कारण राम नाईक जी ने आपके सामने रखे हैं।

मेरा यह कहना है कि इसलिए भी इसको मूव करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि यह बिल करोड़ों शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के भाग्य का फैसला करने वाला है। जैसे संविधान निर्माताओं ने जो यह आरक्षण दिया था, यह उन लोगों के लिए था, जिनके साथ समाज में छुआछुत होती थी, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनको कम्पेंसेट करने के लिए यह आरक्षण दिया गया था।

जहां तक ईसाई भाईयों का सवाल है, इनके साथ छुआछूत नहीं होती है, इसलिए संविधान में उन्हें यह आरक्षण नहीं था। अब वोटों की राजनीति और कुछ लोगों को खुश करने के लिए यह जो षड़यंत्र रचा गया है, वह इस तरह से रचा गया है कि जब संसद् का आखिरी दिन है और सत्र एडजर्न होने वाला है, साइने डाई हो जायेगा, इसलिए यह चाहे चुनावों के बाद हो, लेकिन एक मैलाफाइड इंटेंशन से इसको लाया जा रहा है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देश में नहीं होगा। 22.5 परसेण्ट आरक्षण एससी और एसटी के लिए हैं, 27 परसेण्ट आरक्षण ओबीसीज के लिए हो गया, इसलिए अब आरक्षण बढ़ने वाला तो है नहीं, जब आरक्षण बढ़ेगा नहीं तो जो क्रिश्चियन उसी में सम्मिलित किए जायेंगे, जिन्होंने पहले पीड़ा नहीं सही है, जिनके साथ छुआछूत नहीं हुई है, जब वह इसमें इन्क्लूड हो जायेंगे तो यह जो 15 प्रतिशत दलितों का कह रहे हैं, वह बढ़ जायेंगे दलित ईसाई कहकर, क्योंकि ईसाइयों में कोई दलित नहीं होता, दलित होते हैं तो हिन्दुओं में ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री कालकादास: मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। वह बाद में अपनी बात कह लें।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: वे मामले के गुणों का बखान कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं, क्या आप इस तरह का

विधेयक ला सकते हैं जिसका अन्ततः व्यापक प्रभाव पड़ना है? आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री पी.सी. थामस: वे उसके गुणों और उसकी तकनीकी बातों के बारे में कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री कालकादास: जैसा राम नाईक जी ने कहा कि आर्थिक अवनति के कारण कोई बात की जाय तो बात समझ में आती है, लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए जो आरक्षण है, यह आरक्षण उनके जातीय आधार पर है, उनके साथ जो छुआछूत हुई, उसके आधार पर किया गया।

उनके लिए पढ़ाई के लिए स्कूल बंद थे। यहां तक कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी ऐसा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल रिपीट न करें, मैं एक-एक सेंटेंस समझ रहा हूं।

श्री कालकादास: मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ईसाईयों के साथ छुआछूत नहीं होता है। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होता था। इसलिए संविधान सभा में यह चर्चा हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए और मुद्दे पर आइए।

[हिन्दी]

श्री कालकादास: जो संविधान के निर्माता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको समय दिया गया है लेकिन इस समय यह आवश्यक नहीं है।

श्री कालकादास: आरक्षण बढ़ने वाला नहीं है। साढ़े 49 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसमें हिस्सेदारी होगी और हम क्रिश्चिएंस को भी ले आयेंगे तो अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह पाइंट आ गया है, आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए।

श्री कालकादास: जो निष्ठा थी, उसके ऊपर कुठाराघात होगा यह गैर, संवैधानिक होगा। इसलिए इसको यहां स्वीकार नहीं किया जाए।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह (जालंधर)**:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री उमराव सिंह: महोदय, श्री कालकादास और उनके साथियों ने धारा 74 का उल्लेख किया है। धारा 74 में एकदम भिन्न बात कही गई है। और यह विधेयक तो अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे यह बताएंगे कि यदि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक था तो आपने 7 दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया?

श्री उमराव सिंह: यह केवल सभा में पुरःस्थापन के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक बात है। क्या आप मुझे यह बतायेंगे कि आप इतने दिन प्रतीक्षा क्यों करते रहे?

श्री उमराव सिंह: जैसा कि कहा गया है कि इस पर कई बार चर्चा हुई है। सभा को इस बात का पता है।

अध्यक्ष महोदय : तब तो आपके लिए यह और भी आसान था कि आप 7 दिन का नोटिस देते। यदि ऐसा था तो नोटिस देने में क्या कठिनाई थी?

श्री बन्सल, मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर)**:** मिनिस्टर को बुलाकर पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछूंगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बन्सल (चण्डीगढ़)**:** मैं कौल और शकधर की संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार का सक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा। पृष्ठ 432 पर विधेयक पुरःस्थापन संबंधी उपबन्धों और इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित नोटिस का उल्लेख करने के पश्चात इसमें यह कहा गया है कि

''अध्यक्ष चाहे तो पुरःस्थापन की अनुमति मांगने के प्रस्ताव को इस कम अवधि की सूचना पर स्वीकार कर सकता है।''

यह एक सामान्य उक्ति है। इसके पश्चात पृष्ठ 522 पर विशेष उदाहरण देते हुए इसमें कहा गया है, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1957 की प्रूफ प्रतियां 29 मई, 1957 को प्राप्त हुई थी और उसे 30 मई, 1957 को पुरःस्थापित किया जाना था।

30 मई, 1957 को प्रश्नोत्तरकाल के दौरान सदस्यों को विधेयक की छपी हुई प्रतियां बांटी गई। जब इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया तो अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने इस विधेयक की अविलम्बनीयता के संबंध में अभ्यावेदन दिया है और इसलिए उसने इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति दे दी है। उसके बाद विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अत्यावश्कयता क्या है? क्या आप विधेयक पारित करने की नियति में है? आपने नोटिस क्यों नहीं दिया ?

श्री पवन कुमार बंसलः इस सभा के सदस्य के रूप में बोलते हुए मैं समझता हूं कि यदि सरकार इस विधेयक को लाए तो कोई गलत बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल यही बात है। यह एकदम भिन्न बात है। यह एक अच्छा विधेयक है। हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। आपने नोटिस क्यों नहीं दिया ?

श्री पवन कुमार बंसलः नियमों के अनुसार ही सरकार इसे ला रही है। ज्ञापन में वे अध्यक्ष महोदय से इसका अनुरोध कर रहे है। इसलिए इस विधेयक को तत्काल पुरःस्थापित किया जाना चाहिए तथा इसे सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): क्या मैं आपका ध्यान इस और आकर्षित कर सकता हूं। मंत्री महोदय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। यह बहुत रुचिकर है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 में कहा गया है:-

''समय-समय पर इन लाभों और रक्षोपायों पर का मूल रूप से अनुसूचित जाति के क्रिश्चियनों पर उन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में इस आधार पर मान्यता प्रदान करके कि धर्म ने उनकी सामाजिक और आर्थिक दशाओं में परिवर्तन नहीं किया है विस्तार करने के लिए मांग की जाती रही है।

इसे पारित कर दिया गया। इन मांगों पर समुचित विचार करने के पश्चात अब संबंध संविधान आदेशों में तदनुरूप संशोधन करने का प्रस्ताव है। चूंकि विचार करने की प्रक्रिया हाल ही में इन मांगों के अनुरूप पूरी हो गई है इसलिए अब वे इसे ला रहे हैं। यदि मांग काफी समय पहले की गई थी और इस पर विचार करने में इतना समय लग गया कि सत्र के अंतिम दिन ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका कि संविधान में संशोधन करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह औचित्यपूर्ण कारण है। अध्यक्ष महोदय इसका निर्णय तो आप ही करें। क्या संविधान में इस तरह संशोधन करने का यह औचित्यपूर्ण कारण हो सकता है?''

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः अध्यक्ष जी, इसके दो पहलू हैं एक तो इसका लीगल पहलू है और दूसरा ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, कृपया मुझे परेशान मत कीजिए आपको आपका स्टूडेंट डिस्टर्ब करता है तो आपको बुरा लगता है न ...

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवानः इसके दो पहलू है। एक तो लीगल है और दूसरा पहलू इसके बिल के महत्व का है। जहां तक लीगल पहलू का संबंध है, उसमें दो मत नहीं है। ये सरकार की खामियां है और सरकार गंभीर नहीं है। सरकार इसको इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए लाना चाहती है नहीं तो जैसा कि चन्द्रशेखर जी ने सही कहा कि यह मामला यहां से नहीं है। जब नेशनल फ्रन्ट की सरकार थी और जब नेशनल फ्रन्ट ने बौद्धों को आरक्षण देने की बात कही थीं। उसी समय यह आश्वासन दिया गया था कि दलित क्रिश्चियन को भी आरक्षण दिया जायेगा। क्यों दिया जायेगा? क्योंकि जैसे कि अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि इसके पीछे तर्क है कि संविधान की धारा के मुताबिक धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। यदि उस आधार पर आप देखेंगे कि जो हिन्दू एस.टी.को आरक्षण मिलता है जो मुस्लिम एस.सी. है, पी.एम. सईद साहब एसटी के कोटे से आते हैं मुस्लिम के कोटे से नहीं है। तो जो एस.टी मुस्लिम हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है। जो बुद्धिस्ट ट्राईबल्स है, उनको रिजर्वेशन मिलता है। उसी तरीके से जो क्रिश्चयन आदिवासी को आरक्षण मिलता है। उसी तरीके से जो हिन्दू दलित है, उनको 1950 के आदेश के मुताबिक आरक्षण मिलता है। जो सिख दलित है उनको 1956 के आदेश के मुताबिक आरक्षण मिलता है और बुद्धिस्ट दलित हैं, उनको 1990 के आदेश के मुताबिक आरक्षण मिलता है। जब हिन्दू आदिवासी को, क्रिश्चयन आदिवासी को, बुद्धिस्ट आदिवासी को, अनुसूचित जाति के हिन्दू आदिवासी को, अनुसूचित जाति के बुद्धिस्ट को, अनुसूचित जाति के सिख को आरक्षण मिलता है तो दलित क्रिश्चयन को आरक्षण क्यों नहीं दिया जायेगा? मैं समझता हूं कि - यह धर्म के आधार पर भेदभाव है। इसलिए मेरा पहला तर्क है कि जो संविधान का मामला है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। उसके तहत यह बिल सही है। जहां तक आरक्षण का मामला है, आरक्षण का मामला आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने तीन प्रतिशत आरक्षण विकलांगों के लिए किया है और वह बढ़ है और आरक्षण का मामला भी ठीक करना है। जो 50 प्रतिशत का कोटा है, उसकी सीलिंग खत्म कर दीजिये।

संविधान को पूरा का पूरा अधिकार है। सब को मिल जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक एस सी, एस टी का मामला है, एस सी, एस टी के मामले में संविधान में लिखा हुआ है कि एस सी, एस टी की जितनी आबादी है, उसके मुताबिक उसका आरक्षण होगा। आज 1991 की जनगणना के मुताबिक एस सी, एस टी का प्रतिशत 24.56 हो गया है और साढ़े बाईस प्रतिशत आरक्षण है। सरकार से मेरी मांग है कि आप संवैधानिक संशोधन लाईये और एस सी का जो रिजर्वेशन का कोटा है, वह 25 प्रतिशत करिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, हम आगे जा रहे हैं। आपके मुद्दे में बहुत जोर है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्षी जी, मैं दो लाईनों में दो बात कहना चाहता हूं। जहां तक आपने जो इसके महत्व को कहा, महत्व के दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या माइन्ड है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन पूरा सदन इसके साथ है। लेकिन जहां तक तकनीकी पहलू का दूसरा मामला है कि सात दिन पहले क्यों नहीं दिया? यह सरकार की खामी है और इसलिए सरकार की खामी है कि सरकार दोनों हाथ से ताली बजवाना चाहती है। सरकार चाहती है कि बिल पेश भी हो जाये और सदन में इसको तकनीकी पहलू के आधार पर इसको रिजेक्ट भी कर दिया जाये ताकि हम लोगों के बीच में जाकर यह कहें कि हम तो चाहते थे, अपोजीशन ने नहीं होने दिया। इसलिए आप क्या निर्णय लेंगे, यह आपके ऊपर है लेकिन सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं तो ऐसा कहेंगे कि स्पीकर ने एलॉउ नहीं किया। ...

...(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान: यह सरकार की गलती है कि ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबको सुनना जरूरी नहीं है। मुझे इस स्टेज पर सबको सुनना जरूरी नहीं है।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम असली मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, मैंने सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : किसलिए मगर? मुझे जरूरत नहीं है। मुझे डिसाइड करना है कि अगर एक प्वाइंट पर थोड़ा बोलने के लिए दिया है तो सब लोगों को बोलने देना जरूरी थोड़े ही है। ...

...(व्यवधान)...

डा. सत्यनारायण जटिया: नहीं, मैं कौंस्टीट्यूशनल पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं बिल्कुल नहीं। कौंस्टीट्यूशनल बोलना का वक्त नहीं आया है।

डा. सत्यनारायण जटिया: मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

3.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : किस लिए? मुझे जरूरत नहीं है। मुझे डिसाइड करना है। अगर एक प्वाइंट पर थोड़ा बोलना है, तो सब लोगों का बोलना थोड़े जरूरी है।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

डा. सत्यनारायण जटिया: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

डा. सत्यनारायण जटिया: संविधान में यह लिखा है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनुच्छेद का उल्लेख कीजिए।

डा. सत्यनारायण जटिया: मैं अनुच्छेद का हवाला दे रहा हूं। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 3 धारा 15 (2) के अनुसार

[हिन्दी]

कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा - अस्पृश्यता को डिफाइन करने के लिए यह बात कही गई है -

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनकि समागम के स्थानों के उपयोग नहीं कर सकेगा।

यह इसका आधार है। अस्पृश्यता में जो कहा गया है, मैं कह रहा हूं ...

अध्यक्ष महोदय : इसमें पोयट्री बहुत कम है। इस तरह से नहीं।

डा. सत्यनारायण जटिया: मैं निवेदन कर रहा हूं, हिन्दू धर्म में जो अस्पृश्यता की व्याख्या की गई है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे विषय हैं, जिन पर चर्चा करनी है। जिस एक बात को पकड़ लिया, उसी पर चिपक कर रह गए है।

डा. सत्यनारायण जटिया: स्पष्टीकरण में कहा गया है- उसके अन्तर्गत अर्थ लगाया जाएगा, सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है। इसका मतलब है कि सिक्ख, जैन और बौद्ध धर्म ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा, आप ज्यादा बोलेंगे तो।

...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे 12 दृष्टान्त ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह विवेकाधिकार अध्यक्ष का है। आप मुझे बताइए कि आपको सात दिन का नोटिस देने से किसने रोका बस यही बात है।

श्री पी.सी. थामस: यह केवल सरकार का ही मामला नहीं है। जहां तक 20-30 लाख अत्यन्त गरीब, पददलित लोगों का संबंध है, यह बहुत उल्लेखनीय विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : इस नजरिए से यह एक अच्छा विधेयक है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरा यही निवेदन है इस स्थिति में हमारी आप से यह अपील है कि आप विधेयक पुरःस्थापित करने के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री महोदय।

...**(व्यवधान)**...

श्री पी.सी. थामस: महोदय, ऐसे कई दृष्टान्त हुए हैं जब स्वविवेक से निर्णय लिया गया है। यहां तक कि अन्तिम चरण में भी विधेयक प्रस्तुत किया गया है और कई मामलों में स्वविवेक से निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुझे यह बताएं कि आपको समय पर संविधान संशोधन विधेयक लाने से किसने रोका? अब आप मुझे ऐसे समय में स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं जब संविधान संशोधन किया जा रहा है।

श्री पी.सी. थामस: मैं केवल एक मिनट लूंगा। महोदय, सर्वप्रथम तो यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो यह क्या है?

श्री पी.सी. थामस: यह तो राष्ट्रपति के 1950 के आदेश में संशोधन मात्र है। यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है जिसके लिए कि अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको पढ़ नहीं पाया था इसलिए मैं गलती कर रहा हूं। वे भी गलती कर रहे होंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: यह एक संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक है। यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है ... **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस: यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है जिसे सामान्य बहुमत से पारित किया गया ... **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इसे दूसरे किसी भी संशोधन विधेयक की तरह पारित करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह संविधान का अंग है अथवा नहीं?

श्री पवन कुमार बंसल: संविधान से संबंधित किसी भी पुस्तक में इसे स्थान मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह संविधान का अंग है अथवा नहीं?

श्री पवन कुमार बंसल: बिल्कुल नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस धारा में संशोधन चाहते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह केवल – के संबंध में पारित किया गया आदेश है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कौन सा आदेश?

श्री पवन कुमार बंसल: यह केवल संविधान के अंतर्गत एक आदेश है। इसमें संविधान संशोधन संबंधी कोई बात नहीं है।

श्री राम विलास पासवान: यह केवल संविधान के अंतर्गत एक आदेश है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, श्री राम विलास पासवान जी ने बताया है कि यह केवल संविधान के अंतर्गत एक आदेश है। मैं यहां पर केवल इतना बताना चाहता हूं कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों आदि से संबंधित अनुसूचियों में भी कतिपय संशोधन किये गये हैं, जिन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है परन्तु क्या यह संविधान का अंग है अथवा नहीं?

श्री पवन कुमार बंसल: यह अनुसूचित जाति आदेश संविधान का अंग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस में संशोधन करना चाहते है? वो विधेयक कहाँ है? ...

...(**व्यवधान**)...

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य): महोदय, पूरे आदर सहित मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सच है कि सात दिन की सूचना दी जानी थी और दो दिन पहले इसको परिचालित किया जाना चाहिए था। परन्तु महोदय, विलम्ब के कारण दर्शाने वाले ज्ञापन को पढ़ने के बाद आपने स्वविवेक के आधार पर इसे पुर:स्थापित करने की अनुमति दी और इसे परिचालित भी किया गया था। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए पहले से ही अनुमति प्रदान करने के बाद क्या अब आप अपने वादे से मुकर सकते हैं। यह सभा पर निर्भर करता है कि इसे अस्वीकृत कर दे अथवा स्वीकृति प्रदान करे।

मेरा निवेदन यह है कि सभा के अध्यक्ष होने के नाते विधेयक को पुर:स्थापित करने में हुए 7 दिनों के विलम्ब और परिचालन में हुए दो दिन के विलम्ब के लिए आपसे क्षमा प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। आपने इस प्रार्थना को पहले ही स्वीकार कर लिया है और विधेयक को परिचालित भी कर दिया गया। इसे अनुपूरक कार्यसूची में भी दिया गया है। (**व्यवधान**) मैं समझता हूं कि अब इस अवस्था में इसको अस्वीकृत कर देना अध्यक्ष जी के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। इसे मतदान के लिए सभा के समक्ष रखना चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह (सतना): महोदय, मैं इस विधेयक के गुण-दोषव के बारे में माननीय सदस्य श्री पासवान द्वारा व्यक्त विचारों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं इसके पक्ष में हूं। श्री दिघे ने जो कुछ कहा है, उसको देखते हुए, जहां तक इस संबंध में उठाई गई संवैधानिक, वैधानिक एवं अन्य आपत्तियों का संबंध है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। यह सरकार इसी ढंग से काम कर रही है। इससे जो लोग प्रभावित होंगे, उनके हित को देखते हुए कृपया सभा को इसे पारित करने की अनुमति दीजिए।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में जिसे विधेयक के साथ परिचालित किया गया था, उन्होंने अनुरोध किया था कि "अत: यह प्रार्थना की जाती है कि निर्देश 19 क और 19 ख के अधीन विधेयक पुर:स्थापित करने और उसके परिचालित करने हेतु सदस्यों को सूचना देने के लिए रखी गई अवधि/कालावधि को कृपया समाप्त कर दिया जाए।" अत: आपको स्वविवेक के अनुसार कार्य करने का अधिकार है लेकिन आपका यह कार्य न्याय सम्मत होना चाहिए। जैसा कि मेरे मित्र श्री थामस ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है इसे न्याय सम्मत इसलिए माना गया है क्योंकि यह विधेयक समाज के बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। महोदय, मैं समझता हूं कि न्यायसम्मत ढंग से अपने स्वविवेक का उपयोग करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय पासवान जी द्वारा उठाए गए उन मुद्दों से पूर्णत: सहमत हूं कि यदि सरकार की ओर से कोई कमी रह गई हो तो सरकार को चाहिए कि समाज के एक बहुत बड़े भाग, जो की उत्पीड़ित है, को दिये जाने वाले विशेषधिकार एवं रियायतों को न छीने। अत: महोदय मैं अनुरोध करता हूं कि आपको उन लोगों के पक्ष में न्यायसम्मत ढंग से अपने स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह आपकी कृपा है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया कि क्या एक संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में आपको अपने स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए। कृपया अनुच्छेद 341 और 342 को देखें। भारत संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार:

"राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।"

अध्यक्ष महोदय, कृपया पाद टिप्पणी देखिए। संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 को अनुच्छेद 341 के अनुरूप पारित किया गया था जो कि एक आदेश है और इसके अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें अनुसूचित जातियों की सूची दी गई है। समय-समय पर उस सूची में कुछ नाम जोड़े गये और कुछ हटा दिये गये जैसा कि उपधारा (2) में भी किया गया जिसके अनुसार:

"संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के

यूथ को खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नही किया जाएगा।"

एक बार अधिसूचना जारी करने के बाद ही, उसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। अत: इसे किया जा सकता है। महोदय, कृपया पाद टिप्पणी को देखिए उसमें विभिन्न क्षेत्रों, संघ शासित प्रदेशों आदि के संबंध में कई आदेश पारित किये गये हैं। ये सभभी आदेश हैं। इसलिए कृपया ध्यान रखिए कि यह केवल संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करने संबंधी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव है। यह केवल कुछ विशेष प्रकार की अनुसूचित जातियों को शामिल करने के लिए है। इसका संविधान के साथ संबंध है परन्तु यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। इसका संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। यह संविधान के किसी भी वाक्य में संशोधन नहीं करता है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं।

...(व्यवधान)...

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह विधेयक जारी किये गये आदेश में संशोधन करना है। अत: महोदय, इसका महत्व कुछ इस प्रकार का रहा है कि आप कृपा करके इस मामले को लीजिए ... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: अध्यादेश में उन्होंने कुछ अनुसूचित जातियों को स्थान दिया है और उन्होंने यहां पर उनमें से कुछ को स्थान दिया है ... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं... **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा (पाली): यह एक साधारण कानून है, संवैधानिक कानून नहीं है। इसे संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश कहते हैं। उनको केवल इस बात पर संतोष कर लेना चाहिए कि ऐसी कुछ असामान्य परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से इन दिनों वे कुछ भी नहीं कर सके और अन्तिम दिन, आखरी घण्टे में अन्तिम क्षण में उन्हें यह काम करना पड़ा। यह केवल आपके स्वविवेक की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते ही है, 'स्वविवेक' का उपयोग न्याय सम्मत होना चाहिए और यहां न्याय सम्मत से 'उद्देश्यपूर्वक' अभिप्रेत है। हर एक कानून हजारों लोगों को प्रभावित करता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो केवल एक अथवा दो व्यक्तियों को प्रभावित करता हो। यहां, इसके दो पहलू है। इसका एक पहलू यह है कि इसका उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पहले से ही अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लोग है। दूसरी बात यह है कि वे इससे लाभान्वित होंगे। यह दो विरोधी बाते है। एक सही हो सकती है और दूसरी गलत। अत: इसके लिए बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता होती है। इसके लिए इस देश के प्रति चिन्तित लोगों द्वारा सोचने की आवश्यकता होती है। केवल हम ही लोग यहां बैठे हुए नहीं है।

जो लोग यहां है उनके ध्यान में यह बात अवश्य आई होगी। उनके संगठनों, उनके प्रतिनिधि निकायों को लोक इच्छा और लोक मत आदि को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। तभी इसे समिति के पास भेजा जाना चाहिए और फिर, इस पर विचार किया जाना चाहिए। अत: मेरा अनुरोध यह है कि आपका स्वविवेक इसकी अनुमति न देने का हो सकता है ... **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना (कटक): महोदय, मेरे विचार से हम आपके स्वविवेक के बारे में चर्चा कर रहे है, कि आप इसका उपयोग करेगे या नहीं। आपने इसका उपयोग कर लिया है और इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कार्यसूची का भाग बन चुका है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे उलझन में मत डालिए क्योंकि यदि मैं इसे स्पष्ट करूंगा तो प्रत्येक व्यक्ति कष्टकर स्थिति में होगा। ...

...(व्यवधान)...

श्री श्रीकांत जेना: श्री दिघे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दिघे को मालूम नहीं था और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या मैं यह स्पष्ट करू कि ऐसा कैसे हुआ?

...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह (सतना): महोदय, आप ऐसा करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता लगे कि क्या हो रहा है ... **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना: इसे पहले ही परिचालित कर दिया गया है। आपने तो पहले ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इसे पुरस्थापित करने का कार्य मंत्री जी का है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी भी व्याख्या करूंगा।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको भी स्पष्ट करूंगा। यदि मंत्री चाहें, तो मैं उसे भी स्पष्ट करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस तरह का जो बिल सर्कूलेट हुआ नहीं है। इस तरह का बिल हमारे हाथ में नहीं आया है। आप के लिफाफे में नहीं था, कल वाले में भी नहीं था। बिल अभी भी नहीं आया है।

श्री गुमान मल लोढा: बिल अभी भी नहीं आया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: दूसरा, मान लो कि आपनी इजाजत मिली थी उन्हें, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं मिली है। आप मानते है कि नहीं मिली है। मान लें तो उनको इजाजत काहे के लिए मिली है। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव इतना ही है कि

[अनुवाद]

श्री सीता राम केसरी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रस्ताव करेंगे और प्रस्ताव भी विधेयक पुर:स्थापित करने का है।

[हिन्दी]

उसके बाद क्या होगा, यह कब पास होगा?

वह एजेंडे पर हुआ है।

[अनुवाद]

कार्यसूची में वह कहां है जिसमें कहा गया है कि इस विधेयक पर विचार किया जायेगा तथा उसे पारित किया जायेगा?

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: टैक्निकैलिटी तो टैक्निकैलिटी है और रूल तो रूल है।

[अनुवाद]

आप सभा को मूर्ख नहीं बना सकते। इसका उल्लेख है कि आप इस पर विचार करेंगे तथा उसे पारित करेंगे।

[हिन्दी]

इनकी नीयत ठीक नहीं है। यह इसाइयों को आखिरी क्षण में खुश करना चाहते हैं। आप केवल इंट्रोड्यूस करके उन्हें गुमराह करना चाहते हैं। यह नहीं चलेगा। उन्हें गुमराह करके मत छोड़िये।

अध्यक्ष महोदय : आप शांति से एक मिनट के लिए सुनिये। मैं इसके ऊपर बोलूंगा। मणि शंकर अय्यर जी इस पर बोलेंगे। इसके बाद मिनिस्टर साहब बोलेंगे। बाद में मैं इस पर रूलिंग दूंगा और ऐक्सप्लेन भी करूंगा। ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं बैठते है?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादु तुराई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस सभा में एक पूर्वोदाहरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उससे आपको अपने स्वविवेक का उचित उपयोग कर किसी निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

15 मई, 1989 को, जो 1989 में संसद के सत्र का अंतिम दिन था सभा में एक संविधान (संशोधन), विधेयक - चौसठवां संविधान (संशोधन), विधेयक - इस सभा के समक्ष तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। उक्त संविधान (संशोधन) विधेयक के प्रस्ताव के लिए सात दिन का नोटिस नहीं दिया गया था और 15 मई, 1989 को केवल यह अनुरोध किया गया था कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये। इस तथ्य के बावजूद कि सात दिन का नोटिस नहीं दिया गया था, और विलम्ब के माफ किए जाने के लिए सरकार द्वारा दिए गये कारणों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के बावजूद कि न तो विचार किए जाने के लिए और न ही इसे पारित किए जाने के लिए कहा गया था बस केवल विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति मांगी गई थी। माननीय अध्यक्ष इस से सहमत हुए कि इस मामले को उस आधार पर लिया जाये। एक संविधान विधेयक को केवल उसे पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति मांगे जाने के आधार पर ही लिया गया था। उस पूर्वोदाहरण को देखते हुएं, मेरे विचार से, आपके लिए स्वविवेक का उपयोग करना आसान होगा ... **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह: मैं कुछ कहना चाहता हूं ... **(व्यवधान)** जहां तक श्री अय्यर द्वारा उदघृत किए गये पूर्वोदाहरण का संबंध है, इसमें थोड़ा सा अन्तर है। जहां तक मुझे याद है, 15 मई, 1989 उस संसद का अंतिम दिन नहीं था। कुछ माह पश्चात सामान्य ढंग से सत्र होना था। यह अलग बात है कि सभा को

भंग कर दिया गया था। लेकिन निश्चित रूप से '15 मई' उस सत्र का अंतिम दिन नहीं था। अतः, वह एक पूर्वोदाहरण नहीं हो सकता।

एकमात्र बात जो की जा सकती है, वह यह है, जैसा कि मैंने कहा था, प्रत्येक बात को देखते हुए, यदि वे इसे करना चाहते है तो उन्हें ऐसा करने दिया जाए, क्योंकि यह समुदाय के व्यापक हित में हैं ... (**व्यवधान**)

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के अनुसार, मेरे वरिष्ठ मंत्री जी ने विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सात दिन की सूचना और विधेयक की प्रतियों को परिचालित करने के लिए दो दिन की सूचना की शर्तों को हटाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको लिखा है और स्पष्ट किया है। ... (**व्यवधान**) आपने आज हमें विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूं और आप से क्षमा चाहता हूं।

श्री के.वी. तंग्का बालू: नहीं, महोदय, मैं मांफी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने यहां तक कि कल भी मुझे विधेयक नहीं भेजा और आपने सभा में इसे सुरस्थापित करने के लिए मुझसे कहा था। मैंने कहा था, "जब तक मुझे विधेयक नहीं मिलेगा, मैं यह नहीं करूंगा।" इसी कारण से अनुपूरक कार्य सूची परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

श्री के.वी. तंग्का बालू: मैंने आपसे उसी बात का उल्लेख किया था ... (**व्यवधान**) अभी-अभी मैंने इसका आपसे उल्लेख किया था ... (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: आपने कहा था कि आपके पास पूर्व अनुमति है। (**व्यवधान**)

श्री के.वी. तंग्का बालू: कृपया मेरी बात सुनिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: आप सभा को गुमराह कर रहे है और अध्यक्ष महोदय को उलझन में डाल रहे है ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री प्रभूदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक प्रार्थना है। हमें भी बोलने का और अपनी बात कहने का अधिकार है।

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हस्तक्षेप चाहता हूं। मेरे वरिष्ठ मंत्री ने कल ही आप से अनुरोध किया है। मैंने उसकी पुष्टि की है और मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : और आप ऐसा विधेयक की प्रति भेजे बिना ही कर रहे हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू: हमने कल ही विधेयक की प्रति भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मुझे विधेयक की प्रति कल रात प्राप्त नहीं हुई और इसीलिए इसे कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया और अनुपूरक कार्यसूची जारी करनी पड़ी थी।

श्री के.वी. तंग्का बालू: विलम्ब के लिए हमे खेद है और इसीलिए आज विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए हमें अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपकी कृपा चाहता हूं। आज आपने मुझे अनुमति देकर बहुत मेहरबानी की है ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मुझे इस विषय को अपने ढ़ग से निपटाने दें। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। मंत्री जी, आप केवल यह स्पष्ट करेंगे कि आपने इसे परिचालित करने के लिए मुझे दो दिन का समय क्यों नहीं दिया और उसको परिचालित करने के लिए मेरी अनुमति लेने के लिए सात दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया?

श्री के.वी. तंग्का बालू: महोदय, विलम्ब के लिए मुझे बहुत खेद है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप ने स्पष्ट कर दिया है। अब मैं आदेश पारित करूंगा।

अब, मेरे विचार से यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, मुझे विधेयक दिए बिना इस विधेयक को कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए कहा गया था। मैंने उससे इन्कार कर दिया और इसी कारण एक अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई है। अब, यदि अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई है, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या सदस्यों को इसकी प्रतियां प्राप्त हुई है अथवा नहीं।

कई माननीय सदस्य: नहीं, नहीं।

श्री के.वी. तंग्का बालू: महोदय, हमने प्रतियां प्रस्तुत कर दी है ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा में कुछ सदस्य यह कहते है कि उन्हें प्रतियां प्राप्त नहीं हुई है और कुछ सदस्य कहते हैं कि उन्हें प्राप्त हो गई है, तो मैं दोनों बातों को स्वीकार करूंगा। कुछ

को प्राप्त हो गईं होगी और कुछ को प्राप्त नहीं हुई होगी। इस तरह के विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को प्राप्त होनी चाहिए थीं।

अब, स्वविवेक का उपयोग करते हुए एक और बात भी है जिस पर मुझे विचार करना होगा। यदि नोटिस किसी समय दिया गया है, तो वहां मेरे स्वविवेक का कोई प्रश्न नहीं है और इसे स्वीकार किया जायेगा। यदि कोई सदस्य इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने पर आपत्ति कर रहा है, तो वह ऐसा केवल इसकी संवैधानिकता के आधार पर कर सकता है। अब नियमों से संबंधित एक बात है कि नोटिस नहीं दिया गया है। हमने इसको पढ़ा नहीं है। ऐसा सभी सदस्यों के लिए नहीं है लेकिन मुझे यदि इस पर विचार करने का कोई अवसर नहीं मिला। स्थिति यह है। यदि इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना था, इस पर विचार किया जाना था तथा इसे पारित किया जाना था, तो यह एक अलग बात होती। आज स्थिति यह है कि आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए, यह स्थायी समिति के पास जायेगा; स्थायी समिति को सभा को वापस रिपोर्ट देनी होती है; आप को इस पर विचार करना है और फिर आपको इसे दूसरे सदन में भेजना है। यदि समस्त सभा इससे सहमत होती है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि आप यह चाहते है कि मुझे अपने स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए, तो मैं अपने स्वविवेक का उपयोग करना नहीं चाहता ।

कुछ माननीय सदस्यः क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है।

...(व्यवधान)...

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर): महोदय एक नियम है ... (व्यवधान)

श्री पी.सी. थामसः इस मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम नियम 184 के अंतर्गत चर्चा जारी रखेंगे और नियम 377 के अतंर्गत मामलों को बाद में लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः अध्यक्ष जी, इसको अगर करवा देते तो फायदा हो जाता ....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ऐसे पास होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामसः महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब मेरा नाम बोला गया था, तो मैं उपस्थित नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : हां।

3.24 म.प.

अनुसूचित जन जातियों की सूची में देशवाली माझी समुदाय को शामिल करने के संबंध में याचिका

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुंरा): महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति समुदाय की सूची में देशवाली माझी समुदाय को शामिल करने के संबंध में श्री अंकुर चन्द माझी, बिहार पश्चिम बंगाल देशवासी माझी समाज उन्नयन समिति, ग्राम व पोस्ट पिर्रा, जिला-पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप का व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री पी.सी. थामसः महोदय, जिस विषय पर चर्चा चल रही थी, मेरा प्रश्न उसी बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा समाप्त कर चुका हूं।

श्री पी.सी. थामसः महोदय, आपने कहा है, कि आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेंगे। तब तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा का विचार जान लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : सभा का विचार व्यक्त कर दिया गया है।

श्री पी.सी. थामसः जी नहीं महोदय, सभा का विचार मतदान द्वारा जानना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा में मतदान के लिए नहीं रख रहा हूं। यदि सभा उस विषय पर एकमत है तो इसे कुछ समय के लिए रोकने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी.सी. थामसः महोदय, इस पर मतदान कराना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर है। आप कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। हमें सभा की स्थिति हास्यास्पद नहीं बनानी चाहिए। जब अध्यक्ष महोदय कार्य सूची की अगली मद की बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: वह अपने विवेक से ऐसा नहीं कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर: कृपया मेरी बात सुनिए ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कार्य सूची की अगली मद पर है; माननीय सदस्य ने अपनी याचिका पेश की है, मैं नहीं जानता कि कार्य सूची में क्या है? यदि इस सबके बाद पुन: वही चर्चा शुरू की जाए, तो मेरे विचार से ऐसा पहले कभी नहीं हआ। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ... (व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरा अनुरोध है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मतदान हुए है। यह एक अच्छा विधेयक है फिर भी दसवीं लोक सभा द्वारा इस सत्र में इसे पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे स्थायी समिति के पास भेजना होगा, फिर यह वापिस आएगा तथा फिर इसे राज्य सभा में भेजना होगा, इसे पारित नहीं किया जा सकता; इसे राज्य सभा द्वारा पारित किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अपनी इच्छा से कुछ करने का फायदा नहीं है। अब कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है ... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: सरकार द्वारा गड़बड़ी किए जाने के कारण ही यह सब हुआ है ... (व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, ऐसा पूर्वोदाहरण है ... (व्यवधान)

श्री के.वी. तंग्का बालू: ऐसा नहीं है। हम विधेयक पुर:स्थापित करना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह: सदन के नेता का ऐसा व्यवहार है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: पिछले तीन साल से सरकार प्रॉमिस कर रही थी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम जानना चाहते हैं कि आपने इसे क्यों नहीं भेजा? आप यह कह रहे हैं कि मेरे वरिष्ठ मंत्री ने ऐसा किया क्या यही उत्तर है?

श्री के.वी. तंग्का बालू: मैं स्पष्टीकरण रहा हूं। हम इसे राजनीति का रंग नहीं देना चाहते (व्यवधान) आप इस मामले को राजनीति का रंग दे रहे हैं। हम सचमुच जनता की सहायता करना चाहते हैं ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह: आपने 10 दिन पहले ऐसा क्यों नहीं किया ... (व्यवधान) आपको किसने रोका है? आप 10 दिन पहले भी ऐसा कर सकते थे ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कुछ नहीं कर सकते। कृपया शांत रहिए। ...

...(व्यवधान)...

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर): **यह तकनीकी संबंधी प्रश्न नहीं है ... (व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया चुप बैठिए। आप क्यों मुझे बेकार में तकलीफ दे रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, इस मामले पर यह चर्चा की गई है कि क्या इस तरह के मामलों में अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से विनिर्णय दे सकते हैं। महोदय, पूर्वोदाहरण के अनुसार और जैसा आमतौर पर किया जाता है, मेरा अनुरोध है ......

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप वह नियम उद्धृत कीजिए जिसके अंतर्गत मुझे सभा में मतदान कराना है। मैं वैसा ही करूंगा।

श्री पी.सी. थामस: यहां तक कि अपने आदेश में भी आपने कहा है इसका निर्णय या सभा लेती है अथवा अध्यक्ष महोदय अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। आपने कहा है कि आप, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे हैं। अत: मेरा निवेदन मात्र यह है ... (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर: महोदय, इसकी कोई सीमा होनी चाहिए।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, बहुमत से निर्णय लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। यहां तक कि उस मामले में भी मैं अपने विवेक से निर्णय दूंगा। यदि समूची सभा यह चाहती है कि इसे पुर:स्थापित किया जाना चाहिए, तो मैं मना नहीं कर सकता। यदि सभा में मतदान होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम कार्य सूची में अगली मद को लेते हैं।

...(व्यवधान)...

श्री के.वी. तंग्का बालू: अधिकांश सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अधिकांश सदस्यों की बात नहीं है। मंत्री महोदय आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने आपके विरूद्ध कुछ नहीं कहा है। कृपया आप अपनी पोल मत खोलिए।

श्री चन्द्र शेखर: महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इशारे से अपना मत व्यक्त कर दिया है कि वह अध्यक्ष महोदय को भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी गड़बड़ी को छिपाने के लिए वह अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को भी गलत बता सकते हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू: मैंने अध्यक्ष महोदय के विरूद्ध कुछ नहीं कहा है।

3.31 म.प.

[अनुवाद]

हवाला मामले से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी रूप से धन दिए जाने संबंधी अभिकथनों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असंतोष के संबंध में प्रस्ताव जारी

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़): महोदय, मैं यह निवेदन केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने माननीय सदस्य को नियम 184 के अतंर्गत चर्चा जारी रखने के लिए कहा है। मेरा निवेदन एकदम स्पष्ट है और तीन-चार पंक्तियों में ही मैं अपनी बात कहूंगा।

नियम 184 के तहत लंबी चर्चा में माननीय प्रधान मंत्री महोदय भी शामिल है, जो बहुत थोड़े समय के लिए, मात्र 2-3 मिनट ही यहां रुके। चूंकि चर्चा अंतिम चरण में है और इस दौरान काफी प्रश्न पूछे जा सकते है जिनका उत्तरा राज्य मंत्री के अलावा शायद कोई न दे सके। मेरा इतना ही अनुरोध है कि माननीय प्रधान मंत्री जी को यहां उपस्थित रहना चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सीधे उनसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाएंगें और जिनका उत्तर केवल वही दे सकते हैं। मेरा सत्ता पक्ष के सदस्यों से भी यही अनुरोध है। मैं जानना हूं कि उन्हें इन सब बातों का पता नहीं है, किंतु जो भी हो, कृपया सदन के नेता को बुलाया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मेरा इस संबंध में एक आपसे आग्रह है सारे हम लोगों ने इंद्रजीत जी, सोमनाथ चटर्जी और हम लोगों का जो प्रस्ताव है, मूल प्रस्ताव में संशोधन दिया है और अभी भी वह सरकुलेशन हुआ नहीं है और उसमें हम लोगों ने प्रधान मंत्री के इस्तीफे की मांग करने को उसमें जोड़ने का आग्रह किया है इसलिए मैं समझता हूं मूवर को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सदन को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और उसी अमेंडमेंट को उसमें जोड़ने का कष्ट किया जाएं और आवश्यकता पड़े तो उसमें वोटिंग भी लाने का कष्ट किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बताइए कि इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: संशोधन परिचालित किया जाना चाहिए था। इसे कल दिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं, तो इसे परिचालित किया जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल: आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरा निवेदन यह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का विशेष प्रस्ताव नियम 184 के अतंर्गत रखा गया था। यदि उस बारे में कोई संशोधन रखा जाना है तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि क्या उसे उस समय लिया जा सकता था जब उस प्रस्ताव को रखने की अनुमति मांगी गई थी। महोदय, संशोधनों से संबंधित नियम बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप नियम 186 का उल्लेख करें।

अध्यक्ष महोदय : हमें नियमानुसार चलना चाहिए किन्तु

...(व्यवधान)...

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि नियमों के अनुसार न चलूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको नियमानुसार ही चलना चाहिए, आपकी बात स्पष्ट होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, नियम 186 में कहा गया है:

''कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् कि :-

(चार) वह किसी हाल ही में घटित विषय तक निबंन्धित रहेगा,

... (व्यवधान) कृपया मुझे पूरा करने दें। मुझे आपकी योग्ताओं की जानकारी है किन्तु मुझे जो कहना है, उसे कृपया पूरा करने दें। महोदय नियम 186 में आगे कहा गया है :

(पांच) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा,

(छ:) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जाएगी जिसपर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।''

अध्यक्ष महोदय : वह प्रस्ताव के संबंध में है। यह प्रस्ताव में संशोधन के बारे में है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, नियम 344 के बारे में कुछ कहने से पूर्व, मैं इसका पुन: उल्लेख करने के लिए आपका अनुग्रह चाहता हूं। इसमें कहा गया है, ''यदि किसी सत्र में किसी विषय पर चर्चा की जा चुकी है, तो उसी विषय पर उस सत्र में पुन: चर्चा नहीं की जाएगी'' महोदय, जहां तक इसका प्रधानमंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का संबंध है, हमने कल इस मामले पर पूरे दिन चर्चा की है। महोदय, 184 के अधीन आपके समक्ष जो प्रस्ताव पेश किए गये है, उसके दो भाग हैं। एक भाग विपक्ष की अनुभूत विफलता से संबंधित है ... (व्यवधान) विपक्ष की यह अनुभूति हवाला मामले से संबंधित आरोपों का उत्तर देने में सरकार की विफलता के बारे में है। दूसरा मुद्दा संसद् सदस्यों को गैर-कानूनी ढंग से भुगतान किये जाने के बारे में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने से संबंधित है और कल स्पष्टतया यही हमारे लिये चर्चा का विषय रहा था।

आज पुन: उसे चर्चा में शामिल करके हम कुछ और नहीं कर रहे, बल्कि उसी चर्चा को पुन: आरंभ कर रहे हैं ... (व्यवधान) और यदि आपने मेरी बात सुनी होती, तो मैंने इस संबंध में नियम को उद्धृत किया है। अब, कृपया नियम 344 को देखें:-

''344. (3) किसी प्रश्न पर कोई संशोधन उसी प्रश्न पर किए गए पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।''

मैं इस बार को दोहराता हूं कि कल हमने इसपर चर्चा कर ली है और इसे अस्वीकृत कर दिया है। अब यह संशोधन कल सभा में लिए गए विनिश्चय से असंगत है और इसके बाद मैं संक्षेप में कौल और शकधर के पृष्ठ 659 का उल्लेख करना चाहूंगा ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त: ये सब मोटी-मोटी किताबें पढ़कर आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है ... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: अभी आप कह रहे थे कि उसमें 'टीथ' नहीं है, मैं समझता हूं कि आप उसमें केवल 'डैंचर' लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आज आप जो संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह एक प्रकार से निन्दा प्रस्ताव है, उसकी प्रकृति अविश्वास प्रस्ताव की तरह है, और यदि वे अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, जैसाकि वे अभी कर रहे है तो उन्हें एक निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। ... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: संशोधन क्या है, आप नहीं जानते हैं। संशोधन है क्या? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: आप बताइये कि क्या अमेंडमेंट है?

श्री पवन कुमार बंसल: आपने कल कहा था ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

आपने इसके बारे में कल बताया था ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: क्या अमेंडमेंट है, आप बोलिए ... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: आप गलत बात कर रहे है। आप प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग नियम 184 के अंतर्गत नहीं डाली जानी चाहिए। उसके लिए सैन्स्योर मोशन हो सकता है या नो कान्फीडैंस मोशन लाया जा सकता है या दूसरी रैमेडी हो सकती है।

[अनुवाद]

यदि आप प्रधानमंत्री से त्यागपत्र की मांग करना चाहते है, तो उसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। यह नियम 184 इस प्रयोजनार्थ नहीं बनाया गया है। मैं पृष्ठ 659 का उल्लेख कर रहा था जिसमें ऐसी स्थिति के बारे में कहा गया है ...

''निन्दा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध, या किसी एक मंत्री

के विरुद्ध या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध इस आधार पर रखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी नीति पर कार्य नहीं किया है या वे उसमें असफल रहे हैं या उनकी नीति के कारण ही ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता है।''

महोदय, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में संवैधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध रखा जा सकता है और न कि ... (**व्यवधान**) मैं अपनी बात कहने के लिए केवल दो मिनट का समय लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...(**व्यवधान**)...

श्री पवन कुमार बंसल: यह पृष्ठ 659 पर है जो निंदा प्रस्ताव के विषय से संबंधित है और इसे हम भी पढ़ सकते है और आप भी पढ़ सकते हैं कि इसमें केवल यही बात लिखी गई है कि ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप किस पंक्ति का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: यह निंदा प्रस्ताव के अंतर्गत है। इस पूरे पैराग्राफ में इस बात का उल्लेख है कि कैसी स्थिति में निंदा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और जो संशोधन पेश किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कल लिये गये निर्णय के प्रतिकूल है तथा इस में केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करने वाली बात है। यह सरकार की दो कारणों से निंदा करना चाहती है जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं अर्थात सरकार के विरुद्ध हवाला मामले में लगाये गये आरोपों का उत्तर देने में उनकी अनुभूत विफलता तथा गैर कानूनी भुगतान के बारे में लगाये गये आरोपों का उत्तत्तर देने में उनकी विफलता। ये वे मामले हैं जिनके संबंध में नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव गृहित किया गया है।

अब, महोदय इसमें एक तीसरे कोण को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक अन्य मांग उठायी जा रही है और वह है प्रधानमंत्री का त्याग-पत्र। इसके लिए, यदि सभी सदस्य इस मामले को उठाना चाहते है तो सभा के पास एक स्वतंत्र उपाय उपलब्ध है और वह है विशेषाधिकार का प्रस्ताव जिसे कल पेश किया गया है। नियम 184 विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न उठाने को रोकता है। इस मुद्दे पर कल स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी और इसे नियम 184 के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। अत:, महोदय, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारे पास एक ही उपाय उपलब्ध है और वह है निंदा प्रस्ताव अथवा अथवा अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, जो नहीं किया गया है। एक नया संशोधन पेश करके प्रस्ताव के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह संशोधन क्या है?

श्री पवन कुमार बंसल: आप ने ही कहा है, आपके मित्रों ने ऐसा कहा है। कल भी इन्द्रजीत गुप्त ने यह कहा था। श्री रामविलास पासवान ने आज कहा है। श्री पासवान ने आज जो कहा, उसे सुनने की अगर आपने चेष्टा की होती तो आप उसे समझ जाते। उन्होंने इसे विस्तारपूर्वक कहा है। अगर वह खड़े होकर यह कह दें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो मैं बैठ जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: प्रधानमंत्री का त्याग-पत्र मैंने माँगा है आप ऐसा क्यों नहीं कहते।

श्री पवन कुमार बंसल: यही तो मैंने भी कहा।

[हिन्दी]

यह कहा है लेकिन आप ने नहीं सुना और आप कह रहे हैं कि क्या किया है, आप फिर बोले जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि रूल 184 के तहत आपको यह अधिकार नहीं है कि आप यह कहें कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। यह स्कोप रूल 184 के तहत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई): महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं यह प्रश्न नियम 344 क तहत उठाना चाहता हूं। नियम 344 में तीन उपखंड हैं। मैं नियम 344 के इन तीनों उपबंधों में से प्रत्येक के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियम 344 (1) में कहा गया है ...

''संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति के भीतर होगा, जिस पर वह प्रस्तुत किया जाए।''

यह संशोधन हमें मौखिक रूप से ही बताया गया है। हमें यह लिखित रूप में नहीं मिला है। कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने और आज श्री राम विलास ने इसके बारे में कहा है। इसे विद्यमान वाक्य में मुख्य खंड के रूप में जोड़ दिया गया है। यह उन्हीं शब्दों में कहा गया है। जो प्रस्ताव के अनुरूप है तथा इसकी सीमा के अंदर है। तथापि, महोदय, इस प्रस्ताव को नियम 184 के अंतर्गत जिस तरह गृहीत किया गया है, उस तरीके पर यदि आप विचार करेंगे, तो देखेंगे कि इसपर 27 फरवरी और 28 फरवरी को विचार किया गया है। अनेक प्रस्ताव, कुछ नियम 184 के अंतर्गत, कुछ नियम 193 के अंतर्गत और कुछ स्थगन प्रस्ताव रखे गए है। जिस पार्टी की ओर से यह कहा गया है, वही अब निमय 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पेश कर रही है कि

वे इस सरकार की निंदा करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं।

अपने कक्ष में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ विचार विमर्श करने के वाजपेयी जी पश्चात आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि इस प्रस्ताव को न तो स्थगन प्रस्ताव के रूप में, न उस विचार से सरकार की निंदा प्रस्ताव के रूप में और न सरकार में अविश्वास व्यक्त करने संबंधी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए वरन् इसे नियम 184 के अधीन प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपने शब्दों का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक किया था और आपने उन शब्दों के संदर्भ में ही इस चर्चा की अनुमति प्रदान की थी। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री राम विलास पासवान द्वारा प्रस्ताव के स्वरूप को बदलकर मौखिक रूप से इसमें संशोधन किए जाने की मांग की जा रही है यद्यपि हमें अभी इसका मूलपाठ प्राप्त नहीं हुआ है – जिसकी एक तरह से आपने नियम 184 के अधीन अनुमति दी है, हालांकि सत्ता पक्ष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में पहले आप जो कुछ कहना चाहते थे वह इस सभा की असंतुष्टि की अभिव्यक्ति थी अब आप यह कहकर कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रस्ताव में बल देने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बड़ी सजीवता से किया है। इस स्थिति में सभा के समक्ष प्रस्ताव का स्वरूप यथार्थतः बदल जाता है। चूंकि इस प्रस्ताव के प्रस्तावित प्रस्तावकों ने इस पर ऐसा बल नहीं दिया है इसलिए इसका यथार्थ स्वरूप बदल जाता है। मुझे आशंका है कि एक संशोधन द्वारा इस पर बल देने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं है क्योंकि इससे नियम 344 (1) के अंतर्गत प्रस्ताव का कार्यक्षेत्र और उसकी सीमा बदल जाएगी और इस प्रकार इसे नामंजूर करना होगा। मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि नियम 344 (2) के दूसरे पैरा में यह बात कही गयी है कि

''ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत हो।''

अब महोदय प्रस्तुत किए गए संशोधन से प्रधान मंत्री का इस्तीफा मांगने के अलावा जिसकी पहले ही मांग की जा चुकी है, अन्य कोई तथ्य सामने नहीं आता। यह संशोधन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई नयापन नहीं है – इसमें मात्र नकारात्मक मत निहित है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह नियम 344 (2) के अंतर्गत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अब मैं नियम 344 के अन्तिम उपबंध उपधारा (3) पर आता हूं। उपधारा (3) में उल्लिखित है

''किसी प्रश्न पर कोई संशोधन उसी प्रश्न पर किए गए पूर्व विनिश्चिय से असंगत नहीं होगा।''

अब, श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री राम विलास पासवान द्वारा लाए गए प्रस्ताव का संशोधन क्या है? इसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री को इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने धन के गैर कानूनी भुगतान से संबंधित सवालों का सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया है। आपको स्मरण होगा कि कल श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा इस सभा के समक्ष लाए गए विशेषाधिकार आप हनन प्रस्ताव में इस बात का विशेषरूप से उल्लेख किया गया था कि प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए अनुचित साधनों के बारे में उनका मामला चार अन्य संसद सदस्यों के मामले के साथ विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए।

इसके पश्चात उक्त प्रस्ताव पर सभा द्वारा लिए गए निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मामले को मात्र जांच के प्रयोजन से विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का कोई ठोस आधार नहीं है। वस्तुतः यह वही मुद्दा है जिसकी इस संशोधन के माध्यम से आगे लाए जाने की मांग की गई है। यदि यह सभा एक बार जब यह निर्णय ले चुकी है कि इस सभा की समिति द्वारा इस मामले की जांच किए जाने का भी कोई ठोस आधार नहीं है तो वही सभा अब अपने उक्त निर्णय पर दृढ़ रहते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कैसे कर सकती है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: आप प्रस्ताव के केवल दूसरे भाग की बात कर रहे हैं जो गैर कानूनी भुगतान से संबंधित आरोपों का जबाव न देने से संबंधित है। लेकिन प्रस्ताव के प्रथम भाग का क्या हुआ जो ''हवाला लेनदेन से संबंधित आरोपों का उत्तर न देने के बारे में है?''

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मुझे आंशका है कि श्री गुप्त दूसरा संशोधन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: कौन सा संशोधन?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, इस समय सभा के समक्ष इस प्रस्ताव के दो भाग है, जिसकी श्री जसवंत सिंह जी हमें लगातार याद दिला रहे हैं। इसके दो घटक हैं और आप इनमें से एक से छुटकारा नहीं पा सकते।

जहां तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रधान मंत्री के इस्तीफे से संदंधित दूसरे घटक संबंधी आपकी मांग का संबंध है, इस मुद्दे पर सभा पहले ही निर्णय ले चुकी है और जब तक आप ऐसा दूसरा संशोधन – गैर–कानूनी भुगतान से जुड़े हुए भाग को हटा दिया जाए प्रस्तुत नहीं करते, तब तक आप इस निणय से अलग नहीं हो सकते। चूंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रस्ताव दोनों गणना में इस सभा के असन्तुष्ट होने से संबंधित है, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन दोनों घटकों पर लागू होना चाहिए।

यद्यपि मैं उनसे इस बात पर सहमत हूं कि इस बारे में सभा का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, फिर भी मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि दोनों घटकों में से प्रथम घटक के संबंध में निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा घटक श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अभिन्न भाग है और चूंकि वे ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते जो पहले से ही सभा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के किसी भाग या सभा द्वारा लिए गए निर्णय के असंगत हो, इसलिए मुझे आशंका है कि नियम 344 की धारा 1 के अंतर्गत, नियम 344 की धारा 2 के अंतर्गत और नियम 344 की धारा 3 के अन्तर्गत इन महानुभावों द्वारा परिचालन के बिना ही प्रस्तुत किए जाने वाले इन संशोधनों को आप इस सभा के नियमों के अनुरूप स्वीकार नहीं कर सकते। धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्तः सर्वप्रथम, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री मणि शंकर अय्यर ने इस का सहारा नहीं लिया कि इस संशोधन के लिए अब बहुत देर हो गई है क्योंकि इसके विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर वे एक लम्बा भाषण दे सकते थे कि इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था, आदि। उनकी हम पर यह कृपा रही । अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के जिसे नियम 184 के अधीन लाया गया है, जैसा कि श्री मणि शंकर अय्यर स्वीकार करते हैं, स्पष्ट रूप से दो भाग हैं। दोनों भाग सरकार की असफलता से संबंधित है। पहला भाग हवाला मामले से संबंधित आरोपों का उत्तर देने के मामले में असफलता और दूसरा कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी भुगतान से संबंधित आरोपों का उत्तर देने में असफलता से संबंधित है।

संशोधन में अन्त में केवल आप से यह जोड़ने की मांग की गई है "और इस प्रकार मांग करता है कि प्रधान मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वे इन आरोपों का उत्तर देने में असफल रहे हैं।" इसलिए इस संशोधन को स्वीकार करना कोई गलत नहीं होगा। आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। यह एक अलग बात है। लेकिन इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है। यहां चर्चा और विचार-विमर्श करने के पश्चात ... **(व्यवधान)** आखिरकार वे सरकार के मुखिया है। ... **(व्यवधान)**

श्री सुधीर सावंत (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

श्री सुधीर सावंतः महोदय, नियम 344 के अंतर्गत ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले नियम को पढ़े।

श्री सुधीर सावंतः मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जो नियम 344 के अन्तर्गत आता है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं 'प्रश्न उठाया जाना' नहीं चाहता हूं। आप नियम पढ़े और फिर कहें।

श्री सुधीर सावंतः नियम 344 में कहा गया है "संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति......।"

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसका निर्णय मुझे करना है। हम यहां कोई गलत प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री सुधीर सावंतः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं इस तरह का व्यवहार नहीं चाहता यदि व्यवस्था के प्रश्न की बात होगी तो मैं इसकी अनुमति दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): मैं यह कह रहा था कि इस बात में अधिक तकनीकी पक्ष को नहीं लेना चाहिए। इस मुद्दे ने समस्त देश को हिला दिया है। अब भी यह इस देश के समस्त लोक मत को आंदोलित कर रहा है। यह एक प्रमुख कांड है। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए, उस के आधार पर हम प्रधानमंत्री के त्याग-पत्र की मांग कर रहे हैं। यह संशोधन का उद्देश्य है। और मेरे ख्याल से इसको स्वीकार न करने का कोई आधार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ जी को बोलने की अनुमति देता हूं और उसके पश्चात मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, मैं भी इस संशोधन पर हस्ताक्षर करने वालों में एक हूं ... **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, मैं अपने मित्रों की व्यथा को समझ सकता हूं ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूँगा।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। जब तक हम यह नहीं जानते कि उस प्रस्ताव में क्या है, हम कैसे बोल सकते है? ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको इसकी अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, उस ओर के मेरे मित्रों की

व्यथा और डर के कारण नियम की गलत व्याख्या नहीं की जा सकती। इसे गुणवन्ता के आधार पर किया जाना है। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मैं आप की इस बात से सहमत हूं कि यह गुणवन्ता के आधार पर किया जाना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अत: इसे प्रस्ताव के गुणों और संशोधन के गुणों के आधार पर किया जाना है। श्री मणि शंकर अय्यर ने संशोधन को जाने बिना एक लम्बा भाषण दिया। हमारे साथ ऐसा किया गया है ... **(व्यवधान)** आप ने कहा, आप जानते नहीं है ... **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, दो आधार लिए गये है। एक यह है कि यह संगत नहीं है और इस पर सभा द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। दूसरी बात को पहले लेते हुए, हमने इस पर चर्चा नहीं की थी। महोदय, आप ने अपनी बुद्धिमता से विशेषाधिकार प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की। अत: सभा ने इस मामले के गुणों पर कभी चर्चा नहीं की। हमने केवल इसके स्वीकार किए जाने के बारे में चर्चा की है। महोदय, आपने अपना निर्णय दे दिया है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। हमें इसे स्वीकार करना है और हमने आप के प्रति पूरे सम्मान के साथ यह किया है। महोदय, इसलिए इस सभा के निर्णय करने का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्या यह संगत है अथवा क्या नकारात्मक मत है। मैं इस मामले में और अधिक संगत संशोधन के बारे में नहीं सोच सकता। कृपया इसे समझें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एक बात स्पष्ट करेंगे? पूरे सत्र के दौरान यह मामला हमारे समक्ष रहा है। हमने इस मामले पर समिति में चर्चा की थी और समिति के सदस्यों की सहमति से इसका प्रारूप तैयार किया गया था और यह यहां आया था। पूरे सत्र के लिए हम इसे नहीं लाये थे। उपान्तिम दिन हम इसे लाये और हमने एक ऐसे तत्व का समावेश किया जो पहले वहां नहीं है ताकि एक नई चर्चा की आवश्यकता होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: नहीं महोदय, मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हम पहले ही इस पर बोल चुके है। हम इस संशोधन पर आगे बोलने के लिए किसी अवसर की मांग नहीं कर रहे है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ अन्य सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जो भी इस पर नहीं बोले है, वे इस पर बोलेंगे।

महोदय, प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है। इसमें बताया गया है:

''यह सभा आरोपों के उत्तर देने में सरकार की विफलता पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है ...''

और दूसरा है। पहले ही यह चर्चा चल रही है। यदि मैं यह कह सकता हूं तो, हमने भी माननीय प्रधानमंत्री के कार्य निस्पादन के बारे में सुना और देखा है और उससे हम सन्तुष्ट हुए है कि यह एक सही मामला है जहां प्रस्ताव के अनुवर्ती के रूप में कुछ होना चाहिए। यह असंगत नहीं है। यह इस प्रस्ताव का तर्क संगत परिणाम, निष्कर्ष है। यदि मैं यह कहता हूं कि ''यह इस मामले के बारे में प्रधानमंत्री का स्मरणीय कार्य है'' तो यह तर्क संगत निष्कर्ष है जिसे हम सभा के समक्ष लाना चाहते है। सभा अपनी बुद्धिमता से इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। दूसरे नकारात्मक मत का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी ओर, यहां नकारात्मक मत का अर्थ यह है, यदि किसी ठोस प्रस्ताव को प्रस्तावित संशोधन द्वारा अस्वीकृत करवाना है तो इसे किसी ओर निर्णय के लिए अस्वीकृत नहीं किया जा सकता; प्रस्ताव के मूल अंग की दृष्टि से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे न केवल अस्वीकृत ही किया जाता है बल्कि इसे सकारात्मक रूप भी दिया जाता है। इससे यह परिलक्षित होता है कि क्या इस सभा ने अपने विवेक से इसे स्वीकृत किया है अथवा नहीं। जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव संबंधी नियमों के अनुप्रयोग से ज्ञात होता है, यह अविश्वास का मामला नहीं है। परिचर्चा के बाद जो निर्णय लिया गया है उससे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे जो बाते पता चली है, तथ्यों के इस प्रटन को रोकने के निरन्तर प्रयास और प्रधानमंत्री द्वारा यहां लगाये गये आरोपों के प्रति पूर्ण उदासीनता बरती जानी और इसे राज्य मंत्री पर छोड़ देना, में सभी बातें हो रही है ... (व्यवधान)

अत: मेरा सादर निवेदन है कि इसमें नियम 344 के अनुपयोग हेतु बांछित सभी तत्व मौजूद है और क्योंकि ऐसा कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अत: इस की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं सारे सत्र में हमारे सामने केवल एक ही मुद्दा है और आप उपान्तिम दिन को यहा आते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इससे यह मुद्दा यही समाप्त हो जायेगा ... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या प्रधानमंत्री उत्तर देंगे?

श्री अर्जुन सिंह: माननीय सदस्य जी ने अभी जो कुछ कहा है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बेबाक जानकारी दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : उनका विधिक विवेचन सही है।

श्री अर्जुन सिंह: मैं यह नहीं कह रहा हूं, कि क्य सही है, क्या गलत है। उन्होंने आपको साफ तौर पर यह बता दिया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिससे इस संशोधन को स्वीकार

करने से रोका जा सके। एक बात तो यह है। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है वह यह है कि इस सब के बाद भी इस वाद-विवाद का मुद्दा कोई ख्याली मामला नहीं है। और स्वाभाविक रूप से शासन प्रमुख प्रधान मंत्री के इस संकल्प में सरकार के कतियय कृत्य अकृत्य की और ध्यान केन्द्रित किया गया है। हमने उसी दृष्टि तक इसे सीमित रखने का प्रयास किया परन्तु यह सब तभी हो सकता था जबकि देश के प्रधानमंत्री ने सौभाग्य बस इसे जबावदेयी की भावना से किया होता कि सभा क्या जानकारी चाहती है, सच्चाई क्या है झूठ क्या है। फिर उन्होंने हर बात की अनदेखी करनी चाही। न केवल यहां कहीं गई हर बात की बल्कि सभा से अपनी अनुपस्थिति की ओर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब इस विषय पर चर्चा की जा रही है तो उन्होंने पहले ही यह घोषित कर दिया कि वे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देगे और उन्होंने उत्तर देने का काम श्रीमती मारग्रेट को सौप दिया है। मुझे उन के विरुद्ध कुछ नहीं कहना। जब वे जवाब देंगे, तब देखा जायेगा। किन्तु वह उन अनेक बातों का क्या उत्तर दे सकती है जिनकी जानकारी केवल प्रधानमंत्री को है।

श्री उमराव सिंह: श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह: माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने यह संशोधन रखा है। इस सभा के प्रति जबावदेयी की भावना बनी रहें और सभा द्वारा मत के आधार पर प्रधानमंत्री को त्याग-पत्र देने के लिए कहकर उनकी इस दृढ धर्मिता का अन्त करने के लिए वे इतना ही कर सकते थे। हम पद के खाली रहने से भयभीत नहीं है, मैं इस बात को फिर से कहता हूं, यदि कुछ लोग भयभीत है तो उन्हें होने दो।

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं तकनीकी पहलुओं की बात नहीं कर रहा हूं और किसी नियम का भी उल्लेख नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक चर्चाधीन संकल्प का संबंध है, यह दो बातों से संबंधित है (क) हवाला कांड को लेकर लगाये गये आरोपों का उत्तर देने में सरकार की कथित विफलता और (ख) कतिम माननीय सदस्यों को गैर कानूनन रिश्वत देने के आरोप।

4.00 म.प.

जहां तक संकल्प के खंड (ख) का संबंध है, कल इसी सभा में पूरी बहस सुनने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल ही इस मामले का निपटारा कर दिया था। जहां तक संकल्प के भाग (क) का संबंध है, बल्कि विशेषाधिकार भाग का संबंध है, लगभग पूरे सत्र के दौरान यहां तक कि अंतिम दिन तक इस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके और माननीय सदस्यों का ध्यान दिला सकता हूं कि जहां तक हवाला कांड के आरोपों का संबंध है, उन्हें आठ वर्षों से अधिक का समय हो गया हैं? इन आठ वर्षों के दौरान 1987 से लेकर 1991 तक और अब जब हम बहस कर रहे हैं, देश ने इन आठ वर्षों के दौरान एक के बाद दूसरी चार सरकारों को सत्ता में आते हुए देखा है। क्या मैं माननीय सदस्यों से जान सकता हूं कि जिन्होंने संशोधन सभा-पटल पर रखे हैं, वे किस प्रधान मंत्री को हटाना या किस प्रधान मंत्री का त्याग-पत्र चाहते हैं? **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना (कटक): एक प्रधान मत्री ने त्यागपत्र दिया था। **(व्यवधान)** । आज सत्र का अंतिम दिन है, बेशक, हमें प्रधान मंत्री की बात सुननी चाहिए थी। **(व्यवधान)** केवल एक ही प्रधान मंत्री है। धन्यवाद, श्री आजाद।

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कौन सी सरकार।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह **वस्तुतः** या **विधिसम्मत** है?

श्री राम नाईक: यह वर्तमान प्रधान मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें नियमों की रूपरेखा समझनी चाहिए, नियमों की रूपरेखा यह है कि सरकार से सूचना प्राप्त करने के कई तरीके है जैसे प्रश्न-काल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कई तरीके है जिनके अंतर्गत आप महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर सकते हैं और सरकार का पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं। नियम 193 या 184 में इसके तरीके दिए गये हैं। 193 के अंतर्गत आपको मत देने की आवश्कयता नहीं है, आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं और चुपचाप रह सकते हैं। 184 के अन्तर्गत आप चर्चा कर सकते हैं। आप मतदान कर सकते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस सभा का मत क्या है इसमें मतभेद हो सकते हैं और आप सभा का ठीक-ठीक मत जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं इसीलिए आप 184 के अन्तर्गत मामले को मतदान के लिए रखते है और उस पर बहस करते हैं, तरीकों का एक तीसरा समूह है जिसमें सरकार की निन्दा, आलोचना और उसका गिराना शामिल है। ये तरीके हैं स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव।

यहां आप अविलम्बनीय लोक महत्व के एक मामले को चर्चा हेतु लाये है। नियम 184 में कहा गया है :

''संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी''

अब यहां आप 184 के अन्तर्गत सामान्य लोक हित के मामले पर बहस के इच्छुक हैं। यदि आप वास्तव में यह चाहते कि

प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए तो आपने किसी अन्य उपबंध का सहारा लिया होता। इस मामले पर एक दिन, एक हफ्ते चर्चा न करके पूरे सत्र के दौरान चर्चा हुई है और अंतिम दिन इस प्रकार के मामले पर यदि आप संशोधन ला रहे हैं जिसमें आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं और यह कह कर कि प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, सरकार का पथ-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि इससे प्रस्ताव का स्वरूप अक्षुण्ण रह पाता है। इससे प्रस्ताव का स्वरूप बदल जाता है और इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, क्या आपने प्रधानमंत्री के आचरण पर ध्यान नहीं दिया?

अध्यक्ष महोदय : जरूरी नहीं है। मेरे विचार से मैंने कहा है कि अन्य तरीके भी हैं।

श्री अर्जुन सिंह: आपको प्रधानमंत्री के आचरण पर ध्यान देना चाहिए था जिसके परिणामस्वरूप यह स्थिति खड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य तरीके भी हैं जिनका आपने उपयोग किया होता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: वित्त विधेयक के खिलाफ मतदान का क्या परिणाम होता है?

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक और अन्य बातें जो खजाने से धनराशि निकालने की और उसके प्रयोग की शक्ति प्रदान करते हैं जिनके अभाव में सरकार शक्तिहीन और निष्क्रिय हो जाती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अत:, वित्त विधेयक के अन्तर्गत यह प्रावधान नहीं है कि इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। दुर्भाग्यवंश मान लिया जाय कि यदि मैं इसके खिलाफ मतदान करता हूं तो यह अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में निन्दा प्रस्ताव नहीं है। यह सरकार को निष्क्रिय अवश्य बना देता है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने माननीय विपक्षी दल के नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, का प्रस्ताव विचार के लिए सदन में प्रस्तुत है और वह प्रस्ताव है -

"कि यह सभा 'हवाला मामले' से संबंधित आरोपो और कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी रूप से धन दिए जाने संबंधी अभिकथनों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर अपना असंतोष व्यक्त करती है"

महोदय, सबसे अचरज की बात यह है कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में 8 मार्च को अपना तीन मिनट का स्पष्टीकरण दिया और उससे पहले पूरे सदन में दो दिन तक गतिरोध बना रहा। पूरा सदन यह जानना चाहता था कि प्रधान मंत्री क्या स्पष्टीकरण देते हैं। उनके स्पष्टीकरण से सदन पूरी तरह से असंतुष्ट रहा। पूरे विपक्षी माननीय सदस्य इससे पूरी तरह से असंतुष्ट रहे, क्योंकि वह स्पष्टीकरण दिग्भ्रमित करने वाला था, भ्रामक था। उससे जो तथ्य सामने आए, उसको पलटने के लिए दूसरी दिशा में उन्होंने अपनी बातों को रखने का काम किया। इसलिए मैं चार्ज लगाता हूं, हो सकता है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य केवल संख्या की शक्ति से सरकार को चलाना चाहते है। ये लोग सदन की शक्ति से सरकार नहीं चलना चाहते है। मैं आरोप लगाता हूं, प्रधान मंत्री ने कहा कि अदालती निर्देश में कोई नई बात नहीं है। मतलब पहले भी सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय की निगरानी में जो मुकदमे चल रहे हैं, चाहे हत्या का मामला हो, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय की निगरानी में ये मामले चलते रहे हैं। ठीक बात है कि हम लोग इसको मानते हैं, लेकिन यह जो विषय परिस्थिति है, जो परिस्थिति आज खड़ी हुई है, उसमें मामले न्यायालय की निगरानी में होते रहे हैं। आप कहते है कि हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सरकार का दावा है कि हम लोगों ने किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है, न हम लोग हस्तक्षेप करते हैं। आपने यह भी कहा है - कानून अपना रास्ता अपनायेगा यह कौन सी बड़ी बात आपने कही है। यह सही है कि कानून अपना स्वरूप खुद लेता है। इस पर बड़े जोर से सत्ता पक्ष के लोगों को लगा कि बहुत बड़ा मार्ग-दर्शन हो रहा है। महोदय, एक कहावत है - धन और धरती बंटकर रहेगी, अपनी-अपनी छोड़ कर के इनके जो लोग सैनकिट्स में अभियुक्त हो या चन्द्रास्वामी का मामला हो और जो मंत्री बैठे हुए है, उनमें पिक एंड चूज करके जो अभियुक्त है और एक पर कार्यवाही नहीं हो रही है। एक पर कार्यवाही नहीं होने दी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तरह से कामें नहीं चलेगा। क्योंकि प्रारम्भ में कभी-कभी सी.बी.आई. और सी.बी.आई. को दायित्व सौंपा गया, सी.बी.आई. का जो जुरिस्डिक्शन है, सी.बी.आई. को जो कर्त्तव्य निर्वहन करना है, उसमें कभी भी कोर्ट का नियंत्रण नहीं होता था। जब सुपरवीजन होगा, चाहे पुलिस का हो, चाहे सी,बी.आई. का इनवैस्टिगेशन हो, यह जो कार्य प्रणाली है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। एग्जीक्युटिव स्थापित प्रणाली है, जो वर्किंग स्टाइल है, कार्य-प्रणाली रही है, उसके तहत आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। चाहे प्रधान मंत्री हो, चाहे कोई भी अथारिटी हो, उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जो एग्जीक्युटिव स्थापित परम्परा रही है, जो स्टाइल आफ फंक्शनिंग है, उसके हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। आप कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं किया है,

लेकिन यह तो पहले से ही एग्जीक्युटिव फंक्शनिंग है। सवाल यह है, एक मार्च को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, लेकिन कारण क्या है कि इस तरह का निर्देश आया? क्या कारण है कि प्रधान मंत्री ने साफ-साफ कहा कि हम ने न हस्तक्षेप किया है, न हस्तक्षेप करेंगे, न पहले किया है और न अभी कर रहे है और न आगे हम हस्तक्षेप करेंगे? क्या कारण है कि सी.बी.आई. ने एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और प्रधान मंत्री के हक को बाहर कर दिया? इसका जवाब नहीं आया और इसका जवाब आप लोगों के बीच में भी नहीं है।

प्रधान मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें इस सवाल का जवाब नहीं है कि सी.बी.आई. जो एडमिनिस्ट्रेटिव आथोरिटी है, सी.बी.आई. पर जो प्रधान मंत्री का नियंत्रण था वह उनसे हटा लिया गया। अब यह नियंत्रण प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इसका क्या कारण है, इस पर प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सदन को नहीं बताया, सदन को अंधकार में रखा। ... (**व्यवधान**) अभी भी प्रधानमंत्री जी आकर सदन को बता दें। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो इस मामले को गंभीरता से ले ही नहीं रहे है। यह सरकार बिल्कुल अगंभीर सरकार है, इसलिए इस पर क्या उम्मीद की जा सकती है। प्रशासनिक जो नियंत्रण था वह अब प्रधानमंत्री जी के हाथ में नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। हमारा कहना यह है कि आज सी.बी.आई. के डायरेक्टर का कार्य-काल पूरा होने जा रहा है, क्या सोलीसिटर जनरल को यह कहेंगे, उनसे पूछा जाए कि किस को अधिकार है। क्या अब प्रधानमंत्री जी कोई दूसरा नियुक्त करेंगे या उनकी सेवा विस्तार करेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के मातहत एडमिनिस्ट्रेटिव आथोरिटी कंट्रोल है तो सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करेगी, क्योंकि अभी जो सी.बी.आई. का डायरेक्टर है उनका कार्य-काल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते है।

4.11 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

महोदय, उस दिन जो स्पष्टीकरण दिया गया, यह सदन के लिए चिन्ता का विषय है। हम सब लोगों के लिए लोकतांत्रिक जनतंत्र में यह चिन्ता का विषय बना हुआ है, यह दुर्दशा क्यों हुई। इस तरह का जो प्रधानमंत्री जी का दायित्व था, उनका जो कार्य था, जो कर्तव्य निर्वहन करना था, वह नहीं हुआ। मैं स्पष्ट आरोप करता हूं। इसलिए पूरी जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है, उनका प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आज सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, प्रधान मंत्री के हाथ से बाहर चला गया है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर देता हूं। मार्च, 1991 में सी.बी.आई. के हाथ में जैन की डायरी लगी। 1991 से लेकर 1993 तक आप कहां बैठे थे? आप 1993 तक सी.बी.आई. का पैर खींचते रहे और उनको कार्य नहीं करने दिया। उनको अपने उत्तरायित्व का निर्वहन नहीं करने दिया अब 1993 में लोकहित याचिका दायर होती है तो उसके बाद भी वह मामला ज्यो का ज्यो पड़ा हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. के डायरेक्टर को पर्सनली बुला कर कहा, हिदायद दी और चेतावनी दी। ... (**व्यवधान**) श्री एस.पी. यादव ने सबसे पहले जुलाई, 1994 में भी सदन में इस सवाल को उठाया था। सी.बी.आई.का पैर इसके बाद भी खींचते रहे, इसके बाद सख्त नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. पर प्रारम्भ में भी नाराजगी व्यक्त की, जब लोकहित दायर हुआ, इसके बाद 1993-94 और 95 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफी टाइट किया और नाराजगी व्यक्त की तब इसके बाद इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। जब सी.बी.आई. अपना कार्य शुरू करती है, वह जब अपना कार्य करने लगा तो उस भ्रष्टाचार में उनके बहुत से मंत्रीगण, मंत्रिमंडल के सदस्य डूबे हुए थे। इसके बाद जो इंचार्ज मिनिस्टर है, इस देश में शासक दल के जो प्रधान हैं उन्होंने सोचा कि दल के अंदर के प्रतिद्वंद्वी, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और दल के बाहर के प्रतिद्वंद्वी, दोनों को ठिकाने लगाने के लिए एक ही तीर से दो खेल खेले हैं। क्योंकि डायरी की एंट्री पर कार्यवाही हो रही है और जैन का जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान है, यह सवाल तब आया जब विपक्षी नेता ने देश के सामने इस रहस्य का उद्घाटन किया और कहा कि 3.5 करोड़ रूपया प्रधान मंत्री पर लेने का आरोप है। जैन के बयान पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जैन की डायरी में जो एंट्री है उस पर कार्यवाही चल रही है, यह कैसा अन्याय है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री सी.बी.आई. के इंचार्ज थे। इसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है? मैं इसलिए इस सवाल को उठा रहा हूं क्योंकि जनप्रतिनिधि और आवाम के बीच में आविश्वास का संकट इस घटना क्रम से, इस तरह के हवाला कांड से पैदा हो गया है।

और इस विश्वास के संकट की भरपाई करने का कोई उपाय सरकार के पास नहीं है ठीक है, श्रीमती अल्वा जवाब देगी लेकिन एक मार्च के बाद तो आपको जवाब देने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं इस सवाल को कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस तरह का ऐसा वर्डिक्ट दिया? इसके संबंध में मैं एक लाइन उद्धृत करना चाहता हूं। एक इंटरव्यू में जस्टिस जे.एस. वर्मा से पूछा गया था कि

[अनुवाद]

हवाला कांड पहला उदाहरण नहीं है जहां ऊंचे और

शक्तिशाली लोगों को बचाया जा रहा था। यह कैसे हो सकता है कि न्यायालय अचानक ही स्वाग्रही हो गया? अब क्या ऐसा परिवर्तन हो गया था? समय की माँग को देखते हुए न्यायालय शक्तिशाली हो गया है और समय की मांग है कार्यपालिका पर जवाबदेही लागू करना, उन्होंने उत्तर दिया।

[हिन्दी]

मतलब जवाबदेही को लागू करने के लिए कोर्ट में इस तरह स्पष्ट रूप से जजमेंट हुआ है। इस तरह से मैंने एक जज को इंडिया टुडे से उद्धृत किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी एकाउंटेबिलिटी खो चुकी है। सदन के प्रति इसकी एकाउंटेबिलिटी नहीं रह गयी है। सदन के प्रति प्रधानमंत्री और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं है। सदन शून्य में है। यहां जो लोकतंत्रिक प्रणाली है वह शून्य में है। सदन के प्रति कोई दायित्व सरकार का नहीं रह गया है। सदन का 90 करोड़ जनता के प्रति, उसके दु:ख-दर्द के प्रति उत्तरादित्व बनता है लेकिन सरकार, कैबिनेट और प्रधानमंत्री का इस सदन के प्रति उत्तरदायित्व है। लेकिन आज इसकी जवाबदेही के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। मैंने इसीलिए इस सवाल को उठाया था क्योंकि आज सरकार संख्या की शक्ति से चलना चाहती है। अभी कुछ शासक दल के सदस्य बोल रहे थे और सिस्टम को दोष दे रहे थे। वे कह रहे थे कि यह सब सिस्टम का दोष है। आखिर इस सिस्टम को कौन चलाता है। क्या सिस्टम को चलाने वाले चांद पर पैदा होते है या मशीन से सिस्टम चलता है। सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी उन पर है जो नम्बर एक पर बैठे है, जो शासक दल के लोग है वे ही सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। आजादी के 50 वर्षों में 47 वर्ष तक शासक दल का शासन रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: फर्नान्डीज जी, कृपया उनसे असुविधाजनक प्रश्न मत पूछें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, ये सिस्टम का दोष बताते है, इसीलिए यह काम हो गया। लेकिन सिस्टम को चलाता कौन है? जो सत्ता में आसीन होता है वह सिस्टम को चलाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सिस्टम को किसने कुचला है, किसने सीनियर-जूनियर सारे अफसरों से लेकर सभी मोर्चों पर सिस्टम को एक्सप्लाइट करने का काम किया है? इसीलिए सिस्टम इस कांग्रेसी राज्य में धराशायी हो चुका है।

दल बदल के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी सदन में दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया है और इसी सदन में इसे तोड़ा जाता है। वह कानून अगर परमार्थ में टूटता तो बात समझ में आती लेकिन सता-दल ने अपने समर्थन को खरीदने में इसे तोड़ा है। इस विषय में माननीय सदस्य का नाम निकल चुका है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर जो भी सदस्य इसकी वजह से गये है मैं उनके विषय में कहना चाहता हूं कि यदि आइडियलोजी के आधार पर दल-बदल हुआ होता तो एक बात थी लेकिन प्रलोभन के बल पर, धन के बल पर, पद के लोभ से दल-बदल हुआ हो तो यह एक आपराधिक मामला है।

इस सरकार ने गम्भीर अपराध करने का काम किया। उसने ऐंटी डिफैक्शन लॉ को इसी सदन में पास किया। यह मर्यादा की बात करते है। संसदीय जनतंत्र की मर्यादा और गरिमा को यह नहीं जानते है और यह इनके ऐजेंडा में नहीं है। आजादी से पहले सत्ता में बैठे लोगों में जो त्याग की भावना थी, वह आज देखने को नहीं मिलती है। आज सत्ता में भोगी लोग बैठे हुए हैं। यह दलबदल कानून के बारे में एक से बढ़ कर एक तर्क देते हैं। सत्ता और पैसे का लालच देकर इन्होंने दलबदल कराया। यह एक संगीन अपराध है। इसका मुकाबला करने के लिये सभी को चिन्ता करनी चाहिये। यह एक भ्रष्ट सरकार है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इस सवाल पर इसलिये बोल रहा हूं कि यह 62 करोड़ के घपले का मामला है। पिछले पांच साल में इस सरकार ने कई करोड़ रुपये का घोटाला किया। यदि आप सही मायने में भ्रष्टाचार को दूर करने की बात सोचते हैं तो इस पर अंकुश लगायें और इसको दूर करने के बारे में सोचें। आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। चाहे कार्यपालिका में काम करने वाले लोग हो, चाहे जन प्रतिनिधि हों, चाहे विधायक हों, चाहे मिनिस्टर हों, चाहे एम.पीज. हों, चाहे न्यायपालिका के लोग हों और चाहे मीडिया के लोग हों, उनकी चल सम्पत्ति का तो हिसाब नहीं लगाया जा सकता है लेकिन उनकी अंचल सम्पत्ति का हर राजधानी में सर्वे होना चाहिये। इसका सर्वे करा कर एक कमीशन बहाल करना चाहिये और सब के सामने उसको लाना चाहिये। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। भ्रष्टाचार को दूर करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक दूसरे पर उंगली उठाने से भ्रष्टाचार शिष्टाचार बना रह जायेगा। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाये रखा। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिये पहले विचार होना चाहिये।

लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं। ये चार स्तम्भ चाहे कार्यपालिका हो, न्यायापालिका हो, विधायिका हो या मीडिया हो, इन चारों का सही-सही मूल्यांकन होना चाहिये।

और इसके बाद ही सही रूप से बहस हो सकती है। इस हवाला कांड के अलावा जितने भी और कांड - जैसे चीनी घोटाला, बैंक घोटाला या पिछले पांच साल में आपने जितने घोटाले किये हैं, उन सब का इलाज हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि आजादी के 50 वर्षों के बाद जो कैपिटल टाउन्स है, वहां पर मकानों का सर्वे कराया जाये और कमीशन बहाल होना चाहिये, यह हमारी मांग है। सरकार की गंभीरता तभी मानी जायेगी। सभापति महोदय, हवाला के मामले पर मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन आप बार बार घंटी बजा रहे हैं तो मेरा बोलने का क्रम टूट रहा है इसलिये एक दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

सभापति महोदय, उस दिन मणि शंकर जी बोल रहे थे कि जनता दल के लोग अमीबा और हाईड्रा की तरह है जो दल-बदल करते हैं। शायद उनको यह मालूम नहीं कि वही दल आजादी से पहले और उसके बाद तक कांग्रेस था वह धारा ऐसे लोगों की रही है जो कभी एस.एस.पी., पी.एस.पी. लोक दल, जनता पार्टी और जनता दल बना है जिसका नेतृतव आचार्य नरेन्द्र देव, डा. राम मनोहर लोहिया, स्व. कर्पूरी ठाकुर और चौ. चरण सिंह जी किया करते थे। वे इस बात के लिये चैलेंज करते थे कि कहीं भी किसी जगह पर उन लोगों के नाम एक इंच जमीन भी दिखा दें। कहीं उनके नाम मकान नहीं था। यहां पर उस डायरी में श्री शरद यादव का नाम लिया गया। यह तो न्यायालय की जांच से पता चलेगा कि वे तो एक गरीब फक्कड़ आदमी की तरह रह रहे थे जिसके नाम एक इंच जमीन भी नहीं है। हालांकि यह न्यायालय की बात है जिसे मैं ज्यादा उठाना नहीं चाहता हूं। यह मामला तो वह तय करेगी। इसलिये इस सवाल पर हमारे रामो-वामो की तरफ से अमेंडमेंड दिया गया है। हवाला मामले पर यह सरकार बुरी तरह से विफल रही है। सरकार ने अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया है। सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पिछले चार सालों से इस सरकार की वजह से यह हश्र हुआ है। देश और संसद की गरिमा और मर्यादा को घटाया है जिसके कारण सरकार पूरी तरह से विश्वसनीयता खो चुकी है। इसलिये इस सरकार के खिलाफ और ज्यादा क्या कहूं?

सभापति महोदय, अंत में सत्ता में बैठे हुये लोगों से एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

शीशे के शासन में पत्थर की गवाही है,

क़ातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है॥

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि समय की कमी है और समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुये इस विषय पर कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से इस सदन में अनेक प्रकार से बहस चली आ रही है लेकिन कभी सदन को बंद करके और कभी इस्तीफा की मांग करके यह राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये हुये किसी अभियान को लेकर नहीं आया है।

यह मामला नहीं आता अगर 1991 में कुछ पुलिस के अधिकारी कश्मीर में जो आतंकवादी बाहर से पैसे लाते थे, जिसे हथियार खरीदने या और ढंग से इस देश को परेशानी में डालने के काम में लगाते थे, उन्हें न पकड़ते। पुलिस के कुछ जवानों द्वारा दिल्ली शहर में उन अपराधियों को पकड़ने से इस समूचे काण्ड की शुरूआत होती है। यह बात सही है कि 1987 से राजनैतिक नेताओं को, सरकारी अधिकारियों को, अनेक सार्वजनिक उद्यमों के बड़े अफसरों को पैसे मिलते रहे। 1989-90 में सबसे अधिक पैसे बंटे। लेकिन अगर कश्मीरी आतंकवादियों का पीछा करने में हमारी पुलिस नहीं लगी होती और उनमें से दो-तीन लड़कों की गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो आज इतने बड़े विषय की बहस इस सदन में नहीं होती और जो शब्द यहां पर इस्तेमाल में आते हैं कि आजादी के बाद इससे बड़ा कोई कांड नहीं हुआ, समूचे देश को बड़ी आपत्ति में डालने वाला कांड यह बना, ये बातें हमारे सामने नहीं आती। मैं इसलिए सबसे पहले इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग यह समझ ले कि यह अचानक सामने आया हुआ मामला है, मगर एक मौके के तौर पर यह मामला हमारे हाथों में आया है कि क्या 1987 से लेकर लगभग पिछले साल तक एक ऐसे परिवार जिसके मुखिया एस.के. जैन हैं, जो किसी पहले कांड में फंसे हुए व्यक्ति ही नहीं है। इस सदन में शायद बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगा शंकर गुहा नियोगी के बारे में। छत्तीसगढ़ में वह मज़दूरों के सवालों को लेकर उनकी लड़ाई का नेतृत्व करने वाले एक मज़बूत सामाजिक राजनैतिक और मज़दूर आंदोलन का कार्यकर्ता था। उसे जान से मारा गया चूंकि वह सबसे गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रयत्नशील था। उसको जान से मारने के बाद जिन दो लोगों के नाम सामने आए थे, उनमें एस.के. जैन थे और एक बहुत बड़ा शराब का कारखाना चलाने वाले केडिया नाम के व्यक्ति थे। इस सदन में उनके बारे में सवाल उठे थे और सदन से बाहर उससे ज्यादा सवाल उठे थे, लेकिन न एस.के. जैन को और न केडिया को कुछ हुआ क्योंकि उनके रिश्ते अनेक स्तरों पर बने हुए थे जिसकी जानकारी थी और वह पैसे के ही रिश्ते थे। और किसी भी प्रकार के रिश्ते नहीं थे। फर्क इतना ही था कि आज विदेशी पूंजी भी उनके हाथों से यहां पर आती थी, यह सिद्ध हो गया। पहले इसकी जानकारी किसी को नहीं थी।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहूंगा कि जो इनकी डायरी मिली, इसमें किसी एक पार्टी के ही नेताओं का नाम होता, वह सत्ताधारी

पार्टी हो सकती थी, जो आज वहां पर बैठी है। हम लोग यहां जितने हैं जिनमें से कुछ लोग तो आज यह कह रहे हैं कि हमारे हाथ किन्ही चीजों में लगे ही नहीं हैं, हमें पैसा मिला ही नहीं है, हम लोग बहुत ही साफ-सुथरे हैं, विशेषकर हमारे सामने बैठे हुए दो वामपंथी नेताओं ने अपने भाषण में बार-बार इस चीज को कहा है।

लेकिन अगर इस कांड में कोई एक ही पार्टी का नाम होता और यहां के लोगों का होता तो वहां के लोग उठाते और वहां के लोगों का ही अगर होता तो यहां के लोग उठाते। यह सब हम लोगों को नकारना नहीं चाहिए क्योंकि जानकारी तो मिली थी। सबसे पहले मिली थी श्री नरसिंह राव को, वह अब यहां नहीं है, वह जवाब नहीं देने वाले हैं चूंकि वह प्रधानमंत्री बने हैं। जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में 1991 में गिरफ्तारी हो गई। 21 मार्च 1991 को एस.के. जैन के फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा। तीन मई को जो डी.आई.जी. इनको गिरफ्तार कर रहा था, ओ.पी. शर्मा उनका नाम है, उन्हें नौकरी से निलम्बित करके उन पर मुकदमा चलाने की दिशा बन गई। 26 जून को श्री नरसिंह राव प्रधान मंत्री बन गये। सात जुलाई को श्री नरसिंहराव प्रधानमंत्री के नाते सी.बी.आई. के मुखिया बन गये। सी.बी.आई. पर सम्पूर्ण अधिकार उनका है और अध्यक्ष जी अगर मुझे आज प्रधानमंत्री यहां खड़े होकर या बाहर जहां भी या उनकी ओर से कोई और मंत्री यह कहे कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी 1991 में, तो मैं फिर यह मानूंगा कि यह प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पद पर बैठने लायक व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जब आप प्रधान मंत्री के स्थान पर जाते हो तो सबसे पहले आप अपने साथियों को भी नहीं बुलाओगे, आप खुफिया विभाग को लोगों को बुलाओगे। सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति है उनको बुलाओगे। उनसे पूछेगे कि बताओ कहां-कहां, क्या-क्या है और आज मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो मुझ पर ही कौन लोग तत्काल हल्ला बोल करने की सोच रहे हैं और अगर ये भी आपको नहीं पूछना कि आप तो मजबूत व्यक्ति है आपको इन चीजों की परवाह नहीं है। आप बहुत ही स्थितिप्रज्ञ व्यक्ति है तब तो आप कम से कम इतना जानने के लिए कि देश के सामने क्या-क्या खतरे हैं। आप तो जरूर इनको बुलाकर पूछते और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे पास लिखित सबूत नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं कि प्रधान मंत्री की गद्दी पर जिस दिन प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे, उन्होंने सी.बी.आई. के मुखिया को बुलाया था और उसी दिन सी.बी.आई. के मुखिया ने उनको बताया था कि हवाला कांड है, इसमें इन-इन लोगों के नाम है। सबसे ऊपर एक नंबर पर उस व्यक्ति का नाम है जो पहले से पहले के प्रधानमंत्री बनकर यहां पर बैठे थे, उनका और उनके खास आदमी का नाम है, दोनों मिलकर साढ़े 12 करोड़ रुपये का पैसा पाये है। प्रधान मंत्री को जुलाई महीने की 8-9 तरीख को इसकी पूरी जानकारी दी गई लेकिन उसके साथ यह भी बताया गया अनेक दलों के नेताओं का भी इसमें नाम है और ऐसे भी लोगों का नाम है जो आपके बहुत ही नजदीकी लोग हैं और वहां से वह मामला किस तरह से दबाने का काम हो, वह हो गया। अब अगर कोई यह कहे तो फिर यह प्रधानमंत्री ने दबाया। केवल प्रधानमंत्री ने नहीं दबाया। यह मामला उजागर एक कमेटी से हुआ था जब ब्लिट्ज में बम्बई का एक लेख दिखाया, लेकिन नाम नहीं बताये, ये सारी चीजें बताई। लेकिन 1993 में अनेक कारणों को लेकर तब एक टी.वी. का पत्रकार जो वीडियो भी बनाता है कालचक्र, तब उनके हाथ में यह जानकारी आई इसलिए कि ओ.पी. शर्मा अपनी जान बचाने के प्रयास में थे। उनका यह कहना था कि मैं बहुत निर्दोष व्यक्ति हूं और जानबूझकर मुझे पकड़ रहे हैं। उनका यह कहना था कि करोड़ों रुपये का मामला है और फिर आरोप है कि 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये घूस लेकर हम सौदा करने के लिए निकले थे। अगर मैं सौदा करने के लिए निकला था। चूंकि प्रधानमंत्री से लेकर काफी प्रधानमंत्री हो गये, दर्जनों ऐसे लोगों के इसमें नाम है जो मुझे कभी भी एक-एक करोड़ रुपया दे देते, या ज्यादा ही देते और यह बात हुई 1993 के जुलाई महीने में। जब वह कालचक्र का वीडियो बन गया तो उसे सेंसर ने क्लिअर नहीं किया और यह कहकर क्लिअर नहीं किया कि एक मरे हुए प्रधानमंत्री का इसमें नाम है और यह नाम इसमें नहीं रह सकता है। मामला सेंसर बोर्ड के सामने आया, अपीलेट के सामने आया। बम्बई हाईकोर्ट के जस्टिस लेन्टिन ने जजमेंट दे दिया और कहा कि यह कालचक्र का जो वीडियो अंक है, वह बाहर जाना चाहिए, इसको सेंसर रोक नहीं सकता है।

ऐसा कहकर वह प्रकाशित हुआ। तब वह मामला पुलिस सुप्रीम कोर्ट में आया था। नामों की चर्चा सार्वजनिक हो चुकी थी। मुझसे जो पुलिस अधिकारी मिला था, उसने मुझसे मिलने के लिये समय मांगा, मेरे घर पर आने का वायदा किया। जिस दिन उसने आना था, वह बहुत घबरा गया और बोला कि बहुत खुफिया मेरे पीछे है कही बाहर आकर मिलिए। वाइल्ड लाईफ फाउन्डेशन नाम की एक जगह है जहां कारगिल की लड़ाई को लेकर एक पत्रकार परिषद हो रही थी, वह आदमी वहां आकर मुझसे मिला क्योंकि कोई और जगह नहीं मिली थी। दो कारों के बीच में दो फुट की जगह थी वही खड़े होकर आधे घंटे तक बात की। दस्तावेज उसने मुझे बताये। हमने प्रधानमंत्री को लिखा। यह मैं 1993 की बात बता रहा हूं। यानी उस वक्त मालूम था लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने सोचा कि उसमें बहुत से नाम हमसे सामना करने वालों के है, उनमें एक नाम ऐसा है जो आगे काम में आ जायेगा।

मैंने पांच साल पहले ही कहा था इस सरकार के बारे में कि यह एक ही चीज पर जी रही है - बैलेंस ऑफ ब्लैकमेल - तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, तुम मुंह खोलोगे तो मैं भी मुंह खोलूंगा। जिस तरह बैलेंस ऑफ टैरर अमेरिका और रूस के बीच में चलता रहा, वैसा ही बैलेंस ऑफ ब्लैकमेल यहां राजनीति में चलता रहा। उन्हें मालूम था कि जब 10 नम्बर से कोई चिल्लाएगा, उस समय हम कहेंगे कि खबरदार अगर बहुत चिल्लाओगी तो यहां नाम है और मामूली राशि नहीं है - दो करोड़ और साढ़े दस करोड़ - भारी मामला है, इसलिये जरा सम्भल कर रहो। अगर अर्जुन सिंह जी चिल्लाएंगे तो ठीक है, समय आने पर बता दूंगा कि चुप रहो, वर्ना यहां पर नाम है।

सभापति जी, इस तरह सब चलता रहा और इस मामले पर कुछ वहां से नहीं हुआ। यहां की बात बहुत भिन्न है लेकिन यहां के लोगों ने सोचा, उनके आपस में इतने विवाद थे, इतने फंसे हुए थे कि वे कभी उसे बाहर लाने की हिम्मत नहीं करेंगे और गलती वहीं हो गई। यह कटु है मगर सत्य है क्योंकि कोई यह कैसे कह सकता है। अभी जनवरी में मालूम हुआ जब मधु लिमये का एक लेख उस अखबार में छपा जिसे सोमनाथ बाबू निश्चित ही पढ़ते होंगे - मेनस्ट्रीम के 12 नवम्बर की तारीख में वह लेख आया। मधु लिमये ने उसमें किसी के नाम नहीं छोड़े। मैं उसकी फोटोकॉपी मात्र लाया हूं। उसमें किसी का नाम नहीं छोड़ा, करीब 100 नाम हैं, जिसमें राजनीतिज्ञों के नाम, नौकरशाहों के नाम, सरकारी अफसरों के नाम, पब्लिक सैक्टर के लोगों के नाम सब उसमें है। हमसे किसी ने कहा कि मेनस्ट्रीम कौन पढ़ता है - मेनस्ट्रीम की लगभग 15000 कापियां चलती है और जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों, उसे पढ़ते हैं। निखिल चक्रवर्ती प्रधानमंत्री के विशेष मित्रों में से हैं और कई मामलों में उनको बचाने वाले है। किसको मालूम नहीं था। मधु लिमये ने इस लेख को 12 नवम्बर को लिखा था और उसी 12 नवम्बर को हमने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बहुत लम्बे पत्र के साथ भेजा। वह प्रकाशित पत्र है, जिस पर मधु लिमये के दस्तखत है, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। मैं उसके कुछ जुमले यहां पढ़ना चाहता हूं क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम बहुत दूध के धुले हैं, साफ और पवित्र हैं, तो उन्हें पता लगना चाहिये कि उसमें कितना दूध और कितना पानी है। सारा पत्र मैं नहीं पढूंगा, काम के दो-तीन जुमले पढूंगा। आप चाहे तो औथेन्टिक करके इसे यहां का दस्तावेज भी बना सकते हैं।

[अनुवाद]

प्रिय विश्वनाथजी,

''आपकी वैयक्तिक वित्तीय सत्यनिष्ठा पर किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया है। निश्चितरूप से, मैंने तो कभी नहीं, लेकिन यह मामले का अन्त नहीं है। आपने 11 महीनों तक प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली। आपने दावा किया है कि आपके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। लेकिन मुझे तो कुछ और ही पता चला, यहां मुझे उन सबके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन संलग्न लेख में राजनीतिज्ञों को दिये गए गैरकानूनी धन की राशियों और तिथियों को दिया गया है।''

''जब मैंने विद्युत विभाग में जो हो रहा है या उसकी कुछ कहानियां सुनी - और विद्युत की अत्यधिक कमी के बारे में बहुत अधिक जागरूक होने के कारण - मैंने जाहिन मलिक के माध्यम से आरिफ को कहलवाया कि वे आपको कहें कि उन्हें विद्युत विभाग से कार्यमुक्त कराएं लेकिन उन्होंने जाहिन मलिक को कहा: ''आपको पता है विद्युत विभाग में क्या है? मैं इसे नहीं बदलूंगा।''

संलग्न लेख दर्शाता है कि आरिफ राजनीतिज्ञों में से सबसे अधिक काला-धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। क्या उन्होंने आपको उपहार वितरण के बारे में बताया था और क्या आपने इसका अनुमोदन किया था? मैं यह सोचना पसंद करता हूं कि आप बिल्कुल जानते थे कि आपने अनुमोदन नहीं किया था। आप इस बारे में चुपचाप नही रह सकते हैं आपको इसकी अनुमति भी नहीं दी जायेगी। कृपया अवसर के अनुकूल काम करें और यह मांग करते हुए प्रधानमंत्री को इस आशय का वक्तव्य जारी करें कि जैन-बंधुओं को गिरफ्तार किया जाए और उनसे बेरहमी से पूछताछ की जाए और आपके भूतपूर्व मंत्रियों और साथियों समेत जिनका नाम जैन डायरी में है, सभी धन पाने वालों की जांच भी की जाए इससे स्टॉक बाजार घोटाले के मामले में कार्यवाही करने के लिए जोरदार मांग को न केवल बल मिलेगा बल्कि एक नया नैतिक आधार भी मिलेगा।''

[हिन्दी]

इसका जवाब नहीं आता है। मधु लिमये आज नहीं है लेकिन मुझे मालूम है कि जब-जब वी.पी. सिंह जी की सरकार पर आपत्ति आती थी तो मधु लिमये की मदद ली जाती थी। फिर वह चाहे आर.एस.एस. से बात करने के लिए हो या बी.जे.पी. से रिश्ता बनाये रखने के लिए हो या और किसी मामले में किसी तरह की परेशानी से बचाने का हो, मधु लिमये को इस्तेमाल किया जाता था।

सभापति जी, जब इसका जवाब नहीं आता है तो 12 दिसम्बर, 1994 को ठीक एक महीने के बाद मधु लिमये फिर एक पत्र लिखते हैं।

[अनुवाद]

''प्रिय विश्वनाथजी

अब तक, आपने 12 नवम्बर, 1994 का मेरा पत्र और संलग्न **मेनस्ट्रीम** लेख जिसका शीर्षक **राजनीतिक प्रणाली धोखेबाजों की बंधक है** था, अवश्य पढ़ लिया होगा। आपके सुरक्षा गार्ड ने मेरे संदेशवाहक को विधिवत रसीद दी थी। इसमें उठाये गए मुद्दे से निपटने की बात तो दूर रही आपने मेरे पत्र की पावती भी नहीं भेजी। न ही आपने हवाला कांड में पूरी जांच की मांग की है यद्यपि यह कहा जाता है कि जन मोर्चा के आपके निकट सहयोगियों और मंत्रिमंडल सदस्यों ने काला धन प्राप्त किया था। मैंने उसके लिए आपको छूट दे दी क्योंकि आप बीमार थे और मैंने प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। हो सकता है कुछ व्यक्तियों के पत्रों का उत्तर न देना आपका तापनाभिकीय हथियार हो। लेकिन मैं आपको नम्रतापूर्वक सुझाव दे सकता हूं कि यह राष्ट्रीय हित में है कि आप बोलें। भ्रष्टाचार के मुद्दे के आधार पर ही आपको सत्ता प्राप्त हुई थी।''

आगे यह लिखा हुआ है:

''हम सब संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट में सूचीबद्ध बातों के लिए श्री नरसिंह राव को संवैधानिक रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं और जो कुछ भी उनके शासनकाल और उस दौरान घटित हुआ। लेकिन मैं पूछता हूं क्या वह और आप संविधान से ऊपर है?''

[हिन्दी]

आपको भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक पैसा आपके प्रधानमंत्री रहते हुए आपके मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को मिला था। इसका भी जवाब नहीं है। इसके ठीक चार सप्ताह बाद मधु लिमये का देहान्त हो गया। लेकिन इसको मैं आज केवल यह बताने के लिए नहीं कह रहा हूं कि मधु लिमये के साथ क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि मालूम था, नाम आए थे, देश में चर्चित थे, लेकिन न वहां से कोई आवाज उन लोगों ने उठायी और न यहां से हममें से किसी ने आवाज उठाने की सोची। जो साफ-सुथरे हाथ वाले है, बिलकुल धुले हुए हैं उन्होंने भी नहीं सोचा कि इस पर बोलना चाहिए।

अभी देवेन्द्र प्रसाद जी ने रामो-वामों के लिए कहा। रामो की धूम कैसे है, उसका मुह फंसा हुआ है। वामो के अपने हाथ कितने शुद्ध हैं। हम सबको और दुनिया को बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं बोले? पांच साल हो गए। पांच साल छोड़िए, पिछले तीन साल। तीन साल छोड़िए, पिछले नवम्बर, 1994 से मधु लिमये के उस लेख के छपने के दिन से क्यों चुप रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर): आपको याद होना चाहिए, इस मामले को लोक सभा में उठाया गया था। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: इस सदन में कोई भी चीज उठाने से कुछ होता है? उठाना चाहिए देश में, जैसे आज लड़ाई जारी है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर): सभापति-जी, हम लोगों को तो उपदेश देने का बहुत ही ज्यादा अधिकार है, लेकिन क्या जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, तो क्या माननीय सदस्य उस सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री नहीं थे और क्या जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके सबसे महत्वपूर्ण सलाहकारों में से ये नहीं थे? ... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज: ठीक है, सभापति जी, उस समय हम मंत्री थे। अब सलाहकार थे या नहीं, यह उनको मालूम होगा।

सभापति महोदय, यह बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि यहां पर जो बहस चल रही है, उससे हम बहुत परेशान है। हमारी परेशानी इसलिए है कि हम यह मानते हैं कि यह जो सारा चल रहा है और जो मामला आज देश के सामने है, जो हवाला कांड है, जो सबसे भयावह कांड के तौर पर है, उससे एक ऐसी भावना देश के सभी लोगों में बन गई है कि हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार तो बन ही रहना है और ये एक-एक कांड जो होते हैं, वे जैसे टी.वी. सीरियल के ऐपीसोड होते हैं, 13, 26, 52 या 104 या फिर कुछ एसीसोड ऐसे होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती, वे चलते ही रहते हैं, उसी प्रकार यह चलता रहेगा। एक ऐसी आम भावना, देश के लोगों में बनी है और यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

सभापति जी, आज लोक सभा का आखिरी दिन है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर): महोदय, क्या मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

सभापति महोदय: उनके सहमत होने पर ही आप कृपया

उनसे प्रश्न करें।

श्री लोकनाथ चौधरी: जब श्री मधु लिमये ने यह पत्र और लेख लिखा था, क्या उस समय माननीय सदस्य जनता दल में थे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जी नहीं, मैं नहीं था ... (व्यवधान) जी नहीं महोदय, मैं जनता दल में नहीं था ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। ...

...(व्यवधान)...

श्री श्रीकांत जेना: महोदय, जो बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि यह किसी व्यक्ति का निजी पत्र था ...

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह पत्र निजी रूप से लिखा गया है।

श्री श्रीकांत जेना: महोदय, वह किसी ऐसे पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजा गया था, जो इस सभा का सदस्य नहीं है। यह कोई उचित ... (व्यवधान) उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, उन्होंने क्या कार्यवाही की थी. उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है अथवा नहीं - यह सभा के कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। यह उचित नहीं है ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: फर्नान्डीज जी, कृपया एक मिनट रुकिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं इसे सत्यापित करके पेश करूंगा।

श्री श्रीकांत जेना: जी नहीं महोदय, यह पत्र तो हो सकता है लेकिन श्री वी.पी. सिंह ने जवाब दिया है अथवा नहीं. यह आरोप माननीय सदस्य इस सभा में किस प्रकार लगा सकते हैं कि श्री वी.पी. सिंह ने उसका जवाब नहीं दिया?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जी नहीं, मैं यह बात जानता हूं।

श्री श्रीकांत जेना: यह कोई प्रश्न नहीं है। आप व्यक्तिगत तौर पर यह बता रहे हैं। यह सभा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जी हां, मैं सभा को बता रहा हूं।

श्री श्रीकांत जेना: अगर आप वी.पी. सिंह जी पर कोई आरोप लगाते हैं तो यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय: फर्नान्डीज़ जी, क्या आप अपनी बात कह चुके हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जी नहीं महोदय।

सभापति महोदय: जेना जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। फर्नान्डीज़ जी, एक मिनट रुकिये।

अब, वे प्रश्न उठाये जा रहे हैं। सभी सदस्यगण कृपया इस बात को याद राखें। कृपया ऐसे प्रश्न मत कीजिये जिनके जवाब प्रत्येक सदस्य को मालूम हैं।

श्री श्रीकांत जेना: जी नहीं, मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं बल्कि यह प्रश्न तो विशेषाधिकार का है।

सभापति महोदय: जी नहीं। उन्होंने कुछ अनुचित नहीं किया है। ...

...(व्यवधान)...

श्री श्रीकांत जेना: सभापति महोदय, ...

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। ...

...(व्यवधान)...

श्री श्रीकांत जेना: सभापति महोदय, क्या यह उचित है कि वे किसी ऐसे पत्र का उल्लेख करें, जो श्री मधु लिमये ने पूर्व प्रधानमंत्री को लिखा था, जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं? और उन्होंने उस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया जो एक सदस्य ने उठाया था और जबकि कोई भी उसका जवाब देने के लिए नहीं है? क्या यह अनुचित नहीं है? महोदय, यह बहुत ज्यादती है।

सभापति महोदय: आपकी रुचि प्रश्न करने में है या उत्तर प्राप्त करने में? ...

...(व्यवधान)...

श्री अब्दुल गफ्फूर: महोदय, अगर मैं कोई पत्र लिखता हूं...

सभापति महोदय: जी नहीं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? आप अपना प्रश्न पहले ही रख चुके हैं।

...(व्यवधान)...

श्री अब्दुल गफ्फूर: यह एक अलग बात है।

सभापति महोदय: कृपया ऐसा मत कीजिये।

श्री अब्दुल गफ्फूर: यदि मैं प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखता हूं तो इससे जेना जी का क्या संबंध है। यह अलग चीज है ... (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना: श्री मधु लिमये ने यह पत्र उस समय नहीं लिखा था, जब श्री वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे ... (व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया व्यवधान मत डालिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। ...

...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। ...

...(**व्यवधान**)...

श्री नीतीश कुमारः पिछली बार भी उन्होंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी। और इस बार भी वे किसी को नहीं बोलने देना चाहते। यह सब क्या है? ... (**व्यवधान**)

सभापति महोदयः नीतीश कुमार जी, अध्यक्षपीठ की ओर से आपको अब बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री नीतीश कुमारः वे क्या कर रहे हैं? क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? ...(**व्यवधान**)

सभापति महोदयः यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको अध्यक्षपीठ की अनुमति नहीं है। ...

...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदयः कृपया इसे याद रखिये कि हमारे पास समय की कमी है और तीन-चार सदस्यों को बोलना है। माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अभी तक कोई अनुचित टिप्पणी नहीं की है।

श्री जार्ज फर्नान्डीजः धन्यवाद महोदय।

सभापति महोदयः उन्होंने केवल एक पत्र का उद्धरण दिया है, जो किसी साप्ताहिक में छपा था और वह इसे सत्यापित करने और सभा पटल पर रखने के लिए भी राजी हो गए है। कृपया ऐसे असंगत प्रश्न मत कीजिए। सदस्य महोदय अपनी बात जारी रख सकते हैं। बशर्ते आप अन्य सदस्य से सहमत हैं, तो आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री श्रीकांत जेनाः सभापति महोदय, मुझे इस पर घोर आपत्ति है। उन्होंने एक पत्र का संदर्भ दिया है ... (**व्यवधान**)

सभापति महोदयः आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री श्रीकांत जेनाः महोदय, अगर वह पत्र उद्धृत करके श्री वी.पी. सिंह जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं, की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं, तो यह उचित नहीं है। ... (**व्यवधान**) वह आरोप लगा रहे थे कि इस मामले को इस सभा में किसी ने भी नहीं उठाया। अगर उन्हें 1992 से ही इस मामले की जानकारी थी और इसकी जानकारी उन्हें एक सम्मेलन में किसी पुलिस अधिकारी ने दी थी, तो वह चुपचाप क्यों बैठे हुए थे? अब, वही आरोपों मैं उन पर लगाता हूं : "उन्होंने उसी समय इस मामले का उल्लेख क्यों नहीं किया?"

सभापति महोदयः जेना जी, क्या आप सदस्य को बोलने का अवसर देंगे?

श्री श्रीकांत जेनाः वह दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, स्वयं प्रश्न नहीं कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

सभापति महोदयः आप यह सब अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना ही कर रहे है और आपके विचार में यह सब ठीक है। यह सही नहीं है। अगर इस सभा में कोई अनुचित बात की जाती है, तो उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीकांत जेनाः इस सभा में प्रत्येक सदस्य की बात गलत है क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। चूंकि बिल्कुल आखिरी क्षणों में श्री जार्ज फर्नान्डीज यह मामला उठा रहे हैं, इसलिए, वह सही हैं। इसीलिए उनकी बात सही है और बाकी सभी की गलत। वह यही दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदयः फर्नान्डीज जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आज इस सभा का अंतिम दिन है। माननीय श्री जेना, आप एक पार्टी के नेता हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अध्यक्ष के स्थान पर चाहे जो भी व्यक्ति विराजमान हो, उनके विनिर्णय पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। आज आपने एक मामला उठाया है। मैंने विनिर्णय दिया है कि माननीय सदस्य ने जो भी उद्धरण दिया है, उसे उन्हें सत्यापित करके सभा में रखना चाहिये। उस प्रश्न पर और चर्चा नहीं की जायेगी यह अध्यक्षपीठ का अंतिम विनिर्णय है। कृपया समझने की कोशिश कीजिये। फर्नान्डीज जी, अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीजः अध्यक्ष जी, श्रीकान्त जी हमारे ऊपर बहुत गुस्से में है। हम उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि हमको थोड़े समय में ही अपनी बहस खत्म करनी है। इसलिए हम अभी उस बहस में नहीं जाएंगे। जिस रूप से हम बहस चला रहे हैं, जिन कारणों से इस प्रकार के कांड होते हैं, जैसे यह परिस्थिति निर्माण हुई, इस पर हम कैसे काबू पाएं, इस दिशा में कोई खास विचार यहां पर हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मैंने यहां पर सभी के भाषण सुने है और उनको दुबारा एक बार पढ़ा भी है लेकिन मुझे यह नहीं दिखाई दिया कि एक बार फिर इस प्रकार की स्थिति न बने, इसके लिए कौन से ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं। एक बात बार-बार आ रही है कि यदि हम चुनावी फंड सिर्फ खजाने से निकाले तो फिर हिन्दुस्तान में जो सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, वह मिट जाएगा। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप कितना समय और लेना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं 10 मिनट और लूंगा।

4.59 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मुझे इस बात पर कतई विश्वास नहीं है कि यदि सरकारी तिजोरी से राजनैतिक नेताओं को या चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को पैसा मिल जाए तो उसके चलते देश में भ्रष्टाचार मिट जायेगा और देश में साफ-सुथरी राजनीति की शुरूआत हो जायेगी। भ्रष्टाचार और चुनाव का कोई रिश्ता है, यह सिद्धान्ततः मुझे मंजूर नहीं है। भ्रष्टाचार और चुनाव का अर्थ यदि हम लगाने जाएं तो इतना ही अर्थ होगा कि राजनैतिक लोग भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको चुनाव के लिए पैसा चाहिए। तो फिर नौकरशाह क्यों भ्रष्ट हो रहे है? जिन लोगों को जैन के हवाले से पैसा मिला, उसमें सरकारी अधिकारियों की संख्या, उनको मिली हुई रकम, अनेक प्रकार के उद्योगों में लगे हुए लोग, उनको मिली हुई रकम,

5.00 म.प.

कोई मामूली आदमी नहीं है, तो वह कौन से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसलिए भ्रष्टाचार और चुनाव को साथ जोड़कर हम लोगों को हिन्दुस्तान में लोकतंत्र को इस तरह से यहां सड़क पर घसीटने की बात नहीं करनी चाहिए, यह मेरी अपनी राय है। इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव में आज जो खर्च हो रहा है, उस खर्च में साधारण पार्टी, साधारण व्यक्ति आज टिक नहीं सकता है तो वह चीज ऐसी ही बनी रहे, यह मेरे कहने का मतलब नहीं है। मगर हम इस बहस को अगर सही ढंग से देखना चाहेंगे तो फिर भ्रष्टाचार को हम लोगों को चुनाव से हटाना चाहिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अनेक ऐसे मामले आज देश में हैं, जिनका किसी भी प्रदेश में, किसी भी पार्टी का, किसी भी चुनाव में कोई मतलब ही नहीं है।

अभी चन्द दिन पहले गुजरात सरकार का एक मामला निकला। जसपाल सिंह नाम के वहां पर एक मंत्री है, तेल माफिया पैट्रोल, डीजल, कैरोसीन पाइप लाइन को तोड़कर निकालकर शहर के बाहर अलग एक इल्लीगत रिफाइनरी लगाकर एक अर्से से वहां पर भ्रष्टाचार का और माफियागीरी का एक धन्धा चला है, जिसमें अंदाजन साल में कम से कम 500 करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। सरकार का सेल्स टैक्स लूटा जा रहा है, तेल का पैसा लूटा जा रहा है और हम जानते हैं कि जब जसपाल सिंह ने, जो उस प्रदेश के एक मंत्री हैं, इस कांड को उठाया तो उनके साथ उस माफिया ने क्या किया, वह हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ इस सरकार ने भी क्या किया, वह भी हम जानते हैं। मेरे पास में उन के मामले के समूचे दस्तावेज है। आठ दस ऐसे माफिया गिरोहों की उन्होंने गिरफ्तारी कराई, कुछ लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, होने थे, उन्हें जेल भेजना था, यहां से केन्द्र सरकार से आदेश गया, उस समय के जो सिविल सप्लाई मंत्री थे, उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई करो, जो गिरफ्तार है और जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई थी, जिनको अभी जेल नहीं भेजा गया था तो वहां जेल को आदेश जाता है कि इन लोगों को रिहा करो, जबकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हवाला, 62 करोड़, देश का क्या होना है, एक गुजरात में आज के दिन जितने डाकुओं को वहां की सरकार ने गिरफ्तारी किया था, यहां की सरकार ने पिछले तीन महीनों में उन सब को रिहा कराया। सुबह पकड़े गये, शाम को रिहाई, आज रात को पकड़े गये, सुबह रिहाई। दस्तावेज में एक-एक का नाम है, पूरी जानकारी है।

हम लोग हवाला-हवाला बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, राजनीति और चुनाव। कौन सा राजनैतिक नेता उधर है? एक उस मंत्रिमंडल का जसपाल सिंह है, वह लड़ रहा है, वह सरकार लड़ रही है, यहां की सरकार उनको रोक रही है और हम लोग हवाला से रास्ता निकालने वाले लोग है। कैसे रास्ता निकालेंगे? चूंकि इस कांड में किसी राजनैतिक नेता का हाथ नहीं है, इस कांड में भूतपूर्व जो सरकार वहां पर थी, उसके नेताओं का तो हाथ था, वह निकल गये तो पुराने नये, जो पैसा वहां पर अभी तक साल में 500 करोड़ रुपया एक वर्ष में उठाया था, उसका मामला चल रहा है।

वही तेल माफिया बम्बई में है, कलकत्ता में है। आपके जो तेल मंत्री सतीश शर्मा हैं, क्या इनको मालूम नहीं है? मगर उनसे बोलकर हमें क्या फायदा है। इनपर न्यूयार्क की अदालत में, वहां के सैशंस कोर्ट में मुकदमा है और यह जानते हुए उनको यहां पर मैंत्रिमंडल में रखा दिया। ... **(व्यवधान)** आरोप जो जानते हैं, पैसे का, धांधली का है। ... **(व्यवधान)**

मैं एक उदाहण के तौर पर रख रहा हूं, ताजा अनुभव पर रख रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं अकेले तेल के मामले में मिनिस्टरी आफ पेट्रोलियम के क्लूजन से चार हजार करोड़ रूपये की लूट हो रही है। इस लूट में मैं गैस एजेंसी या पेट्रोल पम्प देने की बात नहीं कर रहा हूं। यह लूट माफिया की तरफ से हो रही है। सरकार और पेट्रोलियम मिनिस्टरी के बड़े अफसर, इंडियन आयल और आयल इंडिया के सबसे बड़े अफसर देश के माफिया के साथ इस काम में लगे हुए हैं। कमेटीज में भी इस प्रकार की जानकारियां दी गई हैं, जिसमें आप भी रहते हैं।

सरकार को लिखित दस्तावेज भी दिये हैं। एक नहीं, अनेक आवेदन दिये हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है और न कुछ होने वाला है। ये माफिया अलग-अलग जगहों पर अपना-अपना राज कर रहे हैं। इसलिए चुनाव का पैसा इनको दे दो तो सब ठीक हो जायेगा, मैं यह नहीं मानता।

भ्रष्टाचार से लड़ना है तो कई उपाय करने होंगे। उपाय करने के लिए इस सरकार को बताना बेकार है, मैं इसके लिए सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन हम सबको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से हिन्दुस्तान आज दुनिया के सामने पेश हुआ है, उसके बारे में थोड़ी बहुत मन में लज्जा हो तो उसको सुधारने के लिए हम लोग कुछ करे, तो कुछ बात होती।

मेरे पास फारच्युन पाक्षिक पत्रिका का अगस्त, 1995 का अंक है। 'हाऊ करप्ट दिस एशिया', किस प्रकार एशिया करप्टो-मीटर है, इस करप्टो-मीटर पर हिन्दुस्तान का स्थान दूसरे नम्बर का है। आन ए स्केल आफ टैन हम सातवें स्थान पर है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): यह कहां छपता है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: यह न्यूयार्क में छपता है। चिदम्बरम् साहब बताते है कि कैसे दुनिया में हम लोगों की पूछ हो रही है, ये बोलते हैं दुनिया को, हम जानते हैं इन दि एशियन करप्टो-मीटर आन ए स्केल आफ टैन हम लोग सातवें स्थान पर हैं। उसके बाद यह इकोनोमिक रिव्यू का 14 सितम्बर, 1995 का इश्यू है। इसमें 48 देशों का हिसाब बताया है कि सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में कौन कहां रहा है। हम लोग 46 वें नम्बर पर हैं। क्या दुनिया नहीं जानती है इन चीजों को? हम लोग यहां बैठकर आपने विवाद और राजनीति चलाकर जैसे कि अभी बहुत धूमधाम से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निकले हैं, क्या दुनिया को पता नहीं है। क्या हम लोगों का देश में सब कुछ ठीक हो गया है? ... (**व्यवधान**) नम्बर एक नहीं होता है। उन्होंने पूरे देशों के नाम नहीं दिये हैं। न्यूजीलैंड है एक नम्बर पर और 48 में से हम 46 वें हैं।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग): फारच्युन में नम्बर क्या है?

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: इंडोनेशिया और चीन 7.31 वें स्थान पर है; और भारत का स्थान। ... (**व्यवधान**)

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी): भ्रष्टाचार का यह पैमाना किसने तैयार किया है? क्या भ्रष्टाचार पर उन्हें कोई विशेषाधिकार मिला हुआ है? ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: बोल रहा हूं। यह जो डावोस जाते हो आप लोग खाने-पीने, वे लोग इसको बनाते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने दस मिनट के अंदर भाषण समाप्त करने का वायदा किया था। ...

...(**व्यवधान**)...

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर ही रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं केवल दो-तीन-मुद्दों को कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं इसकी बारीकी में नहीं जाऊंगा, कुछ मोटी बातें रखूंगा। अगर सही मायनों में भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल करने की बात है।

हम जानना चाहेंगे कि 1996 में यानी जिस साल में अभी हम हैं, आज से दो महीनों में हिन्दुस्तान में लोकसभा की 543 सीटों के लिए इलेक्शन की बात यहां पर कही गई है। अब पता नहीं कि यह सरकार करेगी या नहीं। इसलिए बहिष्कार होगा। कश्मीर का पता नहीं है कि मान लें हम लोग 525-530 सीटों के लिए चुनाव लड़नें जा रहे हैं। समूचे प्रदेशों में जो चुनाव होने हैं, उसमें उत्तर प्रदेश को छोड़कर 1325 विधान सभा की सीटों पर चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एक सीट पर 15 लाख रुपया हर व्यक्ति खर्च कर सकता है। मेरी मान्यता है कि चुनाव आयोग के ही हवाले पर चूंकि उन्होंने कहा था कि एक विधान सभा पर एक करोड़ रुपया खर्च करने वाले लोगों को वह भी जानते हैं। मेरा अन्दाजा है कि अगले दो महीनों में हिस्दुस्तान के चुनावी मैदान में बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी सब मिलाकर कम से कम ढ़ाई हजार करोड़ रुपया खर्च होगा और इसलिए मेरा अन्दाज यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा पांच हजार करोड़ रूपया खर्च होगा। यह पैसा कहां से आयेगा? हम लोग जिस बहस में लगे है, इस बहस से अगर कोई रास्ता निकलने की बात हो तो फिर इस प्रश्न का उत्तर आज इस सदन में देने की स्थिति में आयेंगे। प्रधानमंत्री को हटाओ- ऐसा बोल-बोल कर हम लोग थक गये हैं। मुझे कभी-कभी बड़ा गुस्सा आता है और कभी-कभी बड़ी खुशी होती है। इनको प्रधानमंत्री न बनाओ, यह हम इनको कहते रहे लेकिन इन लोगों को अछूत मानकर उनको प्रधानमंत्री बनने दिया गया था। इस सदन के भीतर, इस सदन के बाहर हम बोलते रहे कि कम से कम फ्लोर कोआरडीनेशन करिये। उनको प्रधानमंत्री बनने मत दीजिये। 202 लोगों को ले आये, 82 लोगों को खरीद लियास। सब चीज चलती रही। आज उसके बैंक में क्या है, कितना है, ऐसा कहकर हम लोग परेशान हैं। लेकिन यह चलता ही रहा। लगातार चलता ही रहा। सब जानते थे कि पम्प जा रहे हैं, ऐजेंसियां जा रही हैं,

जमीनें मिल रही हैं। क्या आपको मालूम था? ... **(व्यवधान)** हम जब जानते है कि आज प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, आज सदन समाप्त हो जायेगा तो वह कल प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मैं उनको कसौटी पर लगाना चाहता हूं कि क्या वह तैयार हैं? क्योंकि वह सारे दलों के नेताओं को बुला लें और यह कहें कि गलत पैसा चुनाव में नहीं आना चाहिए और इसके लिए ये अमुक-अमुक उपाय हैं और चुनाव हो जाये। विचारों की टक्कर है, टक्कर हो जाये लेकिन पैसों की खरीद-बिक्री न हो। क्या वह कहने के लिए तैयार हैं? फिर हवाला बना रहेगा। यह सारी बहस, सारे अखबार, सारा टेलीविजन सब बकवास हो जायेगा। हवाला बना रहेगा। अगले दो महीनों में पांच हजार करोड़रु पया जुटाया जायेगा, खर्च किया जायेगा। हवाला बना रहेगा और कोई इसमें कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज उनके हाथ में सत्ता है वर्ना मैं यह बात अटल जी से कहता हूं, दो महीने बाद जरूर कही जायेगी। मगर आज मुझे उनसे जरूर कहना है कि आपकी नीयत क्या है? इन मामलों में सब की इच्छा जहां तक है, आपकी ईमानदारी कौन सी है क्योंकि आज अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री बहुत होशियार निकले। ... **(व्यवधान)** उन्होंने अपने ही लोगों को जेल भेज दिया ताकि दूसरों को जेल भेजते हुए लोग ऐसा न सोचें कि इसमें जान बूझकर राजनैतिक इरादा था कि अपने ही लोगों को जेल भेज दिया और खुद ऐसे खड़े हो गये कि जैसे वह बहुत साफ-सुथरे हैं। यह हम आज आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रधानमंत्री से कहिये, अपने नेता से कहिये कि अगर सचमुच वह यह कालाधन, यह हवाला कांड जिन पर वह मात करना चाहते हैं, उनकी नीयत अगर साफ हो तो फिर अगले 24 घंटे में या 48 घंटों में सब दलों की मीटिंग बुलाकर अगले चुनाव के लिए पैसे का क्या इन्तजाम होगा, कैसे चुनाव लड़े जायेंगे, कहां से पैसे आयेंगे, यह बात साफ हो जाये। तब हम मानेंगे कि जेल का हवाला सार्थक हो गया। किस को जेल जाना पड़ेगा, किस को राजनीति से हटना पड़ेगा, यह बात आप छोड़ दीजिये। मुझे याद आता है कि 1975 में जब आप मुख्यमंत्री थे और बाबू जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस दिल्ली की सड़कों पर बहुत बड़ा जलसा हुआ था और उन्होंने कहा था कि ''सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है।'' अब इतना ही होगा कि सदन के एडजर्न होने के बाद यह जेल हवाला यहां पर समाप्त हो गया तो जेल हवाला खाली करो और बिहार का पशु-पालन हवाला आ रहा है। बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन मुद्दों पर ईमानदारी से सोचकर जो समस्यायें हैं, इन समस्याओं का सामना करने के लिए खड़े हो जाईये। आप सबको धन्यवाद।

सभापति महोदय: मेरा विचार है, अब चर्चा को समाप्त हो जानी चाहिए। क्या मैं मंत्रीजी से हस्तक्षेप करने के लिए कहूँ?

श्री भोगेन्द्र झा: महोदय, इससे पहले कि वे जवाब दें, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। मैं कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं।

श्री चित्त बसु: माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत कृपालु थे कि उन्होंने हमे बोलने का अवसर दिया। वे उत्तर दे लेकिन मेरी बात भी सुने।

सभापति महोदय: समय नहीं है। कृपया प्रत्येक व्यक्ति केवल 5 मिनट बोलकर हमें अपना सहयोग दें। मैं केवल दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री चित्त बसु: मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आपका ध्यान केवल हमारे देश की जनतंत्रात्मक शासन पद्धति के लिए तथा सरकार की ईमानदारी, नीतियों तथा पारदर्शिता के लिए हवाला मामले की गंभीरताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रश्न केवल इस बात का नहीं है कि कितना पैसा चाहे वह अधिक धनराशि हो अथवा कम धनराशि हो - एक निश्चित समय में एक हाथ से दूसरे हाथ में गया अर्थात एक विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह द्वारा दिया गया। यह इससे अधिक कुछ और बात है। इसका अर्थ है अथवा यह वास्तप में वर्तमान सरकार की और सरकार के माध्यम से जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। यही मुख्य मुद्दा है। अनेक बाते कही गई हैं जैसे कि इससे अमुक आदमी अथवा अमुक आदमी का पता नहीं चला है। यह आवश्यक है लेकिन हम इस महत्वपूर्ण, निर्णायक तथ इस गंभीर मुद्दे को भूल नहीं सकते कि क्या हमारे देश तथा इस जनतंत्रात्मक शासन पद्धति में जवाबदेही होगी। महोदय, जो संसद एक संस्थान के रूप में जवाबदेही के सिंद्धात को भुला देती है, उसे संसद कहलाने का कोई हक नहीं हैं। इसलिए, मुद्दा यह है कि जवाबदेही के सिद्धात की रक्षा कैसे की जाए। इसलिए, मैं समझता हूं कि सभा को हवाला मामले से उत्पन्न गंभीर प्रभावों के पहलू पर अवश्य विचार करना चाहिए।

महोदय, हमें दिनांक 1 मार्च, 1996 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। इस निर्णय ने प्रधानमंत्री को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के प्रशासनिक अधिकार से वंचित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे एक मामूली सी बात समझकर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। उन्होंने कुछ पहले की घटनाओं का उल्लेख करने की कृपा की उन्होंने कुछ पहले की घटनाओं का उल्लेख करने की कृपा की जिसमें केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सीधे न्यायालय के प्रति जवाबदेह माना गया है न कि विभाग तथा प्रधानमंत्री के प्रति। उनका कहना है कि यह तो सरकार की सामान्य कार्य पद्धति है।

महोदय, मुझे यह कहने के लिए क्षमा कीजिए कि यह मुझे स्वीकार्य नहीं है अथवा, मैं समझता हूं कि यह अधिकतर सदस्यों

को भी स्वीकार्य नहीं है। यह एक असामान्य बात है और असाधारण बात है। इसे स्वयं संसद का ही दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता है। मैं फिर कहता हूं यह असामान्य है और असाधारण घटनाएं है। कार्मिक तथा लोक शिकायत विभाग की माननीय मंत्री महोदय श्रीमती मारग्रेट आल्वा को इस गंभीर प्रश्न का जवाब देना है। मुझे उम्मीद है कि वे स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करेंगी।

महोदय, 1 मार्च, 1996 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में देश के प्रधानमंत्री पर सर्वोच्च न्यायपालिका का एक स्पष्ट आरोप है। इस बात को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि उन पर यह एक अभियोग है। किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी सम्मानीय व्यक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका के उक्त अभियोग पर ध्यान नप देना अथवा इसकी उपेक्षा करना, मुझे यह कहने के लिए बाध्य कर रहा है कि यह और कुछ नहीं बल्कि शर्मनाक, निर्लज्जतापूर्ण बात है तथा अपने कर्त्तव्य से विमुख होने वाली बात है। इसलिए भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर ध्यान न दिये जाने की स्थिति को जनता मॉफ नहीं कर सकती।,

महोदज, प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं है। बल्कि वह एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी पहचान एक सामूहिक संस्थान के रूप में है, वह सामूहिक रूप से राष्ट्र के विवेक का प्रतीक स्वरूप है। इसलिए एक प्रधानमंत्री के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान न देना, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा क्षम्य नहीं है और जनता इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

इतनी गंभीर चुप्पी तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा न करना सामान्य रूप से न्यायपालिका की अवमान है तथा राष्ट्र की नैतिक विचार धारा और नैतिक मूल्यों के प्रति अपमानना है। यह एक त्रासदी है कि प्रधानमंत्री इसे एक सामान्य प्रक्रिया तथा सामान्य मामला समझते हैं। कोई भी सुशासित देश इसे कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका का अपमान ही समझेगा।

महोदय, यह देश बोफोर्स से लेकर हवाला मामले तक के घोटालों का गवाह है।

इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया गया है कि वे सच्चाई को छिपाने में भी शामिल थे। हवाला मामलों, सैंट किट्स के धोखा घड़ी के षडयंत्र में, जुलाई 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद-सदस्यों को पैसा देने तथा गोल्ड स्टार कॉड में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तथा निर्णायक रही है। महोदय, मेरा विचार है इस स्थिति में प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए ताकि इस देश में किए गए अपराध की उपयुक्त जाँच की जा सके।

महोदय, इस शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार से तथा विशेष रूप से उन मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हवाला कांड से उठे मामलों के बारे में सरकार की स्थिति स्पष्ट करें।

सभापति महोदयः श्री भोगेन्द्र झा, कृपया पांच मिनट में अपनी बात पूरी करिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झाः सभापति महोदय, समय बचाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी, ने जो कहा है, उन बातों का समर्थन करते हुए, मैं आगे बढ़ता हूं।

महोदय, मैं इन घोटालों से निराश नहीं हूं। हमारे जनतंत्र में, हमारी व्यवस्था शक्ति है, सामर्थ्य है कि हम इसको साबित कर रहे है। वह घोटाला हो, कोई हवाला हो, जो हो, उनको झाड़ने की ताकत हमारे जनतंत्र में है, चाहे वह हवाला इधर का हो या यह हवाला उधर का हो। हमने झाड़ू देना शुरू किया है। इसलिए इस विश्वास के साथ अपनी जनता में, अपने जनतंत्र में, अपने भविष्य में, कम से कम मैं इसको नहीं देखता हूं। ... (**व्यवधान**) मैं आ रहा हूं। उसमें भी आपका हिस्सा है। आशा है, मंत्री जी को यहां बैठायेंगे ... (**व्यवधान**) गौशाला में बड़े हिस्सा वाला यहां मौजूद है, उनकी भी तरक्की आपने मंत्री बना कर के की है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः भोगेन्द्र जी, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए ओर अपनी बात पूरी करे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झाः धन्यवाद हमारे संसदीय जनतंत्र में एक महत्वपूर्ण बात है। तत्वतः यह प्रधानमंत्रीय जनतंत्र है, प्राइमिनिस्ट्रीयल डैमोक्रैसी। एक व्यक्ति के विश्वास और अविश्वास पर सरकार गिर जाएगी और बाकी मंत्री तो अपनी मर्जी से रखते हैं। ऐसी स्थिति में एक मंत्री यानि प्रधानमंत्री के बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिष्ठा का अनुकूल संज्ञा के नाम से नहीं सर्वनाम से कहा है, ताकि संदेह का वातावरण न रहे। सी.बी.आई. से सर्वोच्च न्यायलय से ही ताल्लुक रहेगा, हवाला की जांच तक कोई भी सरकारी तंत्र, राजनेता या कार्य पालिका के कोई अधिकारी से ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि आज सरकार की ओर से बाजाब्ता यह एलान कर दिया जाए कि पटना में कल जो उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है, हो सकता है कि वह मामला सर्वोच्च न्यायालय

में आये, हो सकता है कि न आए, मगर यह सरकार आज एलान कर दे कि पटना में जो जांच होगी, उसमें भारत सरकार का सी.बी.आई. पर कोई भी दखल नहीं रहेगा। सी.बी.आई. पर प्रधानमंत्री का कोई दखल नहीं रहेगा। जैसे हवाला पर सर्वोच्च न्यायालय का हुआ है, वैसे ही वहाँ भी होगा, नहीं तो संदेह बना रहेगा कि भारत सरकार बिहार की जाँच गलत दखल देगी और गलत नतीजा निकलेगा। उस संदेह का यह निकाल दें। अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, तो वही चीज होगी, लेकिन यह भलमनसाहत करें कि आज ही मंत्री जी एलान कर दें कि उसका वही हाल होगा, जो हवाला का हो रहा है। भारत सरकार या कोई भी ऊपर से उसमें दखल नहीं देंगे, ताकि वह संदेह का जो वातावरण बना हुआ है, वह न रहे।

एक चीज का मुझे सदमा है। विपक्षी दल के नेता मौजूद है और अभी जार्ज साहब का भी भाषण हुआ है, क्या चुनाव के खर्चे की कमी है, इस लिए हवाला है। सभापति जी, हम लोगों पर बड़ा कलंक है, हमारे जनतंत्र पर कलंक है, क्या कोई कहेगा कि इस चीज की कमी है, इसलिए मेरे घर में सेंध मारेंगें और पाकेटमारी करेंगे।

मैं कहा रहा हूं कि हमारे जनतंत्र के साथ, जनता के साथ यह अत्याचार है जो चुनाव के साथ हवाला को, घोटाला को जोड़ते है और चुनाव के साथ चोरी को जोड़ते हैं। चुनाव के खर्चे की बात बहुत जरूरी है। ... (व्यवधान) मैं भी हूं, इन्द्रजीत गुप्त जी भी है, हम में से बहुत होंगे, जो चुनाव में लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं मगर यह कलंक हमारे जनतंत्र पर, चुनाव पर लगेगा, मतदाता वोट भी देते हैं और पैसा भी देते हैं और अगर जरूरत पड़े तो गर्दन भी देते हैं। ... (व्यवधान) इनके एक मंत्री ने 12 जून, 91 को हत्या करायी थी तब भी यह हार गए और आज हमारे साथी शहीद हुए। सभी निर्धन थे। पैसे से निर्धन थे लेकिन ईमान के धनी थे। इसलिए कृपा कर ऐसा कोई काम मत कीजिए कि पैसे की कमी है इसलिए हम हवाला करेंगे। पैसे की कमी के कारण हम घोटाला करेंगे, सेंध मारेंगे, यह अत्याचार मत कीजिए। यह जनतंत्र और संविधान के साथ अत्याचार होगा। इसलिए इसको इसके साथ जोड़ने की कोशिश मत करें, अलग-अलग लें।

सभापति जी, यहां जो बातें आई हैं इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जनंतत्र के दो पहलू है। हमारे जनतंत्र में भी द्वंद है। हवाला का होना हमारे जनतंत्र के लिए काला धब्बा है। हवालाइयों का पकड़ा जाना हमारे लिए काली घटा में विद्युत छटा है। बिजली की चमक है हम पकड़ भी सकते हैं। अगर पकड़ते हैं तो घायलों की भरमार हो जाती है। हमारे प्रिय लोग घायल हो जाते हैं। इसीलिए यह द्वंद्व है और इसमें जो विद्युत छटा है उसे हमें तेज करना है। अंधेरे में जो चमक है उसको हमें पकड़ना है, बढ़ाना है, केवल छाती पीटना या निराश नहीं होना है।

सभापति जी, एक चीज पर कम ध्यान दिया गया है। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि प्रसार माध्यम और सदन में भी पैसे खाने का एक पहलू है, कुकर्म है, अत्याचार है तथा देश हित के खिलाफ है, मगर यह पैसा मुख्यतः किस का था। यह आई.एस.आई. का पैसा था। पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग का पैसा था और वह कोई मामूली गुप्तचर नहीं है। पाकिस्तान सरकार को वह नचाता है, वह सी.आई.ए. से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब दें कि उस पैसें में कितना पैसा आई.एस.आई. से आया था और कितना यहां का मामला है? यह देशद्रोह का मामला है, कोई मामूली मामला नहीं है। हमारे कुछ लोगों को ममता है कि हमारे एक मंत्री थे वह कैसे दाऊद इब्राहिम के आतंकवादियों को बचाएंगे और कुछ लोगों को हैरत है कि जो सीधे कमल छाप पर जीत गए वह कैसे दाऊद इब्राहिम के आतंकवादियों को रखेंगे। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: मुझ कुछ कहना है, महोदय।

[हिन्दी]

देखिए, यह बहुत आपत्तिजनक बात है। यह ठीक है कि इस सरकार ने अभी दो सांसदों पर इस किस्म का केस लगाया है। यहां एक मान्यवर सदस्य उन दोनों को अभी से दोषी पा लें और अपनी शैली में, भाव प्रवाह में बह कर आप यह कहने लगे कि कमल की छाप लगा कर आए है, इसमें मेरा कहना यह है कि जो कमल की छाप लगा कर आए हैं उनका दाऊद इब्राहिम से कोई लेना-देना नहीं है, न आज तक रहा है और न ही आगे रहेगा। अभी यह चार्ज सिद्ध होना है, जिन दो सांसदों को वहां लिया गया है उनको केवल इसलिए लिया गया है क्योंकि उन पर चार्ज लगाया है और इस सरकार ने लगाया है। इस सरकार ने किस मकसद से लगाया है यह वक्त बता देगा। आप उनको अभी से दोषी पा लें, यह उचित नहीं है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह काफी है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा: मैं चाहता था यह बात पहले आई होती। ... (व्यवधान) आप यह पहले ही कह देते। कमल का फूल बेदाग रहे, इस दल को मैं चाहूं या न चाहूं, फूल को तो मैं चाहूंगा, लेकिन दाग वाले फूल चुन-चुन कर लिए जा रहे हैं।

अभी जो विधान सभा में इनके नेता हैं उन पर दाग तो पहले ही है। जब हवाला खाए थे तब उस सरकार के मंत्री थे।

वित्त मंत्रालय में थे, जनता दल में थे। फिर एक को देखा कि पकिया खाने वाला है तो उसे ले गये और अपने में जा मिलाया। ... (**व्यवधान**)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): बिहार में क्या स्थिति हो रही है? ... (**व्यवधान**)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आडवाणी जी ने भी इस्तीफा दिया। यह जे.पी.सी. में पूर्व हो चुका है कि 12 हजार करोड़ रुपये ... (**व्यवधान**) आपकी 1962 में क्या भूमिका थी। देशभक्ति का ठेका मत लीजिए। हमारे भी पूर्वजों ने राष्ट्र के लिए जान समर्पित की है। ... (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा: थोड़ा धैर्य रखिये। आज वह कमल का फूल बेलगाम हो गया है। ... (**व्यवधान**)

श्री हरिन पाठक: आप भी लगाम बोलने में रखें।

श्री भोगेन्द्र झा: सरकार सफाई दे कि उसमें किसका पैसा कितना है। अभी अखबारों में खबर छपी है कि काश्मीर के कई दर्जन नेता आई.एस.आई. से, विदेशों से पैसा लेते रहे हैं। अगर मेरे दल में भी कोई आई.एस.आई. से पैसा लेने वाला निकल जाए या भोगेन्द्र झा ही विदेशी पैसा लेकर देशद्रोह कर रहा है तो आपको चोट मारने का हक और सुविधा होगी। यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह देशद्रोह का मामला है। सरकार इस बात का हिसाब दे। रुलिया में जिसने हथियार गिराया, अभी तक उसका पता नहीं है। सरकार नाम की कोई चीज भारत में है कि नहीं है। हमारे नेता इंद्रजीत गुप्त ने वित्त और स्थाई समिति से इस्तीफा दिया। मैं सच कह रहा हूं मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन समिति देख रही है कि हम असहाय हैं, सरकार असहाय है। हमारा आसमान असुरिक्षत है, हमारी धरती असुरक्षित है। उनके एजेंटों को हम छिपाते हैं तो वह ज्यादा संगीन मामला है। हमारे प्रचार साधनों को अपने देश की स्थिति को भी दर्शाना चाहिए। वह यह न करके गलती कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सी.आई.ए. ने रिपोर्ट दी है कि भारत विखंडित होने वाला है। हममें से जिन्होंने 1947 में भारत को विखंडित होते देखा है, टूटते देखा है वह आज देश को सावधान किए बगैर, चेतावनी दिए बगैर नहीं रहेंगे। ... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय: आपने कहा था कि पाचं मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा: आधा टाइम तो इन्होंने ले लिया। आप चाहे इन्कम-टैक्स का मामला लें या फेरा का मामला लें। विदेशी पैसे के भेजने में, लाने में हमारा वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है? मैं जानता हूं कि वित्त-मंत्री की कुछ मजबूरी है। जैसे ही इन्होंने फाटक खोला, वह विदेश से आना-जाना शुरू हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने पानी में डुबकी लगाई है तो आपको पानी में तैरना भी सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि हम ही नहीं डूबेंगे, देश भी डूबेगा। इसलिए यह आर्थिक अपराध तो है ही, यह देशद्रोह का भी अपराध है। वे कहते है कि उन्हें मालूम नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि 7 मार्च, 1994 को जब मैं बहुत प्रयास करके थक गया और समय नहीं मिला।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने दल की ओर से बोलते हुए मैंने जो कहा था, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं ... (**व्यवधान**) आप धैर्य रखिये। इतने बदहजमी के मरीज मत बनें। उस समय 7 मार्च, 1994 को इसी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण में मैंने कहा था कि ... (**व्यवधान**) पाकिस्तान के आई.एस.आई. का पैसा बटोरने का रास्ता जैन बन्धु थे। यह भ्रष्टाचार का मामला है, जनतंत्र पर खतरे का मामला है और इस देश की राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का मामला है। जिन का इसमें नाम है, उनके सरकार खुले आम नाम देश के सामने लाये। उसमें 42 राजनेताओं के नाम है। उसमें आधे से ज्यादा सरकारी पक्ष के नाम है और उसमें विपक्ष के भी बहुत से नेता मौजूद हैं। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह देशद्रोह का मामला भी है। आप इन मुख्य मुद्दों का जवाब दें।

बिहार के बारे में भारत सरकार निष्पक्ष हो जाये और किनारे हो जाये जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है जिससे वहां जांच बिना किसी दखल के हो सके। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि ग्रामीण रोजगार मंत्री के समय में 1981-82 में इसकी शुरूआत हुई। उनका 44 करोड़ रुपये खाने का उसमें हिस्सा था। बाद में वह 600 करोड़ हो गया। 44 करोड़ खाने पर उनकी प्रोन्नति हो गई। वह लोक सभा का चुनाव हार गये, 44 करोड़ पचा गये और प्रोन्नत होकर मंत्री बन गये। यह अच्छा खजाने का भंडार है। चूंकि प्रधान मंत्री भी इसमें लिप्त है, इसलिये उनके त्यागपत्र की भी हम मांग करते हैं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम् (सेलम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चर्चा के अन्त में दो शब्द कहने की अनुमति दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत भारी ह्रदय से इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह एक ऐसी चर्चा नहीं है जिसमें इतनी ऊंची आवाज में कुछ कहने की आवश्यकता हो, लेकिन ऐसा हुआ है और इसमें हम एक-दूसरे पर आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे है कि संसद सदस्य राजनीततक दलों के नेता, राजनीतिक चन्दा प्राप्त करने के मामले में शामिल हैं जो कि कानून तथा अभियोजन अभिकरण

के अनुसार शिवत है। न केवल यही बल्कि लगभग हर क्षेत्र में यह कहा जा रहा है कि पूरी प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है और हममे से कोई भी वास्तव में इस दायरे के बारह नहीं है।

मेरा विचार है, जो हम कहना चाहते हैं, वह यह है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? ऐसा क्यों हुआ? इसका हल क्या है? क्या यह केवल राजनीतिक मुद्दा है अथवा इससे अधिक कुछ और है?

माननीय सभापति महोदय जैसा कि सभी जानते है कि चर्चित हवाला डायरियां मई 1991 में जब्त की गई थी। वर्ष 1993 में जनहित याचिका दायर की गई थी। मैं श्रीमती आल्वा से जानना चाहूंगा जो कि मैं समझता हूं कि इसका जवाब देने जा रही हैं कि मई 1991 और 1993 के बीच क्या हुआ।

जी हां, जब इन्हें जब्त किया गया था तो मेरे विचार में श्री चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री थे। तब मैं भी मंत्री परिषद में था लेकिन मुझे दु:ख है कि वास्तव में मुझे इस बात की सूचना नहीं थी कि क्या हुआ और मुझे विश्वास है कि मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य जो कि अभी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य है इस जानकारी का सहभागी नहीं बताया गया क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी बातों की जानकारी दी जाए।

हम सब यह जानते है। लेकिन कम से कम इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि उन वर्षों में क्या हुआ। इसके बाद, 1993 और 1995 के बीच जांच ने वास्तव में एक मोड़ लिया जिसमें ब्यान रिकार्ड किए जा रहे थे। वर्ष 1995 तक यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रहा। फिर अन्ततः केवल जनवरी 1996 में अर्थात् चुनावों से दो महीने पहले पहला आरोप -पत्र दाखिल किया गया और वे भी किश्तों में दाखिल किए गए। मैं जानता हूं कि सबसे पहले नौकरशाहों और फिर कुछ अधिकारियों को आरोप-पत्र का सामना करना पडा और फिर राजनीतिज्ञों का एक दल जिनमें कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हुए और फिर आरोप पत्र की दूसरी किश्त दाखिल की गई जिनमें कुछ मंत्री थे और कुछ विपक्ष के सदस्य थे। मेरे विचार में हम सब यह जानते होंगे कि आरोप पत्र किश्तों में दाखिल नहीं किए जाते और बहुत कम आरोप-पत्रों में अन्त में यह सिफारिश की जाती है कि उन्हें अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए विशेषकर कि पैसे के इस्तेमाल के संबध में और सूचना एकत्र करने के लिए न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता है। ऐसा एक से अधिक मामलों में हुआ है। मुझे नाम लेने की अनुमति दी जाए। श्री आडवाणी, श्री अर्जुन सिंह इत्यादि। इस प्रकार तो आधे अधूरे आरोप-पत्र दाखिल किए गए। कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

यह तो स्वाभाविक है कि जब ऐसी घटनाएं होनी हैं तो लोगों के दिमाग में संदेह उत्पन्न होता है कि यह एक सामान्य अपराधिक मामला नहीं है, जिसमें कुछ लोगों ने गैरकानूनी काम किए हैं और इसलिए उन पर दंड न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है।

अब आपके सामने यह स्थिति है कि सारी जांच का स्वरूप ही संदेहस्पद हो गया है। यह केवल मेरे विचार में ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विचार में, मुझे यह उद्धृत करने की अनुमति देनी चाहिए मुझे नहीं मालूम कि आप उस बात पर बल देंगे कि नहीं कि प्रत्येक को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रमाणित की प्रतिलिपि सत्यापित करनी चाहिए और उसे सभापटल पर प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि इसे सरकारी दस्तावेज समझा जाता है। फिर भी यदि आप अनुमति दें तो मैं उसमें से यह उद्धृत करना चाहूंगा। अन्यथा यदि अध्यक्ष महोदय जोर दें कि इस दस्तावेज को मुझे प्रमाणित करना चाहिए और सभापटल पर रखना चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूं। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। मैं दोहराता हूं कि इसके आदेश सरकारी दस्तावेज माने जाते हैं।

मैं 30 जनवरी, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उद्धृत करना चाहूंगा।

यह देखा जा सकता है कि पहली बार आरोप-पत्र दायर होने के बाद यह आदेश जारी किया गया था। यहां पर न्यायालय ने कहा था कि वह इस मामले का संज्ञान कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने आवश्यक रूप से इस मामले का संज्ञान किया क्योंकि यह मामला बहुत लम्बे समय से लंबित पड़ा हुआ था, इसमें कोई जांच नहीं हो रही थी और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। आरोप सीधा सा है। मैं लगाए गए आरोपों का सार उद्धृत कर रहा हूं :

''रिट याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राजस्व विभाग जैसी सरकारी एजेंसियां अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने और कानूनी बाध्यताओं का पालन करने तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए कतिपय छापों के दौरान जब्त की गई कथित जैन डायरी से उत्पन्न हुए मामलों की समुचित जांच करने में विफल रही है। यह आरोप लगाया गया है कि कुछ आतंकवादियों के पकड़े जाने से उन्हें गुप्त और गैर-कानूनी तरीके से वित्तीय सहायता पहुंचाए जाने का पता चला है। यह वित्तीय सहायता उन्हें हवाला लेन-देन के माध्यम से गुप्त तरीके से प्राप्त धन से दी गई। इससे उन अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों ओर अपराधियों की सांठ-गांठ का भी पता चला है जिन्हें गैर कानूनी कार्यों के लिए गैर कानूनी स्रोतों से धन मिला है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य सरकारी एजेंसियां मामले की पूरी तरह से जांच करने और उसे मुकदमें के तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाने में विफल रही है और उन सभी व्यक्तियों जिन्होंने कोई अपराध किया है, पर अभियोजना चलाने में विफल रही

है और ऐसा इसमें शामिल व्यक्तियों को बचाने के लिए किया जा रहा है जो मौजूदा प्रभावी नेताओं के समूह के कारण प्रभावशाली और शक्तिसंपन्न हैं और इस मामले से सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर आसीन लोगों की अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ निश्चित रूप से सांठ-गांठ होने का पता चलता है।''

मैं समझता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करना आवश्यक है क्योंकि इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने ऐसा क्यों किया।

ऐसी बात नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने अचानक यह काम किया है। सभापति महोदय, जो इससे भी महत्वपूर्ण है मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं ... (व्यवधान) लेकिन आप मुझे चुप करवाना चाहते हैं, मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि बोलने का अवसर पाने के लिए मैंने अपनी ओर से हरसंभव कोशिश कर ली है। यदि आप मेरी बात सुन सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भी संकेत मिलता है कि यह अति लोकमहत्व का मामला है और इस न्यायालय द्वारा इस मामले की अच्छी तरह से जांच की गई है। न्यायालय ने आगे कहा है कि इस मामले में विलम्ब होने के कारण न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप उचित है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह न्यायालय की इस बात से सहमत या असहमत है? क्योंकि हमने सुना है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक इस आदेश का संबंध है, वह न्यायालय से सहमत हैं। वास्तव में, उन्होंने उलझाने की कोशिश की है और अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि महान्यायवादी के कहने पर यह आदेश दिया गया है। सभापति महोदय, यदि आप और सभा के सदस्यगण उस वक्तव्य को, जो सभा की कार्यवाही का भाग है, पढ़ सकें तो आप उसमें दिए गए संकेतों को देखेंगे। प्रधान मंत्री जी बातों को घुमा-फिर कर कहने में बहुत निपुण हैं। उस बात को छोड़िए, उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके बाद न्यायालय ने दूसरा आदेश दिया जिस पर प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया। वह आदेश 1 मार्च, 1996 को दिया गया था। जोकि 1996 की 340 से 343 की रिट याचिका में एक अंतरिम आवेदन है, वह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा लोक हित मुकदमें में दायर की गई एक याचिका का नतीजा था, उस आवेदन-पत्र, जिसकी मेरे पास न्यायालय द्वारा समुचत सत्यापित सत्य प्रतिलिपि है श्री एस.के. जैन की डायरी के पैरा 3.1 में एक वक्तव्य है जिसमें मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूं, में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया गया है और अगले पैराग्राफ में कहा गया है कि ''कोई भी व्यक्ति भले ही कितने ऊंचे पद पर आसीन क्यों न हो, वह स्वयं को ऐसी स्थिति में डाले जिसमें उसके कर्तव्य के साथ किसी का हित टकराए। अत: उनके अन्तर्गत कार्य कर रहे प्राधिकारी और एजेंसियां भी उसी स्थिति में हैं जिसमें उनके उच्च अधिकारियों के हित उनके कर्तव्यों से टकराते हैं और जिसके लिए वे कानून और जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अत:, केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें वे इस ढंग से काम नहीं कर सकते हैं जिससे जनता के विश्वास को प्रेरित किया जा सके या वह उस तरह से काम नहीं कर सकता है जिससे जनता के हितों को क्षति न पहुंचे।'' याचिका में वास्तव में स्पष्ट रूप से ऐसी प्रार्थना की गई है। यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को न्यायालय से यह निवेदन करने के लिए कहा जाय कि उसे नौकरशाहों और राजनीतिक कार्यपालकों को रिपोर्ट देने से किस ढंग से अलग रखा जाए, उसे किस ढंग से उनके नियंत्रण मुक्त और दूर रखा जाए और अंतरिम आदेश भी दिया जाए। अब इसके आधार पर न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया जिसमें टिप्पणियां स्पष्ट हैं और इसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। वास्तव में यह अपराधिक विविध याचिका 1153 है। उसने कहा है कि हमने श्री अनिल दीवान और विद्वान महान्यायवादी की बात सुन ली है। श्री अनिल दीवान को न्यायालय ने लोक हित मुकदमा दायर करने वाले के लिए कानूनी सलाहकार अधिवक्ता नियुक्त किया है। जहां तक उसमें व्यापक राहत और समुचित मार्गनिर्देश की याचना किए जाने का संबंध है, इस मामले को विचार के लिए आस्थगित कर दिया गया है और इस कार्यवाही के दौरान उचित समय पर इस पर विचार किया जाएगा। व्यापक राहत का मतलब है, जहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस पूरी तरह से स्वतंत्र हो। उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। जहां तक इस मामले का संबंध है, जैसा कि आवेदन-पत्र में अंतरिम राहत का दावा किया गया है, हमारे लिए यह कहना पर्याप्त है: पूर्वाग्रह रखने के किसी भी आभास को समाप्त करने और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच में जांच कर्ताओं की विश्वसनीयता की क्षीण होने से बचाने के लिए और उसमें ईमानदारी और सोद्देश्यता की कमी के आभास को दूर करने के लिए यह निदेश दिया जाता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसे किसी भी व्यक्ति से अनुदेश प्राप्त नहीं करेगा या उसे रिपोर्ट नहीं देगा या किसी ऐसे प्राधिकारी को उसके ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेगा जिसका उसमें व्यक्तिगत हित हो या जिसके अभियोजन में जांच के परिणामों से प्रभावित होने की संभावना हो। अत:, याचिककर्ता द्वारा यह आरोप लगाये जाने के बाद स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया जा रह है। अत:, जांच करनी होगी और इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए

चूंकि वह उन व्यक्तियों में से एक होंगे जो पूर्वाग्रहों से बचने के लिए उससे प्रभावित हो सकते हैं। अत: एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसी एस.के. जैन ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन पर आरोप लगाया है जिसने श्री आडवाणी, श्री अर्जुन सिंह इत्यादि का नाम लिया है।

अब जांच की जा रही है, मुझे ऐसी उम्मीद इसलिए है क्योंकि न्यायालय ने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी है कि उसे सूचित किए बगैर यह मामला बंद नहीं किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि न्यायालय को सूचित किया जाएगा, संभवत: कल क्योंकि कल इस मामले की सुनवाई हैं।

मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण बात यह है, और जो बात प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, वह यह है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया है कि कार्यपालिका, मुझे कहते हुए खेद है, और एक प्रभुत्वसंपन्न सभा के रूप में भी, हम भ्रष्टाचार की कैंसर रूपी बीमारी को समाप्त कर पाने में असहाय हैं। भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी जड़े गहरी हो गई हैं। न्यायालय के अनुसार यह उसका विश्वास है और मैं समझता हूं कि यदि मुझे अपने एक सहयोगी की बात ठीक से याद है जिन्होंने आज सबसे पहले बहस आरंभ की थी वह इंडिया टुडे में दबे न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा के साक्षात्कार के सार से उद्धृत करने की कोशिश कर रहे थे, मैं नहीं समझता हूं कि मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही इसे उद्धृत कर दिया है लेकिन यह बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जिसमें हम कुल मिला कर कार्यपालिका जो इस सभा के प्रति उत्तरदायी है और संसद दोनों के रूप में पदत्याग कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जो कार्य हमें करना चाहिए था, कानून बनाने वाले और सत्ता पक्ष और कार्यपालिक दोनों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि कार्यपालिका को ऐसा बनाया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हम पूरी ईमानदारी और न्याय के साथ यह सुनिश्चित कर सकें कि कानून बनाए रखा जाए। यदि हम यह कहना चाहते हैं, और मैं श्री भोगेन्द्र झा की इस बात से सहमत हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि राजनीतिक चन्दे के आधार पर भ्रष्टाचार औचित्यपूर्ण नहीं है।

अब मुद्दा यह उठता है कि यदि मैं संसद सदस्य नहीं हूं और मैं राजनीतिक चन्दा लेता हूं तो वह अपराध नहीं है। आज इसकी व्याख्या यह है। मैं संसद सदस्य हूं और मैंने राजनीतिक चन्दा लिया हैं, मैंने अपराध किया है चाहे वह चन्दा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था, चाहे उसका अंतिम उपयोग औचित्यपूर्ण हो या न हो।

यदि कानून की यही व्याख्या है तो हमारे कानून में इस प्रकार का भेद-भाव किस आधार पर है?

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम: मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपनी बात जल्दी पूरी करूंगा।

हम सब जानते हैं कि सचाई क्या है कुछ लोग है जो 1991 से पहले उस दौरान निर्वाचित हुए थे, जो संसद सदस्य थे, उन्होंने चन्दा लिया, वे उस समय सरकारी पदों पर थे इसलिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसद के लिए निर्वाचित नहीं हो सके इसलिए वे आरोपों से बच गए। ऐसी स्थिति है कि यदि लोग आपका समर्थन करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। यदि लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे, तो आप से कुछ नहीं पूछा जाएगा। केवल यही स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं कि जो स्थिति उत्पन्न होती है वह यह है कि यदि हम राजनीतिक चन्दे को भ्रष्टाचार समझते हैं तो ठीक है हमें इसे दूर करना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए सरकार द्वारा धन दिया जाना चाहिए। सरकार और सत्ता पक्ष उस प्रश्न को हल क्यों नहीं करती है? कुछ भी हो जिन मंत्रियों ने त्याग-पत्र दिया है उनमें से अधिकांश, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनमें से सभी, पर राजनीतिक चन्दे के आधार पर आरोप लगाए गए हैं। यदि प्रभारी होने के नाते किसी व्यक्ति का यह आरोप है तो हमें इसे समाप्त करने के लिए कानून बनाना चाहिए। सत्ता पक्ष इसे पेश क्यों नहीं करती? स्पष्ट है कि उसे आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आज वह पहले से ही व्याप्त प्रणाली को बनाए रखना चाहते हैं और यदि कोई सरकार द्वारा धन दिए जाने का सुझाव देता है तो वह पलट कर कहता है कि जहां कहीं सरकार द्वारा धन दिया जाता है वहीं भी भ्रष्टाचार है और चुनावों के लिए धन एकत्र किया जाता है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 'राजनीतिक चन्दा' केवल एक बहाना है। मैं इस बात को दोहराता हूं कि यह मात्र एक बहाना है कि हम सब अपना उत्कर्ष दिखाने के लिए बहाना बना रहे हैं। हम 544 लोग चुने गए थे और अब चुने गए 514 लोग रह गए हैं।

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम: मैं समझता हूं कि जो प्रश्न उठता है वह यह है कि हम सब के बारे में क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब है कि क्या हम सब उस स्थिति में हैं? मैं समझता हूं कि हमें दूसरे प्रश्न पर भी विचार करने की भी आवश्यकता है? यदि सभा के नेता के विरुद्ध जांच हो तो क्या होगा? क्या हम इस बारे में चुप्पी साधे रहेंगे? क्या सभा का नेता कानून से ऊपर है? जिस वक्त जांच शुरू हुई थी आरोप-पत्र उसी समय दायर किया जाना चाहिए था अन्य सभी मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया।

6.00 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अन्य लोग है जिनके विरुद्ध जांच शुरू होने पर उन्हें अपने पद त्याग करने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों है कि सभा के नेता से पूछताछ न की जाए? क्या प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच की जा रही है या नहीं? चूंकि वह प्रधान मंत्री हैं इसलिए उनके विरुद्ध कोई जांच नहीं होगी? मैं समझता हूं कि हमें यह जानना चाहिए। साथ ही मेरे हिसाब से हवाला एक बहुत बड़ी साजिश का छोटा-सा भाग है। यदि कोई वोहरा समिति और उसकी रिपोर्ट में दी गई सूचना की पृष्ठभूमि में जाए, यहां तक कि वोहरा समिति की रिपोर्ट से पहले दिए गए वक्तव्य पर गौर करे तो मैं समझता हु कि वह इस सभा के लिए निंदनीय है।

मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव 184 पर मतदान करने के बाद जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक साथ बैठकर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि हम कुल मिला कर लोगों की नजरों में इस राजनीतिक प्रणाली की प्रतिष्ठा को पुन: कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करने में असफल रहते हैं और एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि हम इस व्यवस्था को ही नष्ट करेंगे जिसे बहुत से लोग पसंद नहीं करेंगे।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र-खण्डूरी (गढ़वाल): महोदय, हमें सभा की बैठक का समय बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब तक हम यह कार्य तथा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं कर लेते, तब तक के लिए हम सभा की बैठक का समय बढ़ा लेंगे।

श्री थाइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं हवाला मामले के संबंध में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं इस सभा का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन मैं भी उनकी इस चिन्ता से सहमत हूं तथा श्री पी.वी. नरसिंह राव का त्यागपत्र मांगने में उनके साथ हूं। मैं इस बारे में चिन्तित हूं कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते इससे हमारे देश की छवि बढ़ेगी, जिसके लिये कि हम गर्व करते चले आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से विश्व में हमारी छवि बढ़ेगी।

महादेय, जैसा कि मैं समझता हूं, इसके साथ दो मुद्दे जुड़े हुए हैं। एक तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री एस.के. जैन की डायरी में पाये गये कुछ लोगों के नामों के संबंध में की गई जांच। दूसरे श्री एस.के. जैन द्वारा स्वयं कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किये जाने के बावजूद जांच न किया जाना। अत:, दूसरी श्रेणी में श्री पी.वी. नरसिंह राव का नाम शामिल है। इस मामले में, यदि वह अपने आप ही अपने पद से शिष्टतापूर्वक त्यागपत्र दे दें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि मैं यह समझता हूं कि वर्तमान लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के लिए बाद भी नयी लोक सभा को गठित होने में दो अथवा तीन महीने का समय लग जायेंगा तथा नयी लोक सभा ही इस विषय पर पुन: चर्चा करेंगी।

जैसा कि हम सभी को ज्ञात ही है कि जापान, कोरिया एवं कुछ अन्य देशों में ऐसा हुआ है कि कई व्यक्तियों के विरुद्ध तब कार्रवाई की गई है, जब वे सत्ता में नहीं थे। मेरे विचार से, प्रधानमंत्री को भी सम्भवत: ऐसी ही स्थिति का पुन: सामना करना पड़ेगा। अत:, यह उनकी शिष्टता होगी यदि वह तुरन्त अपने पद से इस्तीफा देकर विश्व में इस देश की छवि को बनाते हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): अध्यक्ष महोदय, मैं कई घण्टों से माननीय सदस्यों, विशेषकर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के भाषण ध्यानपूर्वक सुन रही हूं। मैंने दिये गये सुझावों एवं उठाये गये प्रश्नों को नोट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूं कि वे मेरी बात को शान्तिपूर्वक ध्यान से सुनेंगे ताकि मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं प्रशासन विभाग की भूमिका सहित इस मुद्दे से संबंधित, सदस्यों की, यदि कोई आशंकाएं हो तो उनको सुस्पष्ट कर सकूं।

दिनांक 25-3-1991 को दिल्ली पुलिस ने अशफाक हुसैन लोनी नामक व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया तथा उससे 15.5 लाख रुपये की राशि के कश्मीर घाटी में 22 व्यक्तियसों को देय 23 बैंक ड्राफ्ट तथा 50,000 रुपये नकद बरामद किये। चूंकि यह मामला हवाला के माध्यम से देश से निकाले गये कश्मीरियों द्वारा उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित था, अत: आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम, 1987 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 20.4.1991 को इस मामले की जांच का कार्य अपने हाथ में लिया था तथा एक मामला संख्या आर.सी.-5 (एस.)/91- एस आई यू. V/ एसआईसी.-II. सीबीआई नई दिल्ली दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, शम्भु दयाल शर्मा नामक दिल्ली के एक हवाला एजेंट को गिरफ्तार किया गया था। जांच पड़ताल से हवाला नेटवर्क की रूपरेखा के बारे में पता चला जिसमें एस.के. जैन, जे.के. जैन आदि शामिल थे, जिसकी की विभिन्न शाखाएं थी तथा उनमें से कुछ शाखाएँ उग्रवादियों के लिए संवाहकों के रूप में कार्य कर रही थीं, कुछ शाखाएँ अतिरिक्त रुपयों प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा के परिवर्तन में संलग्न

थीं तथा कुछ शाखाएँ अवैध धन यथा रिश्वत आदि से प्राप्त धन के संवाहकों के रूप में कार्यरत थी, जिनके कि मुम्बई, दुबई तथा विदेशों में अन्य स्थानों पर सम्पर्क थे। इसके साथ ही विश्वस्त सूचना के आधार पर 3.5.1991 को श्री एस.के. जैन के जी-36, साकेत, नई दिल्ली स्थित निवास स्थान सहित दिल्ली में 22 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। कथित श्री जे.के. जैन के घर की तलाशी लेने पर दो डायरियाँ, दो फाईलें तथा दो छोटे स्लिप पैड बरामद किये गये थे, जिनमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विभिन्न राशियों की प्राप्तियों के ब्यौरे तथा विभिन्न व्यक्तियों को दी गई राशियों के ब्यौरे दिये गये थे, जिनके नामों एवं दी गई राशियों का उल्लेख संक्षेपाक्षरों तथा कूट किये गये शब्दों तथा अंकों में किया गया था। इसके अतिरिक्त इस तलाशी में अनगिनी नकदी, इन्दिरा विकास पत्र, यानी चैक एवं नकदी के रूप में विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई थी। उग्रवादियों को वित्तीय सहायता देने संबंधी भाग की जांच आर.सी.-5 (एस.)/91-एस आई सी-II द्वारा पूर्ण कर ली गई तथा पांच कश्मीरी उग्रवादियों अर्थात अशफाक हुसैन लोनी, शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद अयूब शाह उर्फ सलाऊद्दीन, मोहम्मद अहसान दर एवं मोहम्मद अयूब ठाकुर के विरुद्ध 23.2.1992 को विनिर्दिष्ट न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया था। इस मामले में न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और इस संबंध में प्रगति हो रही है।

जब मुख्य मामले की जांच का कार्य चल रहा था, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस जांच-कार्य के प्रभारी तत्कालीन डी.आई.जी., श्री ओ.पी. शर्मा ने अभियुक्त एस.के. जैन से उनके विरूद्ध चल रहे इस मामले को दबाने के लिए अवैध घूंस के रूप में पैसा मांगा था। इस आरोप का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया गया था तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 16.6.991 को उक्त डी.आई.जी. को 10 लाख रुपये अवैध घूंस के रूप में लेते हुए जाल में फंसाया था तथा इसी दौरान घूंस के रूप में ली गई इस राशि को बरामद किया था। श्री ओ.पी. शर्मा को निलम्बित किया गया था तथा उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13 के अंतर्गत 1991 के आर.सी. 65/91-एस आई यू.-IV द्वारा एक मामला दर्ज किया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह जांच-कार्य पूर्ण किया तथा दिल्ली स्थित सक्षम न्यायालय में 14.9.1992 को उक्त अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। यह मामला न्यायलय में लम्बित है। इस मुकदमे में एस.के. जैन गवाह है।

इन दो मामलों को निपटाने के बाद तथा कब्जे में ली गई सभी डायरियों एवं दस्तावेजों को संरक्षित करने हेतु सभी समुचित कदम पहले से ही उठा लिये जाने के पश्चात, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हवाला के संबंध में जांच जारी रखते हुए डायरी में की गई प्रविष्टियों की भ्रष्टाचार-निरोधी दृष्टि से जांच की। 3.5.1995 को जब कब्जे में ली गई डायरियों एवं दस्तावेजों को दबाये जाने के आरोप लगाये जा रहे थे, तो उसी समय ही अगस्त, 1993 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था कि बरामद की गई सभी डायरियों एवं दस्तावेजों को सील कर दिया गया है तथा ये दस्तावेज पूर्ण रूप सें सुरक्षित रखे गये हैं एवं जांच-कार्य चल रहा है। मीड़िया एवं किन्ही अन्य प्रचार-माध्यमों दोनों ही के माध्यम के इन दस्तावेजों को दबाये जाने के बारे में निरन्तर लगाये जा रहे आरोप, तब गलत साबित हुए, जब वर्ष 1993 के अन्त में ये सभी दस्तावेज उच्चतम न्यायालय के कब्जे में लाए गये थे। हवाला लेन=देनों के बारे में तथा कब्जे में लिये गये दस्तावेजों एवं डायरियों में उल्लिखित नामों की पहचान करने के लिए भारत में एवं विदेशों दोनों ही में जांच-पड़ताल की गई थी।

जांच-पड़ताल से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह पता चला कि हवाला संबंधी घोटालों का संचालन भारत एवं विदेशों से हो रहा था तथा इंटपोल एबं राजनयिक माध्यमों से भी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत जांच-कार्य तेजी से करने के लिए प्रयास किये गये थे। सितम्बर, 1993 में श्री एस.के. जैन एवं श्री जे.के. जैन के विरुद्ध ''लुक आडर'' के नोटिस जारी किये गये थे, जिनके अनुसरण में दिल्ली के आप्रावासन प्राधिकरण के माध्यम से उनकी देश से बाहर न जाने देने की अनुमति प्राप्त की गई थी। उनकी जांच का कार्य सितम्बर, 1993 के मध्य में प्रारम्भ हुआ था और यह कार्य जारी है। जबकि अक्तूबर, 1993 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने डायरियों आदि की जांच का कार्य जारी रखा, 'काल चक्र' वीडियो पत्रिका के संपादक श्री विनीत नरायण तथा अन्य व्यक्तियों ने इस विषय पर 93 की आदेश याचिका संख्या 340-343 के द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की थी, जिसपर दिसम्बर, 1993 से उच्चतम न्यायालय में नियमित रूप से सुनवाई हो रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो समय-समय पर हल्फनामों के माध्यम से इस संबंध में किये जा रहे प्रयासों एवं प्रगति के बारे में अवगत करा चुका है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की व्यक्तिगत निगरानी में शीघ्र जांच किये जाने तथा नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5.12.94 के आदेश के फलस्वरूप, जांच-कार्य की गति तेज की गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनेक अधिकारियों के एक विशेष दल ने विभिन्न दस्तावेज एकत्रित करना एवं उनकी संवीक्षा करना शुरू कर दिया था तथा तभी से जांच कार्य की प्रगति में तेजी आई है और भारत के उच्चतम न्यायालय को नियमित रूप से इस बारे में रिपोर्ट दी जाती रही है और वही इसकी देखरेख कर रहा है। उस समय तक एकत्रित सारी सूचना को संवीक्षा करने के बाद 13.1.95 को एक प्राथमिक

जांच रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रवर्तन निदेशक, नई दिल्ली, आयकर आयुक्त, नई दिल्ली तथा प्रधान संग्रहक, सीमा-शुल्क, नई दिल्ली को अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाये जाने एवं जो भी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जानी उचित हो की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट भेज दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग के प्राधिकारी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 एवं आयकर अधिनियम की उल्लघंना करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करता रहा है।

वे तब से जांच की प्रगति की सूचना उच्चतम न्यायालय को दे रहे हैं और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही कर रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 4.3.95 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 8(1)ए संबंधी धारा 50 के अधीन श्री एस.के. जैन, श्री एन.के. जैन, श्री बी.आर. जैन और कुछ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आर.सी. 1 (ए)/95-ए.सी.यू- चतुर्थ दर्ज किया। 4.3.95 को इस मामले को दर्ज करने के बाद श्री जे.के. जैन और एस.के. जैन को 5.3.95 को हिरासत में ले लिया गया। उनके लिए 14.3.95 तक पुलिस रिमांड प्राप्त की गई। फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तथापि, न्यायालय ने उन्हें 16.3.95 को जमानत पर छोड़ दिया। अपराधियों के बयान और तब तक हुई जांच का विवरण उच्चतम न्यायालय की जानकारी में 27.3.95 को अर्थात सुनवाई की अगली तारीख को लाया गया।

जैसा कि उच्चतम न्यायालय की जानकारी में पहले ही लाया जा चुका है, मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में डायरियों तथा उपलब्ध अन्य सभी जानकारी की विस्तृत जांच की है। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर 28.11.95 को दो, 16.1.96 को छह, 23.1.96 को तीन और तथा 22.2.96 को 14 आरोप पत्र तथा 4.3.96 को अन्तिम आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। संबंधित लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देश और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। उसने सरकार की ओर से किसी से मार्गनिर्देश प्राप्त नहीं किया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जांच के मामलों में किसी और के कहे अनुसार नहीं बल्कि कानून के अनुसार एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है। ये आरोप पत्र 39 लोगों और दो फर्मों के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं। इनमें इन लोगों के संबंध में की गई जांच करा विस्तृत ब्यौरा, लिए गए साक्ष्य तथा उन लोगों पर लागू होने वाले कानून की विभिन्न धाराओं का उल्लेख है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी और मापदंड के आधार पर नहीं बल्कि ग्रहण योग्य साक्ष्य और कानून की संगत धाराओं को ही मापदंड बनाकर आरोप पत्र दर्ज किए हैं। यह सब कुछ दायर मामलों की संख्या को देखने से स्पष्ट होता है जिनमें विभिन्न राजनैतिक दलों के लोगों, नौकरशाह और कुछ निजी व्यक्तियों के नाम भी शामिल है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये आरोप पत्र केवल ग्राह्य साक्ष्य के आधार पर ही तैयार किए गए हैं और चुनिंदा आधार पर आरोप की बात असंगत है ... (**व्यवधान**) इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके विरुद्ध ग्राहय प्रमाण हैं, उसे छोड़ दिया गया है। ये ब्यौरे इस ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि जांच का कार्य डायरियों के जब्त करने के समय से लेकर और कई विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है।

जांच में अत्यधिक विलंब नहीं हुआ है। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि आरोप पत्र दायर करने से पहले इस मामले से संबंधित प्रश्न संसद में अनेक बार उठाये गये थे और इस संबंध में सरकार के पास जो जानकारी उपलब्ध थी, उसके आधार पर सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि संसद में प्रश्नों के उत्तर देने के अतिरिक्त यह भी बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय मामले से पूरी तरह वाकिफ है और जांच कार्य की निगरानी कर रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि आरोप पत्र दर्ज किए जा चुके हैं, यह आरोप लगाना कि चुनिंदा आधार पर आरोप पत्र बनाये गए और विलम्ब हुआ है, मेरे विचार में ठीक नहीं है।

मैं आरोप पत्रों के पक्ष-विपक्ष अथवा जांच के ब्यौरों में जाने की स्थिति में नहीं हूं। क्योंकि यह ऐसा मामला है जिससे न्यायालय को निपटना होगा। इस सत्र में तथा इससे पूर्व के संसद सत्र में प्रश्नों के उत्तर में उपलब्ध सूचना को आपके सामने रखा गया। उच्चतम न्यायालय मामले की निगरानी कर रहा है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो उसे इस संबंध में मामले की प्रगति से निरन्तर अवगत करा रहा है। न प्रधानमंत्री और नहीं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इसमें संलिप्त है। वस्तुत: किसी भी मामले में सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच प्रक्रिया को नहीं देखती है और न ही उससे रिपोर्ट मांगती है। वे भी इस तरह की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं भेजते हैं। इस संबंध में मैं कानूनी स्थिति के बारे यह पुन: कहूंगी कि यद्यपि इस विभाग पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है, परन्तु निगरानी के अन्तर्गत सरकार कभी उन्हें न हिदायतें देती है और न ही उनके जांच जैसे संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप करती है।

माननीय सदस्यों ने जांच दल के जांच अधिकारियों के तबादला किये जाने के बारे में प्रश्न उठाया हैं। मैंने अभी जो कुछ कहा है उसे स्पष्टतापूर्वक पुन: कहना चाहूंगी कि जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का संबंध है, इस मामले से संबंधित उसके किसी भी अधिकारी का उस विभाग से किसी अन्य उद्देश्य से

तबादला नहीं किया गया। वास्तव में इस मामले में जांच अधिकारी सदा एक ही व्यक्ति रहा है और पर्यवेक्षण और जांच दोनों स्तरों पर जांच दल को जांच कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए सुदृढ़ किया गया है।

मैं इस समय 1.3.96 के आदेश की पृष्ठभूमि जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, का उल्लेख करना चाहूंगी। 1.3.96 को जनहित याचिका दाताओं की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रचार माध्यम की कुछ रिपोर्टों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया और यह कहा गया कि उच्च प्राधिकारियों द्वारा जिनका जांच में प्रत्यक्ष रूप से दखल है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रभावित किया गया। याचिका दाता ने प्रार्थना की "कि इस माननीय न्यायालय को चाहिए कि जैसा कि उसने पहले भी निर्देश दिये हैं उसी प्रकार केवल इसी मामले में नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले ऐसे मामलों के लिए सामान्य निर्देश दें.....।" अत: यह प्रार्थना की गई थी कि "केन्द्रीय जांच ब्यूरो से न्यायालय को यह बताने के लिए कहा जाए कि किसी तरह से उसे नौकरशाह एवं राजनैतिक कार्यपालकों को सूचना देने से दूर रखा जा सकता है और किस ढंग से उसे उन लोगों के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए और दूर रखा जाए ......।" केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से भारत के महा न्यायाभिकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया था कि समाचार पत्रों की खबरों के बारे में उत्तर देना संभव नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया था कि मीडिया रिपोर्टों में किसी उच्च अधिकारी के दखल देने के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं, वे सच नहीं हैं और सच्चाई यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर न ही किसी अधिकारी का प्रभाव है ओर न ही इसकी जांच प्रक्रिया पर किसी का नियंत्रण है। इस मामले की जांच संबंधी मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किसी और से नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय से निर्देश मिल रहे हैं। इस बात की ओर संकेत किया गया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी किये गये अधिकारिक बयान में, जो मीडिया में प्रकाशित हुआ था, इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। 1.3.96 का आदेश ऊपर दर्शाये गये सन्दर्भ में पारित किया गया था और उसमें यह दर्शाया गया कि वर्तमान में जो स्थिति उस में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कैसे काम करना चाहिए। आदेश में यह भी देखा गया कि वर्तमान मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्य करने की पद्धति न्यायालय के आदेशानुसार है। और आदेश में आगे यह भी बताया गया कि इस स्थिति में इस संदर्भ में और निर्देशों की आवश्यकता नहीं है।

यह बताया गया था कि श्री बी.आर. जैन ने प्रधानमंत्री जी के साथ सितम्बर, 1993 में सियोल की यात्रा की। मैंने सभा में इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है और पुन: दोहराती हूं कि श्री बी.आर. जैन ने सितम्बर 1993 में प्रधानमंत्री की कोरिया गणराज्य की यात्रा के दौरान, उनके साथ यात्रा नहीं की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री बी.आर. जैन को अनुमति नहीं दी थी। श्री बी.आर. जैन प्रधानमंत्री की उस यात्रा में शामिल नहीं थे।

एक स्वायत्त अथवा स्वतंत्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में जो सुझाव दिया जा रहा है, वह दिलचस्प है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से कार्यरत है और इसने हमारे इतिहास के अत्यधिक संवेदनशील और कठिन मामलों को हल किया है। किसी ने भी इसकी निष्पक्षता और उद्देश्य पर संदेह व्यक्त नहीं किया है। जब वी.पी. सिंह सरकार द्वारा बोफर्स, सेंट कीट्स एवं कई अन्य मामले दायर किये गये और उसका प्रबन्ध किया गया तब हम विपक्ष में रहे हैं। जो लोग यह दावा करते थे कि विशेष प्रकार से चुने गये और विश्व के विभिन्न भागों में नियुक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दलों के माध्यम से 15 दिनों के भीतर तथा कथित दलाली/कमीशन प्राप्त कर्त्ताओं का पता लगा सकते हैं, वे अपने 11 महीनों के कार्यकाल के दौरान कुछ भी पता नहीं लगा पाये ... (व्यवधान) मैंने आपको परेशान नहीं किया। यदि प्रधानमंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश देने और उसके जांच को प्रभावित करने में समर्थ होते तो श्री वी.पी. सिंह जी वो पहले व्यक्ति होते जो अपने जांच कार्य को पूरा करवा पाते क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। इसलिए विपक्ष के सदस्यों का यह कथन उचित नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रधानमंत्री का इच्छानुसार प्रभावित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने 1.3.1996 के अपने आदेश में महान्यायाभिकर्ता की उन बातों की पुष्टि की जैसा कि केन्द्रीय जाचं ब्यूरो के निदेशक ने बताया था। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि उच्चतम न्यायालय ने 18.4.1995 के अपने पूर्व आदेश में सभी संबद्ध अधिकारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश देते हुए कहा:

"यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे द्वारा दिये गये इस दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस उद्देश्य के लिये किसी भी प्राधिकरण की सहमति की आवश्कयता नहीं होगी।"

सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके पर्यवेक्षण में की गई जांच के तरीके पर संतोष व्यक्त किया है ... (व्यवधान) मुझे यह आदेश मिला है और मैं इसे आपको दे सकती हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): यह आपकी व्याख्या है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: महोदय, मेरी व्याख्या उनकी

व्याख्या नहीं हो सकती। मैं केवल अपनी व्याख्या ही दे सकती हूं।

आर्थिक अपराध अधिक जटिल होते जा रहे हैं और इन्होंने राष्ट्रीय सीमाएं तथा देश के कानूनों को तोड़ दिया है। इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने जांच अधिकारियों के कार्यों को अद्यतन बनायें और इसके लिए अत्याधुनिक उपकरण खरीदे। वास्तव में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यालयों व सूचना प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर राजकोष पर 17 करोड़ रुपये का भार पड़ा है। यह राशि उनको सरकार द्वारा संसद की स्वीकृति से प्रदान की जाती है। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिये स्थापित आधुनिक अकादमी अर्तराष्ट्रीय अपराधों की नई चुनौतियों का सामना करने के लिये आवश्यक आदान सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अब एक विशेष प्रभाग की स्थापना की गयी है और संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ायी गयी है इस संगठन पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामलों की जांच के लिए विशेष अदालतों में चलने वाले मुकदमों का खर्च केन्द्र उठाता है। तथापि, इस संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साहहीन ही रही है। उदाहरण के लिये जुलाई 1995 में तमिलनाडु ने तीन अदालतें अधिसूचित की थी लेकिन केवल एक ही अदालत स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल ने 8 मार्च, 1995 को एक अदालत अधिसूचित की थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस मामले को लंबित रखा गया। कुल मिलाकर आज देश में 19 विशेष अदालते चल रही हैं फिर भी 31.12.1995 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के 5114 मामले लम्बित पड़े हैं।

माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी भी स्तर पर जानबूझकर छानबीन में देर करने या मामले को टालने की कोशिश नहीं की है। उनके सामने एक विशेष प्रकार की समस्या है जिसके लिये उन्हें कानून के चार अलग-अलग पहलूओं से संबंधित मामलों को निपटाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये चार पहलू हैं टाडा, फेरा, आयकर और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम उन्हें इनके अतंर्गत प्रत्येक मामले की अलग से जांच के साथ-साथ इनके अंतर्गत साक्ष्यों की छानबीन भी करनी पड़ती है।

विभिन्न वक्ताओं द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई है। हालांकि मैं यह दावा नहीं करती कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्य में कोई कमियां नहीं हैं परन्तु मैं यह अवश्य बताना चाहूंगी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास असीमित कर्मचारी व संसाधन नहीं है।

जैसे कि आपने कल देखा होगा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकार की तरफ से नियमित तौर पर मामले स्थानांतरित किये जाते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और अतंरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित संवेदनशील मामले निपटाए जाते हैं इसके अलावा, सी.बी.आई. द्वारा ढहाने का मामला मुम्बई सी बमकांड, भारतीय, अंतरिक्ष अनुसाधन संगठन (इसरो) जासूसी कांड, बैंक प्रतिभूति घोटाला, पुरूलिया में शस्त्र गिराये जाने का मामला, उत्तराखंड का मामला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिंसा की घटना, हिरासत में हुई मौतों और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह की हत्या के मामलों की भी जांच की गई।

श्री श्रीकान्त जेना : सेंट किट्स के बारे में क्या है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: वह तो मैं पहले ही बता चुकी हूं। आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। इनमें से प्रत्येक मामले का केन्द्रीय जांच ब्यूरो और इसके अधिकारियों की टीम से विशेष अपेक्षाएँ हैं।

इस प्रस्ताव का दूसरा भाग 1993 में लाये गये अविश्वास प्रस्ताव और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के संसद सदस्यों की भूमिका के बारे में स्थिति उन सभी के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। जिनके नाम वाद-विवाद के दौरान आए थे। मैं वाजपेयी जी से यह जरूर पूछना चाहूंगी कि उनकी पार्टी ने ऐसे संसद सदस्य को अपनी पार्टी में शामिल करना कैसे उचित समझा जिसके बारे में वे दावा करते है कि उसने घूस ली है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसेमंद संसद सदस्य को उसके मित्रों का हश्र भी याद दिलाना चाहूंगी कि कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: क्यों महोदय, मेरे पास अखबार है।

श्री हरिन पाठक: आप श्री अर्जुन सिंह जी से पूछ सकते है कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, वे इसका जवाब देंगे ... (व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: ठीक है, मैं इसे उद्धृत नहीं कर रही हूं।

श्री अर्जुन सिंह: मैडम, यह ठीक बात नहीं है।

आपने एक अच्छा भाषण दिया है और मैं इसमें कोई बाधा डालना नहीं चाहता था। लेकिन एक मुख्य प्रश्न अनुत्तरित ही

रह गया है। क्या आप अपने वक्तव्य के अंत में इस सदन को बतायेंगी कि क्या प्रधानमंत्री की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच हो रही है या नहीं?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: मैं इस तथ्य का फिर से विश्वास दिला सकती हूं जिसे प्रधानमंत्री जी पहले ही स्पष्ट कर चुके है कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के संसद सदस्यों को कोई भुगतान नहीं किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता स्वयं भी इस बात को संसद में स्वीकार कर चुके हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। एक तो यह है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का पहले चयन के समय ही परिवार के सदस्यों सहित सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा फिर कार्यकाल के अंत में या दोबारा चुनाव से पहले यह ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक प्रासंगिक और तर्कसंगत सुझाव है जो कि संसद द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा सुझाव यह है कि प्रत्येक सदन में संसद सदस्यों के आचरण के बारे में शिकायतों का निराकरण करने के लिये एक नैतिक समिति का गठन किया जाये। इस पर गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए ताकि संसद के अंदर ही एक फोरम बनाया जा सके जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अनुचित आचरण की शिकायतों की जांच कर सके। इसका गठन कैसे किया जाये, इसको क्या-क्या शक्तियाँ दी जाये तथा इसका अध्यक्ष कौन हो? इन सभी प्रश्नों को परस्पर विचार-विमर्श और सर्वसम्मति से हल किया जाना चाहिये।

देश में फैले भ्रष्टाचार के अभिशाप के बारे में प्रैस, अदालतों और राजनैतिक मंचों पर काफी कुछ कहा गया है। वास्तव में मुझे श्री जार्ज फर्नान्डीज की उद्धृत रिपोर्ट से हैरानी हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में से एक है। महोदय, बहुत से देश, विकासशील देशों के कार्यो पर नजर रखते है और उन्हें भ्रष्ट बनाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या पश्चिम में कोई ऐसा देश है जहां से यह पत्रिकाएं आ रही है, और वहां बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है और उनके स्तर के नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। हमें दुनिया की नजरों में स्वयं को गिराने का निर्णय नहीं लेना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अन्तर केवल इतना ही है कि अमरीका में झूठ बोलने पर राष्ट्रपति को अपने पद से हाथ धोना पड़ा जबकि यहां आप सारे विश्व को धोखा देकर भी पद पर बने रहते है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: हमने लोकप्रिय चुनाव के माध्यम से अपने देश के लिए कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनने का तरीका अपनाया है। राजनैतिक दलों को धन देना और चुनाव के लिये दान देना हमारी प्रणाली का एक हिस्सा बन गया है। समय आ गया है कि हम सब सभी संसद सदस्य अपने दलगत मतभेदों और निजी अहम् को भूलकर मिलकर इस समस्या का हल ढूढें न कि एक दूसरे की टांग खीचें। कुल मिलाकर जो कुछ इस सदन में कहा जाता है, चाहे झूठ हों या सच, जो आरोप यहाँ लगाये जाते हैं और हमारे कार्यकलापों तथा बातों से संसद की इस संस्था की जो अवमानना होती है उसका आम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या हम लोकतंत्र की इस संस्था को और मजबूत बनाना चाहते हैं या इस बात का साधन बनना चाहते हैं कि लोगों का विश्वास इस पर से उठ जाये। प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कड़े शब्दों में कहा है कि कानून अपना समय लेगा। हमें आने वाले चुनावों को ध्यान में रख कर छोटे मोटे व्यक्तिगत राजनैतिक लाभों को नहीं देखना चाहिये। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए और अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली की सुरक्षा करने के लिए ही नहीं बल्कि इसकी नींव को मजबूत बनाने और साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिये।

इस प्रकार के मामलों में विपक्षी दलों को सरकार के या परस्पर मुद्दों पर एक या दो अंक अधिक मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि कतिपय वर्गों में राजनैतिक स्वार्थ के उद्देश्य से गलत जानकारी देने का काम किया जा रहा है।

इन सभी आरोपों जो तोड़ मरोड़ कर पेश किये जा रहे हैं, का विरोध करने में जांच करने वाली एजेंसियों की भी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि ऐसा करने का अर्थ जांच के तथ्यों को सार्वजनिक करना होगा और इस प्रकार यह अभियोजन के हितों के साथ समझौता होगा जब मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं।

अन्त में, मैं एक ऐसे प्रश्न पर आती हूं जो आज देश के वरिष्ठ और जिम्मेदार नागरिकों द्वारा उठाये जा रहा है जोकि शक्तियों को अलग करने हेतु संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है। हमारी अपनी एक प्रणाली है जिसके द्वारा विकार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें से कोई भी दूसरे की शाक्तियों और कार्यों को अपने पास न ले ले, उन पर कतिपय नियंत्रण भी रखती है। संसद और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने इस सिद्धान्त को कड़ाई से लागू किया है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में नियमन होता है। हममें से कोई यह नहीं कह सकता कि संविधान द्वारा निर्मित कोई भी मंच आलोचना से परे है। ये सभी माननीय संस्था के रूप अपनी ताकत और कमजोरी के साथ काम करते हैं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण होते हैं। मेरे विचार से यह उचित समय है कि यह सदन इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करे। सरकारें आयेंगी और जायेंगी। राजनीतिक दल सत्ता में आयेंगे या

विपक्ष में बैठेंगे परन्तु संसद और संविधान सतत बने रहेंगे। मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी प्रणाली के तीनों अंग आपसी सामंजस्य और पारस्परिक सम्मान करते हुए कार्य नहीं करें, तब तक भारत की लोकतांत्रिक नींव कमजोर होती रहेगी। यही चिन्ता माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कल व्यक्त की थी। इसलिए मैं सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे छोटे-मोटे मतभेदों से ऊपर उठें और उन सुधारात्मक उपायों के बारे में सोचें जिनकी संसद को उन प्रयोजनों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है जिनके अनुसार किसी लोकतांत्रिक देश में जनाकाक्षाओं और अभिव्यक्तियों को केन्द्रित किया जाता है।

परन्तु यह मत भूलें कि इस सदन में हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक कृत्यों से भारतीय लोकतंत्र की दिशा प्रभावित होती है। इसलिए ऐसा न हो कि कभी कोई कहे कि हमारी कर्त्तव्य परायणता में कमी रह गई। ...(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना: मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अर्जुन सिंह: हम यहां यह सुनने के लिए नहीं बैठे हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कैसे कार्य करना चाहिये या नहीं करना चाहिए। किसी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। किसी ने यह भी नहीं कहा कि उन्हें वह सब नहीं करना चाहिए जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। हम केवल पूरे मामले की तह तक जाना चाहते हैं। यह प्रधानमंत्री की महानता है कि वह सभा में आए और उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि श्रीमती मारग्रेट आल्वा इस चर्चा का उत्तर देंगी। लेकिन वह उत्तर न दे सकीं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सी बी आई उनकी जांच कर रही है या नहीं? (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना: हम केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या सी बी आई प्रधानमंत्री की जांच कर रही है या नहीं?

श्री अर्जुन सिंह: अब तक हम यही जानते थे कि यह संसद प्रभुसत्तासम्पन्न है। अब हम जान रहे है कि प्रधानमंत्री संसद से अधिक सर्वशक्तिमान है। वह किसी का भी उत्तर नहीं देना चाहते न तो किसी को कोई जानकारी देना चाहते हैं और न ही प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना: मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस मुद्दे को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं। ... (व्यवधान)

महोदय, हम प्रधानमंत्री से पूछे गए केवल एक प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री इसमें लिप्त हैं या नहीं? ...(व्यवधान) आप इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री यहां पर हैं। वह 'हां' या 'ना' तो कह ही सकते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: अध्यक्ष महोदय, इस पूरी चर्चा में आपने हमारे एक मुद्दे जिसपर हमने जोर दिया था और वह था संशोधन विधेयक जिसको हम लाना चाहते थे - को आपने अनुमति नहीं दी। यदि माननीय प्रधानमंत्री जांच की परिधि में आते हैं - (व्यवधान) तो संसद की मर्यादा के अनुसार उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह और भय के उस जांच को चलने देना चाहिए। हम इसी प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहते हैं। इन लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वे प्रधानमंत्री नहीं है। ... (व्यवधान) या फिर मंत्री महोदय जिनके पास कार्यभार है, उनको उत्तर देना चाहिए था। वह तो श्री अर्जुन सिंह द्वारा सीधे पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर टाल गई। उन्हें इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन जब प्रधानमंत्री स्वयं यहां उपस्थित हैं तो वह इस प्रश्न का उत्तर देकर हमारे संकट का निराकरण कर सकते हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: सी बी आई ने अपनी जांच के बारे में हमें जानकारी नहीं दी। ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री को यहां हुई चर्चा का उत्तर देना था। पूछे गए तथा अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। ...(व्यवधान) महोदय, क्या यह अंतरिम अध्यक्ष है? ...(व्यवधान) क्या आप अध्यक्ष है? उन्हें सिखाने के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल पर्याप्त नहीं है।

[हिन्दी]

नामिनेशन मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त: महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक छोटे से मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने विस्तृत विवरण दिया कि सी बी आई ने आरम्भ में कैसे जांच की कार्यवाही की? उसमें चार या पांच नामों का उल्लेख किया जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और जो कश्मीर में या अन्य स्थानों पर चल रहे इन आतंकवादी संगठनों के एजेंट के रूप में कार्य रहे थे। यदि मैं गलती नहीं कर रहा तो इन नामों में उन्होंने डा. मोहम्मद अयूब ठाकुर का उल्लेख किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि डा. मोहम्मद अयूब ठाकुर को देश छोड़कर लंदन में कश्मीर लिबरेशन समिति के स्वयंभू प्रेसीडेंट के रूप में कार्य कर रहा है, धन एकत्र करके भारत को भेजता रहा है। सी.बी.आई. के इस कार्य निस्पादन के बारे में उन्होंने

एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने केवल उसके नाम का उल्लेख किया था लेकिन उन्होंने इस सभा को नहीं बताया कि बाद में उसके साथ क्या हुआ और इग्लैंड जाकर यह प्रकार करने और उसे कश्मीर फ्रीडम कमेटी के नाम पर धन एकत्र करने के लिए अनुमति क्यों दी गई?

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन प्रश्नों के अतिरिक्त मैं पुन: दोहराता हूं कि क्या प्रधानमंत्री की जांच की जा रही है या नहीं ...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं एक बात जानना चाहता हूं। यह तो स्पष्ट है कि माननीय राज्यमंत्री ने जितना बताया है उससे कही अधिक जानकारी को छिपाया है। अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। उन मुख्य प्रश्नों में से एक विलम्ब के बारे में था जिसपर उच्चतम न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की थी। मंत्री का यह कहना कि उच्चतम न्यायालय ने सी बी आई द्वारा सुस्ती दिखाए जाने पर हो सकता है सुस्ती झूठी हो कोई टिप्पणी नहीं की थी, सही नहीं है। यह कहता हूं- क्या आपको जांच एजेंसी में परिवर्तन करना है? क्या हमें एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करनी होगी क्योंकि केवल छोटे लोगों को ही पकड़ा जाता है ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को नहीं। उच्चतम न्यायालय ने लगातार इतनी सारी टिप्पणियाँ की और वह कहती है कि कोई टिप्पणी ही नहीं गई। मैं जानना चाहता हूं कि इसके संबंध में आपका स्पष्टीकरण क्या है? आपने जनबूझकर इसकी उपेक्षा की है। 1991 से जब ये रहस्योद्घाटन हुए थे, 1995 तक जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी नहीं की, किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। दूसरे, प्रधानमंत्री को इस बात की कब जानकारी मिली कि इसमें उनके कुछ सहयोगी भी लिप्त हैं? उन्हें इस बात का पता कैसे चला? उन्हें कब पता चला? इतने वर्षों तक उन्होंने क्या कदम उठाए? यदि इन आरोपों में मंत्री भी लिप्त है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे वास्तव में दोषी है या नहीं क्योंकि यह प्रमाणों पर निर्भर करता है, यदि ये सी बी आई की शंकाएं थीं तो उन्हें इस बात का आभास कब मिला? उन्होंने उनके विरुद्ध जांच सबसे पहले कब शुरू की? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उन्हें जानकारी मिली कि इतने सारे मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने और उनके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई। उसके पहले विस्तृत जांच कार्य कराई गई होगी क्या माननीय राज्यमंत्री का यही कहना है कि 16 जनवरी का जो भी तारीख हो, जब उन्होंने उनके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अनुमति मांगी, तो उस दिन तक क्या प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके सहयोगी को इन सारे मामले में पक्षकार बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

क्या प्रधानमंत्री यह नहीं जानते थे कि उनके सहयोगियों को इन सब मामलों में संलिप्त हुआ समझा जाता था? क्या यह संभव है कि जिन सात-आठ मंत्रियों ने त्यागपत्र दिये हैं उनके बारे में प्रशासन में, मंत्रालय में, विभाग में अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी को कुछ पता नहीं था? इन पहलुओं पर एक भी शब्द नहीं कहा गया है। मैंने इन प्रश्नों की महत्ता उजागर करने के उद्देश्य से इन्हें बार-बार उठाया। यह बहुत ही गंभीर मामले हैं। हमें उपदेश सुनाये गये, यह उपदेश आपको, आपके अपने लोगों को सुनाये जाने चाहिए थे। उपदेश देना ठीक बात है पर उनपर किसे अमल करना चाहिए था? आप सत्ता में हैं। सदन और सरकार के माननीय नेता इन वर्षों के दौरान क्या कर रहे थे? ... (व्यवधान)

श्री विजय एन. पाटील (इरनदोल): इस सारी छानबीन में संदेह का लाभ निहित है। श्री खुराना भी कहते हैं कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। वह अभी भी अपना संदेह व्यक्त करते हैं ... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या उनका नामाकन पक्का है? ... (व्यवधान) इसलिये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह बातें कब घटित हुई और प्रधानमंत्री जी के ध्यान में कब लाई गई? यह दृढ़तापूर्वक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इन चार वर्षों के दौरान अर्थात 1991 से 1995 तक, जब तक माननीन सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री से नहीं कहा, इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि हवाला मामले, जिसकी छानबीन केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा था, में क्या हो रहा है? क्या माननीय राज्य मंत्री को भी इस घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं थी? यदि आप इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हैं तो आपको चाहिए कि शराफत से आप सदन से चले जाएं और अपना त्यागपत्र भेजें। हम प्रधानमंत्री जी से यही करने के लिए कहते हैं।

एक और महत्वपूर्ण विषय पर भी कुछ नहीं कहा गया है। इन्होंने पहली मार्च के आदेश पर व्याख्या दी है।

महोदय, हम जानना चाहते हैं कि पहली मार्च के आदेश के पश्चात, क्या सरकार का कोई मंत्री हवाला मामले के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से इस सदन के प्रति जवाबदेह है? हमें यह प्रश्न दुबारा पूछना है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री भी जांच के दायरे में है अथवा नहीं? हमें इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर चाहिए ... (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम लिया था।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम पुकारा था और संभवत: आप किसी बात पर विचार कर रहे थे।

श्री राम नाईक: महोदय, मंत्री जी ने अपनी बात कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता, जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, पहले उत्तर देंगे अथवा उत्तर वहां से आयेगा? इसकी प्रक्रिया क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैंने विपक्ष के नेता का नाम पुकारा पर वह किन्हीं विचारों में लीन थे। अब, वह उत्तर दे सकते हैं।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक अपील करूं। आप सदन के पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष है और हम आपका संरक्षण चाहते हैं। आप अपने पीछे कैसी प्रथा छोड़ना चाहते हैं? ... (**व्यवधान**) कृपया हमारे प्रश्नों के उत्तर दिलाना सुनिश्चित करें। महोदय, मैं इस सार्वभौमिक संसद के पीठासीन अधिकारी के रूप में आपसे पूछता हूं ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप बताइये, मैं कैसे बोलूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में मुद्दा यही है?

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...(**व्यवधान**)...

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न था कि क्या प्रधानमंत्री जांच के दायरे में हैं अथवा नहीं? इसका उत्तर न तो वह दे रही हैं और न ही प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। यदि वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो प्रधानमंत्री जी इसका उत्तर दें। ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग बैठ जाएं। ...

...(**व्यवधान**)...

श्री रूपचन्द पाल: इसमें चार वर्षों से भी अधिक समय का विलम्ब हुआ है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जब्त किये गये रिकार्ड और दाखिल किये गये आरोप पत्रों से पता चलता है कि 15 जनवरी, 1996 तक इन्ही आर्थिक अपराधियों को हांगकांग इत्यादि जाने की अनुमति दी गई थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो इनसे सम्पर्क की अनुमति देता रहा। यह अनुमति प्रधानमंत्री, जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभारी है, द्वारा दी गई। मंत्री जी इसका उत्तर दें ... (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना: महोदय, हमने केवल एक प्रश्न पूछा है और वह है कि क्या प्रधानमंत्री जी भी जांच के दायरे में है अथवा नहीं? यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए ... (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, प्रधानमंत्री 'मौनी' हैं। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी ''मोनी'' रहने की अपनी प्रथा बरकरार रखी है जिससे उनके दोषी होने का आभास मिल जाता है ... (**व्यवधान**)

अत: हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

6.49 म.प.

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।

श्री श्रीकान्त जेना: इससे पता लगता है कि प्रधानमंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के दायरे में हैं ... (**व्यवधान**) ... अत: इसके विरोध में इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

6.50 म.प.

इस समय श्री श्रीकान्त जेना और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे: महोदय, इस सदन में चर्चा करने का क्या लाभ है ... (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: अध्यक्ष महादेय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सीधे सादे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ... (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह सदन की अवमानना है और मैं समझता हूं कि हमें इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करना चाहिए। ... (**व्यवधान**)

6.51 म.प.

इस समय श्री इन्द्रजीत गप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।

...(**व्यवधान**)...

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे: इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने सच्चाई सदन के सामने नहीं रखे है। हम इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं। ... (**व्यवधान**)

06.51½ म.प.

इस समय श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय: हां, वाजपेयी जी। ...

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये प्रधानमंत्री जी से एक ही बात जानना चाहूंगा कि अगर उनको एक वाक्य भी नहीं बोलना था तो आज आये क्यों?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव): मुझे सदन में आने से कौन रोक सकता है? ...

...(व्यवधान)...

श्री चन्द्र शेखर: मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। यदि वह सदन में आते हैं और उनसे निरन्तर एक प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर देना इस संसद और देश की जनता के प्रति उनका कर्त्तव्य ही नहीं अपितु दायित्व भी बन जाता है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

[अनुवाद]

और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं कि उनकी चुप्पी का न केवल देश में वरन् सम्पूर्ण विश्व में गलत संकेत जायेगा। संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में यह एक अकेला उदारहण होगा जब एक प्रधनमंत्री पर बार-बार आरोप लगाये जा रहे हैं और यहां पर बैठकर उनमें इतना शिष्टाचार और साहस नहीं है कि वह उठकर एक शब्द कहें ... (व्यवधान)

क्या आप उसका उत्तर चाहते हैं? यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पिछले पाचं वर्षों से सुनता आ रहा हूं। इन वर्षों में मैंने उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पूरी कहानी सुनाऊँ? मैंने यह शपथ ली है कि इस देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मुझे जिन बातों के बारे में पता चला है उनके बारे में मैं एक भी शब्द नहीं कहूंगा। ऐसा मत कीजिए। मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। मेरे कुछ कहने से आपको काफी असुविधा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं बोलना शुरू करूंगा तो काफी परेशानी होगी।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मेरे प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, मैं उसका उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं, लेकिन अपने उत्तर के दौरान अगर मैंने कुछ प्रश्न खड़े किये तो उनका उत्तर कौन देगा?

इस चर्चा में लगातार कुछ प्रश्न उठाये जाते रहे। हम आशा करते थे कि सरकार की ओर से जब मारग्रेट आल्वा जी उत्तर देंगी तो उन सब प्रश्नों का समाधानकारक और संतोषजनक उत्तर देंगी।

मेरे प्रस्ताव के दो हिस्से हैं - एक हवाला के बारे में और इस सदन के सदस्यों को कथित रूप से जो धन देने का मामला है, वह प्रस्ताव के दूसरे भाग में है। मैं उस दूसरे भाग को पहले लेना चाहता हूं। उनका श्रीमती आल्वा ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हम सारे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर इस सदन के कुछ सदस्यों के बैंक एकाउन्ट में एक ही दिन, एक ही व्यक्ति के दस्तखत से इतनी बड़ी धनराशि क्यों जमा की गई, कैसे जमा की गई?

कर्नाटक में क्या हुआ? कौन आल्वा हमारी पार्टी को छोड़कर चला गया, इसकी यहां पर चर्चा करने का क्या संबंध है?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: वे भी आपके यहां आये थे, ये भी आपके यहां आयेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या हम पार्टी की बात करेंगे? कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है; क्या मैं इसका उल्लेख करूं? यह चर्चा का विषय नहीं है। इतनी बड़ी घटना हुई और अंत में उन्होंने अपील की कि हम दलबंदी से ऊपर उठें। इसका एक उदाहरण भी इन्होंने पेश किया है और यह कि हमें देश के भविष्य पर विचार करना चाहिये। हां, मैं मानता हूं कि विचार करना चाहिये और हवाला एक ऐसी घटना है जिसने सारे सार्वजनिक जीवन को झकझोर दिया है। यह चिन्ता भी है और चेतावनी भी है। हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारी व्यवस्था में पिछले कई दशकों से जो बुराईयाँ एकत्र होती रही हैं, जिन्हें हमने धीरे-धीरे एकत्र होने दिया, उनका एक हिस्सा बड़ा घिनौना है जो हवाला के रूप में प्रकट हुआ है। भ्रष्ट उद्योगपति, भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट आफीसर। इसका मतलब यह नहीं कि सभी उद्योगपति भ्रष्ट हैं और सब राजनेता अप्रमाणिक है। अफसरों में भी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं और अपने दायित्व के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मगर एक त्रिकोण पैदा हो रहा है। एक त्रिचाप है। वात, पित्त और कफ जब अधिक बढ़ जाते हैं तो शरीर के लिये रोग बन जाते हैं। मैं सोचता था कि हवाला कांड के इतने दिनों बाद लोकसभा की बैठक हो रही है और इस सब में हम और सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल है और श्री चन्द्रशेखर जी इस बात के लिये गवाह है कि जब हवाला कांड हुआ तो हम लोगों की बात हुई थी कि यह देश किधर जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। आरोप-प्रत्यारोप रहेंगे, जो अपराधी है, वे

कटघरे में खड़े होंगे और जो कटघरे में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वे जनता की अदालत के कटघेर में खड़े होंगे। चुनाव में लोग उनसे जवाब मांगेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मैं आपसे मिला था। केवल इसलिये नहीं। मैंने कहा था कि मैं इसलिये आपके पास नही आया हूं कि लोकसभा की बैठक बुला ली गयी है लेकिन यह बैठक शान्तिपूर्ण तरीके से कैसे चलेगी इससे संबंधित प्रश्न पर विचार करने की जरूरत नहीं बल्कि व्यापक प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है। मैंने श्री चन्द्रशेखर जी के साथ उप-राष्ट्रपति जी से बात की थी और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बात की थी, ऐसा मुझे बताया। हुआ क्या? क्या हम हवाला के धब्बे या दाग लेकर या उसी व्यवस्था को लेकर अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं? क्या इस बार फिर से चुनाव काले धन के बल पर लड़ा जायेगा?

अध्यक्ष महोदय, वर्षों से चुनाव सुधार की बात चली रही है। दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी जिसमें कांग्रेस के मैम्बर्स भी थे। उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं। उन सिफारिशों को बढ़ाया जा सकता था, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उनमें संशोधन किया जा सकता था, परिवर्तन किया जा सकता था लेकिन वह मामला खटाई में पड़ा हुआ है। कोई चुनाव सुधार की बात नहीं करता है। लोकपाल विधेयक का क्या हुआ? विवाद इस बात पर था कि प्रधानमंत्री भी उसकी परिधि में आयेंगे या नहीं? आप प्रधानमंत्री को लोकपाल विधेयक की परिधि में लाये या नहीं लायें, आज प्रधानमंत्री जी संदेहों की परिधि में और आरोपों की परिधि में आ गये हैं।

7.00 म.प.

श्री पी.वी. नरसिंह राव: वह विवाद बिल्कुल नहीं रहा। उसी मुद्दे पर मैंने खुद कहा है - एक बार नहीं, दो बार, तीन बार- कि प्रधान मंत्री को उसकी परिधि में लाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तैयार हूं। ... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्रधानमंत्री पिछले पांच साल की बात कर रहे हैं और मैं पिछले बीस सालों की बात कर रहा हूं। मैं 1957 से संसद का सदस्य हूं। मैं उस लोकपाल से संबंधित सेलैक्ट कमेटी का सदस्य था और उस कमेटी को पूरा काम करने नहीं दिया गया। कमेटी भंग हुई, फिर कमेटी बनी। उसको भी इस सवाल पर टकराना पड़ा कि प्रधान मंत्री परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह परिधि में आने के लिए तैयार है, मगर फिर भी विधेयक नहीं आया। क्यों नहीं आया? ... (व्यवधान)

श्री पी.वी. नरसिंह राव: देखिये, विधेयक क्यों नहीं आया, उसके क्या कारण थे, उसमें अवश्य जा सकते हैं। लेकिन आपका यह कहना कि एकमात्र यही कारण था, मैं बताना चाहता हूं कि एकमात्र यह कारण नहीं हो सकता क्योंकि मैंने खुद कहा है कि उसकी परिधि में ले आइए। अब वह कारण कैसे रहा? ... (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद: बिल इसलिए नहीं लाए कि पार्लियामेंट चला नहीं। ... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि इस समय चुनाव की जो व्यवस्था है, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने में सत्ता पक्ष की रूचि नहीं है, इसीलिए यह व्यवस्था बदली नहीं गई। अभी भी इसको बदलने के कोई ठोस लक्षण दिखाई नहीं देते, ठोस सुझाव दिखाई नहीं देते। अब अगर सब बातें चुनावों पर छोड़नी हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन फिर मारग्रेट जी ने जो अपने वक्तव्य के अंत में हमें उपदेश पिलाने की कोशिश की है, उससे हमें उन्हें बचा लेना चाहिए था। या तो हम सुधार की बात करे और उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने को तैयार हों, आवश्यकता पड़े तो शल्य-क्रिया की जाए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि भ्रष्टाचार केवल चुनाव के कारण नहीं है। मैं मानता हूं कि केवल चुनाव एक कारण नहीं है, मगर चुनाव का बढ़ता हुआ खर्चा देखें। आखिर धन कहां से आता है और जो धन देते हैं वह बदले में कुछ अनुग्रह चाहते हैं। लेकिन पहले केवल चुनाव से पहले धन लिया जाता था, आज पूरे पांच वर्ष धन लिया जाता है, 365 दिन धन लिया जाता है। यह प्रगति हमने की है। यह प्रकृति बढ़ी है। ... (व्यवधान) अब अगर कोई भ्रष्टाचार के लिए बोले कि राजनैतिक चन्दा है, राजनैतिक दलों को है, तो राजनैतिक कार्यकर्ताओं का अब चुनाव लड़ने में एक वैस्टेड इंटरस्ट डेवलप हो गया है। हारे चाहे जीतें, चुनाव लड़ना चाहिए। पैसा मिल जाएगा। सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे, कुछ बचाएंगे। चुनाव लड़ना एक धन्धा बन गया है। यह बीमारी पैदा हो रही है, पनप रही है। पहले जो चंदा होता था उस पर नियंत्रण होता था।

एक माननीय सदस्य: आपकी पार्टी में होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अरे छोड़ो। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक भ्रष्टाचार का चुनाव के बढ़ते हुए खर्चे से सीधा संबंध है। मैं राजनैतिक भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। आर्थिक भ्रष्टाचार अलग है। वह अपराध है। अंडर इनवाइसिंग तथा ओवर इनवाइसिंग बरसों से चल रहा है। कुछ अर्थव्यवस्था भी उसमें सहायक होती थी, लेकिन अब उदारीकरण आ गया है। बात हो रही है ट्रांसपेरेन्सी की। अब ट्रांसपेरेन्सी और भ्रष्टाचार साथ कैसे चल सकते हैं? लेकिन चल रहे हैं।

जैन ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि दुलहस्ती के प्रोजेक्ट के बारे में दुलहस्ती का जो कांट्रेक्ट था, उसके बारे में जो गोलमाल हुआ, उसमें उनको हिस्सा मिलने की आशा थी और इसलिए उन्होंने धन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 1991 में तीन करोड़ रुपये देना उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि राउरकेला स्टील प्लांट के मॉडर्नाइजेशन के संबंध में उन्हें कुछ काम मिलने की आशा थी। अब औद्योगीकरण होगा नये कारखाने लगेंगे। फास्ट ट्रैक पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। करोड़ों रुपये का मामला है, अरबों तक बात जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने वाले विधायक को 15 हजार रुपये दिलाने के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में एक मंत्री को सरकार छोड़नी पड़ी थी। 15 हजार रुपये के लिए, आजकल 15 हजार करोड़ का भी कोई हिसाब नहीं है। क्या यह मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आ रही है। यह खतरा और बढ़ने वाला है। क्या सब बिकाऊ हैं, क्या कोई खरीदने वाले का इंतजार हो रहा है। जैन ने जो बाते कही हैं इसकी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं जानता इसकी जांच हुई है या नहीं हुई है? क्या राउरकेला का मॉडर्नाइजेशन होने वाला था? यह राउरकेला के दस्तावेज से पता लग सकता है। अगर होने वाला था और उसमें काम मिलने की जैन को आशा थी तो फिर तीन करोड़ उन्होंने दिया इसकी पुष्टि होती है, कोरोबोरेट होता है। कोरोबोरेट कौन करेगा? अगर प्रधान मंत्री जी का नाम आता है तो किसकी हिम्मत है सी.बी.आई. में और मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर कर रहा हूं और उस दिन मुझे अफसोस है कि सी.बी.आई. के एक अफसर का नाम लेकर उस पर आरोप लगाया गया कि उसने रिपोर्ट इसलिए दी है, उसके कोई रिश्तेदार बिहार में है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ आप सी.बी.आई. की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सी.बी.आई. के एक अफसर के खिलाफ जो सदन में उत्तर नहीं दे सकता, आरोप लगा रहे हैं। मगर जिन्होंने आरोप लगाया उनको मालूम होना चाहिए कि एक अफसर ने जैन का बयान अंकित नहीं किया। पूरी टीम थी उसमें डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और ज्वाइंट डाइरेक्टर श्री बी.आर. लाल थे और उसमें एक और थे एम.पी.सिंह। खाली आमोद कंठ नहीं थे, पूरी टीम ने जैन से चर्चा की थी, जैन का बयान दर्ज किया और बयान जो दर्ज हुआ है उसमें एम.पी. सिंह के दस्तखत है, आमोद कंठ के नहीं। मगर बाद में आमोद कंठ को बुलाकर डांटा गया कि तुम्हारी यह हिम्मत ... **(व्यवधान)**

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: सर, मेरा कहना यह है कि हममें से किसी ने किसी को बुलाकर डांटा नहीं है। आप जो चाहे कह सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैंने यह नहीं कहा कि आपने बुलाकर डांटा।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप पूरी सी.बी.आई. की तरफ से इस तरह के बयान कैसे दे सकती हैं। आपको क्या पता है। आप ये भी नहीं कह रही हैं कि अगर ये घटना मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं तो मैं इसकी जांच करूंगी। यह आप नहीं कह रही हैं। कम से कम यह तो कहना चाहिए। मैं बिना आधार के बात नहीं करता, आज तक नहीं की है ... **(व्यवधान)** और मैं जानता हूं मैं एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं। लेकिन आपने सी.बी.आई. को पूरा ऐसा प्रमाणपत्र दिया है। क्या यह सी.बी.आई. जो इस समय जांच कर रही है, उसको प्रभावित करने का तरीका नहीं है और अगर सी.बी.आई. सब काम ठीक कर रही थी ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां, आप ठीक कह रहे हैं। ... **(व्यवधान)**

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: जब वह अधिकारी वापस दिल्ली प्रशासन गया तो आपने उसे दिल्ली में चार महीने तक बिना पद के रखा। आपने उसे कोई पद नहीं दिया। और अब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर: यदि इस सदन में किसी अधिकारी पर आरोप लगाया गया है और माननीय राज्यमंत्री आज उसका बचाव नहीं करते हैं तो अटलजी द्वारा उनके नाम का उल्लेख किए जाने पर उन्हें इतना भावुक नहीं होना चाहिए। आपने उस समय क्यों आपत्ति नहीं की जब आपकी पार्टी के सदस्य केंन्द्रीय जाँच ब्यूरो के एक अधिकारी विशेष पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ संबंध रखने का आरोप लगा रहे थे? ... **(व्यवधान)** इसका कोई आधार नहीं था। अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित है कि सत्ता पक्ष केंन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी पर आरोप लगाए और तत्कालीन मंत्री चुप्पी साधे रहे? उस दिन उन्होंने उस अधिकारी को बचाने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। जब अटलजी आज उस अधिकारी के नाम का जिक्र कर रहे हैं तो वह बहुत भावुक हो रही हैं। वे इस आदर्श का निर्वाह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इनके मैम्बरों ने कहा है, कार्यवाही में लिखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जो निर्देश दिये हैं, उन्हें देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर सी.बी.आई. इस तरह का संगठन है और हवाले के मामले में भी इस तरह का आचरण कर रहा था जिसके बारे में उंगली नहीं उठ सकती थी, शिकायत का कोई मौका नहीं था तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या शून्य में, कल्पना से नये निर्देश जारी किये। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किये और उन निर्देशों का निचोड़ यह है कि सी.बी.आई. के आचरण के बारे में किसी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिये, संदेह नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बार-बार पूछा गया है, मैं भी अगर पूछूंगा तो शोर-शराबा हो जाएगा। आखिर जैन के वक्तव्य में प्रधानमंत्री का नाम है। उनको धनराशि दी गई, इसका उल्लेख है ... **(व्यवधान)** इस तरह के आरोप जैन की डायरी में हैं ... **(व्यवधान)** यह ठीक है कि उनका हलफिया बयान है ... **(व्यवधान)** यह भी पूछा जाता है कि डायरी में तो प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल: ऐसा हलफिया बयान नहीं है ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: डायरियां सी.बी.आई. ने जब्त कर ली थीं। डायरियों के अलावा भी बयान है और वे बयान जो मुख्य अभियुक्त है, उनके बयान हैं। अब उसकी जितनी कीमत है, उतनी कीमत है मगर उसी के बयान के आधार पर आपने औरों के विरुद्ध कार्रवाई की है और आधा कारण यह बताया है कि उस बयान को हमने कोरबोरेट करके देखा, डायरी में जो कुछ नाम लिखे थे, उन्हें कोरबोरेट करके देखा - क्या प्रधानमंत्री के संबंध में भी कोरबोरेशन हुआ है? आडवाणी जी के ड्राईवर से पूछताछ की गई, उनके पी.ए. से भी पूछताछ की गई लेकिन क्या प्रधानमंत्री के पी.ए. से भी पूछताछ हुई, क्या प्रधानमंत्री के सचिवालय से भी पूछताछ की गई ... **(व्यवधान)**

जैन के बयान में विस्तार से कुछ और भी बातें हैं। उसमें कुछ और मंत्रियों के नाम हैं, जो मंत्री नहीं हैं उनके भी नाम हैं, क्या उनकी जांच की गई ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर समय व्यवधान उत्पन्न करना अच्छी बात नहीं है। आपको किसी भी नियम के अधीन व्यवधान उत्पन्न की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, इन सवालों का उत्तर चाहिये। अगर आप यहां उत्तर नहीं देंगे तो जनता की अदालत में उत्तर मांगा जायेगा लेकिन उत्तर देने में यह हिचक क्यों है?

यहां एक प्रश्न और पूछा गया था, जिसे मैं दोहराना चाहता हूं। अगर आप तारीख देखें, उन तारीखों का उल्लेख किया जा चुका है, जिसके अनुसार 1991 के मई महीने में ये डायरियां पकड़ी गई।

नरसिंह राव जी की सरकार का गठन बाद में हुआ। सी.बी.आई. उनके अधीन थी प्रधानमंत्री के नाते, और मारग्रेट जी उस समय उनकी सहायता कर रही थी। तो क्या मारग्रेट जी ने प्रधानमंत्री के ध्यान में ये डायरियां नहीं लाई या सी.बी.आई. के अफसरों ने ये डायरियां नहीं लाये? क्या देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी घटना के बारे में अंधेरे में रखा गया? और अगर अंधेरे में नहीं रखा, वे डायरियां प्रधानमंत्री के ध्यान में थीं तो जिन कांग्रेस के मित्रों के नाम उन डायरियों में थे वे नरसिम्हा राव जी के मंत्रिमण्डल में कैसे आये? "हवाला टेंटेड" और मंत्री के आसन पर विराजमान। यह सिलसिला चलता रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाथ में नहीं लिया होता, अगर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन में यह चीज नहीं उठाई गई होती, आखिर दो साल तक क्या होता रहा, इसका जवाब चाहिए। डायरी के आधार पर कार्रवाई हुई है और एक मंत्री तो अभी थोड़े दिन पहले लिए गए थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। बाद में उनको हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, चार्जशीट हुई। लिया क्यों गया? क्या पता नहीं था? क्या प्रधान मंत्री ने सोचा।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव: आप एक मिनट बैठिए। महोदय, मेरे मित्र ने पहले ही अपने बयान में कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई किसी भी जांच की रिपोर्ट न तो सरकार को भेजी गई है और न ही सरकार अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात श्रीमती मारग्रेट अल्वा ने इसके बारे में कोई रिपोर्ट मांगी है। तथापि, आप मेरे कार्यालय की तलाशी ले सकते हैं। आप मुझ से पहले के प्रधानमंत्रियों से भी पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें किसी जांच के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कोई रिपोर्ट मिली थी या उन्होंने कोई रिपोर्ट मांगी थी। मैं यह जानना चाहता हूं। कम से कम, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जांच तो की है। यहां तक कि कागज का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं मिला है जिससे

यह पता चले कि इस प्रकार की जांच में ऐसा कुछ हुआ है। इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

महोदय, यही वास्तविक स्थिति है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इसी सदन में हम प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार यह भी सुन चुके हैं कि बोफोर्स के मामले पर वे दिन-प्रतिदिन नजर रखकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? यह भी सी.बी.आई. के पास है। क्या प्रधान मंत्री यह कह रहे हैं कि जब उन्होंने मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया उस समय उन मंत्रियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि वे हवाला में फंसे हुए थे? इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था?

श्री पी.वी. नरसिंह राव: ज्ञान की बात छोड़ दीजिए। मंत्रियों को लेने से पहले पुलिस से रिकार्ड मंगाने का तरीका मेरे पास तो नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह पुलिस के रिकार्ड का सवाल नहीं है। अगर व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो वह व्यक्ति किस चरित्र का है, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध का मामला है या नहीं, यह देखा जाता है।

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): श्री मदन लाल खुराना के बारे में क्या हुआ?

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई): अडवाणी जी ने 60 लाख रुपया जमा किया है या नहीं, यह बताइये। ... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, संतोष मोहन देव जी मदन लाल खुराना का नाम ले रहे हैं। खुराना जी इस सदन में नहीं है। ... **(व्यवधान)** सुनिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। खुराना जी पर आरोप है कि उन्होंने तीन लाख रुपया लिया। जब खुराना जी पर आरोप है उस समय वे एम.एल.ए. भी नहीं थे, मैट्रोपोलिटिन काउंसिल के मेम्बर थे, मंत्री होने का तो सवाल ही नहीं है। ... **(व्यवधान)**

लेकिन आपने चार्जशीट लगा दी और आपने इस आरोप को सिद्ध कर दिया कि चार्जशीट लगाने में भी बड़ा-बड़ा सिलैक्शन किया गया है और बड़े ध्यान से लगाई गई है। ... **(व्यवधान)**

एक बार प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में पंचतंत्र की एक कथा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था -

''सर्वनाशे समुत्पत्र् अर्धम् जायति पंडित:''

जब प्रधानमंत्री ने देखा कि चुनाव निकट आ रहे हैं, सब कुछ जाने की बारी है, तो उन्होंने आधे की बलि चढ़ा दी। ... **(व्यवधान)** जिनकी बलि चढ़ाई गई है, उन्हें मैं देख रहा हूं, मगर प्रधान मंत्री जी को पूरी कथा मालूम है। जो पंडित जी थे उन्होंने सोचा था कि अगर आधे की बलि चढ़ा देंगे, तो आधा बच जाएगा, लेकिन हुआ यह कि पूरा का पूरा चला गया और उस व्यक्ति का गला काट दिया। वह जिन्दा ही नहीं रहा और ऐसे पंडितों से होश्यार रहने के लिए पंचयंत्र में चेतावनी दी गई है।

मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, मगर अध्यक्ष महोदय, आज दसवीं लोक सभा का अंतिम दिन है। अब हम चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। लोकतंत्र के ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी। ... **(व्यवधान)** अब इसमें भी कोई आपत्ति की बात है, लेकिन अगर लोकतंत्र धनतंत्र में बदला, जोकि बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस लोकतंत्र पर से आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा और सारे राजनेता, हम आपको दोष देंगे और आप हमें दोष देंगे और दुनिया हम सबको दोष देंगी, सबको कठघरे में खड़ा करेंगी। इसीलिए जब एक जज हमारे खिलाफ बोलता है, हम तिलमिला जाते हैं। सदन चलता है, इस पर टिप्पणी होती है, तो हम बिगड़ जाते हैं। जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, वह सुप्रीम कोर्ट कर रही है। मैं प्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और जो काम सरकार को करना चाहिए वह सी.बी.आई. कर रही है। हम किधर जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, इस देश को सही दिशा पर लाना होगा और इसको लाने का एक ही तरीका है कि भ्रष्टाचार के साथ निर्मम होना पड़ेगा, निर्दधी होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा, बड़े से बड़े व्यक्ति की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ... **(व्यवधान)**। आज भी प्रधानमंत्री की चुप्पी किसी के गले नीचे उतरने वाली नहीं है। ... **(व्यवधान)**

श्रीमती सूर्यकान्त पाटील (नान्देड): महाराष्ट्र में क्या हुआ है, उसको देखिए। राज्य सभा के चुनाव में महाराष्ट्र में क्या हुआ वह देखिए। आप उनको बुलाइए। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे): अध्यक्ष महोदय, इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं उसे देखूंगा। यदि उसे कार्यवाही वृतांत से निकालना जरूरी होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा और यदि निकालना आवश्यक नहीं होगा तो नहीं निकाला जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं मारग्रेट आल्वा को ही जवाब देने में लगा हुआ हूं और एक महिला और खड़ी हो गई हैं और बोले ही जा रही है। ... **(व्यवधान)**

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, ये बीच में बोले ही जा रही हैं। ... **(व्यवधान)**

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: मेरा अधिकार है, वह मैं पूछ रही हूं। आपको समझने में देर लगेगी। इसलिए आप बैठ जाईए। ... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमारे सहयोगी सदन में नहीं है। अगर शायद आप उनका संशोधन स्वीकार कर लेते, तो उनको सदन में रहने का एक कारण मिलता, आधार बन जाता।

शायद वे मेरे प्रस्ताव के साथ वोट करना नहीं चाहते। ... **(व्यवधान)** यह भी हो सकता है। लेकिन अपने भाषण के अन्त में जार्ज फर्नान्डीज ने जो सुझाव दिया था, प्रधानमंत्री ने उसे नहीं सुना। मारग्रेट जी उस सुझाव के बारे में उल्लेख करती, यह तो संभव नहीं था। वह तो लिखा हुआ अपना वक्तव्य पढ़ रही थीं, मगर जार्ज फर्नान्डीज ने भाषण के अन्त में एक बहुत गंभीर, ठोस सुझाव दिया था। हम तो आशा करते थे कि पार्लियामेंट की बैठक होने से पहले कानून अपना काम करेगा, जो अपराधी हैं, वे दंड पाएंगे। मगर यह व्यवस्था, क्या यह व्यवस्था और व्यवस्था की विकृतियां हमारे लिए चुनौती नहीं है? क्या इनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं?

एक माननीय सदस्य: कृपया इसे न दोहराएं।

अध्यक्ष महोदय: आप भी अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अब मैं यह कह सकता हूं- "विनाश काले विपरीत बुद्धि।" अभी भी समय है, चुनाव की व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए, मैं यह नहीं कहता उनसे भ्रष्टाचार मिट जाएगा, देश शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मगर जो लोग काले धन से नहीं लड़ना चाहते, उनके लिए काला अनिवार्यता नहीं बनी रहेगी। चुनाव में खर्चा कैसे कम हो? टेलीविजन का दुरुपयोग कैसे रूके? प्रतिदिन जब टेलीविजन खोलो प्रधान मंत्री सूरज की ओर बढ़ रहे हैं, अरे, आप दिन में तो सूरज की ओर बढ़ सकते है, रात में सूरज की ओर कैसे हैं, मगर आपको सूरज चाहिए। ... **(व्यवधान)** यह बराबर की लड़ाई है और ... **(व्यवधान)** यह कौन सा तरीका है? आप सब राजनैतिक दलों को समय दे सकते है खर्चा कम करने का एक तरीका यह है। चुनाव कमिशन सभाओं का आयोजन कर सकता है, पोस्टर निकाल सकता है। हम लोग पर्चियां बांटते हैं। पर्चियां बांटने का एक तरीका ढूंढा जा सकता है। खर्चा कम किया जा सकता है।

हवाला एक झटका होना चाहिए। बूटा सिंह जी, आपका तो झटका हो गया। ... **(व्यवधान)** झटके से मेरा मतलब है कि हमें एक धक्का लगना चाहिए और इस धक्के के रूप में यदि कोई अच्छी बात निकलती है तो बुराई में से भी अच्छाई निकली, ऐसा कहा ...

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव: मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब श्री फर्नान्डीज बोल रहे थे, मैं यहां नहीं था महोदय मैं उनके भाषण पर अवश्य गौर करूंगा और यदि उसमें विचार किए जाने तथा उपलब्ध समय में उचित निर्णय लेगे लायक कोई ठोस सुझाव होंगे तो मैं उस पर अवश्य गौर करूंगा कार्यान्वित करूंगा। इस संबंध में, मैं सरकार की इच्छा व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिणी मध्य): अध्यक्ष जी, सी.बी.आई. के बारे में जो प्रमाण पत्र दिया, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। ...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। ...

...(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह: अध्यक्ष जी, जैसी आपकी आज्ञा होगी;

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसके मुताबिक ही हाउस चलेगा, चाहे रिकार्ड पर आए या न आए। एक प्रश्न जो प्रारम्भ से ही सदन को सता रहा है, चाहे मेरे मित्रों को वह विपरीत रूप से सता रहा है। हम वास्तव में चाहते हैं कि इसका स्पष्टीकरण हो जाए। जो बहस इतने दिनों से चली है, दोनों सदन जो उद्वेलित है, को कोई दिशा मिलेगी। प्रश्न अपने आपमें सरल हैं, उत्तर मैं जानता हूं कि कठिन है, लेकिन हां या ना में भी सम्भव है। क्या प्रधानमंत्री जांच के दायरे में हैं या नहीं हैं? केवल इतना ही उत्तर हमको चाहिए और यदि प्रधानमंत्री इस दायरे में हैं ... (**व्यवधान**)

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर): प्रधानमंत्री जी, आपके खिलाफ सी.बी.आई. जांच कर रही है या नहीं कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव: मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता हूं परन्तु केवल एक वाक्य में उत्तर यह है ''कि यह प्रश्न केंन्द्रीय जांच ब्यूरो से किया जाए।'' ... (**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल इसी बात पर आपके साथ वहां चर्चा हुई थी, यही बात माननीय चन्द्र शेखर जी ने उठायी थी, इसका हवाला श्री वाजपेयी जी व अन्य सदस्यों ने जो यहां मौजूद थे सभी ने दिया था, और इस पर ही वे सदन से उठ कर चले गये थे। इसी प्रश्न पर संसद के दोनों सदनों में शोर शराबा हुआ था। यदि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नियंत्रणाधीन नहीं है तो मूल प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? इससे मुझे निराशा होती है। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के बारे में माननीय राज्यमंत्री के लम्बे भाषण के बाद भी अब प्रधानमंत्री इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो उनके नियंत्रण से बाहर है। यह बहुत ही असंतोषजनक उत्तर है। यह कुछ और नहीं बल्कि तथ्यों को छुपाने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय: आप एक और भाषण दे रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह: मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। इन दिनों में जो कुछ भी हमने कहा है यदि उसके लिए प्रधानमंत्री का यह एक ही वाक्य ही काफी है कि ''यह प्रश्न केन्द्रीय जांच ब्यूरो से पूछा जाए'' तो यह बहुत ही असंतोषजनक उत्तर है। मुझे इसका बहुत खेद है। ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष जी, आप और प्रधानमंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे, इसीलिए मैंने प्रारम्भ में कहा कि उनको नहीं आना चाहिए था। मेरा उनके प्रति कोई निरादर का भाव नहीं था, जो जसवन्त सिंह जी कह रहे थे, इस सवाल का जवाब आप यहां पर न दें, लेकिन जगह-जगह यह सवाल लोगों के मन में उठेगा और इससे मौलिक सवाल यह उठता है, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सी.बी.आई. से पूछिये, तो नेता विरोधी दल सी.बी.आई. से कुछ पूछने के अधिकारी नहीं है, मैं कुछ पूछने का अधिकारी नहीं हूं और इसीलिए सवाल उठता है कि संसद् के प्रति सी.बी.आई. के बारे में कौन जवाब देगा। प्रधानमंत्री से मैं इनका उत्तर नहीं चाहता, लेकिन एक विषम परिस्थिति पैदा हुई है, एक बात तो मैं यह कहना चाहूंगा।

दूसरी बात मैं अटल जी से कहना चाहूंगा। अगर मैंने गलत समझा है तो वह मुझे क्षमा करेंगे। उन्होंने जो भाषण दिया, उससे ऐसा लगा कि जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है या जिनपर आरोप लगा है, वह जरूर अपराधी हैं ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: ऐसा नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर: अगर नहीं है तो अच्छा है, मैं ऐसा मानता हूं (**व्यवधान**)

ठीक है। हम तो अपनी समझ से बात बोलेंगे, क्योंकि, उन्होंने कहा कि उनके बारे में जांच की गई या नहीं, उनके चरित्र के बारे में मालूम था या नहीं, जो लोग ऐसे हैं, उनपर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, चाहे सरकार के पक्ष में हों, चाहे विरोध के पक्ष में हों, कम से कम उनके बारे में हम तो यही समझते हैं कि वह हमारे मित्र हैं, वह ईमानदार हैं, वह भले लोग हैं, यह इम्प्रैशन नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, कृपया आप कभी-कभी तो इतना कीजिए, नहीं आये तो नहीं आते, लेकिन आकर के चुप रहना, यह ठीक नहीं था।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव: महोदय, इस आदेश को मानना बहुत कठिन है। मुद्दा यह है कि मैंने यह कहा है कि यह प्रश्न केन्द्रीय जांच ब्यूरो से पूछा जाना चाहिए। मैंने इस सदन या किसी सदस्य को ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। अब हमें यह निर्णय लेना है कि यह प्रश्न केन्द्रीय जांच ब्यूरो से किस प्रकार पूछा जाए। हमें इस पर विचार करके यह तय करना है।

श्री जसवन्त सिंह: वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव: स्थिति यह है कि जैसा मैंने सदन को अभी बताया है कि हमें जांच के तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ... (**व्यवधान**) यह बहुत स्पष्ट है। सामान्यत: जब हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कोई सूचना प्राप्त करनी होती है तो हम उसको पत्र लिखते हैं। परन्तु इस मामले में, जब से यह

मामला न्यायालय में विचारधीन है तब से हमने उन सामान्य बातों के लिए भी केंद्रीय जांच ब्यूरो से सूचना नहीं मांगी है जो हमें उससे प्राप्त होती हैं, हम उन्हें आस्थगित रखना पड़ा है। और यदि इस प्रश्न के संबंध में सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका होगा तो हम उस पर विचार करेंगे और उसे प्राप्त करके माननीय सदस्यों को भेज देंगे ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, उत्तर संतोषजनक नहीं है ... **(व्यवधान)** सीधा-सा सवाल है कि जैन के हलफनामे के बाद, उसके बयान के बाद जिसमें प्रधानमंत्री जी, आपको लपेटा गया है, क्या सी.बी.आई. ने आपसे पूछताछ की है, जांच-पड़ताल की है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव: मैं कोई विवरण नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास जांच का विवरण उपलब्ध नहीं है ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्रधानमंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हुए हम विरोध में वाक आउट करते हैं।

7.37 म.प.

तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: सत्र के अंतिम चरण में ऐसा कारण ठीक नहीं है। ...

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि यह सभा 'हवाला मामले' से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी रूप से धन दिए जाने संबंधी अभिकथनों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर अपना असंतोष व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

7.40 म.प.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित प्रस्ताव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता तथा विशेषाधिकार का आभास हो रहा है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 26 फरवरी, 1996 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हूं।"

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): अध्यक्ष जी, अभी भी चाको जी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन को मैं सैकेण्ड करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 26 फरवरी, 1996 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित संशोधन परिचालित किए जा रहे हैं यदि वे अपनें संशोधनों का प्रस्ताव करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर प्रस्तावित संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाते हुए पर्चियों में सभा पटल पर बैठे अधिकारियों को दे सकते हैं। केवल उन्हीं संसोधनों को प्रस्तावित माना जाएगा।

श्री पी.सी. चाको: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में यहां सदन के समक्ष खड़ा हूं क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी ने इस लोकसभा की प्रशंसा की है। यह सदन और यह सरकार इस प्रशंसा की वास्तव में हकदार है।

महोदय, मुझे वो दिन याद हैं जब इस सरकार ने शासन

संभाला था। वर्ष 1991 में, जब इस सरकार ने अपना कार्यभार संभाला तो उस समय, इस देश की राजनैतिक स्थितियां और इस देश की सामाजिक स्थितियों तनावपूर्ण थीं। इतना ही नहीं, जब यह सरकार सत्ता में आई, तो इसे बहुमत हासिल नहीं था, यह अल्पसंख्यक सरकार थी। भारतीय राजनीति को सर्वाधिक रंगीन व्यक्तित्व श्री राजीव गांधी के विपक्ष से अपने अवसाद और दुख के वातावरण में जब सत्ताधारी दल के संसद केन्द्रीय कक्ष में अपने नेता के चुनाव के लिए समवेत हुए थे तो मुझे स्मरण है, उस दिन श्री पी.वी. नरसिंह राव जी, जो राजनीति से सन्यास लेना चाहते थे, जो बौद्धिक रूप से सन्यास लेना चाहते थे, से नेतृत्व की वागडोर संभालने का निवेदन किया गया। उनसे निवेदन किया गया कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी वह स्वयं स्वीकार करे उस समय एक भविष्यवाणी की गई थी, एक राजनैतिक भविष्यवाणी की गई थी कि यह सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। वास्तव में लोग आशंकित थे और हममें से लोग आशंकित थे। वें सोचते थे कि किस प्रकार यह अल्मत सरकार इतनी सारी समस्याओं से जूझते हुए अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस संसद के संयुक्त अधिवेशन से अपना छठा भाषण दिया था। जहाँ तक सरकार और संसद की बात है तो यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब यह सरकार अलग कार्यकाल शुरू करने जा रही थी, तो लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा संदेह या प्रश्न इस सरकार के स्थायित्व को लेकर था। महोदय, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ठीक दूसरे दिन जोरदार रूप से स्पष्टीकरण दिया था कि सरकार की प्रथम प्राथमिकता और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि देश को राजनैतिक स्थियित्व कैसे दिया जाए। इसके पहले हमने कई सरकारें देखी हैं। हमने वह सरकार भी देखी है जो सत्ता में आती तो पूर्ण बहुमत के साथ है लेकिन अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण अपने अंतर्कलह और किसी सही नीति के आभाव के कारण कुछ महीने भी नहीं टिक पाती है। कई सरकारें आई और चली भी गई। लेकिन उक्त पृष्ठभूमि में सरकार जो कि एक अल्पसंख्यक सरकार के रूप में आई थी, अपना पाँच वर्षों का कार्यकाल पूरा कर सकी और आज दसवीं लोकसभा का अंतिम दिन है। इसलिए हम भविष्य के प्रति काफी आशान्वित हैं और इस तरह का माहौल हम इस देश में बना सकते हैं और यही उपलब्धि भी है। इसी उपलब्धि के लिए, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस लोकसभा की प्रशंसा की। मुझे नहीं मालूम कि इस लोकसभा का दूसरा पक्ष इस प्रशंसा का कितना हकदार है।

क्योंकि हमारी सरकार और हमारी सत्ताधारी पार्टी ने राष्ट्रपति जी से प्रशंसा के दो बोल प्राप्त करने के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करने की कोशिश की बावजूद इसके कि विपक्ष की तरफ से इस सरकार को बर्खास्त करने की बार-बार मांग की गई और इस विषय पर इस सदन में विभिन्न अवसरो पर चर्चा भी हुई है। और यह सरकार इस तरह की कई कठिनाईयों पर विजयी साबित हुई है। यह सिद्ध हो गया है कि यही एक ऐसी पार्टी है जो सरकार चला सकती है, यही वह पार्टी है जो देश को राजनैतिक स्थायित्व दे सकती है।

जब हम कानून और व्यवस्था की स्थिति का ध्यान करते हैं - जब इस लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, तो असम और जम्मू और कश्मीर की समस्याएं, पूर्वोत्तम भारत का अलगाववादी आन्दोलन आदि, राष्ट्र को निगल रहा था और ये समस्याएं इस कदर विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि इन्हें नियंत्रण में लाना किसी के बूते की बात नहीं थी। और कोई भी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता था कि यह सरकार इतने प्रभावकारी ढंग से इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकेगी। निराशावादी लोग, खासकर विपक्षी मित्रगण भविष्यवाणी कर रहे थे कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है और यह सब विघटन को ही बढ़ावा देने जा रहा है। यदि कोई संदेह कर रहा था कि देश विघटन के कगार पर था तो हम किसी पर भी दोषारोपण नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय समाचारपत्र पंजाब में हो रही हत्याओं के दर्जनों मामले ही नहीं बल्कि सैकड़ों मामले छापते जा रहे थे।

जब पंजाब में चुनाव हो रहा था तो वह आतंकवादियों की गोली और बमों का निशाना बना हुआ था। सामान्य लोगों को मतदान केन्द्रों पर जाना था। मुझे अभी भी याद है कि विपक्षी पार्टी ने इस सदन में आलोचना की थी। उन्होंने हमें पूछ था कि हमने किस प्रकार का चुनाव पंजाब में कराया कि वहां सिर्फ 20 प्रतिशत लोगों ने ही चुनाव में भाग लिया। कठिनाईयों से जूझते हुए इस प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम प्रजातंत्र की एक प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, प्रजातंत्रिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया, जिससे हम अब तक यहां अपरिचित थे। कुछ कारणों से जो हाल ही में पैदा हुये है। लेकिन वह सब कुछ ही महीनों में हुआ था। लगभग एक वर्ष बाद जब पंजाब में नगरपालिका का चुनाव हुआ तो 80 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था। अतः इस भयाकांत राज्य में इस सरकार की यह एक उपलब्धि है क्योंकि यहां लोग गलियों और सड़कों पर मतदान में भाग लेने के लिए उमड़ पड़े थे। और इस प्रकार हमने वहां चुनाव कराया और लोगों में आत्मविश्वास को पैदा किया। आतंकवाद पर हमने काबू पाया और उसके बाद सभी राजनैतिक पार्टियों चुनाव में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थीं। 80 प्रतिशत लोगों ने नगरपालिका के चुनाव में भाग लिया। अब हम प्रसन्न हैं कि पंजाब में विपक्षी दल खासकर अकाली कांग्रेस से लड़ते है और सत्ता हथियानें की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति का हम स्वागत करते हैं। इस तरह की स्थिति स्वागतयोग्य है।

मैं श्री बेयंत सिंह द्वारा पंजाब और देश की गई सेवा को याद करता हूं। उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया और इस प्रकार उन्होंने पंजाब को एक शांतिप्रिय राज्य बनाने में सफलता हासिल की। जिसके फलस्परूप यह राष्ट्रकी मुख्यधारा में आकर राष्ट्रकी आर्थिक गतिविधि और देश के जन जीवन से पुन: जुड़ गया। ऐसा लगता है कि यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उन्होंने हमें इसके लिए कभी श्रेय नहीं दिया है।

पंजाब में ही नहीं बल्कि असम में भी क्या हुआ? कई लोग जहाँ अलगाववादी आन्दोलन के विषय में काफी कुछ स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सामाजिक तनाव अपने चर्मोत्कर्ष पर पहुंच रहा था। मंडल आयोग की 27 प्रतिशत सिफारिश से उत्पन्न समस्याऐं ही मंडल संबंधी प्रश्न का सारतत्व थीं। लेकिन जब उसे यहां लायाजा रहा था तो एक चुनी हुई सरकार ने इसे एक मुद्दा बनाना चाहा ताकि विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच लगाव उभर सके। वे जाति युद्ध खड़ा करना चाहते थे और वे इससे पूरा राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे।

विशेष कर पिछले एक वर्ष के दौरान, कई कदम उठाए गए थे जिनकी राष्ट्रपति जीने चर्चा की है। 27 प्रतिशत आरक्षण को संवैधानिक रूप से लागू किया गया और इसे गरीब लोगों तक और समाज के सभी हकदार लोगों को बगैर किसी रक्तपात के उपलब्ध कराया और बगैर किसी कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कार्यन्वित किया और इस मुद्दे पर पूर्णरूप से काबू पाया जा रहा है और वास्तविक मुद्दे को कार्यन्वित किया जा रहा है।

असम में भी इस सरकार ने पहल की है और स्वायतशासी परिषद बनाई गयी। और जब कभी भी वहां उचित माँगे की गई तो लोगों को प्रजातांत्रिक आजादी हो गयी। उग्रवादी हिंसा और विद्रोह को भी प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित कर लिया गया है और पूरा राज्य अब विकास के मार्ग पर चल रहा है और इस प्रकार राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो चुका है।

कल हमने जम्मू और कश्मीर के बजट पर विचार किया। कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की। लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यह सरकार जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराना चाहती थी। लेकिन कई लोग कह रहे थे कि यदि आप जम्मू और कश्मीर में चुनाव कर रहे हैं तो इसका श्रेय श्री पी.वी. नरसिंह राव को जाएगा। दुर्भाग्यवश, कई विपक्षीपटियों का यही व्यवहार रहा है।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने पिछले एक वर्ष के दौरान जो कुछ भी हुआ है उसकी चर्चा की है उन्होंने अर्ध सैनिक बलों की प्रशंसा की है और देश के सुरक्षाबलों तथा सशस्त्र बलों की तारीफ की है। मैं राष्ट्रपति जी से पूर्णतया सहमत हूं। मैं समझता हूं कि सारा सदन उन्हें पूर्णतया सहयोग देने तथा देश के सशस्त्र बलों की प्रशंसा करने में उनके साथ है।

महोदय, कश्मीर में मतदाता सूचियों में संशोधन किया गया है। क्या कोई आशा कर सकता था कि वहां ऐसी स्थिति आएगी? पिछले एक साल के दौरान कश्मीर में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है। क्या कोई भी विपक्षी दल यह मान सकता था कि वहां ऐसी बात होगी? सरकार की नई नीति के तहत सेना की मिली जुली कार्यवाही से स्थिति पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सका है। आज ही के समाचारपत्रों में हमने पढ़ा है कि 600 आतंकवादियों ने हथियारों सहित समर्पण किया है। सीमा पार से एक पड़ोसी शत्रु देश आतंकवादियोंको प्रशिक्षण व हथियार प्रदान करके उन्हें यहां भेज रहा है। इस स्थिति में, यह देश आंतरिक तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के साथ-साथ सीमा पर से भी युद्ध लड़ रहा है। हजरत बल की घटना के समय भी काफी गुहार की गई थी, किन्तु सरकार ने बहुत प्रभावी ढ़ग से इस स्थिति को सम्भाला। यहाँ तक कि सरकार की कटु आलोचना करने वालों ने भी इसकी सराहना की।

बाद में और भी बहुत सी घटनाएं हुईं। लेकिन मैं यहां उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज कश्मीर में बहुत से विकास कार्य किये जा रहे हैं। इसी सदन में बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वितमंत्री ने भी इसके बारे में बताया था। पिछले कई वर्षों के दौरान पहली बार योजनाबद्ध व्यय में से कुछ भी गैर-योजनाबद्ध कार्यों पर न खर्चे करके शत प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है और कश्मीर में पूरी तरह योजनाबद्ध व्यय का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। पहले इसमें अंतर रहता था और अब इसे प्रभावकारी ढंग से पाट दिया गया है। अब यह प्रगति और विकास कार्यों का एक हिस्सा बन गया है हम इस तरह की स्थिति कश्मीर में बना विकसित कर सकते हैं। अब सारे देश की आखें जम्मू और कश्मीर में होने वाले लोकतांत्रिक चुनावों की ओर लगी है। ऐसी स्थिति वहां बनाई जा रही है और यह लक्ष्य अब बहुत दूर नहीं है। शायद विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा मिथ्या प्रचार भी इसके लिये उत्तरदायी है क्योंकि वे नहीं चाहते कि पंजाब, असम व उत्तर-पूर्वी राज्यों की भांति हम इसमें सफल हों लेकिन मुझे विश्वास है कि ....

अध्यक्ष महोदय: आप कितना समय और लेंगे।

श्री पी.सी. चाको: महोदय मुझे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में उठाये गये मुख्य मुद्दों पर बोलने की अनुमति दी जाए। मैं इनके विस्तार में नहीं जांऊगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में सारा सदन एकमत है।

श्री पी.सी. चाको: जम्मू और काश्मीर की स्थिति में काफी सुधार हुआ हैं। इस सरकार की निष्क्रियता और गलत नीतियों के कटु आलोचक भी इस बात से सहमत होंगे कि वहां स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यद्यपि मैं इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा पर ऐसी स्थिति से लोगों में विश्वास बढ़ता है।

महोदय, मुझे इसके साथ ही देश के दूसरे भागों में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी कुछ शब्द कहने की अनुमति प्रदान की जाए। इस सभा में चर्चा के दौरान स्वायत्त परिषदों के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था। यह इस सरकार की नीति है। असम और बिहार में भी स्वायत्त परिषदों की स्थापना की गई थी। सरकार की नीति के अंतर्गत ये विकास परिषदें स्थापित की गयी थी। सरकार की इस मुद्दे पर आलोचना की गयी थी पर इससे लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है और वे अपने आपको विकास और प्रगति का एक हिस्सा मानने लगे हैं।

हमारे पड़ोसी देश के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के बावजूद सरकार द्वारा किये गये कूटनीतिक उपायों को सफलता मिली है। अब कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मंचों पर भी उठाया जाने लगा है। अब राजनयिक, पत्रकार, दूसरे देशों को प्रेस और राजनैतिक प्रतिनिधि भी काश्मीर में आ रहे हैं और सबको कश्मीर मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। वहां पर कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है। कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है। इस प्रकार इस स्थिति मे कुछ आशा जगी है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मेरे ख्याल से आपने सभी मुद्दे उठा लिये हैं

श्री पी.सी. चाको: नहीं महोदय, मैं अपना भाषण संक्षेप में कह रहा हूं। मैं राजनैतिक परिस्थितियों के परिदृश्य में एकदो बातें कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको सभा के परिदृश्य का भी ध्यान रखना चाहिये।

श्री पी.सी. चाको: महोदय, इस देश की आर्थिक प्रगति, जिसका बखान भारत के राष्ट्रपति कर रहे हैं, के संबंध में मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में सदन के इस ओर बैठने वाले सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं। सदन के दूसरी ओर के सदस्य भी यदि सहमत होते तो अच्छा होता, यदि ऐसा है और यदि राष्टपति का अभिभाषण इन सब मुद्दों की व्याख्या करता है ... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र जीत: महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर्याप्त है।

श्री पी.सी. चाको: ठीक है, महोदय, मै विस्तार में नहीं जाऊंगा पर मुझे एक-दो मुद्दों पर बोलने की अनुमति दी जाए।

महोदय, गत एक वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि, विदेशी मुद्रा भण्डार में हुई वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि लोगों की नजर में प्रमुख मुद्दे होंगे।

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला है।

श्री पी.सी. चाको: मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस सरकार की उपलब्धियां, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियां ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रपति जीने सरकार की सराहना की है। जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है, गत एक वर्ष के दौरान देश एक महत्वपूर्ण दौर से गुजरा है। इस सरकार के कारण देश ने आश्चर्यजनक वृद्धि दर प्राप्त की है। यह आलोचना की जा रही है कि उदारीकरण से गरीब जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाल किले से दिये अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि गत वर्ष में सरकार ने कल्याण उपायों पर लगभग 10,000 करोड़ रु. का व्यय किया है। इसी प्रकार यदि 1991 के बाद के पांच वर्षों की अवधि का रिकार्ड लें तो पता चलेगा कि सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कल्याण उपायों का अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है।

देश का राजनैतिक और आर्थिक परिदृष्य, कल्याण उपाय और सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की गई व्यापक प्रगति इस बात का प्रमाण है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के समर्थन से कैसे कार्य कर सकती है। इन उपलब्धियों के साथ यह सरकार विश्वासपूर्वक लोगों के समक्ष जा सकती है और मुझे विश्वास है कि देश की जनता इस दल और इसके नेतृत्व को आगामी पांच वर्षो के लिए सत्ता सौंप देगी।

राष्ट्रपति जी ने गत वर्ष के दौरान सरकार के कार्यकरण में पूरा विश्वास व्यक्त किया है और इस सदन को इस अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रपति जी का आभारी होना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं कि यह सदन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित उनके अभिभाषण के लिए गहरा आभार प्रकट करता है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। हमें शून्य काल के दौरान यह मुद्दा उठाने का अवसर नहीं दिया गया। मैं एक और महत्वपूर्ण मामला माननीय प्रधानमंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं और मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

गत वर्ष प्रधानमंत्री जीने हज यात्रा पर जाने वाले सभी अभ्यार्थियों को अनुमति देने की अनुकम्पा की। इस वर्ष हज यात्रियों की संख्या 55,000 के करीब है। मैं प्रधानमंत्री जी से

इन सभी अभ्यार्थियों को हज यात्रा पर जाने की अनुमति देने के बारे सदन में घोषणा करने की प्रार्थना करता हूं।

दूसरे, प्रधानमंत्री जी और इस सरकार ने अल्पसंख्यक विकास निगम को कुछ धनराशि देने की कृपा की जिसके लिए मैं इस सरकार का आभारी हूं। परन्तु जहां तक वितरण का संबंध है, यह धन वास्तविक लाभार्थी को जाना चाहिए जिसके लिए एक प्रणाली विकसित करनी होगी।

तीसरे सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के चयन के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है अपितु बहुत ही कम है।

मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और उन्होंने जो बार-बार आश्वासन दिये हैं कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई प्रणाली विकसित करेंगे जिसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास: माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले समर्थन कर दिया था, यह तो पहले बोल दिया था। ...

(व्यवधान)

डा. गिरिजा व्यास: मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं सिर्फ एक शेर बोलना चाहती हूं। ... **(व्यवधान)** महोदय, विकास पर काफी बात हो चुकी है और इसको अब यदि हम अंतरदृष्टि से देखें तो लगेगा कि पांच सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की अगवाई में इस देश ने कितनी उन्नति की है। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में एक बात कही थी।

[अनुवाद]

8.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री जी ने इन सभी बातों पर प्रकाश डाला है।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास: दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी, अगर कुछ मशविरे बाहम न होंगे। इसलिए सारी चीजों को उन्होंने खुला रखा। आज उसी का परिणाम है कि सारा विश्व इस बात की ताकीद कर रहा है कि आने वाला समय एक मूल्यात्मक समय होगा। मैं सिर्फ राष्ट्रपति जी की बात को ही महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने कही, उस पर अपना शेर कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। ''तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी देखूं तू भी देख। तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोचे।'' हम आने वाली लोकसभा का स्वागत करेंगे, इन्ही शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पटल पर, संशोधन करने संबंधी कोई पर्ची प्राप्त नहीं हुई। अत: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सरकार की प्रत्येक क्षेत्र में की गई उपलब्धियों की बहुत प्रशंसा की है परन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अब हमारा देश बहुत ही जटिल और संकटतम स्थिति मे गुजर रहा है। इसलिए हमें सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। मैं अर्थव्यवस्था पर भाषण देने वाला नहीं हूं परन्तु मुझे लगता है कि हमारे सभी प्रजातांत्रिक संस्थान ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसाकि सर्वोत्तम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने कहा है कि जब प्रजातांत्रिक संस्थान ठीक तरह से कार्य न करें अपना कर्त्तव्य न निभाएं और अपना भार दूसरों पर लाद देते हैं तथा एक विशेष समय में समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं तो उनमें आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है।

पिछले पांच वर्षों से हम साम्प्रदायिकता पर चर्चा करते आ रहे हैं परन्तु अभी तक उसका मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। साम्प्रदायिकता हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म निरपेक्षता हमारे प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है परन्तु पिछले पांच वर्षों से धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत करने के लिए अथवा बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद लगे जख्म को ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यद्यपि, वायदे तो किए गए थे परन्तु उन्हें कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया। देश में हर जगह जातिवाद और साम्प्रदायवाद बहुत फैला हुआ है। हमारा ग्रामीण जीवन जिसे आदर्श माना जाता था तथा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, भारत की शक्ति का आधार था, उसमें प्रतिदिन झगड़े होते रहते है। अब उस शक्ति का विघटन होगया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान कर दी है। हमने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन किया है। परन्तु व्यावहारिक रूप में क्या हो रहा है? संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में दी गई इन शक्तियों के बाद भी क्या राज्य सरकारें इसे कार्यान्वित कर रही हैं? महोदय, आप जानते हैं

कि चुनी गई पंचायतें भंग हो रही हैं ... (**व्यवधान**) इतना अवश्य है कि आपने अपना धैर्य खो दिया है परन्तु मैंने नहीं खोया है।

मुझे देश पर आने वाले बड़े संकट दिखाई दे रहे हैं। हमें विश्व की उभरती हुई परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। साम्राज्यवाद ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया और हमारे देश को अस्थिर बना रहा है। स्थिरता कैसे आ सकती है? क्या आपने इस पर विचार किया है? क्या उस संबंध में माननीय राष्ट्रपति जी ने कोई संकेत दिया है? महोदय, आप यह जानते हैं कि अब विश्व व्यापार संगठन ने अपनी कार्यसूची में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना भी शामिल कर लिया है। उन्हें मुक्त हस्त चाहिए। वे समान व्यवहार चाहते हैं। यही विश्व व्यापार संगठन की कार्यसूची रही है। आप जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में साम्राज्यवादी अपने विवादों का भार हमारी अर्थव्यवस्था पर डालना चाहते हैं। ऐसे समय में यदि हम उसके बारे में पूर्ण रूप से सचेत नहीं होंगे और अपने प्रजातांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे तथा चुनाव सुधार व अन्य कार्य नहीं करेंगे तो उससे हमारे प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी ढांचे में जंग लग जाएगा। तब हम साम्राज्यवादी दबाव को रोकने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी के भाषण में स्पष्ट नहीं किया गया है। आप ऊंचे-ऊंचे दावे कर सकते हैं परन्तु वे दावे केवल कुछ ही समय के लिए होते हैं। आपकी अस्थाई उपलब्धियां कोई उपलब्धियां नहीं हैं। स्थिरता का अर्थ चालबाजी से बहुमत हासिल कर लेना नहीं है। स्थिरता वह होती है जो कुछ सामान्य उद्देश्यों के साथ सम्पन्नता लाती है। महोदय, जैसाकि आप जानते ही है कि सामान्य उद्देश्य के बिना संसद में जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं की जा रही है। वे तथ्यों को छुपाना चाहते हैं। इस संसद को लोगों की समस्याओं पर चर्चा करनी है परन्तु वे तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हो रहा है और संसद में अधिकांश समय में इस देश तथा लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है।

महोदय, विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों तथा अन्य कार्यों की जांच के लिए स्थायी समिति प्रणाली आरम्भ करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थायी समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है? यह एक अलग प्रश्न है।

महोदय, यह दसवीं लोक सभा का अंतिम दिन है और मैं समझता हूं कि काफी समय व्यतीत कर चुके हैं। आज, इस देश के वास्तविक नेतृत्व को सभी देश भक्त तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक सामूहिक मोर्चे के रूप में संगठित करना होगा ताकि साम्राज्यवादी व सम्प्रदायवादी आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। देश के सामने यही उद्देश्य है और यदि हम इसके लिए खड़े हो जाएं तो मैं समझता हूं कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र राष्ट्र बन जाएगा बल्कि वह अपनी विरासत को भी कायम रख सकेगा और जो कुछ भारत के बारे में कहा गया है वह सच हो जाएगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें अच्छी बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल श्री अहमद के प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में एक-दो अच्छे सुझाव दिए हैं। वह यह जानते हैं कि स्थिति में जो भी सुधार दिखाई पड़ रहा है वह केवल हमारे ही प्रयासों का परिणाम है। हम निगम को निश्चित रूप से और अधिक धन उपलब्ध कराएंगे। हम प्रत्येक कार्य पूरा करेंगे और वह इस बात का विश्वास रखें कि जो कुछ उन्होंने कहा है, उस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

महोदय, अब न तो अलोचना के लिए कोई अन्य मामला शेष है और न ही उत्तर के लिए उठाया गया कोई अन्य मुद्दा है। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव कृपया सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री पी.सी. चाको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदनप के मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

''कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 26 फरवरी, 1996 को एक साथथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

8.09 म.प.

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: अच्छा, यह इस सत्र का और इस सदन में दसवीं लोकसभा का अंतिम दिन जान पड़ता है। दसवीं लोक सभा की अवधि में, हमने प्रश्न किये और उनके उत्तर भी पाए हैं। हमने विधेयकों पर भी विचार किया है उन्हें पारित भी किया है। हमने बजटों पर चर्चा की, और उन्हें पारित भी किया। हमने अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की है। एक पुस्तिका तैयार

की गयी है जिसमें दसवीं लोकसभा के कार्यनिष्पादन के आंकड़ों को चार रूप में दर्शाया गया है और मैं सोचता हूं कि यह पुस्तिका माननीय सदस्यों को दी जा रही है। इस पुस्तिका में अन्य लोकसभाओं के कार्यनिष्पादन की दसवीं लोकसभा के कार्यनिष्पादन से तुलना की गई है। इससे हमें स्पष्टत: पता चलेगा कि उक्त अवधि में हमने क्या किया है। मेरा विचार यह है कि हमने अच्छा कार्य किया है। यदि हम आँकड़ों की तुलना करें तो हमे कुछ क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्नता होगी और कुछ क्षेत्रों में हम बेहतर कार्य करना चाहेंगे। अच्छा कार्य करने और संसद में हमारे कार्यनिष्पादन में सुधार करने की काफी कुछ गुंजाइश है।

हमने लोकसभा में जो कुछ भी किया है वह सब सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री, उनके सहयोगियों और मंत्रिपरिषदों तथा सरकारी पक्ष के सदस्यों और वर्तमान और भूतपूर्व विपक्ष के नेताओं तथा राजनैतिक पार्टियों के अन्य नेताओं तथा विभिन्न पार्टियों के सदस्यों के भरपूर सहयोग से संभव हो सका।

यह सब कर पाना संभव इसलिए भी संभव हो सका कि हम सभी को उपाध्यक्ष से भी भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने इस सदन में अन्य पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ अध्यक्षता करने का कष्ट उठाया और हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय को विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। जो सदस्य यहां पीठासीन अधिकारी के रूप में रहते रहे है उन्होंने हम सब की अच्छे ढंग से मदद की है और हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगें।

इस सचिवालय के अधिकारीगण ने पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाई है।

उन लोगों ने कितने घंटे तक कार्य किया यह हम सभी वास्तव में नहीं जानते। हममें केवल कुछ ही लोग इस सचिवालय में कार्य करते रहे हैं तथा यह जानते हैं कि कितने घंटे तक वे लोग कार्य करते रहे हैं और हम उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।

विभिन्न मीडिया के जिन सदस्यों ने संसद की गतिविधियों की रिपोर्टिंग की है, मैं सोचता हूं उन्होंने जनता को प्रमाणिक रूप से अवगत कराने का प्रयास किया है। सभी क्षेत्रों में, सुधार की गुंजाइश रहती है लेकिन सभी विषयों को अत्यंत प्रामणिक रूप से प्रकाशित किया गया और हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे।

मैं सोचता हूं कि कुछ महीनों के अन्दर हम लोगों के फैसले के लिये उनके बीच जाएंगे और मैं यह कहना चाहूंगा कि आप सभी पुन निर्वाचित होकर इस सदन में आएं।

कई माननीय सदस्य गण: धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा, हम हमेशा यही सोचते हैं

[हिन्दी]

हम रहे न रहे, तुम रहें तुम्हारी शान रहे।

इस सदन की शान रहनी चाहिए ये आप सब की शान रहनी चाहिये

और हममें इस लोकतंत्र की शान रहनी चाहिये। हमारे देश की शान और हमारे देश की यूनिटी रहनी चाहिये।

[अनुवाद]

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सहकर्मियों को और सभी दलों के सभी नेताओं तथा माननीय सदस्यों को और उन अन्य सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कर्तव्यों के निर्वहन में मुझे सहयोग दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं और सर्वप्रथम मैं, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय तथा पीठासीन अधिकारियों के पैनल की, उनके द्वारा सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए भूरि-भूरि सराहना तथा प्रशंसा करता हूं, उन्होंने न केवल सदन की कार्यवाही को चलाया अपितु वास्तव में देश के प्रजातंत्र को नई रोशनी दी है।

महोदय समिति प्रणाली ने जिसे आपने प्रारम्भ किया है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम में से अधिकांश को इस प्रणाली की सफलता के संबंध में संदेह था - बहुत अच्छी तरह कार्य किया है तथा इसको देखकर यह कहा जा सकता है कि इससे चर्चा के विषय को आवश्यक गंभीरता मिलेगी। समितियों का यही प्रयोजन है। वे विषय की अधिक व्यापकता में जाती हैं, उसकी विस्तृत जाँच-पड़ताल करती हैं तथा ऐसी रिपोर्ट तैयार करती हैं, जो कि अत्यन्त अन्तर्दृष्टिपूर्ण होती हैं, तथा जो अन्यथा किसी भी प्रकार कभी भी हमें नहीं मिल सकती थी।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि अनेक अर्थों में दसवीं लोक सभा अन्य लोक सभाओं से अत्यन्त भिन्न रही है। सर्वप्रथम, इसे अल्प कालिक समझा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति का यही पूर्वानुमान था कि यह अधिक समय तक नहीं चलेगी तथा कुछ ही महीनों में हमें जनमत के लिए जाना पड़ेगा। स्वयं मुझे भी एक काम-चलाऊ प्रधानमंत्री कहा गया। इसीलिए इस सभा को भी काम चलाऊ सभा कहा गया। लेकिन हुआ यह कि यह अंतराल पाँच वर्षों तक चला। इसका श्रेय पार्टियों के नेताओं को सदस्यगणों को तथा प्रत्येक व्यक्ति को जाता है जिन्होंने इसे संभव किया। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस दसवीं लोकसभा को अपने कार्यकाल को पूर्ण करने में, केवल एक ही पार्टी नहीं अपितु दूसरी अन्य पार्टियों का भी सहयोग रहा। मुझे याद है कि इसके

समक्ष लगभग तीन अविश्वास प्रस्ताव आए। मैं एक अल्पमत सरकार की 60 और 40 वोटों से विजय को स्पष्ट तौर पर नहीं समझा सकता, अपितु केवल इतना कह सकता हूं कि दूसरी ओर भी हमारे कुछ अदृश्य मित्र हैं। महोदय, यह सर्वथा, लोकतंत्र के भविष्य के लिए तथा लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करने के लिए अच्छा होगा तथा मैं यह सोचता हूं कि ऐसा होना भी चाहिए। मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में आगामी लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की जड़े और गहरी तथा मजबूत करने के अपने कर्त्तव्य को वस्तुत पूरा करेगा ताकि संसार की कोई भी शक्ति - चाहे कोई पार्टी हारे या जीते, चाहे कोई पार्टी सरकार बनाये या न बनाये देश में प्रजातंत्र की जड़ों को न हिला सके।

मुझे इस बात की जानकारी भी है कि लोकसभा सचिवालय का स्टाफ भी पूरी कार्यकुशलता से कार्य कर रहा है। उन्होंने निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्य कर के हमारी चर्चाओं को सफल बनाया तथा हम उन सभी जिन्होंने इस लोकसभा को सफल बनाया तथा इसके लिए कार्य किया, के प्रति आभार प्रकट करते हैं। विशेषत: आपके कार्य करने के तौर तरीके से सदस्यों को अपनी कठिनाईयों का निवारण करने में तथा हमेशा उपयोगी वाद-विवाद करने में सहायता मिली। वास्तव में हमने एक-दो चीजें धैर्य व दृढ़ता का प्रयोग आपसे सीखा हैं, यह दोनों चीजे इस प्रकार से जुड़ी होती थी कि हमें यह नहीं मालूम चल पाता था कि कब आप हम पर कृपा कर रहे थे और कब आप दृढ़ता/ कठोरता का प्रयोग कर रहे थे। इन दोनों का समावेश सुन्दर तरीके से किया गया है। यह हम, केवल आपकी प्रशंसा दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। मैं वास्वत में यह महसूस करता हूं। कि सम्भवत: यह वर्ष, 5 वर्षों में सदन का सबसे अधिक अशांत वर्ष रहा है जिसमें सभी प्रकार की अनिश्चितताऐं रहीं है। महोदय, मैं आपका अभिवादन करता हूं। मैं इस संबंध में भी सजग हूं कि प्रेस तथा मीडिया ने भी अनेक तरीकों से हमारी मदद की है। उन्होंने समय-समय पर हमने जो कुछ भी कहा उसको उजागर किया है विशेषत: वे चीजे जिन्हें हम प्रेस को ध्यान में रखकर उजागर करना चाहते थे, तथा कभी-कभी उन्होंने हमें भरपूर कवरेज दी है। मैं यह भी प्रतिवाद किसी के डर के बिना अवश्य कहूंगा कि इस कार्यकाल के दौरान प्रेस की रिपोर्टिंग कुल मिलाकर वस्तुपरक रही है तथा वस्तुनिष्ठता के मानदण्डों के अनुरूप रही है। मैं पुन: उनको धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं सदन के सभी सदस्यों को आपको व देश को शुभकामनाऐं देता हूं क्योंकि इस लम्बी दौड़ में हम प्रजातंत्र की दौड़ में मील के एक पत्थर को पार करके दूसरे की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: एक बात जिसे में रिकार्ड में जोड़ना चाहता हूं कि वह यह है कि स्थाई समितियों की अब धारणा मूलत: प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत की थी तथा सदस्यों ने इसका समर्थन किया था तथा इसकी सभी ने प्रशंसा की है तथा हमें इस से अत्यधिक प्रसन्नता है।

अब हम वन्देमातरम् के लिए खड़े होंगे।

8.22 म.प.

राष्ट्रीय गीत

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजायी गयी)

अध्यक्ष महोदय: सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

8.24 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस. - 48/47/10 /96 (एन.)

250

(C) 1996 को प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और राष्ट्रीय प्रेस, 12-बी, एनेक्सी, राजेन्द्रा पार्क, नई दिल्ली-110060, फोन 5755524 द्वारा मुद्रित।